दशम माला, खंड 5, अंक 43

बुधवार, 11 सितम्बर, 1991
20 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 11 सितम्बर, 1991/20 भाद्र, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
5	6	"श्रीमती मलिनी के स्थान पर "श्रीमती मालिनी "पढ़िये।
7	नीचे से चौथी पंक्ति	"महीदय" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये।
13	18	"श्रीपथ्वीराज" के स्थान पर "श्री पृथ्वीराज" पढ़िये।
23	20	"विरलतिया" के स्थान पर "विरलिया" पढ़िये।
26	12	"गोगाई" के स्थान पर "गोगोई" पढ़िये।
57	6	"कुभारी" के स्थान पर "कुमारी" पढ़िये।
77	8	"बहुरास्ट्रीय" के स्थान पर "बहुराष्ट्रीय" पढ़िये।
95	7	"खाडी" के स्थान पर "खादी" पढ़िये।
142	17	"उद्योग" के स्थान पर "उद्योग" पढ़िये।
159	15	"श्री हराधन" के स्थान पर "श्री हाराधन" पढ़िये।
308	नीचे से पंक्ति 11	"बंसज" के स्थान पर "बंसल" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 5 पहला सत्र' 1991/1913 (शक)

अंक 43 बुधवार, 11 सितम्बर, 1991/20 भाद्र, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	—	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 776 से 778, 780, 783, से 785	—	2-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर।	—	26-234
*तारांकित प्रश्न संख्या : 774 और 775, 779 और 781 और 782 से 786, से 794	—	26-39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6561 से 6599, 6601 से 6613, 6615 से 6618 और 6621 से 6650 6652 से 6788	—	39-234
सभापटल पर रखे गये पत्र	—	252-254
राज्य सभा से सन्देश	—	254-255
नियम 377 के अधीन मामले	—	255-258
(एक) मुम्बई में धारवी गंदी बस्ती के सुधार और पुनर्वास से संबंधित कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता		
श्री शरद दिघे	—	255

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) औरंगाबाद-परभनी से पार्ली के बीच मीटरगेंज रेल लाईन को शीघ्र बड़ी लाईन में बदलने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे — 255-256

(तीन) गुजरात में भड़ौच को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री चन्दूभाई देशमुख — 256

(चार) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में विद्युतकरघा उद्योग को बचाने के लिए उचित मूल्यों पर धागे की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री राम कापसे — 256

(पांच) हल्दीबाड़ी और सियालदाह के बीच एक और एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास — 256

(छः) खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए विधान बनाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह — 257

(सात) सुजानपुर टिहारा, आवाह देवी आदि में कम शक्ति वाले टी. वी ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

श्री प्रेम धूमल — 257

(आठ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की उचित शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में बालिका स्कूलों के खोले जाने की आवश्यकता

श्री खेलसाय सिंह — 257-258

(नौ) कर्नाटक के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एच. डी. देवगौड़ा — 258-259

विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी मुद्रा संचपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव — 259

श्री मोहन सिंह — 259-260

प्रो. रासा सिंह रावत — 261-263

श्री हन्नान मोल्लाह — 263-266

डा. के. वी. आर. चौधरी — 266-267

श्री ई. अहमद — 267-271

श्री जार्ज फर्नान्डीज — 271-281

श्रीमती गीता मुखर्जी — 281

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 282-283

श्री निर्मल कांति चटर्जी — 283-284

श्री मनमोहन सिंह — 284-288

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह — 291

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक — 291-326

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस. बी. चव्हाण — 291-292 और 327-329

श्री राम नाईक — 293-294

श्री एम. रमन्ना राय — 294-296

श्री जार्जफर्नान्डीज — 296-301

श्री दिग्विजय सिंह — 301-303

श्री पू. विजय कुमार राजू — 303-305

श्री रासा सिंह रावत — 305-307

श्री पवन कुमार बंसल — 307-313

श्री सोमनाथ चटर्जी — 313-318

श्री चित्त बसु — 319-321

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह — 321-322

प्रो. राम प्रसाद सिंह — 322-324

प्रो. प्रेम धूमल — 324-325

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 325-326

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस. बी. चव्हाण — 337

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक — 338-368

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह — 339-344

श्री भगवान शंकर रावत — 347-355

डा देवी प्रसाद पाल — 356-362

श्री मंजय लाल — 362-365

श्री के. मुरली धरन — 365-367

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 367-368

लोक सभा

बुधवार 11 सितम्बर, 1991/ 20 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सदन को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री रवि नारायण रेड्डी की दुखद मृत्यु के बारे में सूचित करना है । श्री रेड्डी वर्ष 1952 में प्रथम लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह नालगोण्डा संसदीय क्षेत्र से चुने गए थे जो पूर्व हैदराबाद राज्य का एक हिस्सा था। उन्होंने लोकसभा में पुनः उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्ष 1962-66 के दौरान किया। इस बीच वह 1951-62 के दौरान आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी के रूप में श्री रेड्डी ने वर्ष 1930-34 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भी शिरकत की। जबकि उस दौरान वह एक छात्र ही थे।

एक विख्यात सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में श्री रेड्डी किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाए गए विभिन्न आन्दोलनों से जुड़े रहे। उन्होंने आन्ध्र-प्रदेश के तेलांगना क्षेत्र में किसानों के चलाये गये संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभायी थी।

एक सक्षम सांसद के रूप में उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों और किसानों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का एक भी अवसर नहीं खोया।

श्री रेड्डी का निधन 7 सितम्बर, 1991 को हैदराबाद में 83 वर्ष की आयु में हुआ।

हम श्री रवि नारायण रेड्डी की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि यह सदन शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ भागीदारी करेगा।

अब सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए खड़े होकर एक मिनट का मौन धारण करें।

[तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट का उत्पादन

*776. श्री सुधीर सावंत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने पिछले कुछ समय में रिकार्ड उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय करने का विचार है कि अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया का अनुकरण करें;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही का ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के उत्पादन स्तर को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सी. सी. आई.) के सीमेंट उत्पादन में पिछले कुछ समय में सुधार हुआ है। पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्योरा इस प्रकार है :—

	(लाख मीट्रिक टन में)
1988-89	24.77
1989-90	27.66
1990-91	28 67

अप्रैल-अगस्त, 1990 और अप्रैल-अगस्त, 1991 के दौरान सी सी आई. ने क्रमशः 11.64 मीट्रिक टन और 11.94 मीट्रिक टन का उत्पादन किया।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न-एकांशों की अलग-अलग अंतसंरचना, जनशक्ति, विपणन और प्रबन्धन समस्याएं हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की नियमित अन्तरालों के पश्चात् समीक्षा की जाती है। सरकार और सरकारी क्षेत्र के चुने हुए उपक्रमों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। उनके कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए, अन्तर्संरचना सुविधाएं सुधारने, उत्पादमिश्र के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुरक्षण और प्रबन्धन पद्धतियों में सुधार इत्यादि के लिए अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम सुधार दर्शाते हैं, उनका वित्तीय पुनर्गठन भी किया जाता है।

श्री सुधीर सावन्त : विवरण में जिन उपायों का उल्लेख सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए किया गया है उनमें आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उत्पादन के विविधिकरण का उल्लेख है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि मूल समस्या के प्रति ध्यान दिया गया है, अर्थात मनुष्य जो मशीन के पीछे कार्य करता है उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं गया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहुंगा कि क्या सरकारी उपक्रमों में कार्मिकों की नियुक्त के बारे में कोई मानदंड तय किया गया है। और दूसरा, क्या सांसदों से भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सही जगहों पर सही अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

श्री पी. के. थुंगन : सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों के चयन की एक प्रणाली बनी हुई है। उच्च पदों के लिए चयन सरकारी उपक्रमों के चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल है, जब कभी भी हमें शिकायत मिलती है, हम इसकी जांच करते हैं और उचित कदम अधिकारी द्वारा, जैसा सलाह दिया जाएगा, लिया जाएगा।

श्री सुधीर सावन्त : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न सीमेन्ट उद्योग की समस्याओं से संबंधित है। है। उनकी एक बडी समस्या उनको आपूर्ति किये जा रहे कोयले की गुणवता और इस समस्या के कारण उसकी मात्रा से सम्बन्धित है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सी.सी आई. की उत्पादकता में कमी हुई है और इसकी ईकाइयां बन्द करनी पड़ रही हैं। यदि यह बिल्कुल सही है, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन अवाधित रूप से होता रहे, क्या कदम उठा रही है।

श्री पी. के. थुंगन : यह एक सच्चाई है कि बिजली की पर्याप्त सप्लाई न होने कोयले की कमी और कुछ अन्य कारणों से सी सी आई को हानि हुई और इसके उत्पादकता बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। जहां तक सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सवाल है, यह लगातार प्रत्यन करते रहने की बात है।

अपने देश के दक्षिणी हिस्से में, खासकर आन्ध्रप्रदेश में जहां कारखाने हैं, हम लोगों को बिजली की बहुत ही जटिल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हम बिजली की सप्लाई की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस उद्देश्य से हम संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क

बनाये हुए हैं । हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि अन्य निजी कम्पनियों में केप्टीव पावर की व्यवस्था है, वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर क्रैप्टिव पावर प्लान्ट की व्यवस्था की जाए । सम्बन्धित कारखानों में कैप्टीव पावर की व्यवस्था कर दें तो उत्पादन में सुधार होगा ।

श्री हरिकिशोर सिंह : मैं महसूस करता हूं कि सरकारी उपक्रम कई बाधाओं के बावजूद अच्छा कार्य कर रहा है । मैं एक मूल प्रश्न करना चाहूंगा और वह सार्वजनिक उपक्रम के मुख्य अधिकारी की चयन प्रक्रिया के बारे में है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सीमेंट उद्योग से सम्बन्धित है और आप पूरे सरकारी उपक्रम के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री हरिकिशोर सिंह : नहीं, महोदय, यह मूल प्रश्न है क्योंकि कई उपक्रमों में शीर्षस्थ पद खाली है । मैं सरकार को यह सलाह दूंगा कि वह इसके लिए 'लोक सेवा आयोग' की चयन प्रक्रिया का अनुसरण करे । यह निश्चित समय-सीमा वाला कार्यक्रम होना चाहिए और यदि रिक्तियां हैं तीन या छह महीने में, तो मुख्य अधिकारी का चयन होना चाहिए । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । जैसा कि पहले कहा गया है कि मशीन के पीछे कार्य करने वाला आदमी बहुत अहमियत रखता है । और मुख्य अधिकारी को निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होता है । कई सरकारी उपक्रमों में मुख्य अधिकारियों का पद लम्बे समय से खाली है । प्रधान मन्त्री जी यहां मौजूद हैं और वह इसका जवाब दे सकते हैं । क्या सरकार सरकारी उपक्रम के मुख्य अधिकारी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की परिपाटी के मुताबिक करने पर विचार करेगा ।

श्री पी. के. चुंगन : जैसा कि पहले ही मैं कह चुका हूं, हमारे पास एक बनी-बनायी व्यवस्था पहले से है और चयन सरकारी उपक्रम के चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

श्री हरि किशोर सिंह : यह तो स्पष्ट है । मेरा विशिष्ट प्रश्न है कि चूंकि नियुक्ति में विलम्ब होता है और कई उपक्रम बगैर मुख्य अधिकारी के कार्य कर रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार संघलोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्त करने पर विचार करेगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सरकारी उपक्रम के चयन बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी मेनेजमेन्ट से ही सम्बन्धित है पिछले कुछ वर्षों से सी. सी. आई. का प्रोडक्शन लगातार बढ़िया होता रहा है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया में यह जो सुधार आया है, क्या यह सत्य है कि इसके प्रबन्धकों और जो सीनियर स्तर पर, एट टोप लेबल मेजेजमेंट में जो परिवर्तन आया है और अगर यह सत्य है तो क्या आप बाकी उद्योगों में भी ऐसा करना चाहेंगे ?

श्री पी. के. थुंगन : कुछ हद तक यह सही है क्योंकि मुख्य अधिकारी के स्तर पर परिवर्तन हुआ था और इसके बाद कम्पनी में सुधार होने लगा। परिणाम स्वरूप, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जिस कम्पनी को नकद नुकसान हो रहा था, उस कम्पनी ने 10 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। साथ ही, यह तो श्रमिकों और अन्य अधिकारियों के आपसी सहयोग से ही सम्भव हो सका। इन लोगों ने जीतोड़ परिश्रम किया था।

श्रीमती मलिनी भट्टाचार्या : मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगी कि क्या सीमेन्ट उत्पादन के शेयर लाभकारी होने के बावजूद इनके शेयर निजी कम्पनियों को बहुत कम कीमतों में बेचे जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में डल्ला स्थित सिमेन्ट उद्योग के मामले को उठा रही हूं। मैं जानना चाहूंगी कि यदि ऐसा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सार्वजनिक उपक्रम में निजी करण की इस प्रक्रिया को सरकार रोकेगी और क्या सी सी आई इसका प्रबन्धग्रहण करेगी।

श्री पी. के. थुंगन : सभी सीमेन्ट कारखाने हमारे पास नहीं है। जहां तक प्रबंध ग्रहण का मामला है, जैसाकि मैंने पहले कहा है, जो कारखाने हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा इस मामले में। जहां तक प्रबंध ग्रहण का मामला है, जब ऐसा प्रस्ताव आता है तो इसकी जांच की जाती और हम निश्चय ही इसकी जांच करेंगे।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि कोयले और बिजली की कमी के कारण, सी सी आई को आंध्रप्रदेश में लाभ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार की समस्याओं का निजि उद्योग भी सामना कर रहे हैं। आन्ध्र-प्रदेश में सीमेन्ट के कई निजि कारखाने हैं। वर्ष 1988 में उनके शेयर का मूल्य 5 रु. था, अब यह बढ़कर 25 रुपये हो गया और इनका उत्पादन 25% से बढ़कर 1000 % हो गया है—इन दो-तीन वर्षों में। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि पहले वर्ष 24 लाख, दूसरे वर्ष 27 लाख और तीसरे वर्ष 28 लाख। इसका मतलब यह है कि इन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत की विकास दर भी उपलब्धि नहीं की पिछले वर्षों में।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय आधारभूत सुविधाओं, मानव-शक्ति और विपणन की दृष्टि से सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की जांच करेंगे। निजी उद्योग तमाम कठिनाईयों के बावजूद शत प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं और सरकारी उपक्रम प्रतिवर्ष 10/प्रतिशत विकास दर की की भी उपलब्धि नहीं कर रहे हैं। अतः माननीय मन्त्री महोदय से, आपके माध्यम से, मेरा यह निवेदन है कि क्या मंत्री जी एक समिति का गठन करेंगे, जो इन दो समानान्तर संगठनों की जांच करेंगे ताकि दोषी जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रबन्ध है, का पता लगाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सवाल मत कीजिए जो पूछने योग्य न हो ?

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : कृपया आप समझिए और मन्त्री जी से पूछिए।

श्री पी. के. थुंगन : वह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप प्रश्न तैयार करें और मुझसे पूछिए। मैं प्रश्न को समझने की कोशिश करूंगा और मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न का सार यह है कि क्या आप सरकारी उद्योगों की मदद करने जा रहे हैं।

श्री के. पी. रेड्डैय्या यादव : इन दोनों की तुलना करने के बाद, कोई उपचारात्मक उपाय कीजिए, इसलिए कि सार्वजनिक उपक्रम भी निजी उद्योगों से प्रतियोगिता कर सकें।

श्री पी के थुंगुन : महोदय, मैंने पहले कहा है, कि सभी कुछ निजी सिमेन्ट कारखानों और सरकारी सीमेन्ट कारखानो की उपलब्धियों के बीच बल्कि कुछ भिन्नता है। कुछ भिन्नता तो रही है।

लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हमें उन समस्याओं का सामाना करना पड़ता है जिनका सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर उनके पास अपना बिजली घर होता है। इसका मतलब यह होता है कि उनके पास अपने कारखाने में ही केप्टीव पॉवर की व्यवस्था है। ऊर्जा की नियमित सप्लाई की सुविधा होने के कारण उनके कारखाने प्रभावितनहीं होते हैं। लेकिन हम तो ऊर्जा की सप्लाई के लिए ज्यादातर इलेक्ट्री सिटी बोर्ड और अन्य संगठनों पर निर्भर करते हैं। अतः, हमारे पास केप्टीव पावर नहीं है और हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। यह एक सबसे बड़ा कारण है।

दूसरा पहलू यह है कि हमारे कारखाने दूर-दराज के इलाको में लगे हुए हैं जहां निजी उद्योग पति कारखाना लगाना नहीं चाहते हैं। मेरा मतलब, कि निजी उद्योग वाले नहीं आते हैं जबकि हमारे ऊपर सामाजिक उत्तरदायित्व भी तो है। हमें दूर-दराज के क्षेत्रों में कारखाना लगाना पड़ता है जिन्हें निजी कम्पनियां काम के रुझान से महत्व नहीं देती। उदाहरण के तौर पर हमारे कुछ ऐसे भी कारखाने हैं जहां तक रेलवे लाईनों की पहुंच नहीं है। हमें कच्चेमाल से लेकर उत्पादों को सड़कों से ढोना पड़ता है। जो बहुत ही महंगा साबित होता है। ये कुछ बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि क्या सरकारी उपक्रम काम करते हैं कि नहीं। वह यह प्रश्न कर रहे हैं कि आप कोयला और अन्य चीजें सप्लाई करने जा रहे हैं। या नहीं।

श्री पी. के. थुंगन : मैं इस पर बोलने ही वाला हूं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि एक समिति का गठन किया जाए। निजी कम्पनियां ज्यादा लाभ क्यों कमा रही हैं और अच्छी उपलब्धि कायम कर रही हैं। क्यों सार्वजनिक उपक्रम ऐसी उपलब्धि नहीं कायम कर रही हैं। जैसा कि हमें पहले से ही ज्ञात है जो समस्याएं इन उपक्रमों को झेलनी होती हैं और जो सुविधाएं इनके पास उपलब्ध हैं, उस मामले में किसी भी समिति की जरुरत नहीं है।

कम्प्यूटर पर आधारित संस्कृत का अध्ययन, शिक्षा और शोध

*777. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत संस्थाओं ने कम्प्यूटर पर आधारित संस्कृत का अध्ययन, शिक्षा और शोध कार्य शुरू कर दिये हैं;

(ख) प्रत्येक ऐसे केन्द्र को उच्च प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा किस प्रकार सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को समय से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी क्या व्यवस्था की गई है कि उन्हें आवश्यक तकनीकी सहायता निरन्तर मिलती रहे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) (क) : जी हां, इलेक्ट्रानिकी विभाग के भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी. डी. आई. एल.) कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ संस्कृत संस्थानों ने कम्प्यूटर पर आधारित संस्कृत अध्ययन, शिक्षा तथा अनुसंधान से संबंधित काय आरम्भ किए हैं।

(ख) भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण तथा ज्ञानार्जन के लिए साधन-स्रोत केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उनके द्वारा संस्कृत संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। संस्कृत के विद्वानों के लाभार्थ कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण तथा ज्ञानार्जन कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और संस्कृत से अनेक भाषाएं बनी हैं, अनेक भाषणों को उसने जन्म दिया है। इसलिए भारत सरकार का यह सबसे पहला कर्त्तव्य है कि इस भाषा को सशक्त बनाए और उसके माध्यम से राष्ट्र को लाभ मिले।

मान्यवर, कुछ संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण और संस्कृत साफ्टवेयर विकास के लिए सरकार ने अनुदान दिया है। मेरा कहना है कि इस क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति के लिए उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ उपलब्ध कराये जाएं : संस्कृत संस्थानों में अच्छे कम्प्यूटर्स विशेषज्ञ नहीं जा रहे हैं। इसलिए कम्प्यूटर विशेषज्ञ इलेक्ट्रानिक्स शोध विकास केन्द्रों से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये, यदि आपके सुझाव हैं तो आप लिख कर भेज दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मान्यवर, इस समय जिन शोध संस्थानों में कम्प्यूटर हैं वहां पर विशेषज्ञ नहीं है जो उनके ट्रेड कर सकें, उशिक्षण दे सकें। क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि सीधे या आन डैपूटेशन वहां पर विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : कम्प्यूटर के लिए संस्कृत में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत का अध्ययन कराना तथा संस्कृत के विद्वानों को कंप्यूटरों का उपयोग स्वीकार कराना है ताकि इन दोनों में समन्वय हो सके। यह कार्यक्रम लागू कर दिया गया है और हम इस कार्यक्रम के लिए देश में विभिन्न संस्थानों को धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कार्यक्रम को जारी रखने के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जा सकें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आई. आई. टी. की तरह सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों को कप्यूटर नेट वर्क पर जोड़ा जाना आवश्यक है। माननीय मन्त्री जी इस दिशा में कोई व्यवस्था देंगे जिससे नेट वर्क से जितने भी विश्वविद्यालयों से शोध के कार्यक्रम कंप्यूटर के माध्यम से चल रहे हैं, आई. आई. टी. की तरह, क्या संस्कृत विश्वविद्यालयों को भी कम्प्यूटर नेट वर्क से जोड़ा जाएगा ?

दूसरा भाग यह है कि विदेशों में विशेष रूप से जर्मनी और इंग्लैंड तथा अमेरिका के अन्दर कई विश्वविद्यालयों में कप्यूटर द्वारा संस्कृत के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। हमारा इस विषय में माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि अपने देश की ओर से कुछ विशेषज्ञों को भेज कर क्या इस विषय में आपस में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जिससे हमें अधिक लाभ मिल सके ?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : संस्कृत भाषा के बारे में, संसद के दोनों सदनों में हमें बहुत से प्रश्न प्राप्त होते रहे हैं कि इसका कंप्यूटरीकरण किस तरह से हो सकता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान की कोई ऐसी तार्किक शाखा है जिसका कंप्यूटर भाषा तथा मशीनी भाषा में आसानी से अनुवाद किया जा सकता है। हमारे लिए यह बहुत ही उत्साहवर्धक बात है।

महोदय, इलैक्ट्रानिक विभाग द्वारा इस संबंध में जो कदम उठाए गए हैं तथा जो कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है, उसके बारे में आज सायंकाल तक पूर्ण परिचय दे रहे हैं ताकि जो प्रश्न पहले हमें प्राप्त हुए हैं और जिनके उत्तर दिए जा चुके हैं, उन्हें दोहराने की आवश्यकता न रहे। दरअसल इसके बाद यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव रखना चाहें तो उनका स्वागत है। हम यह देखना चाहेंगे कि इस पर जो भी संभव बनता है, इसे यथाशीघ्र कर दिया जाए क्योंकि यदि कोई तकनीक एक बार संस्कृत भाषा में हो जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि किसी हद तक कमसेकम अन्य भारतीय भाषाओं तक तो शायद वह लागू हो ही सकती है क्योंकि आखिरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया तो एक जैसी ही है। परन्तु यह शत-प्रतिशत तक सम्भव नहीं हो सकेगा। बाद में हम इसकी संभावनाओं का पता लगायेंगे परन्तु सर्व प्रथम मैं उन सदस्यों से जो इसमें रुचि रखते हैं, अनुरोध करूंगा कि वे इसमें भाग लें। दरअसल मेरी धारणा यह है कि सभी सदस्य इसमें रुचि रखते हैं। इसलिए इसमें भाग लेने और अपने सुझाव देने के लिए आप सभी आ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमन्त्री महोदय को बहुत-बहुत साधुवाद, इन्होंने स्पष्ट रूप से चिन्ता प्रकट की। लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि प्रश्न के "डी" भाग में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि "क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आवश्यक तकनीकी सहायता मिलती रहे" इस पर आपने जवाब दिया है "प्रश्न ही नहीं उठता"। माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्कृत सर्वोत्कृष्ट भाषा है और आपने उत्तर दिया है कि "प्रश्न ही नहीं उठता"। संस्कृत भाषा के प्रति पूर्व में जितनी उपेक्षावृत्ति अपनाई जाती रही है माननीय मंत्री जी, कृपया स्पष्ट करें कि आपने जो जवाब दिया है, वह किस आधार पर दिया है ? आपका प्रश्न क्यों नहीं उठता, यह बताए जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं यह संकेत करना चाहती हूं कि प्रश्न का 'ग' यह भाग है कि क्या इन परियोजनाओं को समय से कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं और प्रश्न का भाग 'घ' से यह कहता है, यदि नहीं, तो क्या किया जा रहा है ? इसलिए चूंकि हम कहते हैं कि इस समय कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है, तो इन्हें ठीक करने के लिए कुछ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चौथा अनुपूरक तीसरे अनुपूरक से ही निकलता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हमें श्रीमती अल्वा तथा प्रधानमन्त्री जी दोनों से यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई है कि संस्कृत पर कम्प्यूटर कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। पर प्रधानमन्त्री जी के उत्तर से एक और प्रश्न उठता है। संस्कृत यद्यपि हमारे देश में कई भाषाओं की जननी है तथापि उर्दू, तमिल आदि कुछ भाषाओं के बारे में ऐसी बात नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसके साथ-साथ इन भाषाओं के भी कंप्यूटरीकरण के लिए और प्रयास अथवा अध्ययन जारी है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उर्दू का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। उर्दू में 'वर्ड प्रोसेसिंग उपलब्ध है। हमने यह सोचा था कि यह सम्भव नहीं हो सकेगा पर इसे भी सम्भव बनाया गया है और यह कार्य कर रहा है। जहां तक तमिल की बात है, कंप्यूटर के लिए यह सरलतम भाषाओं में से एक है और यह कंप्यूटरीकरण किए जाने वाली पहली भाषाओं में से है। मैं सोचता हूँ कि सभी भाषाओं पर समानान्तर कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक भाषा का अपना स्वरूप होता है। इसलिए इसके लिए अलग किस्म के अनुसंधान तथा अलग किस्म के विकास की आवश्यकता होती है।

हिन्दी में "डाटा प्रोसेसिंग" के लिए मानक संकेत

* 778. श्री राम कापसे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में "डाटा प्रोसेसिंग" के लिए विभिन्न निर्माताओं द्वारा भिन्न-भिन्न संकेतों का प्रयोग किया जा रहा है?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दी के एक संकेत के दूसरे संकेत में स्वत: परिवर्तन की कोई सम्भावना है;

(घ) क्या इलैक्ट्रानिकी विभाग ने इस बारे में किसी मानक संकेत को अन्तिम रूप दिया है।

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह संकेत भी आई. एस. ओ. संकेत का एक हिस्सा है; और

(छ) उन संगठनों के नाम क्या हैं जो बी. ओ. ई. मानक संकेतों और उनके उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) (क) से (छ) : एक विवरण-पत्र लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सूचना के आदान-प्रदान के लिये भारतीय लिपि कोड (आई. एस. सी. आई. आई.) का वर्तमान मानक मसौदा वर्ष 1991 में अपनाया गया। वर्ष 1983, 1986 तथा 1988 से तैयार किए गए संस्करणों के बाद यह संस्करण तैयार किया गया है जो परिमार्जन की प्रक्रिया और मानक के विश्लेषण का परिचायक है। हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं के लिए कोड के मानकीकरण का पहला प्रयास वर्ष 1983 में किया गया, जिसे वर्ष 1986 तथा वर्ष 1988 में संशोधित किया गया ताकि इसे वैयक्तिक कंप्यूटरों पर काम करने योग्य बनाया जा सके। वर्ष 1991 में इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड (आई. एस. सी. आई. आई.) के मानक मसौदे के रूप में अपनाया गया।

(ग) कंप्यूटरों में एक कोड से दूसरे कोड में स्वत: परिवर्तन संभव है।

(घ) तथा (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई. एस.) ने इलेक्ट्रोनिकी विभाग के सहयोग से वर्ष 1991 में सूचना के आदान-प्रदान के लिये भारतीय लिपि कोड (आई. एस. सी. आई.) के भारतीय मानक के एक मसौदे को अन्तिम रूप दिया है।

(च) सूचना के आदान-प्रदान के लिये भारतीय लिपि कोड की विशिष्टियों के मसौदे को अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई. एस ओ.) को उनके मानकों में शामिल करने के लिए भेज दिया गया है।

(छ) सूचना के आदान-प्रदान के लिये भारतीय लिपि कोड के मानक का कार्यान्वयन आफिस पर आधारित बुद्धिपरक लिपि प्रौद्योगिकी (जिस्ट) के माध्यम से किया जाता है। जिन संगठनों को आफिस पर आधारित बुद्धिपरक लिपि प्रौद्योगिकी (जिस्ट) अन्तरित की गई है, उनके नाम अनुबंध में दिये गये हैं।

अनुबंध

जिन संगठनों को ग्राफिक्स पर आधारित बुद्धिपरक लिपि प्रौद्योगिकी (जिस्ट) अंतरित की गई है, उनकी सूची

1. क्वार्क्स, कानपुर ।
2. एप्लाइड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स, नई दिल्ली ।
3. ब्लू स्टार, मुम्बई ।
4. वी. एस. एस., मुम्बई ।
5. एन. आई. टी. ई. एल., भोपाल ।
6. एबाकस कंप्यूटर्स लिमिटेड, मुम्बई ।
7. ए. एम. आई. सनग माइक्रोमेशन लिमिटेड, हैदराबाद ।
8. डेटाबाइड इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पुणे ।
9. डेटा सिस्टम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे ।
10. केल्ट्रोन, त्रिवेन्द्रम ।
11. मोदी ऑलीवेट्टी लिमिटेड, नई दिल्ली ।
12. श्रीटेक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ।
13. अप्ट्रोन इंडिया लिमिटेड, लखनऊ ।
14. डी. सी. एम. डेटा प्रोडक्स, नई दिल्ली ।
15. हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड, मद्रास ।
16. अत्री बीजुअल प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई ।
17. कैडीट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद ।
18. सी. आर. आई. एस, नई दिल्ली ।
19. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास ।
20. इंडकेम इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड। मद्रास ।
21. ऑरीटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर ।
22. पाइकॉम इंडस्ट्रीज, मुम्बई ।
23. आर. ई. आई. एल, जयपुर ।
24. थेरमेक्स लिमिटेड, पुणे ।
25. विप्रो, बंगलौर ।
26. आकाशवाणी, दिल्ली ।

श्री राम कापसे : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है 1983 1986 तथा 1988 में अलग-अलग संस्करण तैयार किये गए थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सूचना के आदान-प्रदान की भारतीय लिपि कोड के प्रारूप मानक के इन अनुवादों का एन. सी. एस. टी. मुम्बई, सी. डी. ए सी., पुणे तथा सी. एम. सी. दिल्ली द्वारा अनुकरण किया गया है। यह प्रश्न मैंने इस लिये पूछा है क्योंकि मानक संहिता इनके प्रधान निकाय इलैक्ट्रानिकस विभाग द्वारा तैयार की गई थी। राजभाषा समिति ने भी इस बारे में पृष्ठांकन किया था और निजी निर्माताओं ने भी इसका अनुकरण किया है। पर क्या हमारे अपने विभागों ने इसका अनुकरण किया है ? यह मेरा प्रश्न है।

श्रीमती माग्रेट अल्वा : महोदय, एक संहिता बनाने का कार्य सत्तर के दशक में प्रारम्भ किया गया था और समय चलते 1983 में, 1986 और फिर 1989 में इसमें सुधार किये जाते रहे ताकि इसे अपनी आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाया जा सके। वर्ष 1991 मे, इन सभी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से मानक संहिता को अन्तिम रूप दिया गया है। इसे सभालोचना के लिए परिचालित किया गया है। एक मानक संहिता के रूप में स्वीकृति के लिये इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन को भी भेजा गया है। मैं केवल यही कहूंगी कि इन वर्षों में जो परिवर्तन होते रहे हैं, इन्हीं के परिणामस्वरूप ही सुधार हो सके हैं। अब 1991 में इस दिशा में जो सफलता हमें मिली है, उसके आधार पर हम मानक संहिता को अन्तिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं जिसे सभी प्रयोग में ला सकेंगे। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि सभी के द्वारा इसका प्रयोग शायद नहीं किया जाता रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उस समय इसका विकास किया जा रहा था और 1991 में ड्राफ्ट कोड को जारी किया जा सका था, चूंकि यह अन्तिम रूप से स्वीकृत कोड है। अतः इस मानक कोड का सभी स्वयंसेव अनुसरण करेंगे। श्री राम कापसे : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने सभी संस्थानों द्वारा इस कोड के अपनाए जाने का आश्वासन दिया है क्योंकि यह कोड अन्तिम रूप से स्वीकृत है। लेकिन मैं पहले कुछ जानकारी देना चाहूँगा और तब प्रश्न करूंगा।

अमरीकी मानक कोड को सातवें दशक में तैयार किया गया था और अभी तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो सका है। इसका संचार माध्यमों और कम्प्यूटरों दोनों ही द्वारा उपयोग किया जाता है, जहां तक भारत वर्ष है और हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध है, हिन्दुस्तान टेलो-प्रिन्टर्स लिमिटेड, जो हमारा अपना संगठन है, इस मानक कोड का अपने कार्यक्षेत्र में उपयोग नहीं कर रहा है। इसलिए टेलेक्स और फेक्स की सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या भारत मानक ब्यूरो द्वारा अपनाये गये आई. एस. सी. आई कोड का इस्तेमाल संचार माध्यमों और कम्प्यूटरों दोनों क्षेत्रों में होगा ताकि खबरों का आदान-प्रदान संभव हो सके और समरूपता लाई जा सके।

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं सदन को बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से माननीय सदस्य यह जानते हैं कि "अमरीकी कोड" ए. एस. सी आई. आई. को मानक रूप प्रदान करने में भी काफी समय लगाथा। इसके पहले इस विषय में कई तरह की भ्रांतियां थीं। प्रत्येक मुल्क का अपना कोड होता था और प्रत्येक कम्पनी का भी अपना कोड था। जब भ्रान्तियों के कारण स्थिति बदतर होने लगी, आपसी सहमति से ए. एस. सी. आई. आई। का निर्माण किया गया। इस संहिता में समय-समय पर और सुधार किए जा सकते हैं। यह ठीक है कि ए. एस. सी. आई. आई. के उपयोग से अब तक काम सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन मैं इसकी गारन्टी नहीं दे रहा

हैं और कोई भी इस बात की गारन्टी नहीं दे सकता है। कि इससे बेहतर कोड तैयार नहीं किया जा सकता। भारत में दो या तीन वर्षों के छोटे-छोटे अंतराल पर विभिन्न कोडों का प्रचलन हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हमारे इंजीनियर बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसका मानकीकरण किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के लिए इसमें किसी भी सुधार अथवा परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी लेकिन यदि किसी प्रकार की जरूरत होती है, मान लिया जाए कि इसमें किसी प्रकार की कोई अडचन आ जाए। हालांकि हम से नहीं कह सकते हैं कि चूंकि हमने इसे अन्तिम रूप दिया है। अतः हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि अथक प्रयास के बाद मानक बनाया गया है इसलिए यह कुछ समय के लिए कारगर अवश्य सिद्ध होगा।

श्री राम कापसे : मेरा प्रश्न था कि कब इसका इस्तेमाल संचार तथा कम्प्यूटर दोनों के लिए किया जाएगा।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जी हाँ, सभी को इसी कोड का इस्तेमाल करना होगा और यह उनके हित में भी होगा क्योंकि जो पहले उपयोग में लाया जाता था वह मानकीकरण की दृष्टि से दोषरहित नहीं पाया गया था। अतः पूरे राष्ट्र में स्वीकृत मानक रूप का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी व्यावहारिक प्रयोजना से लोग इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे। पुराने कोड को छोड़कर नये कोड को अपनाने में एक साल से दो साल तक लग सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो भारतीय भाषाओं में "सूचना प्रौद्योगिकी" के भावी विकास को प्रभावित करता है। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह बोल रहा हूं। मूल प्रश्न यह है कि क्या भिन्न-भिन्न निर्माता भिन्न कोडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत तीन संगठन जैसे, एन. सी. एम. टी, बम्बई, सी. एम. सी. लिमिटेड, हैदराबाद, सी डी एस, सेन्टर फार एडवान्सड कम्प्यूटर, पूछ समय के लिए इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। और ये तीनों संगठन भिन्न-भिन्न तरह के कोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनके कोड 1983, 1986 और 1988 को छोड़कर तथा जैसा कि उत्तर में कहा गया है के कोड़ों से भिन्न हैं। ये कोड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था 7, कानपुर में हुए कार्य है का हवाला दिया है जिस पर बाद में सी डी ए सी, पुणे और आगे काम किया है।

मुझे मालूम है कि कुछ वाणिज्यिक उत्पाद ई. टी. एंड टी. जैसी इलैक्ट्रानिक्स कम्पनियों या विभाग द्वारा बाजार में लाए गए हैं, जैसे ई. टी. एंड टी. जो एन. सी. एस. टी. के कार्य पर आधारित है किन्तु जो आई एस. सी. आई. आई. कोड के समरूप नहीं हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या 1991 का मानक कोड, जो आई. एस. ओ. के समरूप है, के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार इलैक्ट्रानिक्स विभाग के संगठनों जैसे सी एम सी, एन सी एस टी आदि, पर दबाव डालेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब अभी दिया जा चुका है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : लेकिन उनके उत्पाद तो अभी भी बेचे जा रहे हैं। इसके लिए

कोड को परिवर्तित करने की जरूरत है क्योंकि यदि आंकड़े भिन्न कोड में तैयार होते हैं तो इसे नये मानक रूप में परिवर्तित करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। यह बहुत ही सुखद स्थिति नहीं है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि क्या सरकार सी एम सी और एन सी एस टी को अपने कोडों के इस्तेमाल करने से रोकेगी जोकि आई एस सी आई आई के कोड के अनुरूप नहीं है। ये कोड एकदम भिन्न हैं।

श्री राम कापसे : यही तो वास्तविक समस्या है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यही तो समस्या है। यह जब तक कि सभी इसको स्वीकार नहीं कर लेते तब तत कुछ समय के लिए समस्या बनी रहेगी। जहां तक सरकार का मामला है। चूंकि अब हमारे पास मानक कोड है और सरकार इसे सबसे उत्तम कोड मानती है, इसलिए हम अन्य संस्थानों को इसे अपनाने के लिए आदेश देंगे। जैसा कि मैंने कहा था, कि यदि पांच या दस वर्षों में किसी भी प्रकार का सुधार होता है तो स्वाभाविक है कि हम उस नये रूप को अपना लें। यह तो प्रत्येक मुल्क में हुआ है कि मशीनी भाषा के इस्तेमाल की कोशिश की गई है। लेकिन इस विषय इतनी जल्दी नयापन आया हैं कि इस विषय में बहुत ही भ्रांतियां पैदा हो गयीं थीं लेकिन अंतिम रूप से प्रत्येक चीज अपने मानक स्तर पर आ ही जाएगी और मुझे विश्वास है कि यहां भी ऐसा ही होगा।

श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा : महोदय, ये सभी संस्थान इस कोड का प्रारूप तैयार करने में लगे हुए थे। इसलिए वे इसका विरोध नहीं करेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, एक पीढ़ी से दूसरी में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है।

कंप्यूटर एपलिकेशन डिप्लोमा कोर्स को हिन्दी माध्यम से पढ़ाया जाना

*780. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि।

(क) हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर एपलिकेशन डिप्लोमा कोर्स कब शुरू किया गया था;

(ख) तब से अब तक प्रत्येक विषय पर कितनी पुस्तकें और कितने वीडियो लेक्चर हिन्दी में तैयार किए गए हैं;

(ग) कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए हिन्दी में पुस्तकें, वीडियो लेक्चर आदि तेजी से तैयार करने हेतु क्या योजना है; और

(घ) हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने में समन्वय करने हेतु कौन से नोडल केन्द्र हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा वर्ष 1984 में प्रारम्भ किया गया।

(ख) इस समय कम्प्यूटर से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर हिन्दी माध्यम में 9 पुस्तकें उपलब्ध है :

—कम्प्यूटर का परिचय	:	4
—कम्प्यूटर प्रोग्रामन	:	2
—कम्प्यूटर हार्डवेयर	:	1
—कम्प्यूटर शब्दावली	:	1
—कम्प्यूटर की सहायता से ज्ञानार्जन	:	1

किन्तु, इस पाठ्यक्रम के लिए इस समय हिन्दी माध्यम में कोई वीडियो व्याख्यायान उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने इलैक्ट्रानिकी विषयों पर (जिसमें कम्प्यूटर भी शामिल है) मौलिक पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना लागू की है।

(घ) इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग हिन्दी माध्यम में कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के क्षेत्र में समन्वय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : हिन्दी माध्यम में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का समन्वय करने के लिए कौन से नोडल केन्द्र हैं और ये किस प्रदेश में हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा : महोदय, ऐसे नौ संस्थान हैं जो 1984 से कार्य कर रहे हैं। हम उन्हें धनराशि से सहायता कर रहे हैं। अगर सदस्य महोदय उनकी सूची चाहते हैं तो मैं यह उन्हें दे दूंगी। या वे चाहें तो मैं उनके नाम पढ़ कर सुना देती हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी में पुस्तकें, वीडियो लेक्चर आदि तैयार करने के लिए जो योजना बनी है, हम चाहेंगे कि इसकी विस्तृत जानकारी सदन में दी जाए।

[अनुवाद]

श्रीमति मारग्रेट अल्वा : महोदय, हिन्दी भाषा में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए नौ किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और किताबें तैयार करने के लिए अधिक लेखक बुलाए जा रहे हैं। लेखन-

कार्य को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लेखकों को सहायता देने के लिए हमने एक योजना कार्यान्वित की गई है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण में भारतीय भाषा की सबसे अच्छी पुस्तकों के लिए हमने एक पुरस्कार-योजना भी लागू की है। मैं मानती हूं कि वास्तव में बहुत कुछ अभी प्राप्त नहीं किया गया है और भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने के लिए हम इन पुस्तकों का उत्पादन बढ़ाने और उनमें सुधार लाने के लिए कटिबद्ध हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिन्दी में कार्य करने वाली संस्थाओं को कितनी आर्थिक सहायता पिछले तीन वर्षों के अन्दर प्रदान की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे रिटन में भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

भविष्य में आप इसका अनुकरण कर सकते हैं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : महोदय, हमने सभी भाषाओं के लिए कार्यक्रम अर्थात् भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू किए हैं। वर्ष 1991 के लिए बजट में 2 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था और उसमें से हिन्दी भाषा के विकास के लिए 25 लाख रुपये खर्च किये गये।

अगर वह संस्थान-वार अनुदानों का ब्योरा चाहते हैं तो मुझे प्रत्येक संस्थान को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अदा की गई धन राशि के विस्तृत ब्योरे सहित सूची भेजनी पड़ेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीया मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि हिन्दी में वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए लेक्चर उपलब्ध नहीं हैं और सरकार ने इस क्षेत्र में मूल लेखकों के लिए कुछ पुरस्कारों की स्थापना की है।

क्या लेक्चर तैयार करने सम्बन्धी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो पढ़ना चाहते हैं वे वीडियो-लेक्चर्स के माध्यम से सीखना चाहेंगे। इस उद्देश्य के लिए पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि अदा की जा रही है, तथा कितने ऐसे पुरस्कार दिये जा रहे हैं ?

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : इस समय वीडियो-टेप तैयार करने के लिए कोई पुरस्कार योजना नहीं है। केवल मूल-पुस्तकों के लिए ही पुरस्कार योजना है।

पुस्तकें लिखे जाने के लिए पहला इनाम 10,000 रुपये दूसरा इनाम 7000 रुपये और तीसरा इनाम 5,000 रुपये का है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु टेप तैयार करने का कार्य हमने ले लिया है लेकिन यह पता लगा है कि जब तक हमारे पास भाषण तैयार करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता और विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं

होते तब तक (वीडियो टेप से) प्रारम्भिक अवस्था में आप सचमुच सभी विषय सुदूर-शिक्षा द्वारा पढ़ा सकते हैं या नहीं जब वीडियो-टेपों के द्वारा कम्प्यूटर के अध्ययन की इस समय हमारी कोई योजना नहीं है।

तेजपुर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

*783 श्री प्रबीन टेका :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेजपुर में वर्ष 1991 के मध्य तक एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ; और

(ख) इस केन्द्र के चालू होने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

तेजपुर में 2 × 10 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं और स्टाफ क्वार्टर वाले नए रेडियो स्टेशन की स्थापना की स्कीम का अनुमोदन सरकार द्वारा अगस्त, 1986 में कर दिया गया था। परियोजना स्थल के अधिग्रहण के बाद इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में करीब 3 वर्ष का समय लगता है। यद्यपि, अपेक्षित उपकरण प्राप्त हो गए हैं और ट्रांसमीटर की इमारत का निर्माण पूरा हो चुका है, किन्तु राज्य सरकार से जमीन प्राप्त होने में विलम्ब के कारण स्टूडियो का निर्माण कार्य, समय पर शुरू नहीं किया जा सका। स्टूडियो के लिए जमीन का कब्जा 13 जून, 1990 को लिया गया। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस परियोजना के 1993-94 के दौरान पूरा करने की परिकल्पना की गई है :

(अनुवाद)

श्री प्रबीन टेका : माननीय मंत्री ने सभा पटल पर एक वक्तव्य रखने की कृपा तो की है लेकिन उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण नहीं दिया है। अतः मैं उनसे शीघ्रातिशीघ्र एक आकाशवाणी केन्द्र वहां स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

कुमारी गिरिजा व्यास : अनुरोध नोट कर लिया गया है। मुझे यह भी बताना चाहिए कि चूंकि राज्य सरकार ने हमें भूमि नहीं दी थी इसीलिए विलम्ब हुआ था।

श्री प्रबीन टेका : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वर्ष 1993-94 के दौरान यह परियोजना पूर्ण किये जाने का विचार है। क्या यह समय कुछ ज्यादा नहीं है। तेजपुर में आकाशवाणी केन्द्र न होने के कारण इस क्षेत्र की सारी जनता को दिक्कत हो रही है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

कुमारी गिरिजा व्यास : ऐसा नहीं हो सकता। परियोजना को पूर्ण करने के लिए वस्तुतः तीन वर्ष का समय तय है।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : असम के सिलचर नामक स्थान पर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित है लेकिन अभी तक वहां कोई स्टूडियो नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि वहां स्टूडियो कब बनाया जाएगा और इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

कुमारी गिरिजा व्यास : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल तेजपुर से ही है।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : लेकिन यह असम में है। इस प्रश्न का सम्बन्ध पूरे असम राज्य से है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने पूछ लिया है।

[अनुवाद]

कुमारी गिरिजा व्यास : हम मामले की जांच करेंगे।

विदेशियों द्वारा भारत में फिल्म निर्माण

*784. डा. जी. एल. कनोजिया :

श्री रमेश चन्द तोमर :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान जिन विदेशियों को भारत में फीचर फिल्में बनाने की अनुमति दी गई, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उन्हें अनुमति किन शर्तों पर दी गई और इस सम्बन्ध में उन्हें दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उन विदेशियों/विदेशी कम्पनियों के नाम नीचे दिए गए हैं जिन्हें 1990 तथा 1991 के दौरान भारत में स्वयं अथवा भारतीय निर्माताओं के सहयोग से फीचर फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुमति दी गई थी :—

क्रम सं.	फिल्म का शीर्षक	निर्माता का नाम
1	2	3
1990		
1.	बेस्ट इंटरेस्ट्स	मैसर्स क्लेज प्रोडक्शंस, ब्रिटेन

1	2	3
2.	फॉलो दि ड्रम	मैसर्स अमेरिकन फिल्म रिसोर्सिज अमेरिका
3.	दि वैल	मि. मार्क जुबेर, ब्रिटेन
4.	ब्लू क्रिस्टल	मैसर्स ड्रेगन फिल्मस, हांगकांग
5.	सिटी आफ जाय	मैसर्स लाइटमोटिव, ब्रिटेन
6.	दि डार्क हार्स	मैसर्स एवरीमैन फिल्मस लि., ब्रिटेन
7.	अन्नासन	मैसर्स लव फिल्मस इंटरनेशनल, ढाका
8.	कैसर	मैसर्स सोवएक्सपोर्ट फिल्मस, मास्को
सह निर्माण		
1.	ईस हैम्मेट	मैसर्स घॉलिन एंटरटेनमेंट, अमेरिका तथा मैसर्स प्रभु मूवीज, मद्रास
2.	इलैक्ट्रिक मून	मैसर्स ग्रेपवाइन लि., नई दिल्ली तथा चैनल-4, ब्रिटेन
3.	ब्लाइंडेड बाई लव	मैसर्स वी. वी. दचिन हस्बू, केलिफोर्निया, अमेरिका तथा श्री प्रवेश शिप्पो, बम्बई
1991 (अगस्त तक)		
1.	स्वीट सरंडर	श्री रिन फेरन, अमेरिका
2.	एडवेंचर कम्पनी	मैसर्स मोर फिल्मस्, मास्को
3.	बुद्ध	मैसर्स वाको प्रोडक्शंस लि., जापान
4.	एमांक	मैसर्स ए. बी. फिल्मस फ्रांस ।
सहनिर्माण		
1.	इले माई फ्रैंड	घॉलिन एंटरटेनमेंट अमेरिका तथा मैसर्स प्रभु मूवीज, मद्रास

(ख) विदेशी भारत में फीचर फिल्मों की शूटिंग अनुमोदित पटकथा के आधार पर कर सकते हैं। फिल्म दल के साथ एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है जो स्थानीय अनुमतियां लेने में फिल्म दल की सहायता करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि फिल्म की शूटिंग सरकार द्वारा अनुमोदित पटकथा के आधार पर ही की जा रही है। फिल्म तैयार होने

के बाद, विश्व में कहीं भी रिलीज किए जाने से पूर्व इसे भारत में अथवा विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधि से अनुमोदित कराना जरूरी होता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय विदेशियों को भारत में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं देता है, जैसे उपस्करों और कच्ची फिल्मों का आयात करने की अनुमति देना, दल के सदस्यों के लिए वीसा दिलवाने के वास्ते उनके मामलों को गृह मंत्रालय के पास भेजना, रक्षा सम्बन्धी सभी प्रकार की सहायता के लिए रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क करना तथा शूटिंग के लिए अनुमति देने और अन्य सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य सम्बद्ध विभागों और राज्य सरकारों से सम्पर्क करना।

डा. जी. एल. कनोजिया : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो आन्सर दिया है कि राज्य सरकारों से संपर्क करके सूचनाएं मिल सकती हैं, वे सूचनाएं क्या हैं।

कुमारी गिरिजा व्यास : क्या आप प्रश्न को इलैबोरेट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप पुनः प्रश्न पूछिये।

डा जी एल कनोजिया : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय कई प्रकार की सुविधाएं देता है आप सम्बद्ध विभागों में से संपर्क कर सकते हैं और करना चाहिये, मैं जानना चाहता हूं कि अनुमति किन शर्तों पर दी जाती है और सुविधाओं का ब्योरा क्या है जो इस सम्बन्ध में दी गई हैं। शूटिंग के विषय में रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स क्या हैं। उत्तर में कहा गया है कि आप स्टेट गवर्नमेंटस से इस सम्बन्ध में सम्पर्क कर सकते हैं, मांग सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि फारेनर्स को शूटिंग के लिये क्या सहूलियतें दी गयी हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अजित कुमार पांजा) : इसके लिये नियम और विनियम निर्धारित हैं और वे लिखित रूप में हैं। ये नियम कुल आठ हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए दे सकता हूं। मैं सभा का समय नहीं लेना। अतः मैं उन्हें सिमित रूप में दे सकता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : भारत में फिल्म बनाने के लिए विदेशियों को अनुमति दिए जाने के मामले में किन प्राधिकारियों के माध्यम से अनुमति प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रक्रिया होती है ? क्या इसे सरकारी अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इन फिल्मों में हमारे देश की बेहतर रूप में दिखाया जाए, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए सेंसर से पूर्व कार्यवाही करने की दृष्टि से क्या सक्षम लोगों का एक बोर्ड गठित नहीं किया जाना चाहिए ?

श्री अजित कुमार पांजा : प्रस्तुतीकरण से पहले ऐसी फिल्मों को सेंसर किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार की स्वीकृति उन विदेशियों को प्रदान की जाती है जो भारत में कहीं भी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आवेदन करते हैं। इसमें एहतियात यही बरती गयी है कि

पटकथा विभाग के सबसे उच्च अधिकारी सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मूल लेख की जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पटकथा पर विदेश मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, मन्त्रालय, तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो अन्य संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद जांच पड़ताल कर लेता है उसके बाद किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : निर्णय कौन करता है ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : सचिव एक लघु समिति के अध्यक्ष हैं तथा फिल्म पटकथा की समीक्षा करते समय विषय वस्तु पर विचार किया जाता है। जब सम्बद्ध विभाग फिल्म पट कथा को अनुमोदित करने के बाद ही उसे अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम सूचनाएं एकत्र करते हैं तथा विदेश मन्त्रालय की सहायता लेते हैं तथा उसके पश्चात अन्य मामलों को अन्तिम रूप दिया जाता है ताकि विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बताया है कि विदेशों की 16 फिल्मों को हिन्दुस्तान में बनाने के लिये सहायता दी है, तो मैं, माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान के लोग जो विदेशों में फिल्म बनाना चाहते हैं, उनको भी वे कोई सुविधाएं देते हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं ? इसी के साथ-साथ मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की फिल्म बन रही है, आपके विभाग को आवेदन दिया हुआ है विदेश में शूटिंग के लिये और आपसे हैल्प चाहते हैं, क्या आपकी नॉलिज में है और अगर है, तो क्या आप उस फिल्म को विदेश में बनाने के लिए सहायता देंगे ?

(अनुवाद)

श्री अजित कुमार पांजा : जी हां, जब कभी भी ऐसे आवेदन आते हैं, विषय वस्तु के अनुसार यदि उसके लिये विदेशों में फिल्म बनाना जरूरी होता है। तब हम ऐसे फिल्म निर्माताओं की सहायता करते हैं तथा यह फिल्म की विषय वस्तु पर निर्भर करता है जो वह विदेश में बनाना चाहते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें इस तरह की अनुमति दी गई है। मैं माननीय सदस्य को सूची दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की फिल्म भारत के बाहर शूटिंग करने की स्थिति में है, तो क्या डा. अम्बेडकर को उस फिल्म के निर्माण के लिये भारत सरकार कोई सहायता देगी और क्या इस बारे में कुछ कार्य करेगी ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा। जहां तक अम्बेडकर जी की उस फिल्म विशेष का सम्बन्ध है।

मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है । मैं इस बारे में पता करूंगा तथा इसके बारे में माननीय सदस्य महोदय को लिखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे ।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और गांधी फिल्म के निर्माता सर रिचर्ड एन्टनबरो में लाभ को बंटवारे तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में कोई बड़ा विवाद चल रहा है ।

अध्यक्ष अध्यक्ष : वह एक अलग बात है ।

श्री अजित कुमार पांजा : पिछले पांच छः वर्षों से काफी विवाद चल रहा था । उसका समाधान कर लिया गया है । सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सचिव ने लन्दन जाकर श्री एटनबरो से बातचीत की है तथा विवाद का समाधान कर लिया गया है । इस वर्ष हमें तत्काल तीन करोड़ रुपये से थोड़ा सा अधिक धन मिलेगा तथा इसके पीछे उद्देश्य उन फिल्मी कलाकारों की मदद करना है जिनकी वित्तीय स्थिति काफी खराब चल रही है ।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री शास्त्री जी ने प्रश्न पूछा था मैं समझता हूं कि उनका जवाब सही रूप में नहीं आया है । बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस जन्म शताब्दी वर्ष में हम लोगों ने एक यह भी सुझाव दिया था कि बाबा साहेब पर एक फिल्म बनाई जाये और वह फिल्म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हो जैसे महात्मा गांधी की फिल्म बनी और पूरे संसार में उनको प्रतिष्ठा उससे बढ़ी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रगति मालूम है और यदि नहीं तो क्या सरकार सदन में इस तरह का आश्वासन देगी कि बाबा साहेब पर भी इसी तरह की फिल्म बनाई जाएगी जिस तरह की महात्मा गांधी की फिल्म बनाई गई थी ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, इसका उत्तर हां में है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारा विचार ऐसे उन सभी फिल्म निर्माताओं की सहायता करने का है जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म बनाने के लिए कहा है । हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह विदेशों में बनी फिल्म किसी भी पूर्व निर्मित फिल्म से कहीं अधिक बेहतर हो ।

श्री राम काप्से । महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सबसे पहले फिल्म पट कथा सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है तथा इसके बाद ही सरकार इसको स्वीकृति देती है । जहां तक विदेश में बनी किसी फिल्म पर स्वीकृति प्रदान करने का सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या पिछले तीन वर्षों में इस संबंध में कोई समस्या उत्पन्न हुई है ।

श्री अजित कुमार पांजा : जहां तक भारत सरकार का सवाल है, कोई समस्या नहीं हुई है । परन्तु एक समस्या आयी थी। जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का सम्बन्ध है, "सिटी ऑफ जाय"

फिल्म बनाने की स्वीकृति देने के पश्चात् कुछ समस्या हुई थी। तब इसके पश्चात् वे पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता में और फिल्म बनाना नहीं चाहते थे तथा सात दिन तक वहां पर फिल्मांकन करने के पश्चात वे लंदन में फिल्म बनाने चले गये।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, वर्ष 1991 में "बुद्ध" पर एक फिल्म बनाने की अनुमति दी गई थी। बुद्ध एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व है तथा इस फिल्म का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन इत्यादि से सम्बन्धित है। मैं जानना चाहूँगा कि उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसने 'बुद्ध' से संबंधित फिल्म पट कथा को स्वीकृत किया था। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार उस फिल्म पट कथा से सन्तुष्ट है तथा क्या यह हमारे दर्शन तथा बुद्ध के महान जीवन के अनुरूप है।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, सरकार फिल्म पटकथा से सन्तुष्ट थी तथा सम्बद्ध विदेश तथा गृह मंत्रालय द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। इसीलिए अनुमति दी गई थी। सभी पत्र व्यवहार सचिव को ही किया जाता है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन वर्षों के दौरान फिल्म की शूटिंग के पश्चात अनुमोदित फिल्म पट कथा उल्लंघन करने सम्बन्धी कितनी घटनाएं हुई हैं तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री अजित कुमार पांजा : पटकथा का उल्लघन करेने सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला हमारे नोटिस में नहीं लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहूंगा कि यदि सदस्य इस तरह के कोई आंकड़े जानना चाह हैं ऐसे प्रश्न "अतारांकित प्रश्न" के रूप में पूछे जाते हैं।

कुमारी दीपिका चिरलतिया : महोदय, जब कोई विदेशी फिल्म निर्माता भारत में अपन हिन्दी मे अथवा भारतीय भाषाओं में फिल्म बनाने के लिए आता है तब भारत सरकार उन्हें अने सुविधायें देता है। परन्तु जब भारतीय फिल्म निर्माता अपनी फिल्म बनाने के लिए विदेश जाते तब क्या उस देश की सरकार हमें वैसी ही सुविधाएं देती है जैसा हमारे यहां की सरकार उन्हें देत है।

श्री अजित कुमार पांजा : जहां तक हमारा सवाल है, हम काफी उदार दृष्टिकोण अपना हैं क्योंकि वहां पर बहुनिध संस्कृति है तथा जब बाहर से लोग यहां पर आकर अपनी फिल्में बना हैं तो वे विदेशी मुद्रा यहां खर्च करते हैं। वास्तव में जहां तक "सिटी आफ जॉय" फिल्म क सम्बन्ध है वे 22 मिलियन डॉलर खर्च करना चाहते थे। उसमें से केवल कलकत्ता शहर में ही 1 मिलियन डॉलर व्यय किये जाते।

हम उन्हें यहां पर फिल्म बनाने की अनुमति देकर केवल विदेशी मुद्रा ही अर्जित नहीं करते बल्कि उससे यहां पर रोजगार के भी अवसर पैदा होते हैं। हमारे देश का विदेश मे प्रस्तुतोकरण किया जाता है तथा विषय वस्तु में भी कुछ प्रासंगिकता होती है।

जहां तक वहां हमारे भारतीय फिल्म निर्माताओं का सम्बन्ध है, हम अपने राजदूतों तथ

उच्चायुक्तों के माध्यम से यह देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें वहां पर यथासंभव सुविधायें प्राप्त हों।

श्री सुनील दत्त : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या विदेशी मुद्रा का अर्जन करना हमारी संस्कृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

अतएव क्या सरकार हमारे देश से सम्बन्धित किसी विदेशी फिल्म पर कथा को अन्तिम रूप देते समय कोई विशेष सावधानी बरतती है कि कहीं इससे किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा का हनन नहीं हो।

श्री अजित कुमार पांजा : भारतीय संस्कृति तथा परम्परा के सही तथ्यों तथा विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में पूरी छानबीन की जाती है।

श्री अन्ना जोशी : क्या सरकार विदेशी फिल्म निर्मातक कम्पनियों को परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न करेगी ? इसका अभिप्राय यह है कि यदि हम इनकी 10 फिल्मों को भारत में फिल्मांकन करने की अनुमति तथा उसके लिए प्रबन्ध करते हैं। तब उन्हें भी हमारे फिल्म निर्मातकों को भी उतनी ही संख्या में फिल्में बनाने के लिए संख्या में फिल्में बनाने के लिए सुविधायें प्रदान करनी चाहिये। यदि इसके लिए कोई प्रबन्ध किया जाता है भारतीय निर्माताओं को भी विदेशों में अपनी फिल्में बनाने के लिए वही सुविधायें प्राप्त होंगी।

श्री अजित कुमार पांजा : यह भारत सरकार तथा उस देश की सरकार में परस्पर समझौते इत्यादि पर आधारित नहीं है। यह निजी तौर पर फिल्म निर्माता का मामला है। यह उस निजी फिल्म निर्माता के साथ एक अनुबन्ध किया जाता है तथा यदि आप कोई शर्तें रखते हैं वह दूसरे विदेशी फिल्म निर्माता जो वहां से भारत में फिल्में बनाने के लिए आते हैं की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तथा भारतीय फिल्म निर्माता जो यहां से विदेश में फिल्मांकन के लिए जाते हैं, उनके बारे में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अतएव हम तो केवल सहायता करने का कार्य करते है। बल्कि यह काम निजी प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है।

उड़िया भाषा में समाचारों का प्रसारण

[हिन्दी]

*785. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा।

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से उड़िया भाषा में समाचारों का प्रसारण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दी और अंग्रेजी समाचारों के पश्चात सीधे उड़ीसा से उड़िया भाषा में समाचारों का प्रसारण करने का है; और

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) उड़िया में केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों का मूल स्रोत दिल्ली होता है और ये उड़ीसा के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा रिले किए जाते हैं। यह परिपाटी सभी केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों की वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप है जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में बुलेटिन तैयार किए जाते हैं और संबद्ध अंचलों में आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा उन्हें रिले किया जाता है।

(ग) आकाशवाणी कटक द्वारा उड़िया में 7 बजे से 7.10 बजे तक और 18.50 बजे से 19.00 बजे तक दो समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं जिन्हें उड़ीसा के अन्य केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है।

दिल्ली से दिखे किए जाने वाले हिन्दी और अंग्रेजी समाचारों के बाद उड़िया समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण भारत में आकाशवाणी से उड़िया भाषा में समाचारों का प्रसारण कब से आरम्भ किया जायेगा ? दूसरे, उड़िया भाषा में समाचारों का स्तर अन्य भाषाओं में समाचारों के स्तर की तुलना में काफी खराब है।

कुमारी गिरजा व्यास : स्तर खराब नहीं है। इस समय हम नहीं बता सकते कि अखिल भारतीय स्तर पर इसका प्रसारण कब से प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री अर्जुन चरण सेठी : मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि क्या अन्य भाषाओं की तुलना में आकाशवाणी से उड़िया भाषा में प्रसारित समाचारों का स्तर काफी निम्न कोटि का है। दूसरे, स्थानीय स्टेशनों को बहुधा बिजली की सप्लाई न होने के कारण स्थानीय समाचारों में ही अनेक बार रुकावट आती है। जब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होते हैं, बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप वहां के व्यक्ति समाचार नहीं सुन पाते हैं। अतएव मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके लिए किन तरीकों से इसके लिए स्तर को ठीक किया जा सकता है। महोदय, वहां पर पुनः बिजली की सप्लाई को बहाली के लिए तथा उसमें कोई कटौती न की जाये इसके लिए मन्त्री जी का क्या करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : महोदय, उड़िया भाषा में समाचारों के खराब स्तर के सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे को नोट कर लिया गया है। जहां तक बिजली की सप्लाई का सम्बन्ध

है मैं अभी भी यह कह रहा हूं कि अभी तक इस सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु इसे नोट कर लिया गया है।

उड़ीसा में खाद्यान्नों की कमी

*774. श्री अनादि चरण दास :

डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उड़ीसा में खाद्यान्नों की, विशेष रूप से चावल की कमी के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में चावल की मासिक मांग कितनी रही और वास्तव में कितनी मात्रा में चावल आवंटित किया गया; और

(ग) उड़ीसा में चावल की कमी को दूर करने के लिए तथा इसके मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगाई) : (क) उड़ीसा सामान्यतया खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है लेकिन उसे स्थानीय क्षेत्रों में कभी-कभार कमी का सामना करना पड़ सकता है।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें उड़ीसा की चावल की आवश्यकता और आवंटन का ब्योरा दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने चावल की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य के लिए चावल की अतिरिक्त मात्रा तत्काल भेज दी है और अंतर-जिला संचलन भी शुरु कर दिया है।

1988, 1989, 1990 और 1991 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उड़ीसा की चावल की मासिक मांग और उनको किए गए आवंटन को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

मास	1988		1989		1990		1991	
	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनवरी	40.0	30.0	30.0	30.0	24.0	24.0	30.0	18.0
फरवरी	40.0	20.0	30.0	24.0	20.0	20.0	30.0	18.0

1	1	3	4	5	6	7	8	9
मार्च	40.0	20 0	30 0	24.0	20.0	20.0	30.0	18.0
अप्रैल	40.0	20.0	24.0	24.0	25.0	24.0	30.0	24.0
मई	40.0	25.0	30.0	24.0	35.0	24.0	30.0	24.0
जून	50.0	25.0	30.0	26.5	40 0	24.0	30.0	26.0
जुलाई	50.0	30.0	40.0	24.0	40.0	24.0	30.0	29.0
अगस्त	50.0	30.0	40.0	24.0	40.0	24.0	45.0	*45.5
सितम्बर	50.0	35.0	40.0	24.0	40.0	24.0	45.0	40.0
अक्तूबर	30.0	30.0	40.0	24.0	40.0	21.5		
नवम्बर	30.0	30.0	40.0	40.0	30.8	20.0		
दिसम्बर	30.0	30.0	25.0	24.0	30.0	‡18.0		

* इसमें बाढ़ों के कारण उत्पन्न हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5000 मीटरी टन की मात्रा शामिल है।

‡ नई फसल की आमद होने से उपलब्धता में सुधार होने और कमी के मौसम के लिए स्टाक सुरक्षित रखने की दृष्टि से उड़ीसा सहित चावल की खपत करने वाले सभी प्रमुख राज्यों के चावल के आवंटन को दिसम्बर, 1990—मार्च, 1991 की अवधि के लिए कम कर दिया गया है।

उड़ीसा में दूरदर्शन प्रसारण से लाभान्वित क्षेत्र

*775. श्री श्रीकांत जेना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने का है ताकि वहां के लोग लाभान्वित हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क), (ख) और (ग) भवानी पटना का उच्चशक्ति (10 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर तकनीकी दृष्टि से बनकर तैयार है। इसके चालू हो जाने पर, राज्य की मौजूदा लगभग 65 प्रतिशत कवरेज बढ़कर 77 प्रतिशत हो जाएगी। इसमें ट्रांसमीटर नेटवर्क के सेवा क्षेत्र के किनारे पर आने वाली आबादी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पुरी में भी एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाने की योजना बनाई गई है। राज्य में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्नाटक में दूरदर्शन केन्द्र

[अनुवाद]

*779. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कार्य कर रहे दूरदर्शन केन्द्रों और रिले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, इनकी क्षमता कितनी-कितनी है और ये केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इससे कितने लोग लाभान्वित होते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में वहां एक नया शक्तिशाली दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धब्यौरा क्या है; और इस केन्द्र के चालू होने से कितनी जनसंख्या दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय कर्नाटक में बंगलौर में कार्यरत पूर्ण विकसित टी. वी. स्टूडियो केन्द्र और 10 किलोवाट के उच्चशक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर के अलावा, गुलबर्गा में 1 किलोवाट का एक उच्चशक्ति टी. वी ट्रांसमीटर और अथानी, बीदर, बेलगांव, बंतवाल, बेलारी, भद्रावती, बीजापुर, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, चिकोडी, धारवाड, दावणगेरे, गड्ग-बेटागिरी, हासन, हासपेट, कोलार गोल्ड फील्ड, कारवाड़, मैंदीकेरी, मंगलौर, मैसूर, रानीबेनूर, रायचूर, संडूर, सिरसी, तिपतुर और उदिपि में सौ-सौ वाट के कुल 26 अल्पशक्ति ट्रांसमीटर कार्यरत हैं।

(ख) राज्य में कार्यरत मौजूदा टी. वी. ट्रांसमीटरों से कर्नाटक की करीब 57 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। इसमें किनारे के क्षेत्रों की वह आबादी भी शामिल है, जहां संतोषजनक आवाज और तस्वीर के लिए ऊंचे एंटीने और बूस्टरों की आवश्यकता होती है।

(ग) और (घ) जहां गुलबर्गा में कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है वहां धारवाड और शिमोगा में 10- 0 किलोवाट के दो उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर लग ए जा रहे हैं। धारवाड़ में यह टी. वी. ट्रांसमीटर 100 वाट के मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटर के बदले लगाया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य के मंड्या और गंगावाटी में एक-एक नया अल्पशक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की मौजूदा कवरेज करीब 57 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो जाएगी। इसमें ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के किनारे वाली आबादी भी शामिल है।

तमिलनाडु में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या

*781. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें चक्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी (राज्यवार) के दो नवीनतम अनुमान वर्ष 1983-84 तथा 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की 1083-84 में 37.4 तथा 1987-88 में 29.9 की अखिल भारतीय प्रतिशतता की तुलना में तमिलनाडु की प्रतिशतता 1983-84 में 39.6 से कम होकर 1987-88 में 32.8 हो गई। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तमिलनाडु राज्य कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के विकास तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजना जैसे सीधे रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निवेश/परिव्यय शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा जाएगा तथा गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की राज्यवार प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य	1983-84	1987-88	गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की प्रतिशतता में गिरावट (प्रतिशत बिन्दु)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.4	31.7	4.7
2.	असम	23.5	22.8	0.7
3.	बिहार	49.5	40.8	8.7

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	24.3	18.4	5.9
5.	हरियाणा	15.6	11.6	4.0
6.	हिमाचल प्रदेश	13.5	9.2	4.3
7.	जम्मू और कश्मीर	16.3	13.9	2.4
8.	कर्नाटक	35.0	32.1	2.9
9.	केरल	26.8	17 0	9.8
10.	मध्य प्रदेश	46.2	36.7	2.5
11.	महाराष्ट्र	34.9	29.2	5.7
12.	उड़ीसा	42.8	44.7	(—)1.9
13.	पंजाब	13.8	7.2	6.6
14.	राजस्थान	34.3	24.4	9.9
15.	तमिलनाडु	39.6	32.8	6 8
16.	उत्तर प्रदेश	45.3	35.1	10 2
17.	पश्चिम बंगाल	39.2	27.6	11.6
18.	अखिल भारतीय	37.4	29 9	7.5

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुमानों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 24.00 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुरूप 1973-74 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति 49.08 रु. प्रतिमाह की गरीबी रेखा तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति 2100 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुरूप प्रति व्यक्ति 56.64 रु. प्रतिमाह की गरीबी की रेखा का प्रयोग करते हुए प्राप्त किया गया है ।

2. 1983-84 तथा 1987-88 से गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने के लिए अन्तिम निजी खपत व्यय मडिपलेटर का प्रयोग किया गया है । 1983-84 इसे अन्तिम निजी खपत व्यय की पुरानी श्रंखला (1980-81) से प्राप्त किया गया है ।

3. ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के घरेलू खपत व्यय संबंधी 38वें चक्र (जून 83 से दिसम्बर 1983) के अन्तिम तथा त्वरित सारणीबद्ध आंकड़ों और घरेलू खपत व्यय सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के 43वें चक्र की प्रारूप रिपोर्ट पर आधारित है ।

4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुमानित कुल अखिल भारतीय निजी खपत व्यय तथा राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण आंकड़ों से प्राप्त अखिल भारतीय निजी खपत व्यय के बीच अन्तर को समायोजित वितरण प्राप्त करने के लिए

विभिन्न राज्यों के बीच यथानुपात समायोजित कर दिया गया है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धन का नियतन करने हेतु दिशा निर्देश

*782. **श्री जी. एम. सी. बालयोगी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धन का नियतन करने सम्बन्धी मार्ग निर्देशों में कुछ परिवर्तन करके इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषदों को दी जाने वाली धनराशि का कुछ भाग खण्ड स्तर के निकायों को देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाभ अर्जित कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*786. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1989-90 और वर्ष 1990-91 के दौरान अपना कारोबार दुगुना कर लिया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जो घाटे में चल रहे थे, किन्तु जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के प्रबन्धकों को बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 को अवधि के दौरान की गई कुल बिक्री तथा लाभकारिता के आंकड़ों की तुलना केवल वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों के उपबन्ध होने के पश्चात ही की जा सकती है। बहरहाल, वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 234 चालू उद्यमों में से 189 उद्यमों से उपबन्ध अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों ने 1988-90 का तुलना में 1990-91 के दौरान अपनी कुल बिक्री दुगनी कर ली है। इन उद्यमों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.
2. हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.
3. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल्स इंजीनियर्स लि.
4. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि.

5. कोचीन शिपयार्ड लि.

6. गोवा शिपयार्ड लि.

7. बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि,

8. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

9. विद्युत वित्त निगम

केवल पावराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. तथा बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि. ने वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान अपनी कुल बिक्री दुगनी कर ली है।

वर्ष 1990-91 के 189 चालू उद्यमों से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 12 उद्यमों, जिन्होंने 1988-89 के दौरान हानि उठाई थी, ने गत दो वर्षों अर्थात् 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं :

1 इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउंड्री कम्पनी लि.

2. स्पंज आयरन इण्डिया लि.

3. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि.

4. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.

5. भारतीय गैस प्राधिकरण लि.

6. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि.

7. सांभर साल्ट्स लि.

8. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि.

9. नेटेका. (तमिलनाडु एण्ड पांडिचेरी) लि.

10. पवन हंस लि.

11. वेयवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.

12. राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम लि.

(ग) बेहतर कार्यनिष्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के प्रबंधकों को प्रोत्साहित करने के लिये उठाये गये कदम इस प्रकार हैं :

(I) निदेशक मण्डल स्तर के नीचे के कर्मचारियों के लिये उत्पादकता-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजनाएं।

(II) उनके उच्चतर अनुसूची में समुन्नयन करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करते समय कार्यनिष्पादन को महत्व देना।

(III) कार्यकारी निदेशकों/मुख्य कार्यपालकों आदि को वैयक्तिक आधार पर उच्चतर वेतनमान प्रदान करना।

(IV) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को मान्यता देने के लिये समझौता ज्ञापन पुरस्कार शुरू करना ।

भूमिहीन गरीब लोगों द्वारा परती भूमि पर कृषि करने की योजना

*787. डा. जी. एल. कनोजिया :
श्री बलराज पासी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का विचार परती भूमि पर कृषि करने के लिए गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और छोटे तथा सीमान्त किसानों को धनराशि देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूमिहीन गरीब लोगों की सहायता के लिए "दि पट्टा" योजना को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भू-दान और सरकारी परती भूमि के आबंटितियों तथा उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों, जिनकी हस्तांतरित भूमि उन्हें बहाल करा दी गई है, को 2500/- रु. प्रति हैक्टेयर के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) ग्रामीण गरीबों की खुशहाली के लिए "वृक्ष पट्टा" योजना को अपनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को मार्गदर्शिकाएं भेजी गई थी ।

मध्य प्रदेश में कोरबा में उर्वरक कारखाना

[हिन्दी]

*788. श्री भवानी लाल वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा में रासायनिक उर्वरक कारखाने की आधारशिला 1972-73 में रखी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो तबसे लेकर जून, 1991 तक इस प्रयोजनार्थ कितना खर्च किया गया है ;

(ग) क्या इस बीच केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित परियोजना को ताक पर रखने का निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) 23.22 करोड़ रु.।

(ग) जी हां।

(घ) देश में कोयले पर आधारित अन्य संयन्त्रों के कार्यकरण ने दर्शाया है कि अमोनिया/यूरिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीफिकेशन प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए, सरकार ने कोरबा परियोजना को बन्द करने का निर्णय किया। गैस पर आधारित एक आधुनिक अमोनिया-यूरिया संयंत्र विजयपुर (म. प्र.) में स्थापित किया गया है ताकि राज्य और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

कृषि पर आधारित लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करना

[अनुवाद]

*789. श्री लालजन बाश एस. एम. :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार कृषि पर आधारित लघु उद्योग की रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु किसी कार्य-योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो. पी जे. कुरियन) : (क) लघु रुग्ण एककों के पुनर्जीवन के लिए सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये विभिन्न उपाय कृषि पर आधारित लघु रुग्ण एककों के लिए भी लागू हैं।

(ख) किसी संभावित जीव्य-क्षम रुग्ण एकक के पुनर्जीवन पैकेज में यदि तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है तो पैकेज के कार्यान्वयन के समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है।

विदेशी पूंजी निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव

*790. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 51 प्रतिशत तक के विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों को सरकार की स्वीकृति स्वतः मिल जायेगी ;

(ख) क्या विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) 24 जुलाई, 1991

को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण और इसके अनुसरण में उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा 20 अगस्त, 1991 को जारी किए गए प्रेस नोट सं. 11 (1991 शृंखला) के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले प्रस्तावों पर निम्नलिखित आधार पर निर्णय किया जाएगा :—

(क) उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 51% विदेशी इक्विटी तक स्वीकृति दी जाएगी (औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण का अनुबन्ध-3)। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं होंगी। ऐसी अनुमति तभी उपलब्ध होगी यदि विदेशी इक्विटी में आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भी शामिल हो। लाभांशों के भुगतान की मानीटरी भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक समय अवधि में लाभांश के भुगतान के रूप में बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा निर्यात से होने वाली आय से संतुलित हो जाए।

(ख) ज्यादातर विदेशी इक्विटी धारिता 51% इक्विटी तक की अनुमति मुख्यत: निर्यात सम्बन्धी कार्यकलापों में संलग्न व्यापारिक कंपनियों को दी जाएगी।

उपर्युक्त मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (फेरा) के अधीन विदेशी इक्विटी निवेश के लिए आवश्यक अनुमति दी जाएगी। इस अनुमति में फेरा की धारा 26 (7), 28, 29 और 31 धाराओं से छूट शामिल होगी।

अन्य सभी विदेशी इक्विटी प्रस्तावों के लिए पहले की तरह ही पूर्व अनुमति की जरूरत होगी और इन पर मौजूदा कार्य-विधियों के अनुसार विचार किया जाएगा।

लघु उद्योगों के लिए पूंजीनिवेश सीमा

*791. **श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें लघु उद्योगों ने यह आशंका व्यक्त की है कि लघु उद्योगों के लिये पूंजीनिवेश की सीमा बढ़ाये जाने के कारण बड़े उद्योग घराने ऐसे लघु उद्योगों को अपने अधिकार में ले लेंगे, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) कुछ एसोसिएशनों ने यह आशंका व्यक्त की है कि लघु क्षेत्र में निवेश-सीमा में वृद्धि और अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 24% इक्विटी भागीदारी से ऐसे अधिग्रहण हो सकते हैं।

(ख) समय-समय पर लघु क्षेत्र की निवेश-सीमा में वृद्धि की गई ताकि पूंजीगत वस्तुओं की बढ़ी हुई लागत को पूरा किया जा सके और मौजूदा लघु एककों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन किया जा सके। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11-ख की उप-धारा (3) के अधीन निर्धारित कार्यविधि के अनुसार संसद के दोनों सदनों में निवेश

सीमा बढ़ाने संबंधी ड्राफ्ट अधिसूचना प्रस्तुत करने के पश्चात ही 2-4-1991 से निवेश-सीमा बढ़ाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई थी।

लघु औद्योगिक उपक्रम में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 24% इक्विटी भागीदारी को अनुमति देते समय लघु औद्योगिक उपक्रम की मूल परिभाषा, जिसके अनुसार कोई भी लघु औद्योगिक उपक्रम किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम (मों) का सहायक उपक्रम नहीं हो सकता अथवा किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम (मों) के अधिकार में अथवा नियन्त्रण में नहीं हो सकता, में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः यह आशंका निराधार मालूम होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन

* 792. **श्री रवि राय :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-क्षेत्र के राज्यों के खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा का ब्योरा क्या है;

(ग) उसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) जी हां। निम्नलिखित बातों के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था:—

(1) कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को प्रथमतः पंजाब तथा उत्तरी राज्यों से अधिप्राप्त चावल के स्थान पर आन्ध्र प्रदेश से अधिप्राप्त चावल दिया जाए;

(2) राज्यों की चीनी उनके अपने अपने राज्यों में स्थित कारखानों अथवा निकटतम कारखानों से निर्मुक्त की जाए;

(3) भारतीय खाद्य निगम को किसानों के हित में यह निर्देश दिया जाये कि वह कम से कम 50% धान नियमित बाजारों से खरीदे;

(4) भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से खाद्य तेलों तथा चीनी जैसी वस्तुओं को "खाद्यान्न" की श्रेणी में शामिल किया जाए; और

(5) दक्षिण राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पामोलीन का पर्याप्त आवंटन किया जाये।

इस बात का प्रस्ताव किया जा रहा है कि इन राज्यों को सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश का चावल सप्लाई किया जाए। तथापि, इन राज्यों की सम्पूर्ण आवश्यकता को इस चावल से पूरा करना संभव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों की लेवी चीनी की आवश्यकताएं अधिकांशतः संबंधित राज्यों में स्थित कारखानों से पूरी की जा रही है। चूंकि केरल एक कमी वाला राज्य है, अतः उक्त राज्य को लेवी चीनी समीप के राज्यों में स्थित कारखानों से निर्मुक्त की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम, राज्य अभिकरणों के सहयोग से, आन्ध्र प्रदेश में नियमित बाजारों में बिक्री के लिए प्रस्तुत संपूर्ण धान की अधिप्राप्ति करने के लिये जिम्मेदार है। ऐसे बाजारों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय केन्द्र खोले जाते हैं। राज्य सरकार के सहयोग से प्रबंधों को और मजबूत किया जा रहा है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खाद्य ऋण, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वसूली नीति के अनुसार वसूली कार्य में सहायता के लिए दिया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के लिए अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियंत्रण के तहत आते हैं, जिसका उद्देश्य बैंक ऋण की सहायता से सट्टेबाजी के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं को रखे जाने से रोकना है। अतः खाद्य वसूली के लिये बैंक ऋण की तुलना खाद्य तेल तथा चीनी आदि जैसी आवश्यक/शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं के लिये धन उपलब्ध करने से नहीं की जा सकती है।

आयात न होने के कारण मार्च, 1991 के बाद खाद्य तेल की आपूर्ति करना संभव नहीं हो सका है।

सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों का कार्य निष्पादन

*793. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की सर्वांगीण समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक की गई समीक्षा के अनुसार इन उपक्रमों की वास्तविक उपलब्धि क्या है; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों की समीक्षा कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की निदेशक मन्डल/सबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के स्तरों पर समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा उनके वार्षिक लेखा परीक्षित रिपोर्टों के आधार पर हर वर्ष की जाती है और प्रति वर्ष बजट सत्र के दौरान "लोक उद्यम सर्वेक्षण" नामक समीक्षा के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत की

जाती है वर्ष 1989-90 की नवीनतम रिपोर्ट 27 फरवरी, 1991 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और वर्ष 1990-91 की अगली रिपोर्ट फरवरी, 1992 में अगले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

जैव उर्वरकों का उत्पादन

*794. डा. वी. राजेश्वरन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये जैव उर्वरकों सहित उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चार दक्षिणी राज्यों में ऐसे उर्वरकों का उत्पादन करने वाली परियोजनाएं शुरु करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उठाये गये कदम इस प्रकार हैं :

1- वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार

2- नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3- वर्तमान पुराने संयंत्रों का निर्धारित क्षमता प्राप्त करने (अथवा उनकी निर्धारित क्षमता बढ़ाने के लिये) उनका पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण।

उत्पादन बढ़ाने तथा बायो-उर्वरकों के प्रयोग के प्रचार के लिये बायो-उर्वरकों के विकास एवं प्रयोग पर एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अध्यधीन एक राष्ट्रीय और 6 क्षेत्रीय बायो-उर्वरक केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिसमें से एक रिजोबियम उत्पादन के लिये बंगलौर में होगा तथा ब्लूग्रीन एल. सी. के उत्पादन के लिये 60 ब्लू-ग्रीन एलगी (बी. जी. ए) उप-केन्द्र जिनमें से 26 दक्षिणी राज्यों में होंगे। राष्ट्रीय परियोजनाओं के अलावा, कृषि मंत्रालय भी राज्यों को बायो.उर्वरक उत्पादन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये 13लाख रु. प्रति यूनिट की आर्थिक सहायता देता है।

(ख) और (ग) दक्षिण राज्यों में 26 बी. जी. ए. केन्द्र के अतिरिक्त सातवीं योजना के दौरान एक बायो-उर्वरक उत्पादन एकक (रिजोबियम) और आठवीं योजना के दौरान 6 बायो-उर्वरक उत्पादन एककों को कृषि मंत्रालय की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, सातवीं योजना और 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान 99.70 लाख रु. की राशि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार दक्षिणी राज्यों को दी जा चुकी है।

सातवीं योजना— 23.70 लाख रु.

1990-91 — 50 00 ,, ,,

1991-91 — 26.00 ,, ,,

राज्यवार कोई आवंटन नहीं है। जब कोई विशेष परियोजना किसी राज्य को मंजूरी की जाती है तो उसके लिये निधि जारी की जाती है।

कलकत्ता क्षेत्र स्थित केन्द्रीय भान्डागार निगम द्वारा गोदाम किराए पर लिया जाना

6561. **श्री बसुदेव आचार्य :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता क्षेत्र स्थित केन्द्रीय भांडागार निगम ने गैर-सरकारी गोदाम मालिकों से पूववर्ती परिसरों में ही नए गोदाम अधिक किराये हर लिये है; और

(ख) यदि हां, तो ऊंचे किराये, जिससे सरकारी धन की हानि हो रही है: पर गोदाम लेने के लिये उत्तरदाई प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) किसी निश्चित समय पर निगम द्वारा देय किराया भंडारण स्थान की मांग और उपलब्धता, क्षेत्र में चल रही दरों, गोदामों की हालत आदि जैसे कई तथ्यों पर निर्भर करता है। अतः केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना अपेक्षित है।

गांवों में बेरोजगारी

[हिन्दी]

6562. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में बेरोजगारी निर्बाध रूप से बढ़ रही है;

(ख) क्या बेरोजगारी के लगातार बढ़ने से गांवों में असंतोष व्याप्त है और वहां हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार का बेरोजगार ग्रामीण युवकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए उन्हें रोजगार देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी, वेंकट स्वामी) : (क) 1987-88 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43वें दौर और 1983 के 38वें दौर के समय रोजगार/बेरोजगारी की तुलना करने से पता चलता है कि जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक बेरोजगारी के स्तर में 1983 के 7.94 प्रतिशत से 1987-88 में 5.15 प्रतिशत की गिरावट आई है, बेरोजगारी के सामान्त मुख्य स्तर व साप्ताहिक स्तर में क्रमशः 1.91 प्रतिशत से 3.07 प्रतिशत और 3.88 प्रतिशत से 4.19 प्रतिशत तक की मामूली सी वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं

में वृद्धि हुई है। किसी भी स्थिति में हिंसा को बेरोजगारी के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। हिंसा के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों में से बेरोजगारी भी एक कारण हो सकती है।

(ग) और (घ) सरकार ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विशेष रोजगार कार्यक्रमों के विवरण अगले पैराग्राफ में दिए गए हैं।

शारीरिक रूप से स्वस्थ ग्रामीण गरीब जो हाथ का श्रम करने के इच्छुक हों, उनको लाभप्रद मजदूरी रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा 521.13 करोड़ रुपये और दिए जाने हैं। इसके अलावा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 703.61 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को सबसीडी के रूप में सहायता दी जाती है, ताकि वे परिसम्पत्तियां खरीद सकें जो उन्हें गरीबी के शिकंजे से निकलने के लिए रोजगार/आय सृजन करने में सहायक हो सकें।

चीनी उद्योग में वित्तीय संकट

[अनुवाद]

6563. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऋण उपलब्धता में अचानक आई कमी और ब्याज की दर में वृद्धि के कारण चीनी उद्योग को वित्तीय संकट का खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इसके आगामी वर्षों में गन्ने की खेती और चीनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी गई थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद ऋण सुविधाओं पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तथापि, बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिनांक पहली अगस्त, 1991 के परिपत्र के तहत चीनी उद्योग के लिए नकद ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में लगे प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आगामी वर्षों में देश में गन्ने की खेती तथा चीनी के उत्पादन पर उपर्युक्त उपायों के संभावित प्रभाव का इस समय अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विवरण

1222 आई ई सी डी आई एन
"रिजर्व बैंक" बंबई
661602-04

भारतीय रिजर्व बैंक
औद्योगिक एवं निर्यात ऋण
विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय बिल्डिंग,
पोस्ट बैग 10030
बंबई : 400023

संदर्भ : आई ई सी डी सं. 8/ही एम डी/सी : 446 (पी एल)-91/92

1 अगस्त, 1991

श्रावण 10, 1913 (शक)

सेवा में

सभी अधिसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

प्रचुर नकद ऋण सीमा के अन्तर्गत आहरण पर प्रतिबंध-चीनी उद्योग

1. कृपया परिपत्र सं. सी पी सी बी डी 113/279ए-91, दिनांक 8 मई, 1991 आई ई सी डी सं. पी एम डी 55/सी : 446 (पी एल)-90-91, दिनांक 9 मई, 91 और आई ई सी डी सं. पी एम डी 59/सी 446 (पी एल)-90/91, दिनांक 4 जून, 1991 का अवलोकन करें जिनमें अन्य बातों के साथ चीनी के उत्पादन/संसाधन में जुटे हुए आहरकों के मामले में प्रचुर नकद ऋण सीमा के अन्तर्गत आहरण पर प्रतिबंधों को कार्यान्वित करने संबंधी परिचालन अनुदेशों को कवर किया गया है।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि 9 मई से 30 सितंबर, 1991 तक की अवधि के लिए बैंक उन चीनी मिलों को अतिरिक्त ऋण मंजूर कर सकते हैं, जिनके हाथ सामान्य मार्जिन और अन्य शर्तों को पूरा करने पर 1989-90 पेराई मौसम की तुलना में 1990-91 पेराई मौसम में अधिक मात्रा में चीनी का स्टाक जमा हो, बशर्ते कि बैंक अधिक ऋण के लिए संबंधित ईकाई की जरूरतों के बारे में संतुष्ट हो। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि इस प्रकार मंजूर किए गए तथा चीनी मिलों को दिए गए अतिरिक्त ऋण की राशि का उपयोग केवल गन्ना उत्पादकों को उनके बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ही किया जाए तथा किसी भी परिस्थिति में ऐसे अतिरिक्त ऋण का उपयोग हानि को पूरा अथवा धनराशि को अन्यत्र लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार मन्जूर की गई अतिरिक्त ऋण सीमा, यदि कोई हो, कैश बजट के आधार पर निकाले गये अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3: कृपया उपर्युक्त अनुदेशों को तत्काल अपने कार्यालयों के ध्यान में लाएं।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय
ह./-(जगदीश कपूर)
मुख्य अधिकारी

केरल में सी. बी. आई के मामले

6564. श्री कोडडीकुनील सुरेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 और 1991 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केरल मे किसने मामले दर्ज किए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केरल से संबंधित कितने मामलों की जांच की है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्युरो के पास केरल के कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केरल राज्य में 1990 में 33 मामले तथा 1991 में (31.8.91 तक) 22 मामले दर्ज किए हैं।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1988, 1989, 1990 तथा 1991 (31.8.91 तक) के दौरान 126 मामलों की जांच की थी। जांच किए गए मामलों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मामले
1988	34
1989	36
1990	35
1991	21
(31.8.91 तक)	——
	126

(ग) 31.8.91 की स्थिति के अनुसार केरल से संबधित 21 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो में जांच किये जाने के लिए बाकी हैं।

बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद को विश्व बैंक ऋण

6565. श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद को बाजारों को विकसित करने हेतु अब तक वर्षवार कितनी राशि का ऋण तथा अनुदान प्रदान किया है,

(ख) विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि में से जिन बाजार समितियों को धन उपलब्ध कराया गया उनके नाम क्या है और प्रत्येक समिति को वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया; और

(ग) बाजार समितियों को नियत धनराशि में से कितना व्यय किया और कितना धन अभी व्यय किया जाना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) से (ग) विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ने मार्च, 1972 में बिहार राज्य सरकार को

बिहार कृषि विपणन परियोजना के लिए 14.00 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया था। परियोजना के अन्तर्गत 50 विपणन यार्डों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।

राज्य सरकार के ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन को निर्माण का कार्य सौंपा गया था। दिसम्बर, 1979 के अन्त तक, जब परियोजना पूरी हो चुकी थी, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की निधियों से 47 विपणन यार्डों का निर्माण किया गया था। लागत में वृद्धि हो जाने के कारण शेष 3 बाजार यार्डों का निर्माण नहीं किया जा सका। बाद में संस्थगत वित्त की सहायता से इन्हें पूरा किया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की सहायता से तैयार किए गए 47 बाजारों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जिले	बाजारों के नाम
पश्चिमी चम्पारण	(1) नरकटियागंज (2) चनपटिया
	(3) बेतिया
सारन	(4) छपरा
सीतामढ़ी	(5) सीतामढ़ी
मुजफ्फरपुर	(6) मुजफ्फरपुर
दरभंगा	(7) दरभंगा
समस्तीपुर	(8) समस्तीपुर
बेगुसराय	(9) बेगुसराय
पूर्णिया	(10) गुलाबबाग (11) फारबिसगंज
	(12) अररिया (13) बनमंखी
	(14) किशनगंज (15) कस्बा
कटिहार	(16) कटिहार
सहरसा	(17) सूपौल (18) मुरलीगंज
	(19) बिहारीगंज
पटना	(20) पटना शहर (21) मुसल्लापुर
	(22) पतवा (23) बिहटा (24) बाढ़
	(25) मोकामा
गया	(26) गया (27) जहानाबाद
नालन्दा	(28) बिहारशरीफ

भोजपुर	(29) बक्सर (30) आरा
रोहतास	(31) सासाराम (32) नोखा
	(33) नटवार (34) मोहनिया
औरंगाबाद	(35) डोडनमर
भागलपुर	(36) नौगचिया (37) भागलपुर
खगड़िया	(38) खगड़िया
मुंगेर	(39) मुंगेर (40) लक्खीसराय
पलामू	(41) डाल्टनगंज (42) गढ़वा
रांची	(43) रांची
सिंहभूम	(4) जमशेदपुर (45) चक्रधरिया
धनबाद	(46) धनबाद (47) बोकारो

गांवों में जोतों की चकबन्दी

6566. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें जोतों की चकबन्दी योजना शुरू की गई है;

(ख) उन गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें 31 मार्च, 1991 तक कृषि जोतों की चकबन्दी की जा चुकी थी;

(ग) उन गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें 1.4.91 तक चकबन्दी की कार्यवाही प्रगति पर थी;

(घ) उन गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें 1991-92 के दौरान चकबन्दी की जानी है;

(ङ) उन गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है; और

(च) जोतों की चकबन्दी के लिए केन्द्रीय आवंटन यदि कोई है, तो कितना है और 1991-92 के दौरान राज्यवार आवंटन कितना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 13 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में भूमि जोतों की चकबन्दी की योजना आरम्भ कर दी गई है।

(ख) से (ङ) भूमि राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार की केवल परामर्शदायी भूमिका है। गाँवों में जोतों की चकबन्दी की प्रगति की निगरानी करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, प्रत्येक राज्य के ग्राम-वार आंकड़े भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(च) भूमि जोतों की चकबन्दी के कार्यक्रम हेतु निधियों का कोई केन्द्रीय आबंटन नहीं किया गया है।

भारत के औषध नियंत्रक से औषधियों की मंजूरी लेना

6567. श्री येल्लैया नन्दी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए बल्क औषधियों के निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों का विपणन से पूर्व भारत के औषध नियंत्रक से मंजूरी लेनी अपेक्षित है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी, 1991 से देश में विपणन के लिए किन-किन नई औषधियों को मंजूरी दी गई, और

(ग) जनवरी, 1991 से भारत के औषध नियंत्रक द्वारा कौन-कौन से नए फार्मूलेशन मंजूर किए गए तथा उनमें से कितने फार्मूलेशन आयात किए जाते हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) (ख) और (ग) जी, हां, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी, 1991 से अनुमोदित सूत्रयोगों की खुराक सहित नई औषधों के नाम सिफेक्लेर, ओमेपराजोल, नीफोपाम, बूटालेक्स, इडारूपबीसिन इंजे., (कैंसर-रोधी) (किटोटीफेन, नाइट्रेनडिपाइन, रोक्साटीडाइन, रेबिट एंटीजी इंजे. हार्स एएलजी इंजे. (प्रतिरोपण अस्वीकरण रोकने के लिए) फिलोडीपाइन, पिरारूबीसिन इंजे. (कैंसर-रोधी), रेमीप्रिल, सेलेगेलीन हैं जिनमें से तीन औषधों अर्थात् इडारूबीसिन इंजे., हार्स-एएलजी इंजे. और पीरारूबीसिन इंजे का तैयार रूप में आयात करने की अनुमति दी गयी है।

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र

[हिन्दी]

6568. श्री एस. एन. बेकारिया :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर वर्ष 1991-92 के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान स्थापित किये गये उन दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू किया जाना है; और

(ग) इन्हें चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जब-

कि वर्ष 1990 के दौरान गुजरात राज्य में कोई नया दूरदर्शन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया तथापि राज्य में भुज में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर और मोर्वी तथा खम्भात में एक-एक अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की दूरदर्शन परियोजनाएं चल रही हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं में से किसी को पूरा किये जाने का कार्यक्रम नहीं है। तथापि, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण भुज की परियोजना में कुछ विलम्बन हुआ है।

बिहार में सीतामढ़ी में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

6569. **श्री नवल किशोर राय :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पिछड़े जिले सीतामढ़ी में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह आकाशवाणी केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) पटना के 100 कि. वा. मी. वेव ट्रांसमीटर तथा दरभंगा के 10 कि. वा. मी. वेव ट्रांसमीटर से, सीतामढी को दिन के समय, प्राथमिक ग्रेड की रेडियो सेवा पहले से ही प्राप्त हो रही है।

बाहरी रिंग रोड के निवासियों के लिए उचित दर की दुकानें खोलना

6570. **श्री राजवीर सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाहरी रिंग रोड पर सोसायटियों की नवनिर्मित कालोनियों के निवासियों के लाभ के लिए कितनी उचित दर दुकानें खोली गई हैं;

(ख) क्या पीतमपुरा, नई दिल्ली में संसद विहार और पारिजात तथा त्रिवेणी सोसायटियों के निकट उचित दर की कोई दुकान नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार का वहां पर कब तक उचित दर दुकान खोलने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि बाहरी रिंग रोड पर स्थित नई कालोनियों, जिनमें संसद विहार, पारिजात तथा त्रिवेणी समितियों की कालोनियां शामिल हैं, के निवासी किसी न किसी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन आमतौर पर नई उचित दर की दुकान खोलने पर तब विचार करता है,

जब प्रस्तावित दुकान से संबद्ध करने के लिए लगभग 5000 अनाज की यूनिटें उपलब्ध हों। दुकान के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने तथा उपभोक्ता की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाता है।

गाजीपुर को उद्योगविहीन जिला घोषित करना

6571. **आचार्य विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गाजीपुर जिले को एक उद्योगविहीन जिला घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रा. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) गाजीपुर को पहले ही श्रेणी 'ग' पिछड़ा जिला घोषित कर दिया गया हैं।

जापान की सहायता से औद्योगिक एककों की स्थापना

[अनुवाद]

6572. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जापानी सहायता से कुछ उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में कुछ और औद्योगिक एककों की स्थापना करने हेतु सहायता लेने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय कम्पनियों और जापानी फर्मों के बीच विदेशी सहयोग हेतु मंजूरी देने के लिए 986 से 1991 (जून तक) के वर्षों में कुल 411 अनुमोदन किये गये हैं। इनमें वे 74 अनुमोदन भी शामिल हैं जो जापानी फर्मों द्वारा 54.72 करोड़ रुपये भारतीय कम्पनियों की इक्विटी में निवेश करने हेतु किए गए हैं।

सभी स्वीकृत विदेशी सहयोग के ब्यौरे अर्थात् भारतीय और विदेशी फर्म का नाम, निर्माण की मद, सहयोग का स्वरूप आदि का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलेटर" के पूरक के रूप में छापा जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) और (घ) जापानी फर्मों के साथ सहयोग की अनुमति दिये जाने हेतु 28 आवेदन

सरकार के पास विचाराधीन हैं। नीति के अनुसार, सरकार के विचाराधीन विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों की विशिष्ट जानकारी जनहित में प्रकट नहीं की जाती है।

मयूरगंज में टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना

6573. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के मयूरगंज जिले में रायरंगपुर में कम शक्ति का टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि वित्तीय साधनों की कठिनाइयों के भीतर देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन कवरेज यथाशीघ्र विस्तार किया जाए।

कलकत्ता दूरदर्शन के कार्मिकों से प्राप्त अभ्यावेदन

6574. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन में कार्यरत तकनीशियनों और कार्यक्रम तैयार करने वालों कार्मिकों ने अपनी समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र सहित दूरदर्शन के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में विभिन्न स्टाफ एसोसिएशनें समय-समय पर अपने अभ्यावेदन देती रहती हैं। इन अभ्यावेदनों पर संबंधित नियमों तथा मार्ग निर्देशों के तहत यथासम्भव उचित कार्रवाई की जाती है।

केरल के बंद पड़े उद्योग

6575. श्री टी. जे. अंजलोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन से बड़े, उद्योग मझोले और छोटे उद्योग बंद पड़े हैं;

(ख) इन उद्योगों में वित्तीय संस्थाओं और निजी व्यक्तियों की कितनी पूंजी का निवेश हुआ है; और

(ग) इन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्ण एककों की परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। उनसे प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, केरल में दिसम्बर, 1988 के अन्त तक गैर-लघु क्षेत्र में 33 रुग्ण एकक और लघु क्षेत्र में 20,735 रुग्ण एकक हैं जिन पर क्रमशः 10.91 करोड़ रु. और 123.73 करोड़रुपए बैंक ऋण बकाया है।

बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीतियों के अनुसार तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू सांविधिक उपबंधों के अनुसार बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों के नाम एवं ब्योरे बताना सम्भव नहीं है।

(ग) रुग्ण औद्योगिक एककों का फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार की केरल सहित सारे देश के लिए एक समान नीति है। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू संलग्न विवरण में दिये गये।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार के प्रयास

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मकउपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंको को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने

के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/-रु से बढ़ाकर 50,000/-रु. कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद-कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी। जिसमें किन्ही पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो। उक्त एकक की पुनःस्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50% होगा। "उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनस्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक की चुकता पूंजी 250 करोड़ रुपये हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया। इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साह-जनक रही है।

जीव्य-क्षम रुग्ण एककों के पुनर्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना के लिए एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

संसद सदस्यों से पत्र

6576. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 माह के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाकी पत्रों का शीघ्र उत्तर दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) 447 पत्र

(ख) 63 पत्र अंतिम उत्तर के लिए लम्बित हैं, क्योंकि अन्य मन्त्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना आनी है।

(ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा अंतिम उत्तर शीघ्र दिए जाने के सम्बन्ध में उन्हें नियमित रूप से याद दिलाया जाता है।

बीयर और अल्कोहल का लाइसेंस समाप्त करना

6577. श्री के. वी. तंगाबालू :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीयर और अल्कोहल के निर्माण संयंत्रों में आयातित घटकों का प्रतिशत कितना है ;

(ख) इन उत्पादों को तैयार करने के लिए किन वस्तुओं का आयात आवश्यक है। ; और

(ग) क्या सरकार का बीयर और अल्कोहल का लाइसेंस समाप्त करने का विचार है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) आमतौर से बीयर तथा एल्कोहल के निर्माण संयंत्रों का प्रबन्ध स्वदेशी स्रोतों से किया जाता है। तथापि, "बूम हाउस" संयंत्रों के कुछ मामलों में आयात अंश प्रथम संयंत्र के लिये 21.6 प्रतिशत और तीसरे संयंत्र के लिये 1.63 प्रतिशत होता है।

(ख) बीयर तथा एल्कोहल के लिये दो मूल कच्ची सामग्री हैं बारलि माल्ट तथा सीरा जो कि स्वदेश में उपलब्ध हैं। बीयर के निर्माण में काम आने वाली एक कच्ची सामग्री बूबरी हाप्स मुख्य रूप से जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में उपलब्ध था। जम्मू तथा कश्मीर राज्य से बूबरी हाप्स की उपलब्धता में कमी आने से मांग के एक हिस्से को आयात द्वारा पूरा किया गया था।

(ग) जी, नहीं, सरकार का बीयर तथा पेय एल्कोहल को लाइसेंस मुक्त करने का विचार नहीं है।

अनुभाग अधिकारी पद का दर्जा बढ़ाकर ग्रुप "ए" का पद करना

6578. डा. कृपासिंधु भोई :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अनुभाग अधिकारी के पद का दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रुप "ए" का पद कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है, और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों का वेतनमान 2000-3500 रुपये (समूह ख) से संशोधित करके 2200-4000 रुपये करने तथा अनुभाग अधिकारियों को समूह "क" दर्जा देने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) अनुभाग अधिकारी के समूह "ख" पद को 2000-3500 रुपये के वेतनमान से संशोधित करके 2200- 000 रुपये के वेतनमान में समूह "क" का दर्जा देने के सम्बन्ध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि

6579. श्री हाराधन राय :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सेवाकाल की समाप्ति और सेवानिवृत्ति के बाद उनके कार्यकाल में वृद्धि करने की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियो के सेवाकाल में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि, उनके कार्य निष्पादन के आधार पर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक, अनुज्ञेय है। अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवाकाल में वृद्धि की अनुमति केवल विरले तथा वस्तुत: अपवादिक मामलों में दी जाती है।

(ख) जी, हां।

आशय पत्र जारी करना

[हिन्दी]

6580. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 जुलाई, 1991 तक राज्यवार उद्योगों को कुल कितने आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गये ;

(ख) बिहार के शत प्रतिशत कियातोन्मुखी उद्योगों को कितने आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए ;

(ग) इन लाइसेंसों से उपर्युक्त राज्य में कुल कितने उद्योग स्थापित किए गये ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जनवरी-जुलाई, 1991 के दौरान बिहार में किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक की स्थापना करने के लिए कोई आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सम्बन्धित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। इसलिए स्थापित उद्योगों की वास्तविक संख्या से सम्बन्धित सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती। नयी औद्योगिक नीति के अनुसार, सुरक्षा तथा सामरिक विषयों आदि से सम्बन्धित उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर शेष सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है।

विवरण

उद्योगों की स्थापना करने के लिए जनवरी, 1991 से जुलाई, 1991 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के राज्यवार ब्यौरे का विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(जनवरी, 1991 से जुलाई, 1991 तक) आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1 2	3	4
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—
2. आंध्र प्रदेश	47	9
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—
4. असम	4	—
5. बिहार	5	4
6. चंडीगढ़	1	—
7. दादरा एंड नगर हवेली	—	—
8. दमन एवं द्वीव	—	1
9. दिल्ली	1	3
10. गोआ	6	1
11. गुजरात	73	26
12. हरियाणा	25	17
13. हिमाचल प्रदेश	11	2
14. जम्मू एवं कश्मीर	1	1
15. कर्नाटक	44	13
16. केरल	8	3

1	2	3	4
17.	लक्षद्वीप	—	—
18.	मध्य प्रदेश	38	10
19.	महाराष्ट्र	127	47
20.	मणिपुर	—	—
21.	मेघालय	—	—
22.	मिजोरम	—	—
23.	नागालैण्ड	—	1
24.	उड़ीसा	12	5
25.	पांडिचेरी	3	3
26.	पंजाब	23	13
27.	राजस्थान	16	4
28.	सिक्किम	—	—
29.	तमिलनाडु	52	19
30.	त्रिपुरा	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	81	19
32.	पश्चिम बंगाल	20	3
33.	बताया न गया राज्य/ एक से अधिक राज्य	2 ——	1 ——
		योग : 600	205

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिल्ली प्रशासन द्वारा लाइसेंसों का रद्द करना

[अनुवाद]

6581. श्री केशरी लाल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा खाड़ी युद्ध के दौरान मिट्टी के तेल के कुछ डिपुओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) और (ख) जी हां। मिट्टी के तेल के स्टॉक में विसंगति होने के कारण तीन मिट्टी के तेल के डिपुओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर

6582. श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहे हैं, व्यक्तियों तथा सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बेचने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी के थुंगुन) : (क) से (ग) संसाधनों की वृद्धि, जनता की व्यापक भागीदारी तथा अधिकाधिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों के 20 प्रतिशत तक सामान्य सरकारी शेयर पारस्परिक निधियों, वित्तीय संस्थाओं, आम जनता एवं कामगारों को दिए जाने का प्रस्ताव है।

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को राशन कार्ड

6583. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यान मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली और रेलवे कथक पुल शाहेद बसजो, नबी करीम, पहाड़गंज नई दिल्ली में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों को आवेदन करने के बावजूद राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जिन निवासियों ने प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया है उनके आवेदनों पर राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो व्यक्ति पात्रता के मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे उनके आवेदन नामंजूर कर दिए गए।

आकाशवाणी केन्द्र

[हिन्दी]

6584. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय रेडियो अवधारणा के अन्तर्गत देश में कितने आकाशवाणी केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या ये सभी केन्द्र एफ. एम. ट्रांसमीटर प्रणाली पर आधारित हैं;

(ग) क्या इसके लिए विभिन्न प्रकार की रेडियो-सैटिंग करनी पड़ती है;

(घ) क्या एक ही रेडियो एफ. एम. प्रसारणों और पारम्परिक ट्रांसमीटर के प्रसारणों को ग्रहण कर सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) देश में इस समय 26 स्थानीय रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इनमें 21 रेडियो स्टेशन फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन (एफ. एम) टेक्नॉजी पर तथा शेष 5 रेडियो स्टेशन एम्पलीच्यूड मोड्यूलेशन (ए. एम.) टेक्नॉलाजी पर आधारित हैं।

(ग) जी, हां। एफ. एम. ट्रांसमिशन के फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन प्रणाली आवश्यक है ।

(घ) एफ. एम./ए. एम. बैंडों वाला एक ही रेडियो रिसीविंग सैट एफ. एम. और पारंपरिक ट्रांसमीटरों के प्रसारण प्राप्त कर सकता है ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका

[अनुवाद]

6585. **श्री समत कुमार मंडल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछले महीने राज्यों के नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों के साथ हाल ही में हुई अपनी बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीबों के सहायतार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक तंत्र के रूप में चुस्त बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागरिक पुर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी हां। सामन्यत: इस बात पर सहमति हुई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उन इलाकों की ओर मोड़ने पर जोर दिया जाए जो समेकित आदिवासी विकास परियोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्रों और ऐसे आदिवासी बहुल राज्यों में स्थित हैं, जिनमें गरीब लोग अधिक संख्या में रहते हैं। इस संबंध में नीति यह सुनिश्चित करने की होती है कि उचित दर दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी करके, अधिक लोगों को

राशन कार्ड जारी करके तथा अन्य आधारिक सुविधाओं को मजबूत बनाकर इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं में उपलब्ध कराई जाएं।

राज्यों से भी अनुरोध किया गया कि वे शहर की अव्यवस्थित बस्तियों में रहने वाले लोगों तक इन वस्तुओं की पहुचाने की दशा में सुधार करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी सलाहकार परिषद की बैठक

6586. **कुमारी उमा भारती :**

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी सलाहकार परिषद की बैठक अगस्त, 1991 में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या फैसले लिए गए थे और वे कार्यान्वयन के किस चरण में हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। सामान्यत: इस बात पर सहमति हुई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उन इलाकों की ओर मोड़ने पर जोर दिया जाय जो समेकित आदिवासी विकास परियोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्रों और ऐसे आदिवासी बहुल राज्यों में स्थित है, जिनमें गरीब लोग अधिक संख्या में रहते हैं। इस संबध में नीति यह सुनिश्चित करने की होती है कि उचित दर दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी करके, अधिक लोगों को राशन कार्ड जारी करके तथा अन्य आधारिक सुविधाओं को मजबूत बनाकर इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं में उपलब्ध कराई जाएं।

राज्यों से भी अनुरोध किया गया कि वे शहर की अव्यवस्थित बस्तियों में रहने वाले लोगों तक इन वस्तुओं की पहुँचाने की दशा में सुधार करें।

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का बन्द होना

[हिन्दी]

6587. **श्री भेरू लाल मीणा :**

क्याप्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री पिछले कई वर्षो से बन्द पड़ी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस उद्योग को पुन: खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां तो उसके कब तक खुलने की संभावना है;

(ग) क्या इससे गैर-सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृति मिल जायेगी; और

(घ) क्या इस फैक्ट्री का प्रबन्ध मंडल इस उद्योग के बन्द होने के बावजूद पिछले 3 वर्षों से

मजदूरों से काम कराता रहा है और उन्हें उपस्थित दिखाया जाता रहा है और यदि हां, तो क्या इन मजदूरों को उनकी इन वर्षों की तनख्वाह दे दी गयी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे कुरियन) : (घ) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री 1.7.1988 से बन्द पड़ी है क्योंकि यह इकाई एकक हो गई थी और इससे अत्यधिक हानियां उठानी पड़ रही थीं।

(ख) से (घ) फैक्ट्री के पुन: स्थापना/पुनर्जीवन सम्बन्धी प्रस्ताव में अन्य बातों में श्रमिकों की तनख्वाह की बकाया राशि का भुगतान शामिल है। इस एकक की पुन: स्थापना/पुनर्जीवन का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के समक्ष है।

केरल में केबल टी. वी. के कार्यक्रम

[अनुवाद]

6588. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केबल टी. वी. कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सरकार को केरल सहित देश के विभिन्न भागों में कार्यरत केबल टी.वी. नेटवर्कों की जानकारी है। चूंकि प्राइवेट एजेंसियों को निजी परिसरों मे केबल टी. वी. नेटवर्कों की स्थापना करने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, अत: इस प्रकार नेटवर्कों का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन संयंत्र का चालू होना

6589. श्री उद्धव बर्मन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की बछार पेपर परियोजना में कास्टिक और क्लोरीन संयंत्र कुछ दिनों पहले चालू होना था, परन्तु इसमें विलम्ब हो रहा है; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने इस संयंत्र को चालू करने की कोई नई तिथि निर्धारित की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) कास्टिक-क्लोरीन संयंत्र नवम्बर, 1991 तक चालू किए जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में सिनेमाघरों के मालिकों द्वारा जमा किया गया आय-कर

[हिन्दी]

6590. डा. लाल बहादुर रावल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी सिनेमा घर मालिकों ने आय-कर जमा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक मालिक पर कितनी धनराशि बकाया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सिनेमाघरों के मालिकों के बारे में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सिनेमाघरों के मालिकों का आयकर निर्धारण अनिवार्यत: सिनेमाघरों के नाम से नहीं होता। उनका आयकर निर्धारण किसी और नाम से हो सकता है और उनके आय के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। ऐसे आयकर-दाताओं का पता लगाने और अपेक्षित सूचना एकत्र करने में समय लगेगा। इसमें पहले तो यह पता लगाना पड़ेगा कि दिल्ली के सिनेमाघरों में फिल्मों को प्रदर्शित करने वालों में सिनेमाघरों के मालिक कितने हैं और फिर उन मालिकों की फाइलों का पता लगाना पड़ेगा जिनका कर-निर्धारण दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर भी हो सकता है। फाइलों का पता लग जाने के बाद बड़ी संख्या में फाइलों की जांच करनी पड़ेगी और इसके बाद भी यह सूचना सिनेमाघरों से होने वाली आय से संबंधित नहीं भी हो सकती है बल्कि मालिकों की अन्य स्रोतों से आय में शामिल हो सकती है। पूछताछ करने, मालिकों का पता लगाने और फिर फाइलों की जांच करने में जितना समय और मेहनत लगेगी वह प्राप्त होने वाले परिणामों से कहीं अधिक होगी।

ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम

[अनुवाद]

6591. कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या ग्रामीण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई नये कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में कितने उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी जे. कुरियन) : (क) "ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम" शीर्षक से ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों

को बढ़ावा देना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, जिला उद्योग केन्द्रों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, हथकर्घा बोर्डों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर. डी. ए.) इत्यादि जैसे विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित अधिकांश एकक असंगठित स्वरूप के हैं और किसी सरकारी अभिकरण के पास आवश्यक रूप से पंजीकृत नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापनों के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

6592. **श्री गोविन्दराव निकम :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के विज्ञापनों पर किए गये खर्च के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हो गयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या "आपरेशन रिसर्च ग्रुप" द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापनों पर खर्च की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज्ञापनों के कारण इन वस्तुओं के मूल्य न बढ़े ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) चूंकि आवश्यक वस्तुओं की पहले से ही पर्याप्त मांग है, अत: उनके विज्ञापन पर भारी व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के बारे में विज्ञापन पर कोई व्यय नहीं किया जाता है। अनुसंधान संगठनों, जिसमें आपरेशन रिसर्च ग्रुप शामिल है, द्वारा विज्ञापन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध मे समय-समय पर अनेक अध्ययन किए जाते हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं और वह बेकार के खर्चों से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी कर्मचारियों को केन्टीन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना

6593. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अपने कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों और लाभ-प्रवृत्ति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कैंटीन स्टोर विभाग के अन्तर्गत केन्टीन के माध्यम से करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा; और

(घ) इस योजना से किन श्रेणियों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं, जिनमें सरकार के असैनिक कर्मचारी आदि शामिल हैं को आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मुख्य आवश्यक वस्तुएं, अर्थात चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल और साफ्ट कोक आवंटित करती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

[अनुवाद]

6594. प्रो. प्रेम धूमल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण की समीक्षा के लिए डा. एच. सी. विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) ऋण इक्विटी अनुपात 1 : 1 करने के लिए ऋणों को इक्विटी में बदलना।

(2) निगम द्वारा उत्पादन और बिक्री की लागत कम की जानी चाहिए।

(3) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर इसके वित्तीय संकट को टालना।

(4) वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना।

(5) उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ महाप्रबन्धकों को प्रचालन इकाइयों का प्रमुख बनाया जाना।

(6) प्रभावी मोनीटरिंग और नियंत्रण सुनिश्चित करना।

(7) मानसूची में कटौती करना।

(8) अनुरक्षण पद्धतियों और डी. जी. सेट उपयोगिता में सुधार।

(घ) समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। कुछ सिफारिशों को अनवरत आधार पर लागू किया जाना है और ऐसा किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई में कटौती

6595. श्री मुकुल वासनिक :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनश काउन्सिल आफ अप्लाइड, इकोनॉमिक रिसर्च (एन. सी. ए. ई. आर) ने अपने एक अध्ययन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित उच्चस्तर के शहरी परिवारों को निकाल देने से, इसके लिये सप्लाई हेतु दिये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा में 40 लाख टन की कटौती करने की सलाह दी है;

(ख) क्या कृषि सम्बन्धी स्थाई सलाहकार समिति ने भी वेतनभोगी वर्ग को इसके लाभ से वंचित करने और इसके लाभ को ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों तक ही सीमित करने का सुझाव दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) क्या सरकार की नई खाद्य वितरण नीति तयार करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभानुभोगियों की कुछ श्रेणियों को खाद्यान्न की हकदारी से हटाने का सुझाव दिया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आबादी के किसी हिस्से को निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद की एक बैठक हाल ही में हुई थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उन इलाकों की ओर मोड़ने पर जोर दिया जाए तो समेकित आदिवासी विकास परियोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरू-स्थल विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्रों में ऐसे आदिवासी बहुल राज्यों में स्थित हैं, जिनमें गरीब लोग अधिक संख्या में रहते हैं। इस सम्बन्ध में नीति यह सुनिश्चित करने की है कि उचित दर दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी करके, लोगों को राशन कार्ड जारी करके तथा अन्य आधारिक सुविधाओं को मजबूत बनाकर इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं वास्तव में उपलब्ध कराई जाएं।

पोटाशियम आयोडेट के इलेक्ट्रोलाइटिक उत्पादन हेतु नई प्रौद्योगिकी

6596. **श्रीमती वासवराजेश्वरी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नमक को आयोडीन युक्त बनाने में प्रयुक्त पोटाशियम आयोडेट के इलेक्ट्रोलाइटिक उत्पादन हेतु करईकुड्डी स्थित सेंट्रल इलक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इन्स्टीच्यूट ने एक नई प्रौद्योगिकी का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रक्रम में पोटेशियम हाईड्रॉक्साइड में आयोडीन का विलयन शामिल है । इस प्रकार प्राप्त किया गया पोटेशियम आयोडाईड टीटेनियम सब्सेंट्रेट इनसोल्यूबल एनोड्स (टी. एस. आई ए) और स्टेनलेस स्टील कैथोडस का प्रयोग कर एन्युलर । (बलयाकार) फलों सेल में विद्युत अपघटनीय रूप में प्रासीडाइज (उपचयनित) किया जाता है । विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलाइसिस) के अन्त में जब पोटेशियम आयोडेट प्राप्त किया जाता है और जिसे छाना जाता है और सुखाया जाता है तब इलेक्ट्रोलाईट (विद्युत अपघटनी) को ठंडा किया जाता है । इस प्रक्रम द्वारा तैयार किया गया पोटेशियम आयोडेट फूड ग्रेड स्पेसिफिकेन्स के अनुरूप होता है और नमक के आयोडीनकरण के लिये उपयुक्त होता है ।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

[हिन्दी]

6597. **श्री हेजनारायणसिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम को किस आधार पर लागू किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त दोनों कार्यक्रम कितने क्षेत्रफल में तथा कितनी जनसंख्या पर लागू किये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी वेंकट स्वामी): (क) ब्यौरा विवरण पर संलग्न है ।

(ख) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम को सूखे को रोकने तथा मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण पाने और मुख्य प्राकृतिक संसाधनों अर्थात भूमि जल तथा वनस्पति (वन तथा चरागाह) के संरक्षण तथा विकास हेतु शुरु किए गए विकास कार्यों के आधार पर संबंधित कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में भविष्य में पारिस्थिति संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्यों से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) ब्यौरा विवरण-2 पर संलग्न है ।

विवरण-1

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

राज्य का नाम	व्यय (लाख रुपये में)				भौतिक उपलब्धि 100 हैक्टेयर			
	1989-90	1990-91	भूमि विकास	जल संसाधन विकास	1989-90 वाणिकी	भूमि विकास	1990-91 (अनन्तिम) जल संसाधन विकास	वाणिकी
1	2	3	4	5	6	7	8	
आन्ध्र प्रदेश	1134.46	144.66	98.11	84.21	83.98	272.12	60.96	94.54
बिहार	887.35	510.94	40 69	7.29	62.68	4.49	2.74	31.80
गुजरात	791.22	830.76	47.20	20.10	33.72	64.35	22.01	33.70
हरियाणा	153.79	152.37	11.01	9.93	8 15	19.54	11.56	6.16
जम्मू व कश्मीर	223.22	143.06	30.67	8.13	1-13	13.80	—	—
कर्नाटक	1041.35	1140 02	215 71	5.85	51.36	213.92	7.58	59.95
मध्य प्रदेश	693.05	678.58	30 55	1.73	75.20	50.23	4.98	55.39
महाराष्ट्र	1362.93	1158.93	126.10	45 35	198 63	225.18	33.07	239.29
उड़ीसा	537.55	545.47	62.35	20.72	88.67	25.50	6.43	55.05
राजस्थान	518 38	637.23	52.39	10.47	8.03	52.33	4.07	22.94
तमिलनाडु	700.20	739.38	235.71	10 65	107.31	184.48	7.32	56.57

उत्तर प्रदेश	1328.21	1237.56	153.52	36.36	96.14	155.16	44.02	96.02
पश्चिम बंगाल	485.38	370.11	68.79	15.02	61.52	139.23	10.42	58.54
कुल	9957.09	9389.07	1172.80	275.81	876.52	1430.33	215.16	799.95
मरूभूमि विकास कार्यक्रम								
गुजरात	278.06	254.48	0,85	7.30	18.60	12.84	10.45	17.65
हरियाणा	445.57	470.40	50.38	54.34	24.51	3[illegible],17	9.86	20.12
हिमाचल प्रदेश	214.60	202.01	7.45	2.69	6.48	7.91	1.87	7.16
जम्मू व कश्मीर	306.07	300.29	11.30	19.44	7.79	12.31	11.29	6.47
राजस्थान	3655.82	4700.70	79.32	12.66	113.55	59.11	30.55	86.85
कुल	4900.92	5927.88	149.30	96. 3	170.93	125.34	64.02	138.25

विवरण-2

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर की गई जनसंख्या तथा क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य का नाम	कवर किया गया क्षेत्र (000 वर्ग किलोमीटर	(जनसंख्या मिलियन) (1981 जनगणना)
	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम		
1-	आन्ध्र प्रदेश	77.15	9.41
2-	बिहार	22.25	4.39
3-	गुजरात	51.39	4.13
4-	हरियाणा	3.01	0.83
5-	जम्मू और कश्मीर	16.24	0.25
6-	कर्नाटक	95.70	13.46
7-	मध्य प्रदेश	40.78	4.12
8-	महाराष्ट्र	116.48	14.65
9-	उड़ीसा	22.10	2.38
01-	राजस्थान	30.05	3.27
11-	तमिलनाडु	17.78	4.21
12-	उत्तर प्रदेश	49.73	6.67
13.	पश्चिम बंगाल	11.20	2.98
	योग	553.06	70.75
	मरुभूमि विकास कार्यक्रम		
1.	गुजरात	9.37	1.02
2-	हरियाणा	17.52	3.27
3-	हिमाचल प्रदेश	29.70	0.02
4-	जम्मू और कश्मीर	96.70	0.13
5-	राजस्थान	208.76	10.53
	योग	362.14	14.97

"संसद समाचारों" का प्रसारण

6898. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "संसद समाचार" कार्यक्रम प्रसारित करने का उद्देश्य लोगों को सरकार की रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कार्यक्रम के प्रसारण समय को इसके निर्धारित समय से पूर्व करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन से "संसद समाचार" प्रसारित करने का प्रयोजन दूरदर्शन दर्शकों को लोकसभा और राज्य सभा की दैनिक कार्यवाही के सार से अवगत कराना है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कार्यक्रम अपेक्षाओं और प्रसारण समय की तंगी के कारण, फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में पेय जल की समस्या

6899. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई/प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) यदि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) उड़ीसा में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए अपेक्षित परिव्यय के ब्यौरे योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना की नीति दृष्टिकोण तथा परिव्ययों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही तैयार किये जायेंगे।

नई औद्योगिक नीति

[अनुवाद]

6901. श्री एम. वी. वी. एन. मूर्ति :

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति से औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की छटनी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप बेरोजगारी को टालने और इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को संसद में रखे गये औद्योगिक नीति वक्तव्य में यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि सरकार श्रमिकों के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी, उनके कल्याण को बढ़ावा देगी और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की अपरिहार्यता से निपटने के लिये उन्हें हर प्रकार से सज्जित करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

6602. **श्री राम नारायण बेरवा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में जल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बस्तियों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्यों को कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हुआ घाटा

6603. **श्री साईमन मरान्डी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन, उर्वरक तथा तन्तु के क्षेत्र में एक अग्रणी कम्पनी, इण्डियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वर्ष 1989-90 में 12.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और अब की बार इस घाटे में और वृद्धि होने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 से इस कम्पनी द्वारा उठाये गये कुल घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ग) लगातार हो रहे घाटे के क्या कारण हैं, और

(घ) ऐसी स्थिति का उपचार करने के लिए क्या अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) "इंडियन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड" नाम की कोई कम्पनी नहीं है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय आई सी आई इंडिया लि. से है, जिसका 31.3.1990 को समाप्त वर्ष का संक्षिप्त लाभ व हानि लेखा कर-पश्चात् 12.18,87,000 रु. का घाटा दिखाता है। वर्ष 1990-91 में कम्पनी ने कर-पश्चात् 20,66,67,000 रु. का लाभ कमाया, जिसमें बम्बई में इसके एक भवन की बिक्री से 18.90 करोड़ रु. का लाभ शामिल है।

(ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि 1988 से उसे केवल लेखा वर्ष 1989-90 में घाटा हुआ था।

(ग) कम्पनी ने 1989-90 के दौरान हुए घाटों के निम्नलिखित कारण बताए हैं :—

1. — पनकी में बिजली की सप्लाई खराब होना जिसके परिणामस्वरूप यूरिया के उत्पादन और बिक्री में घाटा हुआ।

2. — थाने में उनके फाइबर संयंत्र के विस्तार के संबंध में हुए असाधारण कार्यारम्भ खर्चे।

3. — कम मात्रा में फाइबरों की बिक्री होना जिसके परिणामस्वरूप खर्चों की वसूली कम हुई।

(घ) वार्षिक रिपोर्ट (1990-91) के अनुसार कम्पनी का लागत में किफायत, उत्पादकता में सुधार और परिसंपत्ति एवं संसाधनों का कार्यकुशलता से उपयोग करने का प्रस्ताव है।

जापानी सहायता से विशेष प्रकार के नगरों की स्थापना

[अनुवाद]

6404. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए जापान की सहायता से भारत में विशेष प्रकार के नगर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों के राजनैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच किस प्रकार की गयी और उसके क्या परिणाम/निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) इस समय, जापान

की सहायता से औद्योगिक आदर्श नगर की स्थापना करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन का ही विचार है। औद्योगिक आदर्श नगर की स्थापना कार्य को कार्यान्वित करने के लिए ठोस वचनबद्धता नहीं है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास उपलब्ध उपकरणों का उपयोग

6605. **श्रीमती शिल कुमारी भंडारी :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास बड़ी संख्या में उपलब्ध अत्याधुनिक प्रसारण उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास उपलब्ध प्रसारण उपकरणों की, आवश्यकता और साधनों की उपलब्धता के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है।

"वर्ल्ड दिस वीक कार्यक्रम" का दूरदर्शन से हिन्दी में प्रसारण

[हिन्दी]

6606. **श्री राम बदन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 'वर्ल्ड दिस वीक कार्यक्रम' का दूरदर्शन से हिन्दी में भी प्रसारण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) प्रसारण समय की तंगी के कारण फिलहाल, दूरदर्शन से "वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम" का हिन्दी में प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

6607. **श्री राम सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या उम्मीदवारों का चयन सीधे साक्षात्कार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में होता है; और

(घ) यदि हां, तो जुलाई, 1991 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सी एम सी लिमिटेड में दिनांक 31-7-91 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारियों की संख्या 2255 है, जिनमें 1670 कार्यपालक और 585 गैर-कार्यपालक कर्मचारी हैं।

(ख) सी एम सी लिमिटेड में दिनांक 31-7-91 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुल कर्मचारियों की संख्या 51 है, जिसमें से 22 कार्यपालक तथा 29 गैर-कार्यपालक कर्मचारी हैं। कुल कार्यपालकों की तुलना में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत 1.32% है तथा गैर कार्यपालकों के मामले मे यह 4.96% है।

(ग) उम्मीदवारों का चयन कई स्रोतों से किया जाता है, जिसमें अपने कार्यालय परिसर में ही परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से चयन शामिल है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जुलाई, 91 तक चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या नीचे दिये अनुसार है :

	भर्ती किये गये उम्मीदवारों की संख्या			भर्ती किये गए उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या		
वर्ष	परिसर	परिसर से बाहर	कुल	परिसर	परिसर से बाहर	कुल
88-89	209	133	342	2	1	3
89-90	276	201	477	8	14	22
90-91	222	142	364	2	2	4
91— जुलाई तक)	136	74	210	2	2	4

जलेसर को उद्योग विहीन क्षत्र घोषित करना

6608. **श्री सुरेशानंद स्वामी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के जलेसर क्षेत्र को उद्योग विहीन क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) ऐटा जिले को, जलेसर जिसकी एक तहसील है, श्रेणी 'ग' पिछड़ा जिला घोषित किया गया है।

हरियाणा और राजस्थान में रेडियो स्टेशन

[अनुवाद]

6509. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने रेडियो स्टेशन स्थापित किये गए;

(ख) क्या इन दोनों राज्यों में वर्ष 1991-92 के दौरान और अधिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) यद्यपि, पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया गया तथापि 14 जनवरी, 1991 को राजस्थान राज्य में अलवर में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन चालू किया गया।

(ख) और (ग) जहां हरियाणा में कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को एक स्थानीय रेडियो स्टेशन सेवा के लिये चालू किया गया, वहां चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान राजस्थान में 8 नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

आकाशवाणी केन्द्र, दरभंगा तथा दूरदर्शन केन्द्र मधुबनी की क्षमता

6610. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी केन्द्र, दरभंगा की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का दूरदर्शन केन्द्र, मधुबनी की क्षमता में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सिनेमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण

6611. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए सिनेमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

महाराष्ट्र में सीतागार

[हिन्दी]

6612. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में महाराष्ट्र में कुछ सीतागार बनाना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बी. सी. आर /बी. सी. पी. का निर्माण करने के लिए उड़ीसा का प्रस्ताव

[अनुवाद]

6613. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोणार्क टेलीविजन और उड़ीसा राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से बी. सी. आर./बी. सी. पी. का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) । (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाडु को उर्वरकों का आबंटन

6615. श्री के. तुलसिऐया बान्डायार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान तमिलनाडु को विभिन्न किस्म के उर्वरकों का कोई आबंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिंता मोहन) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान तमिलनाडु को आवंटित उर्वरक न्यूट्रीऐन्टस वार नीचे दिये गये हैं :—

(आंकड़े 000 टन में)

	एन	पी	के	योग
1989-90	442.32	177.30	225.65	845.27
1990-91	434.80	190 40	161.76	936 96

चोरी-छिपे वीडियो रूपांतर तैयार करना

6616. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीडियो और फिल्मी चलचित्रों के चोरी-छिपे वीडियो रूपान्तर तैयार करने और प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था और प्रवर्तन तंत्र की स्थापना सहित, अन्य क्या-क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने वीडियो फिल्मों, चलचित्रों और टी. वी. फिल्मों के चोरी छिपे रूपान्तर तैयार करने को प्रभावशाली ढंग से रोकने के वर्तमान प्रबंधों में कोई कमी पाई है; और

(ग) उक्त प्रबन्धों में इस प्रकार की कमी को दूर करने के लिए यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं कि वे कापीराइट अपराधों की जांच करने, वीडियो पारलरों और दुकानों को लाइसेंस के अन्तर्गत लाने, मनोरंजन कर वसूली एजेंसियों को प्रवर्तन के लिए आवश्यक शक्तियां देने, केवल कापीराइट अपराधों के आंकड़े एकत्र करने इत्यादि के लिए विशेष पुलिस कक्षों की स्थापना कर कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करे, जो अपने आप में पर्याप्त हैं।

विवरण

समय-समय पर यथासंशोधित प्रतिलिप्याधिकार (कापीराईट) अधिनियम के अधीन विभिन्न प्रावधान हैं जिनके तहत् प्रतिलिप्याधिकार वाली वृत्तियों का अवैध द्विलिपिकरण रोकने की व्यवस्था है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाले इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :—

(i) धारा 63 के अन्तर्गत प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन करने पर 6 माह से 3 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। धारा 63 (क) के अन्तर्गत प्रत्येक उत्तरवर्ती अपराध के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है और एक से 3 वर्ष तक की कैद हो सकती हैं।

(ii) धारा 34 के अन्तर्गत सब इन्सपेक्टर या इससे ऊंचे दर्जे का कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के वृत्ति की ऐसी सभी प्रतियां जब्त कर सकता है जिन्हें अवैध प्रतियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किए जाने की संभावना है।

(iii) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो जानबूझकर प्रतिलिप्याधिकार वाली किसी वृत्ति की अवैध प्रतियां तैयार करता है, दो वर्ष तक की सजा और जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

(iV) प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन प्रज्ञेय और गैर जमानती अपराध है।

2. वीडियो चोरी और प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन के मामले में केन्द्र सरकार की भूमिका कानून बनाने तक सीमित है और मौजूदा कानून के अन्तर्गत दंड की व्यवस्था पर्याप्त रूप से कठोर है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों या संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है। केन्द्र सरकार भारत के संविधान के अन्तर्गत इन मामलों में राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को आदेश नहीं दे सकती। केन्द्र सरकार समस्याओं के प्रति उनका ध्यान आकर्षित कर सकती है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को सक्रिय बनाने के लिए कह सकती है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को कई बार अनुदेश दिए

हैं कि वे वीडियो चोरी के खिलाफ कानूनों और प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन सम्बन्धी कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपने प्रशासनों की कानून का अनुपालन कराने वाली एजेन्सियों को निर्देश दें। सरकार का यह भी मत है कि प्रतिलिप्याधिकार एक मालिकाना हक है। अतः प्रतिलिप्याधिकार के मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत में सिविल/अपराधिक प्रक्रिया का सहारा लें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गरीबों के लिए उपयोग

(717. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या किसी व्यवहारिक उपयोग का प्रयास किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी साधनों की कारगरता दिलाने की दृष्टि से सरकार ने रोजगार पैदा करने, आय में वृद्धि करने और चाकरी कम करने के उद्देश्यों से परियोजनायें आरम्भ की हैं।

(ख) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का सफलता पूर्वक व्यावहारिक अनुप्रयोग हुआ है।

(ग) सफल व्यावहारिक उनुप्रयोग में कुछेक जलकृषि, वानिकी, भूण अंतरण प्रौद्योगिकी, जैव उर्वरक, कार्मिक शक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण इलैक्ट्रानिकी नियोजन कार्यक्रम, दूर संवेदन, एकीकृत स्रोत आयोजना, अपरम्परागत ऊर्जा (बायो गैस, गैसीफायर्स, सौर चूल्हे आदि) रेशम कीट पालन, कम लागत के मकान, मिट्टी के बर्तन बनाना, औषधीय पौधे लगाना, भूमि और जल प्रबन्ध करना, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति का विकास करना और एकीकृत अपशिष्ट प्रबन्ध के क्षेत्रों में हैं।

परिणामों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं :—

(क) 1990-91 के दौरान 4 राज्यों में मछली एकत्रीकरण यंत्रों में 500 मछुआरों को प्रशिक्षण।

(ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान 10 राज्यों में 900 चर्मकारों को प्रशिक्षण।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक रोजगार पैदा करने के कार्यक्रम के अधीन देशभर में विभिन्न व्यवसायों में 2762 रोजगार पैदा करना।

(घ) 1985-86 से आज तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास योजनाओं के

अधीन 324 यूनिटों की स्थापना द्वारा 2235 रोजगार पैदा करना।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान चार राज्यों में जलकृषि के कार्यक्रम के अधीन मछलियों के उत्पादन में 500 मछुआरों को प्रशिक्षण देना।

(च) ब्रह्मपुत्र और अन्य घाटियों में परती भूमि का प्राथमिकीकरण।

(छ) शहतूत की खेती।

(ज) राष्ट्रीय वन सीमा क्षेत्र मानचित्रण।

(झ) अखिल भारतीय जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता समन्वित कार्यक्रम।

औषध उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण

6618. **श्री विजय कुमार हान्डिक :**

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत में बल्क औषधियों तथा औषध फार्मूलेशनों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा किया जाता है ;

(ख) उनके द्वारा इस उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्यात किया जाता है ; और

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी निर्यात क्षमता का भरपूर उपयोग करती हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा भारत में औषधों के कुल उत्पादन में प्रपुंज औषधों के उत्पादन का प्रतिशत क्रमश: 71.47 प्रतिशत और 66.52 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) मंत्रालय में इसको मानीटर नहीं किया जाता है।

केन्द्रीय सचिवालय, सरकारी कर्मचारी क्लब में नए सदस्यों का नामांकन

6621. **डा. सो. सिलवेरा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय, सरकारी कर्मचारी क्लब में नए सदस्यों के नामांकन के लिए कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्लब की अनुमेय गतिविधियों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या नामांकन प्रति वर्ष किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो इस समय क्लब की कुल सदस्य संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या क्लब में गैर-सरकारी कर्मचारियों का नामांकन भी किया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) इस मन्त्रालय को केन्द्रीय सचिवालय सरकारी कर्मचारी क्लब के नाम से ज्ञात किसी भी क्लब के विद्यमान होने की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

6622. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री काशीराम राणा :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन पंजीकृत तथा उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कम्पनियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) जी, नहीं । जो वस्तुएं केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हैं और जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उन वस्तुओं को छोड़ कर अन्य सभी वस्तुओं को नयी औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसीकरण से मुक्त कर दिया गया है ।

विवरण

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन पंजीकृत उन कम्पनियों की सूची जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं :—

1. मै. बायर इण्डिया लिमिटेड
2. मै. इंगलिश इंगलिश इलेक्ट्रिक कं. आफ इण्डिया लिमिटेड
3. मै. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

4. हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

5. मै. सैण्डोज (इण्डिया) लिमिटेड

6. मै. यूनियन कार्बाइड इण्डिया

7. मै. जनरल इलेक्ट्रिक कं. आफ इण्डिया लिमिटेड

8. मै. जानसन एण्ड जानसन लिमिटेड

पी. सी. जोशी रिपोर्ट का कार्यान्वयन

6623. **श्री काशीराम राणा :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने के लिए टी. वी. साफ्टवेयर के सम्बन्ध में पी. सी. जोशी रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन के लिये साफ्टवेयर योजना बनाने हेतु कार्य दल जोशी समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की 31 मुख्य सिफारिशें हैं। सरकार ने विचार-विमर्श के बाद इनमें से 25 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा उन्हें कार्य रूप देने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशी बाजार में मारुति 1000 के प्रति प्रतिक्रिया

[अनुवाद]

6624. **श्री गंगाधर सानीपल्ली :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और सुजुकी मोटर कंपनी के अध्यक्ष के बीच हाल ही में कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस मामले पर और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) विदेशी बाजार में मारुति 1000 कार के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) मि. ओ. सुजुकी ने प्रधान मंत्री, वाणिज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री (भारी उद्योग) से भेंट की। मारुति की कार्यविधि और भारी योजनाओं से संबन्धित मामलों पर चर्चा की गई थी। कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिए गए।

(ग) मारुति 1000, अत्यधिक सीमित मार्कीटों को छोड़कर निर्यात के लिए नहीं बनाई गई है।

भूमि को समतल बनाने सम्बंधी योजना

[हिन्दी]

6625. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास एजेन्सी के अन्तर्गत भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु इसे समतल बनाने की एक योजना लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना में बदायूं जिले को भी सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना जिसे बदायूं जिला (उत्तर प्रदेश) सहित देश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत भूमि को समतल बनाने का कार्य पहले से ही अनुमत गतिविधियों में से एक है।

औषध उद्योग द्वारा मूल्यों में संशोधन करने की मांग

[अनुवाद]

6626. **श्री चर्मन्ना मोंडय्या सावुल :**

श्री के. तुलसिऐया वान्डायार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग की उनके उत्पादों के मूल्यों में संशोधन करने सम्बन्धी मांग सरकार के पास गत डेढ़ वर्ष से विचार हेतु लम्बित पड़ी है तथा इस विलम्ब के परिणामस्वरूप उद्योग ने अपनी मांगों के समर्थन में शीघ्र ही हड़ताल करने की धमकी दी है, और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का उपचार करने हेतु इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मूल्य नियंत्रित औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। उद्योग की एक प्रमुख मांग पिछले वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि, आम मुद्रा-स्फीति और रुपए की विनिमय दर में समायोजन से हुई वृद्धियों के कारण राहत से सम्बन्धित है। लागत में इन बढ़ोतरियों के कारण उद्योग द्वारा सभी मदों पर 25 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है।

गत वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई मूल्य वृद्धि पर विचार किया गया था और अनेक प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों को मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई थी। आयातित कच्चे माल का उपयोग करने वाली 31 प्रपुंज औषधों की कीमतों को सरकार ने हाल ही में 30-8-91 से संशोधित किया है। अन्य प्रपुंज औषधों की कीमतों में भी संशोधन करने की जांच की जा रही है।

भारतीय मिशनों में वैज्ञानिकों को तकनीकि व्यक्तियों का सहयोग

6627. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मिशनों में प्रतिनियुक्ति पर गये वैज्ञानिकों को अपनी तकनीकी योग्यता का प्रयोग कर प्रभावी ढंग से योगदान करने हेतु निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है तथा तकनीकी व्यक्तितों का सहयोग प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक भारतीय दूतावास में जहां पर भारतीय नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा सके भारतीय प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) विदेशों में हमारे दूतावासों में प्रतिनियुक्ति पर गए वैज्ञानिक दूतावास के अध्यक्ष की पूरी देख रेख में कार्य करते हैं। उनकी सहायता के लिए उन्हें आवश्यक सहायक कर्मचारी भी दिए जाते हैं।

(ग) विभिन्न देशों में स्थित दूतावासों में प्रदर्शन दीर्घाएं हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को दर्शाती हैं।

(उपर्युक्त उत्तर में विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना भी प्रयोग की गई है।)

स्कूटर निर्माण कम्पनियों हेतु विदेशी सहयोग

6628. श्री पांडुरंगयुडलिक फुंडकर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मुख्य स्कूटर (दुपहिया) निर्माण कम्पनियां विदेशी कम्पनियों के सहयोग से कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसी भारतीय कम्पनियों तथा उनकी सहयोगी विदेशी कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी मात्रा में फालतू पुर्जों का आयात किया गया और प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) स्कूटरों के मुख्य निर्माताओं के नाम जिन्होंने विदेशी सहयोग किए हुए हैं, उनके सहयोगकर्ताओं के नाम और विदेशी मुद्रा की मात्रा जिसकी उन्हें अनुमति दी गयी है और उनके द्वारा इस्तेमाल की गयी विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

(रु. लाख में)

भारतीय कम्पनी का नाम	सहयोग कर्ता का नाम	अतिरिक्त पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा की अनुमति (1989-90)	प्रयुक्त विदेशी मुद्रा
1. एल एम एल लि. कानपुर	मैं. पियागियो एंड सी. एस पी. ए. इटली	67.82	42.19
2. मैं. कायनेटिक होन्डा मोटर्स लि., पुणे	मैं. होन्डा मोटर्स कं. लि. जापान	149.00	60.00

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना

[अनुवाद]

6629. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में घोषित नई औद्योगिक नीति में परिवर्तन के साथ सरकार द्वारा लघु उद्योगों को क्या प्रोत्साहन दिए गये हैं;

(ख) क्या सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण ऐसे उद्योगों को दी जाने वाली राजसहायता बन्द कर देने पर विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) 6 अगस्त, 1991 को संसद में पेश किए गए "लघु, छोटे तथा ग्राम्य उपक्रमों को बढ़ावा देने एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु नीति सम्बन्धी उपायों", के आधार पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं एवं रियायतों की रूपरेखा तैयार की गई है।

(ख) और (ग) सरकार, 6.8.91 को घोषित लघु, छोटे तथा ग्राम्य उपक्रमों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए नीति सम्बन्धी उपायों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के लिए लघु उद्योगों हेतु एकीकृत मूलभूत विकास

(प्रौद्योगिकीय प्रोत्साहन सम्बन्धी सेवाओं सहित) सम्बन्धी एक योजना शामिल है, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों हेतु केन्द्रीय निवेश सबसिडि योजना आरम्भ करना आवश्यक नहीं समझती ।

दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

6630. डा वी राजेश्वरन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु तथा केरल के सुदूर दक्षिण भागों के अधिकांश क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं;

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु तथा केरल के आठ से भी अधिक जिलों को शामिल करते ए उनके सुदूर तथा सीमांत दक्षिणी भागों में दूरदर्शन कार्यकाल का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) केरल और तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी जिले इन दोनों राज्यों के मौजूदा टी. वी. ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र में पड़ते हैं । तथापि, इन जिलों के कुछ हिस्सों की भूभागीय स्थिति के कारण दूरदर्शन सेवा प्राप्त नहीं होती ।

(ख) और (ग) इस समय केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में टी. वी. ट्रांसमीटर लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है । तथापि, रामेश्वरम में लगाए जा रहे उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी भागों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है ।

तकनीकी विभागों में समान वेतन ग्रेड

6631. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तकनीकी विभागों में विभिन्न वेतन ग्रेड दिए जाते हैं और कुछ विभागों में वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक अथवा दो ग्रेड अतिरिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और वेतन ग्रेड समान करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या विभिन्न तकनीकी विभागों में एक ग्रेड से दूसरे के लिए प्रोन्नति हेतु पात्रता की अवधि एक समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्रीमती माग्रेट अल्वा : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग में संवर्ग-संरचना उसकी संगठनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। सरकार समय-समय पर प्रत्येक ग्रेड में पदावास की अवधि सहित पदोन्नति नीतियों एवं संवर्ग संरचना की समीक्षा करती है तथा तदनुसार आवश्यक उपाय करती है।

उत्तर प्रदेश के लिये योजना व्यय हेतु आवंटन

[हिन्दी]

6632. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के लिये 1990-91 हेतु कितनी धनराशि का योजना-व्यय स्वीकृत किया गया था;

(ख) 1998-91 का वार्षिक योजना में राज्य सरकार का कितना योगदान था; और

(ग) राज्य सरकार ने 1990-91 में विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए 3200 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए थे इनमें राज्य द्वारा जुटाए गए 1603.07 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जिसमें विशिष्ट केन्द्रीय अंतरणों, यदि कोई थे सहित राज्य के अपने संसाधन शामिल थे।

(ग) वर्ष 1990-91 में 2501.53 करोड़ रु. की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

पेप्सी का अनुसंधान केन्द्र

[अनुवाद]

6633. श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अगस्त, 1991 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "पुअर पर्फार्मेंस आफ ज्वायन्ट वेंचर पेप्सी, पी. ए. आई. सी. एट. लगर हेड्श शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में कम्पनी के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए चयन के संबंध में पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड तथा पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के बीच कोई विवाद हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मसले को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसे किस स्थान पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स पेप्सी फूडस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए स्थान के चयन के सम्बन्ध में मैसर्स पेप्सी फूडस प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के बीच कोई विवाद नहीं रहा है। मैसर्स पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने सूचित किया है कि मिट्टी की उपयुक्तता, जहूरा स्थित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र के अन्दर स्थापित करने पर विभिन्न बागवानी/जिनहन फसलों पर अपेक्षित अनुसंधान कार्य की अधिकता, जहूरा में फील्ड अनुसंधान क्रियाकलाप चलाने के लिए भूमि की उपलब्धता और और कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं प्रसंस्करण संयंत्र के बीच नियमित सम्पर्क की आवश्यकता जैसे विभिन्न कारणों को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि परियोजना के इस स्वतंत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना जहूरा स्थित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण काम्पलेक्स के बाहर परन्तु इसके आसपास होशियारपुर/जालन्धर जिलों में की जाए। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जहूरा स्थित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण काम्पलेक्स में एक अस्थाई सुविधा भी प्रदान की गई है और पेप्सी अनुसंधान केन्द्र के चालू होते ही इसे स्थानांतरित कर दिया जायेगा। मैसर्स पेप्सी फूडस प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन मैसर्स पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के परामर्श से तदनुसार कार्यवाई कर रहा है।

उर्वरकों के पुराने स्टाक की नई दरों पर बिक्री

[हिन्दी]

6634. श्री अर्जुनसिंह यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ उर्वरक व्यापारी सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से उर्वरकों के पुराने स्टाक की बिक्री नये मूल्यों पर कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध इस संबंध में अब तक कार्यवाही शुरु की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशेष और प्रामाणिक मामला नहीं आया है जहां फुटकर विक्रेता देश में सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से उर्वरकों के बजट पूर्व भंडार को नये दर पर बेच रहे हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन धारावाहिक "द बाईबल" का प्रसारण

[अनुवाद]

6635. श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर धारावाहिक "द बाईबल" का प्रसारण बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा "स्टोरीज फ्रॉम दि बाइबिल" के नाम से मैसर्स नवोदय कोचीन द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रायोजित टी. वी. धारावाहिक के लिए 39 कड़ियों का अनुमोदन किया गया है। प्रायोजित कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिये निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रथम चार कड़ियां उपलब्ध होने और चयन समिति द्वारा इनका पूर्वावलोकन कर इन्हें उपयुक्त पाये जाने पर कार्यक्रम का प्रसारण समय निश्चित किया जाएगा। "स्टोरीज फ्रॉम दि बाइबिल" नामक धारावाहिक के मामले में निर्माता ने दूरदर्शन को अभी तक प्रथम चार कड़ियां नहीं भेजी है।

कलकत्ता में सेंटर फार इलेक्ट्रोनिक्स टैस्ट इन्जीनियरिंग

6636. **श्री राधिका रंजन प्रामाणिक :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक विभाग का साल्ट लेक सिटी कलकत्ता में मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा भारत जर्मनी (एफ. आर. जी) की एक नई परियोजना सेंटर फार इलेक्ट्रानिक्स टैस्ट इन्जीनियरिंग खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी हां। भारत जर्मन संघीय गणराज्य की परियोजना में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना शामिल है। यह केन्द्र परीक्षण तथा परिमापन उपकरणों के साथ-साथ उपभोक्ता, दूर संचार, चिकित्सा तथा औद्योगिक इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्रों में निपुणता सहित परीक्षण इन्जीनियरी में एक लम्बी अवधि का दो वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

लक्ष्मीबाई "झांसी की रानी" धारावाहिक का दूरदर्शन पर प्रसारण

6637. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लक्ष्मीबाई "झांसी की रानी" पर दूरदर्शन धारावाहिक बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या लक्ष्मीबाई "झांसी की रानी" पर धारावाहिक का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) दूरदर्शन की नई प्रायोजना स्कीम के अन्तर्गत "झांसी की रानी" पर टी. वी. धारावाहिकों के निर्माण के लिये तीन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। दूरदर्शन द्वारा नई प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रस्तावों का अनुमोदन उनके गुण दोष के आधार पर किया जाएगा।

टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन को ओर देय राशि

[हिन्दी]

6638. श्री मोहन सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) "टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन का कानपुर के चमड़ा व्यापारियों की ओरकितना धन बकया है;

(ख) क्या बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण इस निगम के कार्य में कोई बाधा खड़ी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सप्लायरों को समय पर भुगतान करने तथा इस बकाया राशि का भी भुगतान कराने के लिए ठोस कदम उठाने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार, टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया को फरवरी, 1990 से जुलाई, 1991 तक की अवधि के लिए कानपुर (यू. पी.) के चर्म-व्यापारियों को 2 18,77,918 रुपये का भुगतान करना है।

(ख) निधियों के अभाव में टेनरियों का उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। टैन्कों कुछ मात्रा में फिनिश्ड चमड़ा कानपुर बाजार से एवं वैट ब्ल्यू तथा बिना तैयार चर्म को कुछ मात्रा कानपुर के बाहर से प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।

(ग) निगम को सलाह दी गई है कि वे अपने वाणिज्यिक प्रचालनों को व्यावहारिक रूप से चलायें ताकि अपनी काशशील पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। निगम को यह भी सलाह दी गई है कि वे बकाया देनदारियों का भुगतान यथाशीघ्र करें।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उचित दर की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपो के लाइसेंस जारी करना

[अनुवाद]

6639. श्री मोतीलाल सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान उचित दर दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपो के कुल कितने लाइसेंस जारी किये गए;

(ख) उनमें से कितने लाइसेंस अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को जारी किए गए;

(ग) क्या इन लाइसेंसशुदा दुकानों/डिपो के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई आरक्षण है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का डा. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के जन्म-शताब्दी समारोह वर्ष के दौरान उपरिलिखित लाइसेंसशुदा उचित दर दुकानों आदि में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने 463 उचित दर की दुकानों तथा 100 मिट्टी के तेल के डिपुओं के लिए लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें से 55 उचित दर की दुकानों तथा 39 मिट्टी के तेल के डिपो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को आवंटित किये गये थे।

(ग) और (घ) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सुझाव के अनुसरण में, दिल्ली प्रशासन फरवरी, 1189 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उचित दर की दुकानें तथा मिट्टी के तेल के डिपो आवंटित करने के लिए मंडलवार रोस्टर रख रहा है।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका मजदूरी प्रथा के उत्पादन की मांग

6640. प्रो. के. वी. थामस :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघ भारतीय खाद्य निगम में ठेका मजदूरी प्रथा के उत्पादन की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम में राज्य-वार कितने ठेका मजदूर कार्यरत हैं; और

(घ) इन ठेका मजदूरों को क्या लाभ प्रदान किये जाते हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगाई) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने 102 केन्द्रों में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन के साथ (12.4.1991 को) और परिवहन तथा गोदी कर्मचारी यूनियन, बम्बई के साथ (7.5.1991 को) एक करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि मजदूरों की नियुक्ति ठेकेदारों द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्य के आधार पर की जाती है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों के साथ हुए अपने करार में निम्नलिखित लाभों का प्रावधान किया गया है:—

(1) दुर्घटना अथवा चोट के लिए मुआवजा।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार भविष्य निधि के प्रति अंशदान।

(3) कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के बारे में राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा बनाये गये श्रम विनियम कानूनों का अनुपालन।

(4) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित न्यूनतम वेतन का भुगतान।

(5) साप्ताहिक छुट्टी।

(6) उपस्थिति भत्ता।

(7) केन्टीन विश्राम गृह शौचालय, धुलाई सुविधाओं और प्राथमिक उपचार व्यवस्था आदि जैसी स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी सुविधाएं।

यदि ठेकेदार इन लाभों को मुहैया करने में असफल रहते हैं तो उस दशा में प्रमुख नियोक्ता के रूप में भारतीय खाद्य निगम को इन्हें तथा ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन अधिनियम) 1970 में दिए गए विभिन्न अन्य प्रावधानों तथा इसी प्रकार के लागू अन्य कल्याण संबंधी कानूनों का ठेकेदारों द्वारा अनुपालन करवाना सुनिश्चित करना होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घटिया गेहूं

[हिन्दी]

6641. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मन्त्री 21 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3816 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह पता लगाने के बावजूद कि गेहूं घटिया किस्म का है, उसे जब्लाई करने के क्या कारण हैं;

(ख) इससे होने वाले वित्तीय घाटे के लिए जिम्मेवार लोगों के क्या नाम हैं;

(ग) देश भर में मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गेहूं का राज्यवार, मात्रावार, मूल्यवार और गोदामवार ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)।

(क) और (ख) उचित दर दुकान को खेप दिये जाने के बाद गेहूं की 81 क्विंटल मात्रा में से घटिया क्वालिटी के 2 बोरों के बारे में शिकायत दिल्ली प्रशासन की जानकारी में आई थी। सम्बन्धित उचित दर दुकान चलाने वाले ने गेहूं की खराब क्वालिटी की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। तथापि, इन 2 बोरों में से गेहूं की कोई आपूर्ति उपभोक्ताओं को नहीं की गई।

(ग) और (घ) एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनमें मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त गेहूं की 31.7.91 को क्षेत्रवार स्टाक की स्थिति दिखाई गई हैं। इन स्टाकों का निपटान भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक के मवेशी/कुक्कुट आहार या खाद के रूप में उपयोग आदि के लिए उपयुक्त होने के आधार पर अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

विवरण

खराब/मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गेहूं के स्टाक की 31.7.91 को क्षेत्रवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण (मी. टन)

क्रम सं.	क्षेत्र	खराब गेहूं	"घ" श्रेणी से निम्न गेहूं
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	1628	2920
2.	बिहार	4638	17885
3.	उड़ीसा	385	5135
4.	कलकत्ता (पी. ओ.)	1851	25335
5.	असम	153	1036
6.	एन. ई. एफ. राज्य	4	45
7.	दिल्ली	36	—
8.	पंजाब	121	675
9.	हरियाणा	17	—
10.	राजस्थान	157	—
11.	उत्तर प्रदेश	2530	2829
12.	हिमाचल प्रदेश	—	—
13.	जम्मू व कश्मीर	428 (अनंतिम)	500
14.	तमिलनाडु	35	—
15.	आन्ध्र प्रदेश	60	—

1	2	3	4
16.	कर्नाटक	5	—
17.	केरल	76	—
18.	मद्रास	—	—
19.	विजाग	10	—
20.	महाराष्ट्र	223	—
21.	गुजरात	104	—
22.	मध्य प्रदेश	396	22
23.	कांडला (पी ओ.)	49	—

पश्चिमी भारत में महासार विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना

[अनुवाद]

6642. श्री प्रताप राव. बी. भोंसले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पश्चिमी भारत में महासागर विकास के लिए कुछ कार्यक्रम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार पश्चिमी भारत में महासागर विकास के लिए कुछ और कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)। (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) महासागर विकास विभाग के पिछले एवं वर्तमान, दोनों में पश्चिम भारत के समुद्र सहित, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में हुई प्रगति निम्नलिखित हैं :—

सजीव और निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण

दो अनुसंधान जलयान-सागर कन्या एवं सागर सम्पदा ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, समुद्र वैज्ञानिक पैरामीटरों एवं जैवमात्रा वितरण का कार्य करते हुए 65वीं समुद्री यात्रा पूरी कर ली है।

तरंग ऊर्जा

भारत के पश्चिमी तट त्रिवेन्द्रम में 150 किलोवाट की एक प्रायोगिक तरंग ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का अधिष्ठापन पूर्ण होने के अन्तिम चरण में है।

(3) समुद्री पर्यावरण की मॉनिटरिंग एवं मॉडलिंग

"तटीय समुद्र मानिटरिंग एवं प्रागुक्ती प्रणाली" (सी. ओ. डी. ए. पी. एस)" कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के पश्चिमी तट पर प्रदूषण आंकड़ा एकत्र करने, बहु संस्थात्मक कार्यक्रम का विश्लेषण एवं कार्यान्वयन करने के लिए समुद्री पर्यावरण की मॉडलिंग एवं मानिटरिंग को स्थापित किया गया है।

(4) राष्ट्रीय समुद्र सूचना प्रणाली

केन्द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन. आई. ओ.) गोवा एवं पश्चिमी तट पर केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सी एम. एफ. आर. आई) कोचीन सहित 12 समुद्री आंकड़ा केन्द्रों के माध्यम से एक राष्ट्रीय समुद्र सूचना प्रणाली प्रचालित करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

(5) समुद्री सुदूर संवेदन सूचना सेवा

राष्ट्रीय समुद्री सुदूर संवेदन सूचना सेवा (एम ए आर एस आई एस) को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र अहमदाबाद, एन. आई. ओ. गोवा एवं पश्चिम तट पर सी. एम. एफ. आर. आई, कोचीन सहित पांच केन्द्रों में मछुआरों के लाभ के लिए सम्भावित मत्स्य क्षेत्र सहित समुद्र आंकड़ा के प्रसार/प्रचार के लिए प्रचालित करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

(6) समुद्र स्तर विभिन्नता की मॉनिटरिंग एवं मॉडलिंग

समुद्र सतह को सही ढंग से मापने के लिए एवं आंकड़ा ज्वार प्रमापी 1991 में विकसित किया गया है। भारतीय तट रेखा के अन्य भागों में 10 और स्थानों के अतिरिक्त मरम गोवा एवं मुम्बई के पश्चिमी तट पर दो आधुनिक ज्वार प्रमापी स्टेशनों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी हां श्रीमान।

(घ) नये कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाएंगे जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

चावलों पर लेवी

[हिन्दी]

6643. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में चावल के व्यापारियों पर लेवी लगाने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों का पालन न करने वाले राज्यों के क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार चावल के व्यापारियों पर लेवी लगाने के केन्द्र के आदेश का पालन कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इससे मध्य प्रदेश में लेवी की वसूली पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से लेवी आदेश लागू कर चावल पर लेवी लगा दी है।

(ख) बिहार ने लेवी आदेश जारी नहीं किए हैं। राज्य सरकार ने ऐसा न करने के कारणों से सूचित नहीं किया है। तथापि, बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी विपणन मौसम के लिए लेवी लगा दें।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलांजी केन्द्र

[अनुवाद]

6644. श्री ई. अहमद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलेक्ट्रानिक डिजाइन एण्ड टेक्नोलांजी के कितने केन्द्र हैं;

(ख) इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी कालीकट (केरल) के लिए यू. एन. डी. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रक्रिया नियंत्रण और उपकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी केन्द्र, कालीकट को पूरा करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा यह केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)। (क) देश में सात इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं।

(ख) और (ग) कालीकट स्थित इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जरिए भी सहायता उपलब्ध है, को प्रक्रिया नियंत्रण तथा यंत्रीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस केन्द्र के लिए भवन तैयार है तथा कुछ स्टाफ की भर्ती भी कर ली गई है। विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं की स्थापना की दिशा में कार्रवाई आरम्भ की गई है। प्रक्रिया नियंत्रण तथा यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या से संबंधित ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

यह आशा की जाती है कि यह केन्द्र प्रक्रिया नियंत्रण तथा यंत्रीकरण के क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को वर्ष 1992 की पहली तिमाही से आरम्भ कर देगा।

हारमोनियम पर प्रतिबन्ध

6645. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने "सोलो-हारमोनियम" पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस तारीख से प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) क्या प्रख्यात संगीतकारों, गायकों आदि ने प्रतिबंध समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : जी, हां।

(ख) प्रतिष्ठित संगीत शास्त्रियों से परामर्श करने के पश्चात् आकाशवाणी ने सोलो हारमोनियम पर रोक लगा दी क्योंकि अपेक्षित स्वर श्रुति और मींड तैयार करने की इस उपकरण की क्षमता सीमित है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए अनिवार्य हैं। सोलो हारमोनियम पर 1 मार्च, 1940 से रोक लगा दी गयी थी।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर सावधानी पूर्वक विचार करते हुए, इस रोक को न हटाने का निर्णय लिया गया था।

बंगलौर में प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक आदि

6646. **प्रो. के. वेंकटगिरि गौड़ा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में कितने दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं;

(ख) कितने समाचार पत्रों ने अपनी आवधिकता बदल दी है;

(ग) कितने समाचार पत्रों को 1989-90 और 1990-91 के दौरान उनके अखबारी कागज के कोटे से वंचित कर दिया गया; और

(घ) अखबारी कागज में कालेबाजारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) 31.12.1989 की स्थिति के अनुसार, बंगलौर से 91 दैनिक, 190 साप्ताहिक, 172 पाक्षिक तथा 393 मासिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो रहे थे।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1989 के दौरान दो समाचारपत्रों ने अपनी आवधिकता बदली है।

(ग)	1989-90	2
	1990-91	14

(घ) समाचारपत्रों को अखबारी कागज की जांच करने तथा अन्य गैर-कानूनी क्षेत्रों में अखबारी कागज की खपत को कम से कम करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। यह उद्देश्य, अखबारी कागज आबंटन नीति में समय-समय पर संशोधन करके तथा अखबारी कागज का कोटा उठाने तथा उसकी खपत की मानिटरिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुदान देना

[हिन्दी]

6647. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान किये गये;

(ख) कितने व्यक्तियों, परिवारों और संस्थाओं को ऋण दिए गए हैं;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति, परिवार और संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों से हैं;

(घ) क्या दोनों उक्त एजेंसियों को ब्लाक स्तर पर ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार द्वारा अपनी जीविका अर्जित करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रशिक्षण स्थलों तथा योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई अनुदान और ऋण की कुल राशि नीचे दी गई है जिसमें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गई राशि भी शामिल है :—

राशि (रु. लाख में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1987-88	157.58	16.24
1988-89	191.58	33.93
1989-90	197.56	61.22

(ख) 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 5760 व्यक्तियों/परिवारों, 15 पंजीकृत संस्थानों और 2 सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 14 सीधे सहायता पाने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता दी।

(ग) उत्पादन करने वाले एकक ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

(घ) और (ङ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक प्रशिक्षण केन्द्र गांधी दर्शन राजघाट, नई दिल्ली में है जो ग्रामोद्योग में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देता है।

पामोलीन की आपूर्ति बंद करना

[अनुवाद]

6648. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले चार महीनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्य तेलों, विशेषकर पामोलीन की आपूर्ति बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने हेतु खाद्य तेलों का आयात करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार खाद्य तेलों के आयात के वास्ते विभिन्न सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को ग्रामीण विकास योजनाओं में बदलना

[हिन्दी]

6649. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सभी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को ग्रामीण विकास योजनाओं में बदलने की सलाह दी है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम अथवा पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह भी सलाह दी है कि इन योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि सम्बन्धित राज्य सरकार को दे दी जाये;

(ग) क्या स्थानीय संस्थायें इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थानीय संस्थाओं को इन योजनाओं को क्रियान्वित करने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) और (ख) मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से की जा रही है ताकि इन स्कीमों को अन्य स्कीमों से अलग किया जा सके कि कौन सी स्कीमें केन्द्रीय प्रायोजित रहनी चाहिए और कौन सी स्कीमों को राज्य/स्थानीय स्तर पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) इस समय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों, तथा/अथवा जिला परिषदों और पन्चायतों के द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। तथापि, पंचायती राज निकायों को सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु, एक संविधान संशोधन विधेयक शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र के वर्धा जिले का उद्योगीकरण

[अनुवाद]

6650. **श्री आर. एम. घंगारे :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा जिला महाराष्ट्र के औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में से एक है ;

(ख) क्या वर्ष 1987 के आसपास इसके औद्योगिक विकास हेतु इसे "गांधी जिला" घोषित किया गया था और इस प्रयोजनार्थ 144 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस गांधी जिला योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे किस सीमा तक लागू किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार गांधीवादी सिद्धान्तों पर आधारित "वर्धा जिला योजना" के नाम से एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के लिए 7वीं योजना में 17 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) ग्राम आत्म-निर्भरता, श्रम प्रोत्साहन कृषि पर आधारित उद्योग तथा नान-लैण्ड बेस्ट एम्पलायमेंट।

(ii) यह संरचना विनोबा जी के पंच शक्तियों के कथन पर आधारित है।

(iii) इस योजना में गांधीवादी सिद्धान्तों पर आधारित स्कीमें शामिल हैं लेकिन ये नियमित जिला योजनाओं का भाग नहीं हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी रहित हैं।

(V) शुरू की गई स्कीमें ग्राम आत्म-निर्भरता आदर्शों की सहयोगी हैं, जो ग्रामीण पुनःनिर्माण के गांधीवादी दृष्टिकोण के अनिवार्य भाग हैं। फसल कृषि कार्य, बागवानी, पशु-पालन, डेरी विकास, वन सिंचाई इत्यादि जैसी विभिन्न परियोजनाओं हेतु 1986-90 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 608.26 लाख रु. का संचयी खर्च किया गया है।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

6652. श्री दाऊदयाल जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को निर्यातोन्मुख उद्योगों की स्थापना करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ; और

(ख) इस समय राजस्थान में, विशेष रूप से हाड़ोती क्षेत्र की महिला उद्यमियों की संख्या कितनी है और उनका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो पी जे. कुरियन) : (क) निर्यातोन्मुख एककों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन जैसे भूमि आबंटन, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहन आदि महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित निर्यातोन्मुख एककों के लिए भी उपलब्ध है।

(ख) इस प्रकार के एककों के ब्योरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास

6653. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन रेगिस्तानी क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिये मरुभूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। किसी अन्य नई योजना को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मरुभूमि विकास कार्यक्रम को 11 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 208.750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया है। 1991-92 के दौरान राजस्थान में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 38 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

मुद्रित मूल्यों पर स्थानीय कर

6654. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में उपभोक्ताओं की पैकिंगों पर मुद्रित "स्थानीय कर अतिरिक्त" के नाम से अधिकतम फुटकर मूल्यों पर 10 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर देना पड़ रहा है जबकि भार और माप नियम, 1977 में संशोधन करके मई, 1990 की भारत सरकार

की अधिसूचना में नवम्बर, 1990 के बाद इस प्रकार के अतिरिक्त करों पर रोक लगा दी गयी है; और

(ख) सरकार का दोषी डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायतें केन्द्रीय सरकार को नहीं मिली हैं। तथापि, बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उल्लंघन के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा, जो इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार हैं, चूक कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। उन्हें समय-समय पर इन नियमों को कड़ाई से लागू करने की सलाह दी जाती है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा नये माडल का विकास

6655. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड एक नये माडल का विकास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस माडल को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ;

(ग) क्या यह माडल केवल अन्य देशों के लिए ही विकसित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) सुजुकी एक कार के एक नये माडल का विकास कर रही है जिसका निर्माण भारत में मारुति द्वारा किया जाएगा।

(ख) इस नये माडल का निर्माण 1993 के पूर्वार्द्ध में किये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) यद्यपि, यह नया माडल मूलरूप से निर्यात के लिए है, तथापि यह अन्तर-देशीय मार्केट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

धारावाहिकों की लोकप्रियता के आकलन की प्रणाली

6656. **सुशील चंद्र वर्मा** :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले धारावाहिकों की लोकप्रियता का आकलन करने की कोई प्रणाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। धारावाहिकों सहित कार्यक्रमों पर दर्शकों की संख्या और कार्यक्रमों के स्तर के आकलन पर निरन्तर फीड बैक देने के लिए दूरदर्शन ने फिलहाल देश के 15 दूरदर्शन केन्द्रों पर मासिक पैनल गठित किए हैं। प्रत्येक चुने हुए दर्शक की प्रतिक्रिया/टिप्पणियां, कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा दर्शकों के पत्रों और उनके सुझावों

को भी धारावाहिक की लोकप्रियता के आकलन के लिए ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ निजी एजेन्सियां भी धारावाहिकों की लोकप्रियता का आकलन करती हैं।

मूक और बधिरों के लिये समाचार बुलेटिन का दूरदर्शन पर प्रसारण

6657. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंग्रेजी न जानने वाले मूक और बधिरों के लाभ के लिए दूरदर्शन पर हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिन का प्रसारण करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रसारण समय और साधनों की संगी कारण फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश के राय बरेली तथा सुल्तानपुर जिलों में उद्योग

[हिन्दी]

6658. **आचार्य विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा इसके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दी गई सहायता से उत्तर प्रदेश के राय बरेली तथा सुल्तानपुर जिलों में स्थापित किये हुए उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन उद्योगों की स्थापना का क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के राय बरेली एवं सुल्तानपुर जिले में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई औद्योगिक एकक स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने हेतु पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय समग्र संतुलित क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत परियोजनाएं

[अनुवाद]

6659. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत कुछ परियोजनाएं

योजना आयोग के पास स्वीकृति तथा 1991-92 के लिये राज्य के योजना बजट से अतिरिक्त धन-राशि का नियतन करने के लिए प्रस्तुत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने तथा धनराशि का नियतन करने के लिये योजना आयोग ने क्या कदम उठाये है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में अमोनिया और यूरिया उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

6660. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र ने उड़ीसा में अमोनिया और यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है और यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कब से लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन संयंत्रों की क्षमता और रोजगार देने की क्षमता कितनी है तथा इन संयंत्रों की स्थापना हेतु चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) मैसर्स सैन्चूरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि. से केवल एक आवेदन पत्र 28 मई, 1986 को प्राप्त हुआ था जो पारादीप उड़ीसा में फीड स्टाक के रूप में नेफथा पर आधारित 900 टन प्रतिदिन अमोनिया तथा 1500 टन प्रतिदिन यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए था । यह मामला सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ फीड स्टाक की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण 24 जून, 1991 को नामंजूर कर दिया गया था । नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसे एकक के लिए अब औद्योगिक लाइसेंस लेने की शर्त लागू नहीं होती ।

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्र

6661. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ स्लैग सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों के 1991-92 के दौरान कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी जे कुरियन) । (क) मैं. उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड ने उड़ीसा के राजगंगपुर में अपनी विद्यमान फैक्ट्री में स्लैग सीमेंट के विनिर्माण हेतु अपनी क्षमता को बढ़ाकर 2.75 लाख मी. टन करने के लिए आवेदन किया था । मैं. इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि. ने उड़ीसा के जिला संबलपुर, बादगढ़ स्थित अपने विद्यमान एकक में अतिरिक्त 3 लाख मी. टन प्रति वर्ष स्लैग सीमेंट का उत्पादन करने सहित पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण हेतु आधुनिकीकरण-सह विस्तार योजना के वास्ते अनुमोदन मांगा था। दोनों मामलों में आशय-पत्र स्वीकृत कर दिये गए हैं ।

नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, नई सीमेंट परियोजनाएं स्थापित करने अथवा उनके पर्याप्त विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रस्तावों के आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ।

केरल में एग्रो फ्रूटस प्रोडक्ट सैंटर का अधिग्रहण

6662. **श्री कोडुकुनील सुरेश :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल में पुनालूर से केरल एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के एक प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण एकक, एग्रो फ्रूट्स प्रोडक्ट सैंटर का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल की पेयजल योजनाएं

6663. **श्री टी जे. अन्जलोज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपनी कुल पेयजल योजनाएं केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) प्रत्येक योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है, और

(घ) इन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री (उत्तममाई एच. पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 1000 बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना भेजी है।

(ग) योजना की अनुमानित लागत 3.11 करोड़ रुपये है।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के रूप में वहन की जाने वाली अनुमोदित लागत के 50 प्रतिशत के बराबर निधियों की पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपये की राशि रिलीज कर दी गई है।

केरल में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के केन्द्र खोलना

6664. श्री टी. जे. अंजलोज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के अलग अलग परीक्षा केन्द्र कहां कहां है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के कुछ और परीक्षा केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्र किस-किस स्थान पर खोले जायेंगे ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमति मारग्रेट अल्वा) :

(क) इस समय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए केरल में कर्मचारी चयन आयोग के साथ परीक्षा केन्द्र है जो कालीकट, कोचीन, कोट्टायम, त्रिवेन्द्रम, केनानोर, त्रिचूर तथा एर्नाकुलम में है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

केरल में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही जनसंख्या

6665. श्री टी. जे. अंजलोज :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सर्वेक्षण के अनुसार केरल में गरीबी की रेखा से नीचे कितनी प्रतिशत जनसंख्या जीवनयापन कर रही है;

(ख) क्या उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार केरल राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्रमशः 16.4 तथा 19.3 होने का अनुमान है।

(ख) केरल राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए चार केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें तथा एक राज्य क्षेत्रक स्कीम पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है—

केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

(I) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी) जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार मुहैय्या कराती है।

(II) जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.) जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार मुहैय्या कराती है।

(III) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (एम. ई. पी. यू. पी)

(IV) नेहरू रोजगार योजना (एन. आर. वाई) जो शहरी क्षेत्रों में स्व तथा मजदूरी पर रोजगार मुहैय्या कराती है।

राज्य क्षेत्रक स्कीम

ग्रामीण बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम तथापि, गरीबी उन्मूलन के लिए किसी नए कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस क्लब त्रिवेन्द्रम

6666. श्री टी. जे. अंजलोज :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में त्रिवेन्द्रम प्रेस क्लब के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई विशेष निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) मन्त्रालय को प्रेस क्लब, त्रिवेन्द्रम से सबद्ध पत्रकारिता संस्थान के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। प्रेस क्लब में कहा गया है कि मंत्रालय को वह सम्बद्ध सूचना/दस्तावेजों सहित नियमानुसार औपचारिक आवेदन भेजें जिससे वित्तीय सहायता के उपयोग का प्रयोजन स्पष्ट रूप से बताया गया हो।

उपभोक्ता संरक्षण मंच

6667. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य स्तर पर) और उपभोक्ता विवाद निवारण मंच (जिला स्तर पर) स्थापित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन पर होती है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में स्थापित की गई उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का ब्यौरा क्या है और आज की तारीख में किस-किस स्थान पर कार्य कर रहे हैं, उनके पते क्या हैं और अब तक इन्होंने किस किस्म के मामलों/शिकायतों का निपटान किया है और जुलाई 1991 तक इनमें से प्रत्येक के पास कितने मामले लम्बित थे ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने 9.10.87 को दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की थी जिसमें 72 सदस्य हैं। अब तक इसकी 7 बैठकें हो चुकी हैं।

दिल्ली राज्य आयोग ने 9.11.89 से कमरा सं. 2-3, पुराना नागरिक आपूर्ति भवन, तीस हजारी कोर्ट परिसर, दिल्ली में कार्य करना शुरु कर दिया है। जुलाई, 1991 तक 279 अपीलें और 3-8 मामले राज्य आयोग में दायर किए गए थे जिनमें से क्रमश: 276 अपीलों और 197 मामलों का निपटान किया जा चुका है।

दिल्ली जिला मंच 6.10.1988 से कमरा सं. 158, प्रथम तल, पश्चिमी खंड, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली में कार्य कर रहा है। इस जिला मंच में जुलाई, 1991 तक 5522 मामले दायर किए गए थे जिनमें से 3431 मामलों का निपटान किया जा चुका है। दिल्ली में दूसरा जिला मंच 30.8.1991 को स्थापित किया गया है जिसको अन्तर्राज्यीय बस अड्डा परिसर में कार्य आरम्भ करने की आशा है.

राज्य आयोग और जिला मंचों में खराब सामान दोषपूर्ण सेवाओं और जिन अनुचित व्यापार पद्धतियों से हानि-या क्षति होती है, उनके बारे में उपभोक्ताओं, पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन आदि द्वारा की गई लिखित शिकायतों पर विचार किया जाता है।

केरल में पेट्रो रसायन उद्योग

6668. श्री कोट्टीकुलील सुरेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन रिफायनरी लिमिटेड के उत्पादों का उपयोग करने वाले पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रस्तावित डाउन स्ट्रीम उद्योगों का ब्यौरा क्या है,

(ग) देश में विशेष रूप से केरल में, उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) कोचीन रिफाइनरी लि. के उत्पादनों का उपयोग करके पेट्रोरसायन उद्योगों को लगाने/विस्तार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से हाल ही में जो प्रस्ताव प्राप्त हुये थे वे निम्न प्रकार हैं—

1. मैं. बामेर लारी एंड कम्पनी लि. कोचीन में 18.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5000 टीपीए का पालीबुटीन प्लांट स्थापित कर रही है.

2. मैं. बामेर लारी एंड कम्पनी ने कोचीन में प्रापिलीन ट्रिमर/टेट्रामर के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए भी आवेदन किया है।

3. कोचीन रिफाइनरीज लि. से भी लगभग 291.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बेंजीन उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 67,200 मी. टन से बढ़कर 2,10,000 मी. टन प्रतिवर्ष से अधिक करने के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :

इन प्रस्तावों पर तकनीकी-आर्थिक आधार योजना निधियों की उपलब्धता और निवेश स्वीकृति के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

6669. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में बिहार के रांची जिले में तथा राज्यवार आदिवासी और सूखा प्रवण क्षेत्रों में रह रहे उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें सरकार से पचास प्रतिशत की राज सहायता प्राप्त हुई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग ही 50% सबसिडी पाने के पात्र थे चाहे वे आदिवासी क्षेत्र में रहते हों अथवा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अथवा किसी अन्य क्षेत्र में रहते हों।

रांची जिले में तथा राज्यवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान 50% सबसिडी पाने वाले लाभार्थियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	101350	31485
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	8423
3.	असम	5227	11263
4.	बिहार	131803	67315
5.	गोवा	20	शून्य
6.	गुजरात	10922	27549
7.	हरियाणा	14551	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	8066	1691
9.	जम्मू व कश्मीर	2225	शून्य
10.	कर्नाटक	41276	4249
11.	केरल	27860	2478
12.	मध्य प्रदेश	79597	116367
13.	महाराष्ट्र	57889	37921
14.	मणिपुर	72	2227
15.	मेघालय	3	3131
16.	मिजोरम	शून्य	3366
17.	नागालैंड	शून्य	4429
18.	उड़ीसा	36541	38277
19.	पंजाब	18198	शून्य
20.	राजस्थान	40674	27783
21.	सिक्किम	86	402

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	88846	3911
23.	त्रिपुरा	1727	4112
24.	उत्तर प्रदेश	272106	3123
25.	पश्चिम बंगाल	82237	13337
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	396
27.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	7	299
29.	दिल्ली	600	शून्य
30.	दमन व दीव	12	131
31.	लक्षद्वीप	शून्य	139
32.	पांडिचेरी	635	शून्य
योग		1022531	424504
	रांची जिला	2101	10561

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के कर्मचारी

670. श्री अनादि चरण दास :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 और 31 जुलाई 1991 को पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड पारादीप, उड़ीसा में विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी तथा इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) 1 अप्रैल, 1989 और 31 जुलाई, 1991 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित बकाया चले आ रहे पदों की कुल संख्या कितनी है तथा आरक्षित पदों के इस प्रकार भारी संख्या में बकाया चले आने के क्या कारण हैं,

(ग) कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/6/88 एस्टैब. (एस. सी. टी.) दिनांक 26 अप्रैल, 1989 में अन्तर्निहित अनुदेश के अनुसार बकाया पदों को भरने के लिये कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान किन्हीं पदों को अनारक्षित घोषित किया गया तथा इन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिता मोहन) : (क) से (ग)अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरणपत्र संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भाग (क) 1-4-89 और 31-7-1991 को पारादीप फास्फेटस लि. (पी. पी. एल.) में श्रेणी वार कर्मचारियों की कुल संख्या और उसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

श्रेणी	1.4.89 को			31.7.1991 को		
	कर्मचारियों की कुल सं.	अ. जा.	अ. जन. जा.	कर्मचारियों की कुल सं.	अ. जा.	अ. ज. जा.
क	103	3	—	125	3	—
ख	188	2	2	267	10	3
ग	287	20	3	359	35	7
घ	116	12	—	127	22	—

भाग (ख) 1.4.89 और 31.7.91 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया चले आ रहे कुल पदों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

श्रेणी	1.4.89 को		31.7.1991 को	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
क	12	7	13	9
ख	26	12	29	17
ग	23	63	18	85
घ	—	26	—	29

उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पदों को नहीं भरा जा सका।

भाग (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाये चले आ रहे

लिखित उत्तर

पदों को भरने के लिए नियायती मानदण्डों पर विशेष भर्ती अभियान भी चलाया गया था। केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए अनेक विज्ञापन भी जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त नियमित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के प्रशिक्षुओं का चयन करने के लिये भी विज्ञापन जारी किये गये थे।

केरल में अमोनिया संयंत्र

6671. **श्री कोइडीकुनील सुरेश :**

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को अमोनिया संयंत्र को उसके वर्तमान स्थान कोचीन से हटाकर कहीं और लगाने तथा उद्योग मंडल, केरल में एक नया अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का कोई आश्वासन दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके प्रति वर्ष कितना अमोनिया का उत्पादन करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथापि, फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. ने कोचीन, उद्योगमण्डल में 900 टन प्रतिदिन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अमोनिया का वार्षिक उत्पादन 2.97 लाख टन होगा। परियोजना के कार्यान्वित होने पर फैक्ट को अमोनिया के आयात की और आवश्यकता नहीं होगी और परिणामस्वरूप कोचीन पत्तन पर अमोनिया उतराई और भण्डारण प्रतिस्थापन को बन्द किया जा सकता है।

औषध निर्माताओं की मांगे

6672. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग मेनुफेक्चर्स एसोसिएशनस तथा आर्गनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूसर्स ऑफ इण्डिया ने यह मांग की है कि देश में दवाइयों पर से मूल्य नियंत्रण समाप्त कर लिया जाना चाहिये,

(ख) यदि हां, तो इण्डियन ड्रग मेनुफेक्चर्स एसोसियशन तथा आर्गनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इण्डिया ने और क्या-क्या सुझाव दिए हैं, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की या करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) महोदय, इण्डियन ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (इडया) और भारतीय भेषज उत्पादक संघ

(ओपीपीआई) ने उत्पादवार मूल्य नियंत्रण को समाप्त करने और उचित मूल्य स्तरों को निर्धारित करने में बाजार शक्तियों और प्रतियोगिता की अपनी भूमिका निभाने देने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी सुझाया है कि यदि यह संभव न हो तो पूरी तरह प्रतियोगिता पर आधारित मूल्य नियंत्रण से बाहर निकालने के मानदण्डों को अपनाया जाए और उन औषधों के लिए जो तब भी मूल्य नियंत्रण में रहेंगी, स्वतः मूल्य संशोधन सूत्र लागू किया जाए।

(ग) इस समय औषध नीति की मूल्य नियंत्रण प्रणाली सहित इसके सभी पहलुओं को लेकर पुनरीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग

(हिन्दी)

6873. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं;

(ख) इन लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कार्यान्वयनाधीन विभिन्न योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इसके पिछड़ेपन को देखते हुए उड़ीसा में कुछ और अधिक योजनायें कार्यान्वित करने का केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 1987-88 के सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या क्रमशः 124.2 लाख तथा 10.9 लाख है।

(ख) उड़ीसा राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए चार केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें तथा एक राज्य क्षेत्रक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। ये है :—

केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान करता है।

(ii) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) ग्रामीण क्षेत्रों में दिहाड़ी पर रोजगार मुहैया कराती है।

(iii) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्रक)

(iv) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) जो शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा दिहाड़ी रोजगार प्रदान करती है।

राज्य क्षेत्रक स्कीम

ग्रामीण गरीबों का आर्थिक पुनर्वास (ई आर आर पी)

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाली विधियां

[अनुवाद]

6674. श्री मुकुल वासनिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने उद्योगों को पचास विधियां जारी की हैं जिसमें से केवल नौ को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए काम में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान के अन्तर्गत रीजनल सॉफिस्टीकेटेड इस्ट्रूमेंट सेन्टर और नेशनल इन्फारमेशन सेन्टर और ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स में कीमती उपकरण बेकार पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) उद्योग को विमोचित किए गए और उत्पादन में सूचित किए गए प्रक्रमों का ब्योरा संलग्न विवरण-I और विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) रीजनल सोफिस्टिकेटेड सेंटर (आर एस आइ सी) में कुछ कीमती उपकरण आपूर्तिकर्त्ता के सर्विस इंजीनियर और अतिरिक्त कलपुर्जे (स्पेअर-पार्ट्स) उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय से बेकार पड़े थे। नेशनल इन्फारमेशन सेन्टर फॉर ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स (एन आइ सी डी ए पी) में एक संगणक प्रणाली (कम्प्यूटर सिस्टम) है जो पुरानी हो गयी है और इसके निर्माता ने ऐसे सिस्टम और उसके अतिरिक्त कलपुर्जों का उत्पादन बन्द कर दिया है।

(ङ) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सी डी आर आइ) के कार्यक्रमों और गतिविधियों की, इसकी अनुसंधान परिषद (आर सी) द्वारा सतत् समीक्षा (पियर रिव्यू) की जाती है जिसमें (आर सी) उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान संगठनों के विशेषज्ञ होते है।

विवरण-1

उद्योगों को विमोचित किए गए प्रक्रम

क्र. सं.	प्रक्रम
1.	एडरीनोक्रोम मोनोसेमीकारबजोन
2.	एनटरीपटीलाईन हाईड्रोक्लोराईड
3.	एम्पीसिलिन
4.	ब्यूमैटामाईड
5.	केल्शियम लैब्यूलाईनेट
6.	सैटब्यूक्रीडिन
7.	सैटब्यूटीनड्रोल
8.	सैटीमाईजोन
9.	सरवाईकल फाईलेटर
10.	क्लोफाजीमिन
11.	क्लोनीडिन
12.	साईक्लोफोसफामाईड
13.	साईप्रोहैप्टाडिन
14.	सैटोक्रोमन
15.	डी-2 अमीनोब्यूटानोल
16.	डी-प्रोपाक्सीफिन हाईड्रोक्लोराईड
17.	डापसोन
18.	डेक्सामफेटामिन
19.	डिलोक्सानाईड फूमोएट
20.	डिमैथाईल बैंजीमाईडाजोल
21.	एथाक्रीडाईन लैक्टेट
22.	फयूराजोलाईडिन
23.	फयूरोइक एसिड
24.	गुग्लीपिड
25.	इब्यूप्रोफेन

26.	इंडोमैथासिन
27.	डाईगनोस्टिक किट्स फॉर फिलारियासिस
28.	एल-डोफा
29.	एल-एफेड्रिन
30.	लीडेमीडीन
31.	लीडोकेन
32.	मैथाक्विटामिन
33.	मिथाईलपिपरेजिन
34.	मैटोल
35.	नाईट्रोफ्यूरानटोइन
36.	नाईट्रोफ्यूराजोन
37.	पी-अमीनोफेनोल
38.	पैरासिटामोल
39.	पैप्सीन
40.	मीटएक्सट्रेक्ट से पैपटोन
41.	पोलीमिक्सीन
42.	प्रोलीडोक्सीम आयोडाईड
43.	प्राईमाक्वीन
44.	सोरोलोन
45.	पाईरिथिओक्सीन
46.	सल्फामैथोक्साजोल
47.	सल्फाडोक्सीन
48.	टैमोक्सीफिन साईटरेट
49.	थिएसेटाजोन
50.	ट्रिमेथ्रोप्रिम

विवरण-2

उत्पादन में सूचित किए गए प्रक्रम

क्र. सं.	प्रक्रम
1.	सरवाईकल डाईलेटर

2. क्लोफाजोमिन
3. डी-2 अमीनोब्यूटानोल
4. पाईरोथिओक्सीन
5. पैरासिटामोल
6. मिथाईलपिपरेजिन
7. एल-एफेड्रीन
8. इब्यूप्रोफेन
9. गुग्लीपिड
10. डी-प्रोपोक्सीफिन हाईड्रोक्लोराईड
11. डिमैथाईल बैंजोमोडाजोल

राकहार्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

6675. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकहार्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. ने अगले महीने से उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इस पेट्रोकेमिकल्स संयंत्र पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है, और

(ग) इस संयंत्र की क्षमता का किस सीमा तक उपयोग होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) कंपनी ने जुलाई, 1991 में सूचित किया था कि वे सितम्बर, 1991 तक फोरमेल्डिाइड, हेक्सामाइन और एमईजी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देंगे ।

(ख) और (ग) कम्पनी द्वारा अपने औद्योगिक लाइसेंस आवेदन में 10,000 टन प्रति वर्ष फारमेल्डिहाइड, 750 टन प्रति वर्ष हेक्सामाइन और 220 टन प्रतिवर्ष एमईजी (एक उपोत्पाद) के विनिर्माण के लिए संयंत्र की भूमि, भवन और मशीनों की अनुमानित लागत 178.45 लाख रुपए दिखायी गयी थी ।

फल उत्पादों का निर्यात

6676. श्री सुधीर सावंत :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई स्थान बनाया है;

(ख) यदि हां, तो कुल निर्यात में से फल उत्पादों पर आधारित निर्यात कितने प्रतिशत रहा है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात को और अधिक प्रतियोगितात्मक बनाने के लिए देश में अनुसंधान की कोई सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मामले में भारत का निर्यात बढ़ रहा है परन्तु कुल विश्व निर्यात में इसका हिस्सा नगण्य है।

(ख) भारत से होने वाले कुल निर्यात में फल उत्पादों का निर्यात 1 प्रतिशत से भी कम है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों के उत्पादों के भारतीय निर्यात को गुणवत्ता एवं मूल्यों के संदर्भ में प्रतियोगी बनाने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), भारतीय पैकिंग संस्थान और दूसरे अनुसंधान संगठन तैयार उत्पादों की बेहतर क्वालिटी और पैकिंग हेतु लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। जापान, जर्मनी और खाड़ी के देशों में आयोजित विशेष व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के अलावा कीमतों को प्रतियोगी बनाने के लिए अपेडा और व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा अनेक बिक्री सह-विपणन शिष्ट मण्डल भी भेजे गये हैं। विभिन्न देशों विशेषकर सुदूर पूर्व में आपूर्ति-कर्त्ताओं द्वारा निर्धारित विद्यमान मूल्यों के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए इन बाजार सर्वेक्षणों और बिक्री सह-विपणन मिशनों से उद्योग एवं व्यापार को फायदा पहुंचा है।

शिवाजी पर दूरदर्शन सीरियल

6677. श्री सुधीर सावंत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने शिवाजी के जीवन पर आधारित किसी दूरदर्शन का वित्तपोषण किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय इतिहास पर आधारित किसी सीरियल का प्रसारण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विगत में, भारतीय इतिहास के विभिन्न विषयों या महत्वपूर्ण हस्तियों के जीवन चरित्र के आधार पर दूरदर्शन ने कई कार्यक्रम/धारावाहिक प्रसारित किए हैं। यद्यपि, वर्तमान में भारतीय इतिहास पर कालानुक्रम के अनुसार, धारावाहिक प्रसारित करने का कोई

प्रस्ताव नहीं है, तथापि, भारतीय इतिहास पर कार्यक्रम/धारावाहिक प्रसारित करना, दूरदर्शन कार्यक्रमों का एक नियमित अंग है।

भारतीय सेना पर दूरदर्शन धारावाहिक

6678. **श्री सुधीर सावंत :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान "प्राइम टाइम" पर प्रसारण के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा कितने दूरदर्शन धारावाहिकों को धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि मंजूर की गई और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन महानिदेशालय ने भारतीय सेना के इतिहास और उपलब्धियों पर आधारित किसी दूरदर्शन धारावाहिक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन के अनुसार उसने गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय/नेटवर्क कार्यक्रम में प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार करवाने की स्कीम के अन्तर्गत 23 टी. वी. धारावाहिक मंजूर किए निर्माताओं के नाम और स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम तैयारा करवाने की स्कीम के अंतर्गत भारतीय सेना के इतिहास और उपलब्धियों पर आधारित किसी भी टी. वी. धारावाहिक का अनुमोदन नहीं किया गया। तथापि, दूरदर्शन ने हाल ही में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वीरों पर एक प्रायोजित टी. वी. धारावाहिक प्रसारित किया है। सैनिक जीवन पर "फौजी" नामक एक टी. वी. धारावाहिक 1989 के उत्तरार्ध में प्रसारित किया गया था। देश की सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न पक्षों पर सम्बन्धित कार्यक्रमों के अलावा भारतीय वायु सेना के कार्मिकों के जीवन पर एक कमीशण्ड टेलीफिल्म लगभग तैयार है।

विवरण

पिछले दो वर्षों (1 सितम्बर, 1989 से 30 अगस्त, 1991) के दौरान दूरदर्शन द्वारा कमीशण्ड स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित दूरदर्शन धारावाहिक

क्र. सं.	धारावाहिक का शीर्षक	निर्माता का नाम	मंजूर की गई राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1.	मिट्टी के रंग	मैसर्ज आर्टइफैक्ट फिल्म	17,50,000

1	2	3	4
2.	फ्लाप शो	श्री जसपाल भट्टी	20,00,000
3.	आरसी	श्री बलवंत गार्गी	7,70,000
4.	जान है जहान है	मैसर्ज मेडिकल टेलीविजन	6,25,000
5.	दीज टाईम्स	सुश्री नलिनी सिंह	15,40,000
6.	भाग्य नगर	मैसर्ज मुरली जयश्री कम्बाईन्स	18,00,000
7.	मंजिलें	मैसर्ज जे. एस. प्रोडक्शंस	26,00,000
8.	खाली हाथ	मैसर्ज तस्सवुर फिल्मस	26,00,000
9.	आजादी की शिखाएं	श्री उमा शंकर	22,00,000
10.	हजार घोड़ों का सवार	मैसर्ज वाई. आर. फिल्म्स	29,25,000
11.	धरती के लाल	मैसर्ज उषा एंटरप्राइसिस	18,00,000
12.	कृष्णकांत का वसीयतनामा	मैसर्ज आडियो विजुअल आर्ट्स प्रा. लि.	17,50,000
13.	तथ्य	मैसर्ज मल्टी इमेज	26,00,000
14.	वर्तमान	मैसर्ज क्लिंब फिल्म्स	72,00,000
15.	हमराही	मैसर्ज नेटवर्क 7 वीडियो एंड आडियो प्रोडक्शंस	16,00,000
16.	राम कृष्ण परमहंस	मैसर्ज मेडिआर्ट फिल्म्स प्रा. लि.	22,50,000
17.	और किसन जाग उठा	मैसर्ज न्यू वीडियो इमेज	29,25,000
18.	विरासत	मैसर्ज मीडिया माईंड्स	35,00,000
19.	कौशल्या	मैसर्ज रिफलेक्शंस	29,25,000
20.	इसानी रिश्तों का सफर	मैसर्ज मटटू प्रोडक्शंस	14,00,000
21.	शिल्पातिक्रम	मैसर्ज कृष्णस्वामी एसोसिएट्स	36,00,000
22.	दिशा	मैसर्ज बलराज साहनी फिल्म्स	32,50,000
23.	फरमान	मैसर्ज पी. एल. ए. प्रोडक्शंस	26,00,000

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कक्ष

6679. **श्री सुधीर सावंत :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के लिए कोई मानदण्ड रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर भारद्वाज) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) योजना के प्रयोजन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों को ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिनके लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। किसी राज्य में पिछड़े क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की होती है। योजना आयोग के बहुस्तरीय योजना प्रभाग का एक कार्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को सलाह देने की भूमिका निभाना है। इन क्षेत्रों की पहचान समय-समय पर केन्द्र और राज्यों द्वारा पिछड़ेपन के लिये चुनिंदा सूचकों अथवा "विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्र" के लिए अपनाए गए मानदन्डों के अनुरूप केन्द्र और राज्यों द्वारा की गई थी।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा राज्यों के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिये इस तरीके के जरिये सहायता करती है जैसे (क) गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत संसाधनों का अंतरण (ख) वित्त आयोग द्वारा गैर आयोजना संसाधनों का अंतरण (ग) विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम। केन्द्र से राज्यों को उनके योजना परिव्यय की पूर्ति करने एवं संसाधनों का गैर आयोजना अंतरण करने के लिये राज्यों में विकास के स्तरों में विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार से किया जाता है ताकि अपेक्षाकृत बड़े संसाधन आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में उपलब्ध हो सकें।

पर्वतीय क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्रों पर योजना आयोग में विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच. ए डी. पी) के तहत जो 1974-75 से कार्यचालन में है, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के अभिनिर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों की तथा पश्चिमी घाट जिसमें 163 ताल्लुका है जो 5 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा में फैले हुये हैं, विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत रखी गई राशि संबंधित राज्यों के बीच विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में वितरित की जाती है जो योजनाओं का एक योगात्मक अंग है। एच ए डी पी की विशेष केन्द्रीय सहायता अभिनिर्धारित पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के बीच 6.47:1 के अनुपात के रूप में वितरित की जाती है। अभिनिर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों के बीच परस्पर आवंटन के लिये क्षेत्र और जनसंख्या को समान प्राथमिकता अर्थात 1:1 में दी जाती है। पश्चिमी घाट के लिये प्राथमिकतायें क्षेत्र के लिए 75 प्रतिशत और जनसंख्या के लिये 25 प्रतिशत हैं। कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है।

औद्योगिक पिछड़ेपन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। औद्योगिक विकास में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान समूचे देश के लिये समान आधार पर की गई थी। औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर

करने के लिये तीन स्कीमें परिचालन में हैं। तथापि समूचे देश में एक समान आधार पर पिछड़े क्षेत्रों की पहचान औद्योगिक विकास में पिछड़े हुये क्षेत्रों के मामले में ही की गई है। औद्योगिक पिछड़ेपन की स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों के फैलाव के एक उपाय के तौर पर शुरू की गई थी। उद्योग रहित जिला तथा पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। औद्योगिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास की 3 स्कीमें चल रही हैं। ये हैं केंद्रीय निवेश इमदाद स्कीम, परिवहन इमदाद स्कीम तथा उद्योग रहित जिलों में केन्द्रीय सहायता हेतु आधार संरचना का विकास। चूंकि जून, 1988 में संपूर्ण देश में 100 विकास केन्द्रों की स्थापना की एक नई स्कीम चालू की गई ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके, जो आधार संरचना सुविधाओं के अनुरूप हों तथा उन्हें उत्तम सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये अतिरिक्त निधि के आवटन के लिये मानदंड में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वनस्पति निर्माताओं को सप्लाई किया गया खाद्य तेल

6680. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा .

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति निर्माताओं को खाद्य तेलों की कम सप्लाई के कारण वनस्पति का उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) वनस्पति उत्पादकों को पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में 31 जुलाई, 1991 तक खाद्य तेलों की कितनी मात्रा आवंटित की गई ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वनस्पति के उत्पादन में कमी, वनस्पति के विनिर्माण के लिये सस्ते, गैर-परम्परागत और अप्रधान टेलों की सीमित उपलब्धता और परिष्कृत तरल तेलों की तुलना में इस उत्पाद के अधिक मूल्यों के कारण हुई प्रतीत होती है।

(ख) उपर्युक्त अवधियों में शून्य।

कम्प्यूटर और संस्कृत में विकास परियोजनाओं हेतु धन देना

6681. प्रो. राम कापसे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं हेतु धन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) उनके समन्वयन तथा निगरानी का तरीका क्या है;

(घ) क्या सभी परियोजनाओं की निगरानी समिति एक ही है;

(ङ) विभिन्न विभागों द्वारा जिन परियोजनाओं हेतु धन दिया गया है उनके परिणामों के मूल्यांकन, तकनीकों के समन्वय तथा प्रभावी अंतर्विभागीय समन्वयन को सुनिश्चित करने तथा इन परियोजनाओं की निगरानी करने की क्या व्यवस्था है; और

(च) प्रायोजक तकनीकी विभाग प्रारंभिक चयन में और संगणना सुविधाओं की स्थापना में संस्कृत संस्थाओं में कम्प्यूटर की जानकारी देने सम्बन्धी कार्यक्रम हेतु तकनीकी सहायता किस प्रकार देते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। कम्प्यूटर तथा संस्कृत के क्षेत्र में विकास संबंधी कई परियोजनायें इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) इन परियोजनाओं की निगरानी आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से तथा विशिष्ट निगरानी एवं समन्वय समितियों द्वारा वर्ष में दो या तीन बार की जाती है। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से चलने वाली परियोजनाओं का समन्वय विभाग द्वारा किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से चलने वाली परियोजनाओं का समन्वय राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान (निस्टैड्स) द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए निगरानी समितियों का गठन विशिष्ट क्षेत्र में सदस्यों की विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है।

(ङ) परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन निगरानी एवं समन्वय समितियों द्वारा किया जाता है। अन्तर्विभागीय समन्वय भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम की परियोजना सलाहकार समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

(च) इलेक्ट्रानिकी विभाग, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख कार्यक्रम अर्थात भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी. डी. आई. एल) कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करने और संयुक्त रूप से कार्यक्रम चलाने के लिए कम्प्यूटर संस्थानों को इसमें शामिल करने के जरिए कंप्यूटर तथा संस्कृत संस्थानों में तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है।

विवरण

इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा टी. डी. आई. एल. कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृत एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित जिन परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनकी सूची

परियोजना का नाम	संस्थान का नाम
1. कम्प्यूटर वैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों	श्री लाल बहादुर शास्त्री

1	2	3
	को संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना :	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली ।
2.	भाषा वैज्ञानिकों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत मीमांसा का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना ।	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
3.	भाषा वैज्ञानिकों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत निरुक्त का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धान्त तथा पाठ्य सामग्री तैयार करना ।	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ।
4.	कम्प्यूटर पर आधारित अर्थ-निरूपण संस्थान संस्कृत का प्रयोग (क्रिया अनुसंधान)	संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मैलकोट
5.	संस्कृत शास्त्र में सूचना संसाधन का ढांचा तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाना ।	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी
6.	शिक्षा स्नातक, शिक्षा निष्णात के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर की सहायता से ज्ञानार्जन शिक्षण कार्यक्रम के लिये साधन स्रोत केन्द्र	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
7.	कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण/ ज्ञानार्जन वातावरण (केस्टल)	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली ।
8.	मशीन में पठनयोग्य रूप में भारतीय भाषा के पाठ के मूल तत्वों का विकास (संस्कृत)	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय वाराणसी

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा संस्कृत तथा कम्प्यूटर से संबंधित जिन परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनकी सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम
1	2	3
1.	अष्टाध्यायी का अभिकलनात्मक मॉडल	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
2.	अष्टाध्यायी तथा वर्तमान तीन व्याकरण सम्मत सिद्धान्तों पर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

1	2	3
	आधारित हिन्दी के अभिकलनीय व्याकरणिक मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन	
3.	पाणिनी के बाद भारतीय भाषा-विज्ञान में बुनियादी वाद-विवाद की व्याख्या के साथ सामांजस्य तथा विश्लेषणात्मक संकेत सूची	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

संस्कृत अध्ययन और अनुसंधान हेतु कम्प्यूटर के प्रयोग के लिए परियोजनाएं

6682. **प्रो. राम कापसे :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत अध्ययन और अनुसधान हेतु कम्प्यूटर के प्रयोग के लिए जिन परियोजनाओं को धन प्रदान किया गया है इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्कृत में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा और अनुसंधान हेतु चयनित संस्कृत संस्थाओं के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक संस्था को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विकास परियोजनाओं के समन्वयन तथा इनके अनुसंधान संबंधी योगदानों के विनिमय का तरीका क्या है;

(घ) क्या केन्द्र किसी कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इन संस्थाओं को उपलब्ध वर्तमान शैक्षिक कम्प्यूटर नेटवर्क के क्या नाम हैं और इसकी लागत का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग के भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास टी. डी. आई. एल.) कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृत के अध्ययन और अनुसंधान में कम्प्यूटर के प्रउपयोगो सम्बन्धित कई परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इनको परियोजनाओं जिन संस्थानों में शुरू किया गया है उनकी सूची और उन्हें उपलब्ध कराई गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन परियोजनाओं का समन्वय इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा स्थिति रिपोर्टों एवं संचालन समितियो के माध्यम से छमाही आधार पर इनकी निगरानी की जाती है। इन संस्थानो द्वारा हासिल किए गए अनुसंधान के परिणामों का आदान प्रदान टी डी आई एल की वार्षिक बैठक में करने की योजना है। एक ही प्रकार का कार्य करने वाले संस्थानों के बीच आवश्यकता पर आधारित सूचना के आदान प्रदान के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

(घ) से (च) जी, नहीं। चूंकि इन संगठनों को आपस में ऑन लाइन सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता इस समय कम है, अतः नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में विचार नहीं किया गया है। लेकिन जब ये संस्थाएं उस स्तर तक पहुंच जाएंगी जहां इस प्रकार की सुविधा आवश्यक होगी तब उन्हें अर्नेट (इलैक्ट्रानिकी विभाग की नेटवर्किंग में शिक्षण एवं अनुसंधान जैसे विद्यमान शैक्षणिक एवं अनुसंधान कम्प्यूटर नेटवर्कों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें वास्तविक लागत को आपस में बांट लिया जाएगा।

विवरण

टी डी आई एल कार्यक्रम के अन्तर्गत 'संस्कृत एवं कम्प्यूटर' से सम्बन्धित जिन परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनकी सूची

	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	मंजूर की गई संचय राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	कम्प्यूटर वैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों को संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य-सामग्री तैयार करना।	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली	1.25
2.	भाषा वैज्ञानिकों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत मीमांसा का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य-सामग्री तैयार करना।	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	1.25
3.	भाषा वैज्ञानिकों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत निरुकत का ज्ञान दिलाने केलिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत तथा पाठ्य-सामग्री तैयार करना।	गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1.25
4.	कम्प्यूटर पर आधारित अर्थ-निरूपण संसाधन में संस्कृत का प्रयोग (क्रिया अनुसंधान)	संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट	4.94
5.	संस्कृत शस्त्र में सूचना संसा-	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व-	4.45

	धन का ढांचा तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाना।	विद्यालय, वाराणसी	
6.	शिक्षा स्नातक, शिक्षा निष्णात् के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर की सहायता से ज्ञानार्जन शिक्षण कार्यक्रम के लिए साधन स्रोत केन्द्र	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	8.69
7.	कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण/ज्ञानार्जन वातावरण (केस्टल)	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1.61
8.	मशीन में पठनयोग्य रूप में भारतीय भाषा के पाठ के मूल तत्वों का विकास (संस्कृत)	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	13.00

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सरकारी विज्ञापन

[हिन्दी]

6683. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सरकारी विज्ञापन देने और उनके लिए भुगतान करने के सम्बन्ध में किन नियमों का पालन किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन, विज्ञापन नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों, प्रचार की आवश्यकताओं, और साधनों की उपलब्धता को ध्यान से रखते हुए जारी किए जाते हैं। प्रकाशकों से प्राप्त विज्ञापन बिल उचित समीक्षा के पश्चात भुगतान के लिए मंजूर किए जाते हैं।

कर्नाटक में साप्ताहिकों, पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन

[अनुवाद]

66°4. **श्री एस बी. सिदनाल :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने साप्ताहिक, पत्रिकाएं तथा दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे है ; और

(ख) बहुत बड़ी प्रसार संख्या वाले साप्ताहिकों, पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचार पत्रों के कार्यालय के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 31.12.1989 को कर्नाटक में, 327 साप्ताहिक, 196 पाक्षिक, 514 मासिक, 204 दैनिक तथा विभिन्न आवधिकता के 140 प्रकाशन प्रकाशित किए जा रहे थे।

(ख) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.12.1989 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिकों, पत्रिकाओं और दैनिकों की सूची जिनकी प्रति प्रकाशन दिवस प्रसार संख्या 25,000 प्रतियों से अधिक है।

क्रम संख्या	पत्र का नाम	भाषा/आवधिकता	प्रकाशन स्थान	प्रसार संख्या
1	2	3	4	5
1.	डक्कन हेराल्ड	अंग्रेजी/दैनिक	बंगलौर	1,43,458
2.	हिन्दू	अंग्रेजी/दैनिक	बंगलौर	50,042
3.	इंडियन एक्सप्रेस	अंग्रेजी/दैनिक	बंगलौर	62,379
4.	कन्नड़ प्रभा	कन्नड़/दैनिक	बंगलौर	81,546
5.	प्रजा वाणी	कन्नड़/दैनिक	बंगलौर	2,15,606
6.	प्रजा वाणी	कन्नड़/दैनिक	बेलूर	50,256
7.	संयुक्त कर्नाटक	कन्नड़/दैनिक	हुबली	70,794
8.	उदयवाणी	कन्नड़/दैनिक	मणिपाल	80,185
9.	लंकेश पत्रिका	कन्नड़/साप्ताहिक	बंगलौर	40,356
10.	प्रजा माता	कन्नड़/साप्ताहिक	बंगलौर	38,567
11.	सुद्दी संगति	कन्नड़/साप्ताहिक	बंगलौर	58,270
12.	सुधा	कन्नड़/साप्ताहिक	बंगलौर	1,86,302
13.	तरंग	कन्नड़/साप्ताहिक	मणिपाल	1,70,375
14.	उदयवाणी	कन्नड़/साप्ताहिक	मणिपाल	88,434

15.	वारा पत्रिका	कन्नड़/साप्ताहिक	बंगलोर	47,249
16.	नाशेमन	उर्दू/साप्ताहिक	बंगलोर	41,102
17.	कस्तूरी	कन्नड़/मासिक	हुबली	27,209
18.	मयूर	कन्नड़/मासिक	बंगलोर	86,249
19.	राजू पत्रिके	कन्नड़/मासिक	बंगलोर	48,209
20.	रूप तारा	कन्नड़/मासिक	मणिपाल	45,392
21.	केनरा बैंक श्रेयस	अंग्रेजी/द्वि-मासिक	बंगलोर	50,000
22.	उदयवाणी वार्षिक	कन्नड़/वार्षिक	मणिपाल	31,273

धारवाड़ में टीवी टावर

6685. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारवाड़ में स्थापित किए गए टी. वी. टावर की प्रसारण-क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसकी क्षमता को बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) धारवाड़ में इस समय कार्यरत अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर की प्रसारण क्षमता 100 वाट है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि. वा. की प्रसारण क्षमता वाला उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है ।

हिन्दी में "डाटा प्रोसेसिंग" के संकेत

6686. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मानक संकेतों में अंग्रेजी और जापानी के अलावा हिन्दी में डाटा प्रोसेसिंग के कोई संकेत भी शामिल किए गए हैं ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मानक संकेत समिति में भारत को प्रतिनिधित्व किया गया है ; और

(ग) हिन्दी के मानक संकेत में बार-बार परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारतीय मानक कोड (आई. एस. सी. आई. आई.) के प्रस्ताव का मसौदा अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ.) को अपने मानक में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के साथ शामिल करने के लिए भेज दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कोड के मानकीकरण संबंधी कार्यकलाप वर्ष 1983 से आरम्भ हुए थे । अब वर्ष 1991 में भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई. एस) के माध्यम से हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक भारतीय मानक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

'मंकेनिकल की बोर्ड ले आउट' का आरम्भ किया जाना

6687. श्री वीरेन्द्र सिंह ।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी में विभिन्न प्रकार के "कीबोर्ड ले आउट्स" का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोई मानक "कीबोर्ड ले आउट्" है ;

(ग) क्या एक हिन्दी टंकक को देवनागरी लिपि के लिए मेकैनिकल कीबोर्ड लेआउट और एक विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर कीबोर्ड ले आउट, दोनों का ही अभ्यास करना पड़ता है ;

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी विभागों में कम्प्यूटर में मेकैनिकल कीबोर्ड ले आउट आरम्भ करने के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है ; और

(ङ) हिन्दी में "डाटा प्रोसेसिंग" सुविधायुक्त कम्प्यूटरों की तुलना में मेकैनिकल टाइपराइटरों का मूल्य कितना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) हिन्दी के प्रयोग में मुख्यतः तीन विभिन्न किस्म के ढांचों के कुंजी पटल हैं।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने वर्ष 1986 में बहुभाषी कुंजी पटल के एक मानक ढांचे आउट ले का प्रस्ताव किया है : कई विनिर्माणकर्ताओं द्वारा इस मानक ढांचे का अनुसरण किया जा जा रहा है।

(ग) जी, हां। यदि कोई हिन्दी टाइपिस्ट यांत्रिकीय (मेकेनिकल) टाइपराइटर और कम्प्यूटर दोनों का ही इस्तेमाल करता है तो उसे यांत्रिकीय कुंजी पटल तथा कम्प्यूटर कुंजी पटल दोनों पर एक ही देवनागरी लिपि में कार्य करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है।

(घ) सरकारी विभागों में कम्प्यूटरों पर यांत्रिकीय कुंजीपटल शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) यांत्रिकीय टाइपराइटरों की औसत कीमत लगभग 12000/- रु. है जबकि न्यूनतम संरचना सहित द्विभाषी संसाधन की क्षमता से युक्त कम्प्यूटरों की अनुमानित कीमत लगभग 21,000/- रु. है। किन्तु कम्प्यूटर में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे कि अभिलेखों का भण्डारण, सम्पादन, दो फाइलों का मिश्रण, कई बार टाइप करने की क्षमता, वर्तनी की स्वतः जांच आदि, जो यांत्रिकीय टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है।

प्रारम्भिक ओ-लैवल पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठन

6488. **श्री वीरेन्द्र सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर पर प्रारम्भिक ओ-लेवल पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठनों के क्या नाम है ;

(ख) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को मान्यता देने, शिक्षण सामग्री तैयार करने और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी तन्त्र का ब्यौरा क्या है.; और

(ग) 1991-92 के दौरान ऐसे कितने अतिरिक्त केन्द्रों के स्थापना किये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) 'ओ' स्तर के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए अब तक 132 निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। ये सभी संस्थान केवल अंग्रेजी में पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। इन संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत सरकार इलेक्ट्रानिकी विभाग ने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए एक नीति की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत निर्धारित क्वालिटी तथा सेवा के मानकों की पूर्ति करने वाले निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों अर्थात् ओ (आरम्भिक स्तर) क (उन्नत डिप्लोमा स्तर) "ख" (स्नातक स्तर) तथा ग (स्नातकोत्तर स्तर) के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी। हालांकि हिन्दी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा को मान्यता प्रदान करने की कार्य विधि एक समान ही होगी, लेकिन अब तक कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। शिक्षण सामग्री तैयार करने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक संस्थानों की है।

(ग) पहले से ही मान्यता प्राप्त 132. संस्थानों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है।

विवरण

जिन संस्थानों को अनन्तिम रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई है उनकी सूची :—

सं. संगठन

1. कम्प्यूटरएड्स इंडिया, कलकत्ता
2. डेटामेशन कंप्यूटर कंसलटेंस, मद्रास
3. पंगल कंप्यूटर क्लासिस प्रा. लि., बम्बई
4. अमृता इंस्टीट्यूट आफ कंप्यूटर टेक्नोलाजी, करुणागपल्ली
5. इन्डेक्सट बी कंप्यूटर सेंटर, अहमदाबाद
6. बी के कंप्यूटर्स एण्ड एजुकेशन प्वाइन्ट, विजयवाड़ा
7. डेटाटेक कंप्यूटर्स, नाडाक्वयु
8. इन्टरनेशनल डेटा प्रोसेसिंग, नई दिल्ली
9. दी इंस्टीट्यूट आफ कंप्यूटर इंजीनियर्स (लि.), कलकत्ता
10. सेरिंग डाले कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट, लखनऊ
11. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, सिकन्द्राबाद
12. मराठे एस रेडियो इलेक्ट्रानिक इंस्टीट्यूट, डाम्पलाईली

13. मराठे एस रेडियो इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट, बम्बई
14. विद्यारणवा एकेडेमी आफ कंप्यूटिंग, मैसूर
15. लखोटिया कंप्यूटर सेंटर (सी. आई. टी. मार्ग), कलकत्ता
16. लखोटिया कंप्यूटर सेंटर (के. एस. राय मार्ग) कलकत्ता
17. वी. ई. एस. कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, टुटीकोरिन
18. त्रिची कंप्यूटर्स, तिरुचिरापल्ली
19. नेशनल सेन्ट कंप्युटो टेक्नीकल, हैदराबाद
20. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, विशाखापट्टनम
21. माडल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जम्मू
22. लखोटिया कंप्यूटर सेन्टर (एस. एन. बी. मार्ग) कलकत्ता
23. इंस्टीट्यूट आफ माडर्न मैनेजमेंट, कलकत्ता
24. बी कंप्यूटर्स सेन्टर, त्रिवेन्द्रम
25. के. एच. रेबर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, धारवाड़
26. शिव शक्ति कार्पोरेशन, बंगलौर
27. इनफर्मेशन टेक्नोलाजी सेन्टर, मूरी
28. दी स्कूल आफ कंप्यूटर्स, अड़व
29. दी स्कूल आफ कंप्यूटर्स, कोट्टाराकारा
30. लखोटिया कंप्यूटर सेन्टर (देवसन मार्ग) कलकत्ता
31. लखोटिया कंप्यूटर सेन्टर (टी. सी. दत्ता मार्ग) कलकत्ता
32. इंस्टीट्यूट फार रिसर्च सर्विसेज, त्रिचुर
33. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, भुवनेश्वर
34. ओरीकाम सिस्टम प्रा. लि., भुवनेश्वर
35. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, बम्बई
36. इंडिया एजुकेशन सेन्टर (कनाट प्लेस), नई दिल्ली
37. ब्रिलियेंट्स कंप्यूटर सेन्टर, बंगलौर
38. एम ई आई टी कंप्यूट्रेनिंग प्रा. लि. नई दिल्ली
39. ब्रिलियेंटस कंप्यूटर सेन्टर मद्रास
40. डेटा कंप्यूटिंग सर्विसेज, सिकन्दराबाद
41. बिट्स 'एन' बाइट्स, मेरठ
42. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कंप्यूटर टेकनिक, नई दिल्ली

43. मणिपाल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मणिपाल
44. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम सेलम
45. यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट इन फारमेशन टेक्नोलाजी, त्रिवेन्द्रम
46. इनफार्मेशन ड्राइव, मद्रास
47. माइक्रोसाफ्ट कन्सलटेंट्स कंप्यूटर सेन्टर, कन्नानोर
48. शंकर कंप्यूटर, पलायमकोट्टल
49. इंजिलमेटिक्स, टुरीकोरिन
50. एप्पल कंप्यूटर एजुकेशन, कटक
51. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कंप्यूटर टेक्नोलाजी, कोचीन
52. 'मेप्स' कंप्यूटर सेन्टर, कोचीन
53. माइक्रो कंप्यूटर डेटा सिस्टम, कोचीन
54. सेन्ट जोसेफ ट्रेनिंग कालिज, मान्नानम
55. इंडिया एजुकेशन सेन्टर (टालस्टाय मार्ग), नई दिल्ली
56. आर एस कंप्यूटर्स प्रा. लि., गाजियाबाद छावनी गाजियाबाद
57. टेलेंट अकादमी आफ कंप्यूटर टेक्नोलाजी, कालीकट
58. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मदुरै
59. कंप्यूटर पीपल, मद्रास
60. एजुकेशनल एण्ड डेवलपमेंट सर्विस, मद्रास
61. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, मद्रास
62. सेन्ट जेवियर कंप्यूटर सेन्टर, कलकत्ता
63. एन. आई. आई. टी (कैमेक स्ट्रीट), कलकत्ता
64. एन. आई. आई. टी. (साल्ट लेक), कलकत्ता
65. एक्सपर्ट इनफार्मेशन टेक्नोलाजो प्रा. लि., कोचीन
66. स्किलटेक कोची, कोचीन
67. एप्पल कंप्यूटर एजुकेशन सेन्टर मद्रास
68. 'कैम्प्स' साफ्टवेयर एजुकेशन सेन्टर, मद्रास
69. इनफार्मेशन विजन प्रा. लि., मद्रास
70. इन्डोट्रानिक्स कंप्यूटर्स प्रा. लि., सिकन्दराबाद
71. सेन्टर फार कंप्यूरिंग एण्ड इनफार्मेशन टेक्निक, बम्बई
72. एप्पल इण्डस्ट्रीज लि. (मलाद) बम्बई

73. प्रियदर्शनी, नई दिल्ली
74. इंस्टीट्यूट आफ सापटवेयर टेक्नोलाजी, नई दिल्ली
75. अप्ट्रान इंण्डिया, लखनऊ
76. वी कंप्यूटर सेन्टर, त्रिचुर
77. पी. सी. सिस्टम्स (प्रा.) लि. विशाखापट्टनम
78. पी. सी. लोगिन (प्रा.) लि., विशाखापट्नम
79. श्रीराम मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा.) लि, मदुरेई
80. सेन्टर फार कंप्यूटर एजुकेशन एण्ड सर्विसेज, राउरकेला
81. काकिनाडा कंप्यूटर्स (फ्रेंचाइस, एन. आई. आई. टी.) काकिनाडा
82. एप्पल इंस्ट्रोब लि. (सांताक्रुज), बम्बई
83. 'साई' कृष्ण इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, तिरुवनलवेली
84. सोसाइटी फार इलेक्ट्रानिक्स कंप्यूटर्स, भोपाल
85. इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कंप्यूटर साइंस, बम्बई
86. वी कंप्यूटर कनेक्शन, कानपुर
87. नार्दन कंप्यूटर्स, कानपुर
88. पलक्कड़ कंप्यूटर सेंटर, ओलवाक्कोड
89. कालोथाड कंप्यूटर सिस्टम्स, कोयम्बटूर
90. कुरुक्षेत्र कालिज, नई दिल्ली
91. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कंप्यूटर एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, बंगलौर
92. ब्यूरो आफ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी स्टडीज, बम्बई
93. विश्व भारती इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, त्रिवेन्द्रम
94. काबानी कंप्यूटर सेन्टर, बम्बई
95. 'सिस्टम्स स्कूल आफ कंप्यूटिंग, जयपुर
96. ए. सी. ई. कंप्यूटर एजुकेशन प्रा. लि., अहमदाबाद
97. एप्पल कंप्यूटर एजुकेशन सेन्टर, हैदराबाद
98. एन. आई. आई. टी. (बशीर बाग), हैदराबाद
99. मार्कीट मेकर्स, कोयम्बटूर
100. एप्पल कंप्यूटर एजुकेशन सेन्टर, पुणे
101. एन. आई. आई. टी. (महात्मा गांधी मार्ग पुणे)
102. सिटराइन कंप्यूटर्स प्रा. लि. नासिक

103. मैसूर इनफार्मेटिक्स एण्ड कंप्यूटर साफ्टवेयर, मैसूर
104. एन आई आई टी, बंगलौर
105 सी ए टी (कैट) अकादमी हैदराबाद
106. ए. के. कंप्यूटर एण्ड सर्विसेज प्रा. लि. भोपाल
107. सेन्ट्रल इंडिया कंप्यूटर्स, भोपाल
108. कोडिबल कंप्यूटिंग सेन्टर प्रा. लि, त्रिची
109. कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेटिक्स टेक्नोलाजी लि, गुंटूर
110. सेन्टर फार कैरियर डेवलेपमेंट, विजयवाड़ा
111. ब्यूरो आफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स एण्ड, विजयवाड़ा
112. ट्रेड एजुकेशन अकादमी प्रा. लि, वारंगल
113. डेटाप्रो इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, कोयम्बटूर
114. शक्ति इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, कोयम्बटूर
115. तन्मय कंप्यूटर्स एण्ड साफ्टवेयर प्रा. लि, मद्रास
116. डेटा प्रो. इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, कोचीन
117. डेटाप्रो इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, नागपुर
118. एबेक्स कंप्यूटर सर्विसेज प्रा. लि, आगरा
119. शक्ति इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, इंरोड
120. कालीकट इंस्टीट्यूट आफ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी प्रा. लि, कालीकट
121. एप्पल इंडस्ट्रीज लि, बंगलौर
122. सेन्ट्रल इंडिया कंप्यूटर्स, नागपुर
123. स्कार्पियो सिस्टम्स, नागपुर
124. डेल्टा इनफार्मेशन सर्विसेज प्रा. लि, चण्डीगढ़
125. इन्टरसाफ्ट प्रोफेशनल ए. सी. ई. सेन्टर चण्डीगढ़
126. एन. आई. आई. टी, बम्बई
127. डेटाप्रो इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, सेलम
128. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्पटक, क्विलोन
129. किम्स कंप्यूटर डिवीजन, कोट्टरकारा
130. एम. डी. पी. एस. कंप्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर, तिरूर
131. एम. एम. एन. एस. एस. कंप्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर, पैरम्बवूर
132. डेटा सिस्टम्स रिसर्च फाउंडेशन, पुणे

केवल टेलीविजन नेटवर्क

6689. श्री आर. वनुषकोडी आदित्यन :

श्री वी. एस. विजयराघवन ।

श्री राम नरेश सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वीडियो कैसेटों के द्वारा विदेशी फिल्मों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाले केवल टेलीविजन नेटवर्क में कितनी प्राइवेट पार्टियां सम्मिलित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केबल टेलीविजन नेटवर्क द्वारा विभिन्न विदेशी फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों को प्रसारित करने हेतु इन निजी निकायों को नियंत्रित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) निजी परिसरों के अन्तर्गत केबिल टी. वी. नेटवर्क स्थापित करने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अतः इस कार्य में लगे हुए निजी पार्टियों का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) केबिल टी. वी. नेटवर्क द्वारा कार्यक्रमों का वितरण इस समय समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय चलचित्र अधिनियम 1952 और कापीराइट अधिनियम, 1957 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होता है।

पालघाट में आकाशवाणी केन्द्र

6690. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में पालघाट में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस समय, केरल के पालघाट जिले के आधे से अधिक भाग को त्रिचूर स्थित 20 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर से दिन के समय, प्राथमिक ग्रेड की कवरेज प्राप्त होती है। इस ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 100 किलोवाट करने के लिए कदम उठाए गये हैं। इसके चालू हो जाने से सम्पूर्ण पालघाट जिले को रेडियो कवरेज प्राप्त हो जायेगी।

औषध कम्पनियों द्वारा तपेदिक रोधी औषधियों का अधिक मूल्य लिया जाना

6691. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ औषध कम्पनियां तपेदिक रोधी औषधियों का अधिक मूल्य ले रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) तपेदिक रोधी सूत्रयोगों का अधिक मूल्य वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार को किसी प्रकार की शिकायतें नहीं मिली हैं। फिर भी, तपेदिक रोधी प्रपुंज औषधों के अधिक मूल्य वसूल करने की कुछ शिकायतें आई हैं। सम्बन्धित राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन से परामर्श करके मामले की जांच की जा रही है और यदि आवश्यकता हुई, तो यह विभाग डी पी ओ, 1987 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत कारवाई शुरू करेगा।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा ग्राहकों को ऋण दिया जाना

6692. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1000 सी. सी. की क्षमता वाली कार खरीदने के लिए ग्राहकों को ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम कितना ऋण मन्जूर किया जाएगा; और

(ग) इस ऋण पर ब्याज दर से ली जाएगी और इस की अदायगी किस प्रकार करनी होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) किसी ग्राहक द्वारा लिए जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि कार के इनवॉइस मूल्य का 70% है।

(ग) इस समय ब्याज की दर, घटते हुए शेष पर 22% निर्धारित की गई है। पुनर्भुगतान

विधी ग्राहक से प्राप्त परवर्ती तारीखों के चेक द्वारा समान मासिक किस्तों के एकत्रीकरण द्वारा है।

कम्पनियों के विस्तार के लिए लाइसेंस जारी करना

6693. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कई भारतीय कम्पनियों को जिन्हें विदेशी तकनीकी जानकारी अथवा कच्चे माल की आवश्यकता होती है उनमें सुधार करने तथा आयात को घटाने के लिए चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम की शर्तों पर उनके विस्तार के लिए लाइसेंस अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी कम्पनियों ने सरकार को दिये गए वादों को पूरा किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) अपेक्षित उपकरणों और कच्ची सामग्री का शीघ्रता से स्वदेशीकरण सुनिश्चित करने और आयातित तकनॉलाजी को संतोषजनक रूप से खपाने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्य की शर्तें को, जो विगत में जारी की गयी औद्योगिक स्वीकृतियों में जैसे विदेशी सहयोग की स्वीकृति में निर्दिष्ट किया गया है; सरकार की संतुष्टि कार्यान्वयन की वास्तविक तकनीकी प्राधिकरणों द्वारा की जाती है जैसे तकनीकी विकास महानिदेशालय और आयात लाइसेंसीकरण प्राधिकरण। उद्योग मंत्रालय ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखता है। 24 जुलाई, 1991 को सभापटल पर रखे गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार प्रत्येक प्रशासनिक मामले के आधार पर चलाये गये चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की प्रणाली नयी परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी। ऐसे विनिर्माण कार्यक्रमों की मौजूदा परियोजनाओं पर उक्त प्रक्रिया लागू रहेगी।

भारतीय बाल फिल्म सोसाईटी को अनुदान

[हिन्दी]

6694. श्री तेजनारायण सिंह :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री राम शरण यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय बाल फिल्म सोसाईटी को प्रति वर्ष कितना-कितना अनुदान दिया गया;

(ख) सोसाईटी द्वारा इस राशि के उचित उपयोग किये जाने तथा इसके द्वारा विभिन्न तरह की फिल्मों के निर्माण पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सोसाईटी ने तीन स्तरीय कार्यक्रम का निर्माण कर फिल्म निर्माण का कार्यकरण पद्धति बदल दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान बाल चित्र समिति, भारत को दिए गए अनुदानों का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	योजना	गैर योजना
1989-90	121,08,000 रुपये	21,56,000 रुपये
1990-91	121'98,000 रुपये	19,69,000 रुपये

(ख) सर्वप्रथम सभी निर्माण प्रस्तावों की आलेख समिति द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। आलेख समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव फिल्म निर्माण बजट सहित अनुमोदनार्थ कार्यकारी परिषद् के सम्मुख रखे जाते हैं। संविदा करारों के माध्यम से, धन के सही उपयोग की मानीटरिंग की जाती है। फिल्म पूरी हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसका पूर्वावलोकन किया जाता है और आवश्यकतानुसार सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं इस प्रकार धन का उचित उपयोग और तैयार की गई फिल्मों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इलैक्ट्रॉनिक एककों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाइसेंस

6695. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नये इलेक्ट्रॉनिक एककों की स्थापना के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उद्यमियों को लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायतों को मुफ्त टेलीविजन सेट देना

6696. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को प्रत्येक पंचायत या ग्राम समूहों को मुफ्त टेलीविजन सेट देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन राज्यों को इस कार्य हेतु कितनी-कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई है; और

(ग) इन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक उक्त योजना क्रियान्वित नहीं की है, और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिलहाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

चित्र दुर्ग तथा कोलर जिलों को उद्योग विहीन जिले घोषित करना

6697. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा कोलर जिलों को उद्योगविहीन जिले घोषित करने की कोई मांगे है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) इस समय चित्रदुर्ग तथा कोलार सहित किसी भी जिले/क्षेत्र को उद्योग रहित जिला घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन धारावाहिक "जीसस क्राइस्ट" का प्रसारण

[अनुवाद]

6698 श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या सूचना और सारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन का धारावाहिक "जीसस क्राइस्ट" का प्रसारण कब से प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा "जीसस क्राइस्ट" नाम से किसी टी. वी. धारावाहिक का अनुमोदन नहीं किया गया है। तथापि, दूरदर्शन द्वारा "स्टोरीज फ्रॉम दि बाइबिल" नाम से एक प्रायोजित टी. वी. धारावाहिक का अनुमोदन किया गया है। निर्माता ने इस धारावाहिक की प्रथम चार कड़ियां अभी तक

प्रस्तुत नहीं की है। प्रथम चार कड़ियों का पूर्वावलोकन करने और इन्हें हर प्रकार से उपयुक्त पाए जाने पर इस धारावाहिक का प्रसारण समय निर्धारित किया जाएगा।

महाराष्ट्र में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र

[हिन्दी]

6699. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में प्रदत्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पूंजीगत सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास करने के लिए लघु औद्योगिक एककों को दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सरकार द्वारा जून, 1988 में घोषित की गयी विकास केन्द्र योजना के तहत महाराष्ट्र को 5 विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं जिनमें से अकोला, चन्द्रपुर, धुले, नान्देड़ और रत्नागिरी जिलों में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने वाले उद्यमियों को एक सहायता पैकेज भी उपलब्ध कराता है जिसमें अचल परिसम्पत्तियों पर सब्सिडी, बिक्री कर का आस्थगन आदि शामिल है। महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम (एस आई सी ओ एन) भी उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य सहायता देती है।

(ख) 7वीं पन्चवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय पूंजीगत सहायता के रूप में 1,256.55 लाख रु. दिए गए थे। इसी अवधि के दौरान केन्द्र से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 460.90 लाख रु और दिए गए थे।

(ग) सरकार ने लघु उद्योगों के संवर्धन व सुदृढ़ीकरण के लिए नीति सम्बन्धी उपाय घोषित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योगों के समेकित विकास (प्रौद्योगिकीय पूर्ति सेवाओं सहित) की एक योजना शामिल है जिसमें राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी होगी।

उड़ीसा में रासायनिक उद्योग

[अनुवाद]

6700. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार के रसायन और उर्वरक के क्षेत्र सम्बन्धी कौन-कौन से प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं,

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है,

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में नए रासायनिक उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री(डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) रसायनों और उर्वरकों के क्षेत्र में स्वीकृति के लिए उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं पड़ा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हाई पावर ट्रांसमिशन

6701. **श्री के. तुलसिएया वान्डायार :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में कच्छ के सीमा-क्षेत्रों में एक शक्तिशाली दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : गुजरात के कच्छ जिले में भुज में मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है । इसका एंटीना 300 मीटर ऊंचे आर. सी. सी. टावर पर लगाया जाएगा । इस परियोजना का कार्य मार्च, 1989 में ठेके पर दिया गया था किन्तु नींव की खुदाई के दौरान भू-गर्भीय दोष पाए जाने पर ठेकेदार ने काम स्थगित कर दिया था । टावर के लिए दूसरा स्थान चुन लिया गया है और किसी अन्य ठेकेदार को कार्य सौंपने के लिए कदम उठाए गए हैं । अपेक्षित ट्रांसमीटर उपकरण प्राप्त किए जा चुके हैं । वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस परियोजना के वर्ष 1994-95 के दौरान पूरा हो जाने की परिकल्पना की गई है ।

पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा

लघु उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

6702. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों जैसे खादी ग्रामोद्योग

द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसके कुछ कार्यों जैसे ग्रामीण चमड़ा, अखाद्य तेल, बीज एकत्रीकरण, मधुमक्खी-पालन, फाइबर ऊनी खादी और टसर सिल्क बुनाई आदि का लाभ प्रधानतया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ही मिलता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पहाड़ी, सीमावर्ती, पिछड़े हुए, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देता है और पहाड़ी तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग देश के उन चुनिंदा जिलों में विशेष कार्यक्रम चला रहा है जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आबादी अधिक है।

जो विशेष कार्य किये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—जिन संस्थानों में 100% लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अथवा जो संस्थान पूरी तरह केवल अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए 65% अनुदान व 35% ऋण देने का प्रावधान है तथा भवन, वर्कशेड, गोदाम आदि बनाने के लिए 50% अनुदान और 50% ऋण देने का प्रावधान है।

दिल्ली को उद्योग रहित क्षेत्र घोषित करना

[अनुवाद]

6703. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को "उद्योग रहित क्षेत्र" घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कुछ गैर-सरकारी उद्यमियों द्वारा दिल्ली में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में 18 अगस्त, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापनों की ओर आकर्षित किया गया है;

(घ) दिल्ली में इन उद्योगों को अस्तित्व में न आने देने तथा इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) जी नहीं।

किन्तु दिल्ली प्रशासन ने औद्योगिक एककों की वृद्धि को रोकने के लिए हाल में कुछ उपाय किए हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

(I) 1987 में एक निर्णय यह लिया गया था कि दिल्ली में मझोले तथा बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कोई लाईसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए। केवल गैर-प्रदूषण कारी लघु उद्योगों के लिए ही अनुमति दी जाए।

(II) 1989 में, पंजीकरण के प्रयोजन के लिए लघु क्षेत्र में 88 एच. पी. की सीमा लगाई गयी थी।

(III) 1989 में भी, कोई नया औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट स्थापित न करने का एक निर्णय लिया गया था।

(IV) असंगत क्षेत्रों में खतरनाक/आपत्तिजनक/प्रदूषणकारी उद्योगों के एस. एस. आई. पंजीकरण की अनुमति नहीं है।

(ग) से (ङ) शैड/भूमि के अधिग्रहण के लिए 18 अगस्त, 1991 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापनों के संबंध में यह बताया जाता है कि यदि उद्यमियों द्वारा एककों को लघु क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है तो उन्हें उपर्युक्त मानदण्डों के भीतर ऐसा करने की अनुमति दे दी जायेगी।

राजस्थान आणविक विद्युत स्टेशन के लिए कल-पुर्जों का आयात

[हिन्दी]

6704. **श्री रामनारायण बैरवा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान आणविक विद्युत संयंत्र के लिए 1984-85 में आयातित कल-पुर्जों की कुल लागत कितनी है;

(ख) क्या एक करोड 43 लाख रुपये मूल्य के कल-पुर्जों का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वे अप्रचलित होते जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन कल-पुर्जों का उपयोग में न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अनावश्यक कल-पुर्जों के आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के लिए वित्त वर्ष 1984-85 में आयातित वस्तुओं पर लगभग 224 लाख रुपए के करीब खर्च किया गया।

(ख) जिन 143 लाख रुपए मूल्य के कल-पुर्जों का जिक्र किया गया है वे मुख्यत: राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले व यूनिट को चलाने वाली प्रणाली टरबाइन जनित्र के लिए हैं। ये कल-पुर्जे बिजलीघर के पूरे कायकाल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हैं और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुर्जों को बदलने के लिए बीमा कल-पुर्जों के रूप में स्टाक में रखा जाना है। ये किसी भी समय अप्रचलित नहीं होंगे।

(ग) तथा (घ) कल-पुर्जों का आयात तभी किया जाता है जब उनके उपयोग की जरूरत होती है। तथापि, कुछ चुनी हुई महत्वपूर्ण वस्तुओं को भंडारित कर लिया जाता है ताकि बिजली-घर का लगातार प्रचालन सुनिनिश्चित किया जा सके और उसे बन्द करने से बचा जा सके।

दूरदर्शन धारावाहिकों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

6705. श्री राजवीरसिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान लाभ के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले दूरदर्शन धारावाहिकों के नाम क्या हैं;

(ख) अब तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये धारावाहिक प्रसारित किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) अपेक्षित विवरण संलग्न किया गया है।

विवरण

दूरदर्शन के अनुसार, उसने वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित धारावाहिकों के सामने दिए गए क्रेताओं को धारावाहिकों के अधिकार बेचे :—

क्र. सं.	धारावाहिक का नाम	जिन्हें अधिकार बेचा गया	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	तृष्णा	केबल टेलीविजन	वाशिंगटन, अमरीका
2.	घपतू बंता	केबल टेलीविजन	वाशिंगटन, अमरीका
3.	जान आफत में	केबल टेलीविजन	वाशिंगटन, अमरीका
4.	पी. सी. और मौसी	केबल टेलीविजन	वाशिंगटन, अमरीका
5.	चुन्नी	होम वीडियो केबल टी. वी. पे. टी. वी.	अमरीका, ब्रिटेन और कनाड़ा
6.	चोली दामन	होम वीडियो/केबल टी. वी. पे टी. वी.	अमीरीका, ब्रिटेन तथा कनाडा
7.	सांझा चूल्हा	होम वीडियो/केबल टी. वी. पे टी. वी.	अमरीका, ब्रिटेन तथा कनाडा
8.	दिल दरिया	होम वीडियो/केबल टी. वी. पे टी. वी.	अमरीका ब्रिटेन तथा कनाडा

1	2	3	4
9.	नीव पे टी. वी.	होम वीडियो/केबल टी. वी.	ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, तथा केन्या
10.	कथासागर	टी. वी. राइट्स	संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल
11.	जिन्दगी-जिन्दगी	टी. वी. राइट्स	संयुक्त अरब अमीरात

टिप्पणी : क्रम संख्या 10 तथा 11 के धारावाहिकों को दूरदर्शन ने अधिकारधारकों की ओर से बेचा है।

2. दूरदर्शन ने इन धारावाहिकों की बिक्री से 60,000 अमरीकी डालर कमाए।

3. दूरदर्शन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन क्षेत्रों में इन धारावाहिकों का प्रसारण किया जा चुका है या नहीं।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र का विस्तार

6706. श्री राजवीर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इसका विस्तार करने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि उत्तर प्रदेश में पहले ही बरेली के मौजूदा अल्पशक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर को उच्चशक्ति ट्रांसमीटर से बदलने और मसूरी में दूरदर्शन ट्रांसपोजर लगाने की स्कीमें चल रही हैं, साथ ही वहां चौखुटिया और सिकंदरपुर में एक-एक टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की भी योजना है। राज्य में कवरेज का और विस्तार इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

"शंख" नामक तेल का उत्पादन

[अनुवाद]

6707. श्री डा. सो. सिल्वेरा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन बिनौले के तेल का उत्पादन करता आ रहा है तथा "शंख" ट्रेड नाम से उसका विपणन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह उत्पादन कब से शुरू हुआ है; और

(ग) इस उत्पाद का क्या विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी हां।

(ख) इसे 15 जनवरी, 1991 को शुरू किया गया था।

(ग) "शंख" परिष्कृत बिनौले के तेल का वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति 15 कि. ग्रा. टिन के लिए 605 रु. और 1 कि. ग्रा. के पॉला पैक के लिए 42 रु. है।

सिविल सेवा परीक्षा, 1990

[हिन्दी]

6708 **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 की सिविल सेवा परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अभ्यर्थी थे;

(ख) इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग के कितने पद भरे जाने थे और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित थे; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पद भर लिये गए हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) सूचना नीचे दी गई है :

परीक्षा का नाम	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	सामान्य उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या
सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1990	1,58,074	1,20,880	29,320	7,874
सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1990	10,121	7,931	1,465	725

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

सामान्य	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां	कुल
83	16	8	107

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मेदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों के नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिए गए हैं।

पटना में टी. वी. स्टुडियो

6709. श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना में एक टी. वी. स्टुडियो की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह स्टुडियो कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या है ; और

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। पटना में अन्तरिम व्यवस्था के स्थान पर पूर्ण विकसित टी. वी. स्टूडियो केन्द्र पहले ही कार्यान्वयनाधीन हैं। इस केन्द्र में एक मुख्य स्टूडियो (370 वर्ग मी.) तथा एक छोटा स्टूडियो (50 वर्ग मी.) और अन्य संबद्ध सुविधाएं जिन्हें व्यावसायिक ग्रेड रंगीन उपकरण से सज्जित किया जाना है, उपलब्ध हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस केन्द्र को 1993-94 के दौरान सेवा के लिए चालू करने का कार्यक्रम है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बबराला उर्वरक कारखाना, उत्तर प्रदेश

6710. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बबराला उर्वरक कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता, इसमें किया गया पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और इसमें उत्पादन किस तिथि से शुरू हो जायेगा;

(ख) इस कारखाने में कुल कितने लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार देने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का है और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) कारखाने की उत्पादन क्षमता 7.42 लाख टन यूरिया प्रतिवर्ष की होगी। परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित निवेश लगभग 750.00 करोड़ रु. था। परियोजना के 1993-94 में आरम्भ होने की संभावना है।

(ख) एकक में उत्पादन शुरू होने पर सीधे रोजगार में आये कर्मचारियों की कुल संख्या 350 के करीब होने की सम्भावना है। तथापि, इसमें ठेके के श्रमिक जिनकी संख्या बदल सकती है, शामिल नहीं होंगे।

(ग) और (घ) कम्पनी यथा सम्भव स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने पर विचार करेगी। बशर्ते कि वे कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करें।

माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरीज कारपोरेशन लिमिटेड में मजदूर

[अनुवाद]

6711. **श्री हाराधन राय :**

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर स्थित माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरीज कारपोरेशन लिमिटेड में से 1700 मजदूरों को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इसकी फैक्टरी की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कम्पनी की वित्तीय स्थिति काफी समय से अच्छी नहीं है जिससे कम्पनी का कार्य-संचालन प्रभावित हुआ है। वर्तमान वित्तीय संकट को दूर करने के लिए सरकार योजना और गैर-योजना निधियां उपलब्ध कराने, बैंकों के साथ क्रैश-क्रेडिट सीमा बढ़ाने और अन्तर-निगम ऋण इत्यादि प्रदान करने का कार्य कर रही है।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए सोवियत संघ से सहायता

[हिन्दी]

6712. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत का वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में सुधार हेतु दी जाने वाली सहायता की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी फिल्मों का प्रसारण

6713. श्री राम टहल चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 के दौरान दिल्ली दूरदर्शन ने कितनी विदेशी फिल्में प्रसारित की; और

(ख) बिना मूल्य के कितनी विदेशी फिल्में निःशुल्क प्राप्त हुई और कितनी फिल्मों के लिए रायल्टी दी गयी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा 1990 के दौरान प्रसारित विदेशी फिल्मों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है इनमें से पांच फिल्में (क्रम सं. 1,3,5,12 और 16) निःशुल्क प्राप्त हुई थीं और शेष के लिए रायल्टी दी गई थी।

विवरण

वर्ष 1990 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से टेलीकास्ट विदेशी फिल्में

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	क्रम संख्या	फिल्म का नाम
1	2	3	4
1.	दि लास्ट सिंगिल	10.	ए वुमेन आफ पेरिस
2.	ए हंटिंग एक्सीडेंट	11.	सरवाईवर्स
3.	मीट जॉन डोए	12.	मेक्सिको सिस्टर्स
4.	जंगल बुक	13.	एन्ड्रयू रबलयोव
5.	लेट-आटम	14.	डेथ आफ एडल्फ हिटलर
6.	ए नोज एमर्स	15.	हन्ना के
7.	39 स्टेप्स	16.	इविनोक्स फ्लावर
8.	फ्लेट आफ जैनो	17.	क्यू वाईवा मैक्सिको
9.	क्लाइड स्पिरिट	18.	इंसपेक्टर जनरल

19.	मंडेला	25.	इंटरमेजो
20.	स्कारलेट पिपरनेल	26.	लव इन एक्साईल
21.	स्लपिंग ब्यूटी	27.	एम
22	कैथरीन दि ग्रेट	28.	स्ट्राईक
23.	एडवेंचर आफ टाम सावयेर	29.	ब्लैकमेल
24.	दि मैन हू न्यू टू मच	30.	पोएम आफ डांसेज
		31.	एक्टेसी

दिल्ली में सिनेमा घर

6714. **डा. लाल बहादुर रावल :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कितने सिनेमाघर हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) सरकार को इन सिनेमाघरों से मनोरंजन कर के रूप में प्रतिवर्ष कितनी आय होती है;

(ग) क्या सरकार को मनोरंजन कर से अब भी उतनी ही आय होती है जितनी पहले होती थी;

(घ) गत चालू वर्षों के दौरान सिनेमाघरों के मालिकों ने टिकटों की दरों में कितनी वृद्धि की;

(ङ) क्या यह वृद्धि सरकार की स्वीकृति लेने के बाद की गई हैं; और

(च) यदि नहीं, तो दिल्ली के सिनेमाघरों के मालिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 74 सिनेमाघर है, जिनमें से 65 स्थायी और 9 अस्थायी हैं । इनके नाम और संस्थान का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा इन सिनेमाघरों से अर्जित विवरण-2 में दी गई है।

(ग) जी, नहीं। प्रति वर्ष मनोरंजन से कर अर्जित राशि में वृद्धि हुई है ।

(घ) चालू वर्ष के दौरान सिनेमाघरों के मालिकों द्वारा टिकट दरों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई ।

(ङ) जी, हां।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण-I

सिनेमाघरों की सूची

क्रम सं.	सिनेमाघर का नाम	पता
1	2	3
1.	आकाश	आजाद, दिल्ली
2.	अम्बा	सब्जीमंडी, दिल्ली
3.	अजन्ता	सुभाष नगर, नई दिल्ली
4.	अलंकार	लाजपत नगर, नई दिल्ली
5.	अल्पना	माडल टाउन, दिल्ली
6.	अनुपम	साकेत, नई दिल्ली
7.	बत्रा	मुकर्जी नगर, दिल्ली
8.	चाणक्य	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
9.	चांद	त्रिलोकपुरी, दिल्ली
10.	डिलाईट	आसफ अली रोड, नई दिल्ली
11.	एक्सेलसियर	काजी होज, दिल्ली
12.	इरोज	जंगपुरा, नई दिल्ली
13.	गोलचा	दरियागंज, नई दिल्ली
14.	ज्ञानंद	जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली
15.	गगन	नन्दनगरी, दिल्ली
16.	ग्रैंडले	न्यू फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली
17.	इम्पीरियल	पहाड़गंज, नई दिल्ली
18.	जुबली	फव्वारा, चाँदनी चौक, दिल्ली
19.	जगत	जामा मस्जिद, दिल्ली

1	2	3
20.	जनक	जनकपुरी, नई दिल्ली
21.	कलामन्दिर	मंगोलपुरी, दिल्ली
22.	खन्ना	पहाड़गंज, नई दिल्ली
23.	कुमार	चाँदनी चौक, दिल्ली
24.	कुलल	जहांगीरपुरी, दिल्ली
25.	लिबर्टी	देवनगर, नई दिल्ली
26.	लक्ष्मी पैलेस	गांधी नगर, दिल्ली
27.	मैजेस्टिक	चांदनी चौक, दिल्ली
28.	मिनर्वा	कश्मीरी गेट, दिल्ली
29.	मिलन	कर्नपुरा नई दिल्ली
30.	मोती	चाँदनी चौक, दिल्ली
31.	नटराज	मोतीनगर, नई दिल्ली
32.	नाज	झंडेवालान, नई दिल्ली
33.	न्यू अमर	अजमेरी गेट, दिल्ली
34.	न्यू फिल्मीस्तान	माडल बस्ती नई दिल्ली
35.	नावल्टी	एस. पी. मुखर्जी मार्ग, दिल्ली
36.	ओडियन	कनाट पैलेस, नई दिल्ली
37.	पैलेस	रोशनआरा रोड, दिल्ली
38.	पारस	नेहरु पैलेस, नई दिल्ली
39.	एयरफोर्स	पालम नई दिल्ली
40.	पायल	नारायणा विहार, नई दिल्ली
41.	प्लाजा	कनाट पैलेस, नई दिल्ली
42.	प्रिया	बसन्त विहार, नई दिल्ली
43	रचना	राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली
44.	रेसकोर्स	रेसकोर्स, नई दिल्ली

1	2	3
45.	राघू पैलेस	लक्ष्मीनगर, शाहदरा, दिल्ली
46.	राघू टाकीज	जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली
47.	रीगल	कनाट पैलेस, नई दिल्ली
48.	रिवोली	कनाट पैलेस, नई दिल्ली
49.	रिट्ज	अन्तर्राज्जीय बस अड्डा, दिल्ली
50.	रोबिन	सब्जीमंडी, दिल्ली
51.	सम्राट	शकरपुर, दिल्ली
52.	सपना	लाजपत नगर, नई दिल्ली
53.	संगम	आर. के. पुरम्, नई दिल्ली
54.	सावित्री	ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली
55.	शालीमार	आश्रम, नई दिल्ली
56.	शीला	पहाड़गंज, नई दिल्ली
57.	स्टेडियम	मथुरा रोड, नई दिल्ली
58.	सुदर्शन	गोतम नगर, नई दिल्ली
59.	सत्यम्	रंजीत नगर, नई दिल्ली
60.	सोनिया	विकासपुरी, नई दिल्ली
61.	उपहार	ग्रीनपार्क, नई दिल्ली
62.	विशाल	राजा गार्डन, नई दिल्ली
63.	विवेक	पटेल नगर, नई दिल्ली
64.	विराट	दक्षिणपुरी, नई दिल्ली
65.	वेस्टेंड	वाराटूटी, दिल्ली
अस्थाई सिनेमाघर		
1.	चन्द्रलोक	गोबिन्दपुरी, नई दिल्ली
2.	कल्याण	ब्रह्मपुरी चौंडा, शाहदरा, दिल्ली

1	2	3
3.	लोकेश	नांगलोई, दिल्ली
4.	राज	चौखडी, दिल्ली
5.	सेवल	बदरपुर बार्डर, दिल्ली
6.	शोभा	नागलोई, दिल्ली
7.	सूरज	नजफगढ़, नई दिल्ली
8.	स्वर्ण	पांडव रोड, शाहदरा
9.	विजय	आजाद पुर, दिल्ली

विवरण-2

वर्ष 198 -83 से 1990-91 तक सिनेमाघरों से प्राप्त मनोरंजन कर

क्रम सं.	वर्ष	सिनेमाघरों से प्राप्त मनोरंजन कर
1.	1982-83	10,85,63,819 00
2.	1983-84	9,62,10,282 00
3.	1984-85	9,59,70,203.00
4.	1985-86	11,31,61,575 00
5.	1986-87	11,42,35,730.00
6.	1987-88	12,19,73,270 00
7.	1988-89	12,97,87,868.00
8.	1989-90	13,79,84 573 00
9.	1990-91	14,15,32,368.00

भारतीय दूतावासों में द्विभाषिक कम्प्यूटर सुविधा

[अनुवाद]

6715. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित सभी भारतीय दूतावासों में द्विभाषिक कम्प्यूटर प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ख) यदि नहीं तो, क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में द्विभाषिक कम्प्यूटर की सुविधा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या भारत में उपर्युक्त संस्थाओं को बिना देरी किये सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण द्विभाषिक कम्प्यूटरीकरण तथा विकसित प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण सूचना बेस सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कम्प्यूटिंग सुविधाएं तथा तकनीकी-मानवशक्ति अवलंब उपलब्ध है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उचित समय पर संबंधित सूचना प्राप्त करने के बारे में सरकार को आवश्यकताओं के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये अपेक्षित सुविधाएं तथा प्रशिक्षण चरणबद्ध रूप से प्रत्येक मामले को अलग-अलग जरूरतों के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

दूरदर्शन धारावाहिक "कृष्ण"

[हिन्दी]

6716. पुंडलिक फुंडकर :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी निर्माता ने दूरदर्शन के लिए "कृष्ण" नामक धारावाहिक के निर्माण की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन को नई प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये "कृष्णा" नामक एक टी. वी. धारावाहिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दूरदर्शन ने इस स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की जांच का काम शुरू कर दिया है :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गरीबों के लिए उपयोग

[अनुवाद]

6717. श्री आग्ये गोवर्धन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिये

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना उपयोग किया गया है;

(ख) क्या किसी व्यावहारिक उपयोग का प्रयास किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी साधनों की कारगरता दिखाने की दृष्टि से सरकार ने रोजगार पैदा करने, आय में वृद्धि करने और चाकरी कम करने के उद्देश्यों से परियोजनायें आरम्भ की हैं।

(ख) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक व्यावहारिक अनुप्रयोग हुआ है।

(ग) सफल व्यावहारिक अनुप्रयोग में कुछेक जलकृषि, वानिकी, भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी जैव उर्वरक, कार्मिक शक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण इलेक्ट्रानिकी नियोजन कार्यक्रम दूर संवेदन, एकीकृत स्रोत आयोजना, अपरम्परागत ऊर्जा (बायो गैस गैसीफायर्स, सौर चूल्हे आदि) रेशम कीट पालन, कम लागत के मकान, मिट्टी के बर्तन बनाना, औषधीय पौधे लगाना, भूमि और जल प्रबन्ध करना, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति का विकास करना और एकीकृत अपशिष्ट प्रबन्ध के क्षेत्रों में है।

परिणामों की विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं:—

(क) 1990-91 के दौरान 4 राज्यों में मछली एकत्रीकरण यंत्रों में 500 मछुआरों को प्रशिक्षण।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान 10 राज्यों में 900 चर्मकारों को प्रशिक्षण :

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक रोजगार पैदा करने के कार्यक्रम के अधीन देशभर में विभिन्न व्यवसायों में 2762 रोजगार पैदा करना।

(घ) 1985-86 से आज तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास योजनाओं के अधीन 324 यूनिटों की स्थापना द्वारा 2235 रोजगार पैदा करना।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान चार राज्यों में जलकृषि के कार्यक्रम के अधीन मछलियों के उत्पादन में 500 मछुआरों को प्रशिक्षण देना :

(च) ब्रह्मपुत्र और अन्य घाटियों में परती भूमि का प्राथमिकीकरण।

(छ) शहतूत की खेती।

(ज) राष्ट्रीय वन सीमा क्षेत्र मानचित्रण :

(झ) अखिल भारतीय जल स्वास्थ्य और स्वच्छता समन्वय कार्यक्रम।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ

6718. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की कितनी शाखायें हैं;

(ख) इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की शाखाएं संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की शाखाओं को कार्यदायक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) इस समय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की 22 शाखाएं (जिनमें ससाधन एकक शामिल हैं), जो देश के विभिन्न भागों मे स्थित है।

(ख) इन शाखाओं का मुख्य उद्देश्य अपनी सम्बद्ध इकाइयों को आपूर्ति सम्बन्धी सहायता प्रदान करना है, ताकि वे उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण व्यापार में प्रभावशाली भूमिका निभा सकें।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की अधिकांश शाखाओं का कार्य अनेक कारणों से संतोषजनक नहीं है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने कार्य योजना तैयार करने के अतिरिक्त शाखाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु अनेक कदम उठाए है। इसके साथ ही कुछ अलाभकारी शाखाओं को बन्द कर देने का भी निणय किया गया है।

हल्दिया पेट्रो रसायन परियोजना

6719. श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली हल्दिया पेट्रो रसायन परियोजना को सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय ऋण की आवश्यकता होगी,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच ऐसे ऋण देने की कोई प्रक्रिया आरम्भ की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां :

(ख) और (ग) परियोजना के लिये वित्तीय प्रबन्ध जार्यान्वयन करने वाली कम्पनी द्वारा किये जाने हैं : हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि. ने बताया है कि परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपये की सीमा तक रुपया मियादी ऋणों के लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही वायदा कर दिया है ।

इलेक्ट्रानिकी संबधी पत्रिका का हिन्दी में प्रकाशन

6720. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी संबधी शोध पत्रिकाएं हिन्दी में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और

(ख) इलेक्ट्रानिकी सम्बन्धी शोध प्रकाशनों को हिन्दी में प्रकाशित करने को प्रोत्साहन देने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय इलेक्ट्रानिकी विभाग में इलेक्ट्रानिकी विषयों पर हिन्दी में शोध-पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देने की कोई योजना है ।

संगठित सेवाओं के रूप में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सेवाएं

6721. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न तकनीकी विभागों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सेवाओं को संगठित करने का रूप देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमति मारग्रेट अल्वा) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाओं को संगठित सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में इन संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिकों के लिये कार्मिक नीतियां लागू की हैं । रिक्ति आधारित पदोन्नतियों की बजाय जैसे कि संगठित सेवाओं में होती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में एक लचीली पूरक/योग्यता पदोन्नति योजना लागू है । इस योजना के अधीन एक वैज्ञानिक पदावास की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद स्व-स्थाने पदोन्नति का पात्र बन जाता है ।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना

6722. **श्री हाराधन राय :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के चेयरमैन ने निगम के कुछ कर्मचारियों का सेवाकाल बढ़ाये जाने के लिये सरकार से अनुमति ली है;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी के थुंगुन) : (क) से (ग) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी. बी. यू. एन. एल.) की स्थापना से अब तक बी. बी. यू. एन. एल. और इसकी सहायक कम्पनियों के छः अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया है। इनमें से पांच मामलों में सरकार की स्वीकृति ली गई थी। एक मामले में, कार्य की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण सम्बन्धित कम्पनी के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से सेवाकाल बढ़ाया गया।

बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक का सेवाकाल बढ़ाना

6723. **श्री ह राधन राय :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक और भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक (वित्त), जिनका कार्यकाल क्रमश. जून, 1990 और जुलाई, 1991 में समाप्त हो गया था, के सेवाकाल को सरकार की मंजूरी लिये बिना ही बढ़ा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह के सेवाकाल बढ़ाये जाने के क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला औद्योगिक केन्द्रों का व्यय

[हिन्दी]

6724. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के समय उनके प्रशासनिक व्यय संबंधी मूल ढांचा क्या था ;

(ख) क्या सरकार का विचार इनके प्रशासनिक व्यय में केन्द्र के अंशदान में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जिला औद्योगिक केन्द्रों को दिये जा रहे अंशदानों की राशि कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) देश में जिला उद्योग केन्द्र आरम्भ करने के समय उनके प्रशासनिक खर्च का ढांचा निम्नलिखित था :—

(1) भारत सरकार निम्नलिखित का प्रावधान करेगी :—

(I) जिला उद्योग केन्द्र के कर्मचारियों के वास्ते कार्यालय स्थल के लिए भवन निर्माण हेतु प्रति जिला उद्योग केन्द्र 2 लाख रुपये का गैर-आवर्ती अनुदान।

(II) फर्नीचर और फिक्सचर्स, कार्यालय उपकरणों तथा वाहनों (अधिमानत: डीजल चालित जीपों) आदि के खर्च हेतु 3 लाख रुपये का गैर-आवर्ती अनुदान।

(III) अधिक से अधिक 3.75 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान बशर्ते राज्य सरकार भी उसके अनुरूप प्रति केन्द्र 1.25 लाख का अंशदान करे। जहां स्थापित जिला उद्योग केन्द्र का आवर्ती व्यय 5 लाख रुपये से कम है वहां केन्द्र का अंशदान 75% तक सीमित रहेगा।

(2) जिला उद्योग केन्द्र योजना के शेष प्रशासनिक खर्च राज्य सरकारों द्वारा किये जाने थे।

जिला उद्योग केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय के संदर्भ में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को बाद में संशोधित कर दिया गया था। अंतिम संशोधन वर्ष 1985-86 में किया गया था। खर्च का शेयरिंग अब इस प्रकार है :—

(1) भारत सरकार निम्नलिखित प्रावधान करेगी।—

(i) प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष स्थापना संबंधी आवर्ती खर्चों के लिए 4 लाख रु. और

(ii) स्वीकृत जिला उद्योग केन्द्रों तथा उन उद्योग केन्द्रों के लिए जिन्होंने 31.3.1985 तक अपने भवन का निर्माण पूरा किया है उनके वास्ते गैर-आवर्ती खर्च के अधीन प्रत्येक जिला केन्द्र को 4 लाख रु (एक बार में भुगतान) अथवा कुल खर्च का 50% जो भी कम हो।

(2) शेष व्यय राज्यों द्वारा किया जायेगा। केन्द्र शासित क्षेत्रों के मामले में खर्च के स्वीकृत प्रतिमान तथा केन्द्रीय बजट में उपलब्ध धन के अनुसार केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत आधार पर होगी।

जिला उद्योग केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय में केन्द्र सरकार का शेयर बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नई औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन

[अनुवाद]

6725. **श्री सी. श्रीनिवासन :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के श्रमिक संघ नई औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन का विरोध करने का प्रयास करते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं। बहरहाल, वित्त मंत्री ने दिनांक 17.8.1991 को श्रमिक नेताओं के साथ आयोजित अपनी बैठक में औद्योगिक नीति संबंधी श्रमिक संघों की आपत्तियों का निराकरण कर दिया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सीमेंट निगम की इकाईयों की कार्यकुशलता

6726 **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग अधिक लाभ और लाभांश कमा रहा है ;

(ख) यदि हां तो क्या भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत सीमेंट इकाइयों की कार्यकुलता और लाभकारिता में सुधार हुआ है ;

(ग) यदि नहीं तो क्या उनके कार्यकाल के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) क्या इन इकाइयों की कार्यकुशलता में सुधार करने के प्रयासों में श्रमिकों और उनके संघों का सहयोग लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) सीमेंट उद्योग गत वर्षों की तुलना में इस समय कुल मिलाकर बेहतर स्थिति में है।

(ख) सी. सी. आई. का उत्पादन 1990-91 में बढ़कर 28.67 लाख टन तक पहुंच गया है जबकि 1988-89 में यह 24.77 लाख टन था। उक्त अवधि में प्रचालन लाभ 1988-89 के 3.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 38.54 करोड़ रुपये हो गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कामगारों और उनकी यूनियनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सीमेंट का उत्पादन

6727. श्री सैय्यद शाहबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री 21 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में सीमेंट का वस्तुत: कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितना उत्पादन होने की आशा है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सीमेंट का कितनी मात्रा में आयात अथवा निर्यात किया गया और चालू वर्ष में क्या निर्यात रहने का अनुमान है ;

(ग) सीमेंट के खुदरा मूल्य निर्धारण करने संबंधी सूत्र क्या है ; और

(घ) शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने पर उत्पादन की अनुमानित यूनिट लागत क्या है और कारखाने से बाहर आने पर इसका मूल्य कितना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान वास्तविक सीमेंट उत्पादन तथा 1991-92 हेतु उत्पादन का लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल उत्पादन (अतिलघु क्षेत्र तथा व्हाइट सीमेंट एककों सहित)
	(मी. टन मिलियन में)
1989-90	45.50
1990-91	47.98 (अनंतिम)
1991-92	55 00 (लक्ष्य)

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किये गये और आयात किये गये सीमेंट की तथा चालू वर्ष मे परिकल्पित मात्रा के संबंध में सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	आयात	निर्यात
	(मी. टन लाख में)	
1989-90	—	1.68
1990-91	—	2.65
1991-92	—	5 00 (अनुमानित)

(ग) इस समय सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(घ) उत्पादन की वास्तविक लागत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र एवं एक सीमेंट एकक से दूसरे एकक में भिन्न-भिन्न होती है जो संयंत्र में लागू प्रक्रिया, उसकी आयु तथा संयंत्र के स्थापना-स्थल, विनिर्दिष्टियों इत्यादि की लागत पर निर्भर होती है। इन परिस्थितियों में सीमेंट फैक्ट्रीयों के उत्पादन की लागत बताना व्यवहारिक नहीं है।

बिहार के सबडिवीजनल मुख्यालय पुपरी में आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाता की नियुक्ति

[हिन्दी]

6728. श्री नवल किशोर राय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित, पुपरी सबडिवीजनल मुख्यालय में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाता की नियुक्ति करने का है ;

(ख) क्या सरकार विचार सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए सीतामढ़ी के पुपरी सबडिवीजन के समस्याग्रस्त, पिछड़े और नाजुक क्षेत्र को आकाशवाणी और दूरदर्शन से जोड़ने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) सीतामढ़ी जिला आकाशवाणी दरभंगा से पूर्ण रूप से कवर होता है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, सीतामढ़ी में कार्यरत अल्पशक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर के अलावा, सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों को मुजफ्फरपुर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से सेवा प्राप्त होती है। सीतामढ़ी जिले के कवर न हुए भागों के लिये सेवा की व्यवस्था करना इस प्रयोजन के लिये साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा के क्योंझर सुन्दरगढ़ और मयूर गंज में भारी उद्योग

[अनुवाद]

6729. श्री गोविन्दचन्द मुंडा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर, सुन्दरगढ़ और मयूरगंज जिलों में बहुत बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध होने के बावजूद भी कोई भारी उद्योग नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु

1991-92 के दौरान उन क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित करने का है अथवा इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी जे. कुरियन) : (क) और (ख) किसी जिले के औद्योगीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। 7वीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में लगभग 629 करोड़ रुपए के निवेश वाले 83 नए बड़े और मझोले उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। वर्ष 1988-90 में इस राज्य के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में उद्योग लगाने के लिए 6 आशय-पत्र और। औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है।

सरकार ने अक्तूबर, 1989 में सुन्दरगढ़ जिले में राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 2,461 करोड़ रु. की लागत वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

उड़ीसा मे विकास दर

[हिन्दी]

6730. श्री गोविन्द चंद्र मुन्डा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा की विकास दर बहुत कम है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की समेकित विकास दर कितनी रही है; और

(घ) उड़ीसा की विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) 1987-88 से 89-90 के तीन वर्षों के दौरान निवल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर के अनुसार सम्बद्ध राज्यों में उड़ीसा का स्थान संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। राज्य की स्थिति साल-दर साल परिवर्तित हुई है।

(ख) राज्यों की संविदि दर उनमें से कुछ आधारिक संरचना उद्योग तथा उद्यमशीलता के ऐतिहासिक रूप से असमान विकास होने तथा साल-दर-साल वर्षा में परिवर्तन तथा फलस्वरूप सूखा तथा बाढ़, अनेक कारणों से भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) 1987-88 से 1989-90 के दौरान निवल राज्य घरेलू उत्पाद की राज्यवार संवृद्धि दर तथा देश की राष्ट्रीय आय की संवृद्धि दर अनुबंध में दी गई है।

(घ) उड़ीसा राज्य संविदि दर की वृद्धि के लिए विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का आधारिक संरचना विकास, उद्योग कृषि सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तथा गरीब लोगों की आय में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भी निवेश/परिव्यय शामिल है।

विवरण

निवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घरेलू उत्पादन की संवृद्धि दरें तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की (रैंकिंग घटते क्रम में)

(1980-81 की स्थित कीमतों पर संवृद्धि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89 (पी)
1	2	3	4	5	6
1.	सिक्किम	20 63	1.	राजस्थान	45.77
2.	मध्य प्रदेश*	1495	2.	गुजरात	37.94
3.	नागालैंड	10.77	3.	हरियाणा	24.22
4.	आन्ध्र प्रदेश	9.19	4.	जम्मू व कश्मीर	17.02
5.	मेघालय	9.05	5.	उड़ीसा	14.95
6.	त्रिपुरा	8.35	6.	नागालैंड	11·45
7.	महाराष्ट्र	8.16	7.	कनाटक	10.58
8.	मणिपुर	6.51	8.	आंध्र प्रदेश	9.90
9.	गोवा	6.45	9.	महाराष्ट्र	9.22
10.	दिल्ली	6.17	10.	उत्तर प्रदेश	9 09
11.	असम	5.50	11.	विहार	8.70
1 .	तमिलनाडु	5.34	12.	मध्य प्रदेश*	8.69
13.	अरुणाचल प्रदेश	5.25	13.	केरल	7.94
14.	कर्नाटक	5 14	14.	हिमाचल प्रदेश	7.45
15.	पंजाब	4.93	15.	अरुणाचल प्रदेश	6.71
16.	पांडिचेरी	4.74	16.	त्रिपुरा	6.41
17.	उत्तर प्रदेश	3.11	17.	मणिपुर	5.76
18.	पश्चिम बंगाल	3.08	18-	पंजाब	5.63
19.	केरल	2.58	19.	तमिलनाडु	5.23
20.	हिमाचल पदेश	0 89	20.	मेघालय	4.97
21.	उड़ीसा	1.44	21.	गोवा	4.72
23.	हरियाणा	2.07	22.	पश्चिम बंगास	4.39
24.	विहार	6.10	24.	असम	2 02
25.	गुजरात	8.59	24.	पांडिचेरी	0.80
26.	जम्मू व कश्मीर	12.62			
	अखिल भारतीय (निवल राष्ट्रीय उत्पाद में संवृद्धि	3.99			11.74

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90
7	8	9
1.	असम	11.30
2.	हिमाचल प्रदेश	11.00
3.	महाराष्ट्र	9.25
4.	पंजाब	9.99
5.	त्रिपुरा	7.30
6.	उड़ीसा	6.03
7.	केरल	5 51
8.	प. बंगाल	4.82
9.	गोवा	4.74
10.	आन्ध्र प्रदेश	4,11
11.	कर्नाटक	3.59
12.	उत्तर प्रदेश	3.25
13.	मेघालय	3.09
14.	हरियाणा	3.06
15.	पांडिचेरी	2,04
16.	गुजरात	1.45
17.	अरुणाचल प्रदेश	0.33
18.	मध्य प्रदेश *	0.10
19.	तमिलनाडु	—0.01
20.	मणिपुर	—0.33
21.	राजस्थान	—2.90
22.	बिहार	—3.78
	अखिल भारत	5.17

(निवल राष्ट्रीय उत्पाद में संवृद्धि)

क्यू : त्वरित अनुमान पी : अनंतिम

* पुरानी (1970-71) श्रृंखला पर आधारित

टिप्पणी : मध्य प्रदेश को छोड़कर जो (1970-71 की) स्थिर कीमतों पर आधारित है, सभी राज्यों की संवृद्धि दरों को स्थिर (1980-81) कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के अनुमान तैयार किये गये हैं। मध्य प्रदेश के अनुमान अन्य राज्यों से तुलनीय नहीं है। मिजोरम स्थिर कीमतों पर निवल घरेलू आय के अनुमान तैयार नहीं करती है तथा इसलिए उपरोक्त तुलना में इसे छोड़ दिया गया है।

स्रोत : राज्य अनुमानों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों की आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद)

अफसरों का उत्तरदायित्व

[अनुवाद]

6731. श्री मदनलाल खुराना :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने मे अफसरों की कार्यवाही/भूमिका के लिए उन्हें उत्तरदायित्व बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) अधिकारियों द्वारा सरकार की नीति बनाने एवं उसे कार्यान्वित करने में उनकी कार्यवाही/भूमिका के लिए उन्हें उत्तरदाई बनाने में संगत कानूनों, नियमों और विनियमों का प्रावधान है जिनमें विभिन्न सेवाओं को संचालित करने के लिए आचरण और अनुशासन सम्बन्धी नियम भी शामिल हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के सूत्र 20 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में, जवाबदेही को अधिक प्रभावी तौर पर लागू करने के लिये पहले ही उपाय किए गए हैं। इनमें निम्न उपाय शामिल हैं।

— कार्य योजनाएं तैयार करना और इनके कार्यान्वयन को मासिक/तिमाही आधार पर मानीटर करना।

— विभिन्न श्रेणियों के मामलों के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के स्तर और उन्हें प्रस्तुत करने के चैनल निर्धारित करना।

— जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जानी है, उसके कार्य के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में संशोधन करना।

विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन

6732. **श्री येल्लैया नंदी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो योजना का इसके उद्देश्यों सहित ब्योरा क्या है,

(ख) क्या बोर्ड ने उन सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कोई मानदंड तैयार किए हैं जिनमें विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार की 40 प्रतिशत से कम विदेशी पूंजी निवेश वाली तथा 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी निवेश वाली कंपनियों के प्रति सामान्य नीति क्या है, और

(घ) 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी निवेश वाली कम्पनियां किन क्षेत्रों में उद्योग लगा सकती हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) विदेशी निवेश सम्बन्धी नीति 24 जुलाई, 1991 को सदन के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के पैरा 24, 25 26 और 39 में दी गई है।

इस वक्तव्य के पैरा 39 ख (5) के अनुसरण में, सरकार ने एक विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य उन परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में निवेश आमंत्रित करना और सहायता करना है जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था में लाभकारी समझी जाती है और विदेशी निवेश प्रस्तावों की अनुमति हेतु विद्यमान नीति के मापदण्डों के भीतर नहीं आती है। इस बोर्ड के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ सम्पर्क करना और उपयुक्त उद्यमों में भारत में निवेश करने के लिए चुंदिना अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करना शामिल है। निवेश के इस कार्यक्रम में विनिर्माण, विपणन, डिजाइनिंग तथा निर्यात प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण, आधारभूत विकास, कच्चे माल तथा प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा उपयोग, रोजगार में पर्याप्त वृद्धि जैसे कार्यकलाप शामिल होंगे।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

6733. **श्री येल्लैया नन्दी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के व्यापक उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण भी करना है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उद्यमियों तथा विदेशी कम्पनियों को बेची गई प्रौद्योगिकियों का ब्योरा क्या है तथा इस प्रकार बेची गई प्रत्येक प्रौद्योगिकी से कितना मूल्य प्राप्त हुआ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिकी और औषध-निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा कराये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक अध्ययन के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन आर डी सी) के मुख्य उद्देश्य विवरण-1 में दिए गए हैं ।

(ख) एन आर डी सी वाणिज्यिकरण के लिए उद्योग को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस देता है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान विभिन्न उद्यमियों को लाईसेंसी कृत प्रौद्योगिकियों और प्रत्येक लाईसेंसीकृत प्रौद्योगिकी से प्राप्त मुद्रा मूल्य विवरण-2 में दिए गए हैं । विदेशी कम्पनियों के संबंध में संगत सूचना विवरण-3 में दी गई है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिकी और औषध-निर्माण के क्षेत्र में बाह्य एजेंसियों द्वारा निगम द्वारा कराए गए अध्ययन और प्रत्येक अध्ययन के लिए भुगतान किया गया प्रभार विवरण 4 में दिया गया है । तथापि, निगम ने स्वयं अनेक घरेलू अध्ययन शुरू किए जिसमें से थिक फिल्म हाईब्रिड माइक्रो सर्किट इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषय है ।

विवरण I

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन आर डी सी) के उद्देश्य

प्रयोगशाला स्तरीय तकनीकी जानकारी का वाणिज्यिकरण

— वाणिज्यिकरण से पूर्व प्रयोगशाला स्तरीय प्रक्रियों को सिद्ध करने/स्केल अप करने के लिये पायलट प्लांट की स्थापना हेतु प्रौद्योगिकी विकास ऋण उपलब्ध कराना ।

— उद्योग को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस देना ।

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले नए उद्यमियों की स्थापना को सुगम बनाने के लिये समसहभागिता

आविष्कारों का वाणिज्यिकरण और उन्नति

— भावी आविष्कारों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना ।

— उल्लेखनीय (गुणवता सम्पन्न) आविष्कारों को अवार्ड देना ।

— वाणिज्यिकरण और पेटेंट में आविष्कारों की मदद करना ।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास और उन्नति

— चयनित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का अभिनिर्धारण, सिद्ध किया जाना व प्रदर्शन

— चयनित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण में सहायता ।

प्रौद्योगिकी का निर्यात

— भारत में सफल वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों के निर्यात को बढ़ावा देना ।

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित विदेश में टर्न की परियोजना का निष्पादन

— प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में भारत को प्रस्तुत करना ।

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण विषयक सूचना का प्रचार-प्रसार

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना

— प्रौद्योगिकी विकास और हस्तान्तरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रदर्शनी लगाना, पीरियोडिकल्स प्रकाशित करना, श्रव्य दृश्य आयोजन ।

विवरण 2

तीन वर्ष की अवधि के दौरान एन आर डी सी द्वारा लाइसेंसीकृत प्रौद्योगिकियां 1988-89 से 1090-91

और प्रत्येक से प्राप्त (वसूला गया) मुद्रा मूल्य

क्रमांक	प्रौद्योगिकी	प्राप्त मुद्रा मूल्य
1	2	3
		(रु लाखों में)
1.	100 डब्ल्यू यू एच एफ ट्रांसमीटिंग एन्टीनास	0.50
2.	26 चैनल आर एन रिसीवर (माडीफिकेशन किट)	1.50
3.	एस-बैन्ड सिगनल जैनरेटर फार टी वी आर ओ	1 00
4.	लैड जिरकोनेट टिटानेट फॉर हाइ पावर्ड ट्रांसड्यूसर्स	2.00
5.	हाइ/लो इम्पेडेन्स पाइजोइलेक्ट्रिक एक्सलीरोमीटर	0.20
6.	सोलर केन्डिल मैकिंग मशीन	0.03
7.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ लिकरटिड ग्रेनुलर पाइल्स	0.35
8.	फायर रिटारडेन्ट पेन्ट	0.075
9.	मिनी क्लाइम्बिंग क्रेन	2. 0
10.	सिलीकेट बेस्ड वाटर प्यूफिंगफॉरमुलेशन	0 50
11.	वाटर प्यूफिंग सिस्टम फॉर एक्सपोस्ड मेसोनरी लाइम कंक्रीट सरफेस	0.10
12.	कारुगेटेड रुफिंग शीट्स फ्राम कोइजर वेस्ट/वुड वूल	0.20
13.	बर्निंग बिल्डिंग ब्रिक्स वाइ सेमी मेकेनिस्ड प्रोसेस इनक्लुडिंग हाइ ड्राट किल्न	2.60

1	2	3
14.	इम्पूव्ड बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन	0.07
15.	बोर्ड कम्पैक्शन पाइल्स	0.75
16.	कंक्रीट ब्लाक मेकिंग मशीन	0.25
17.	सोलर वाटर हीटर (लार्ज एंड डोमेस्टिक साइज)	
18.	ब्रिक मेकिंग मशीन एक्सट्रूशन	0.05
19.	आयल फार ट्रीटमेंट आफसोराइसिस	0.20
20.	कैडमियम सोलानाइड फोटो कन्डक्टिव सेन्स	0.20
21.	रस्ट कन्वर्टर	0.35
22.	एन्टी कॉरोसिव ट्रीटमेंट टू स्टील रिइन्फोर्समेंठ रॉड्स	2.00
23.	एलुमिनियम एलाय एनोड्स, जिंक एलाय एंड मैग्नीशियम एलाय	2.00
24.	एसिड इन्हीबिटर इन सोलिड फार्म	1.25
25.	कोरोजन मीटर	0.25
26.	लैड एसिड स्टोरेज बैटरीज आफ 6 वोल्ट-100 ए एच प्लेट टाइप	0.728
27.	पोटेशियम आयोडेट	0.20
28.	जिंक एथिल सिलीकेट प्रीमियर	0.15
29.	कापर प्लेटिंग ऑन स्टेनलेस स्टील	0.60
30.	सक्सीनिक एसिड	0.35
31.	निकिल केडमियम बैटरीज (वेन्टेड टाइप एंड सील्ड टाइप)	0.90
32.	मैग्नीशियम क्यूपरस क्लोराइड वाटर एक्टिवेटिड बैटरीज	0.10
33.	मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड वाटर एक्टिवेटिड बैटरीज	0.20
34.	आयन सेलेक्टिव इलैक्ट्रोड्स फार सिल्वर कूपरिक एंड क्लोराइड आयन	0.10
35.	कैल्शियम हेलोफासफेट डेलाइड/फासफेट	0.25
36.	थिक फिल्म हाइब्रिड माइक्रो सर्किट्स	4.50
37.	माइक्रोप्रोसेसर बेस्ट इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज	6.00

1	2	3
38.	मोनोक्रोम टीवी पिक्चर ट्यूबस	5.00
39.	फलाई एश ब्रिक्स	1.10
40.	वैक्स इमुल्जन	0.05
41.	पेक्टिन फ्राम पैक्टोनिशियस मैटोरियल	0.60
42.	हाइ गम्मा वी एच सी (लिन्डेन)	1.00
43.	गैलरिक पाउडर	0.80
44.	इन्सटेंट मैंगो एंड लाइम पिकल	0.05
45.	स्पाइस ओलेरेसिन्स	1,00
46.	स्पाइस आयल्स	0.20
47.	तारपीन लेस आयन बाइ क्रोमेटोग्राफिक मैथड	0.10
48.	मिनीफ्यूम टेबलेट्स	0.10
49.	नैचुरल फूड कलर्स	0.40
50	सिन्थेटिक हाइ एलुमिनियम एग्रेट्स	2.50
51.	सिंगल फायर्ड विट्रस टाइप मैट ग्लेज्ड सिरेमिक टाइल्स फार फलोरिंग एंड फेसिंग	1.25
52.	माइका बेस्ड टैक्सराइज्ड कोटिंग	0.15
53.	इन्सुलेटिंग ब्रिक्स फ्राम राइस हस्क	1.20
54.	हाइ एलुमिना सीमेंट	0.75
55.	ग्लास रैनफोर्स्ड जिप्सम एंड प्लास्टर आफ पेरिस	2.00
56.	ग्लास बोन्डड माइका	0.50
57.	सिरेमिक कलर्स	0.50
58.	ग्लास इलैक्ट्रोड्स फार पी एच, पी एन ए एंड पीके मीसरमेंट	0.558
59.	होट व्हील (रोटरी रिजेनरेटर (फार मैक्सफलू गैस 86 सी	0.40
60.	हाइ एलुमिना सिरेमिक्स	0.50
61.	सोडियम सिलीकेट फ्राम राइस हस्क एश	0.20
62.	एनवायरोमेंटल डाटा एक्यूजोशन सिस्टम	0.05
63.	लैक्यूर सीए	0.10
64.	माइरोबेलन/वैटल टैनिंग एक्सट्रैक्ट्स	0.25

1	2	3
65.	सल्फोटिड आयल फैट लिक्योर्स	0.10
66.	सिन्टैन पी यू आर	0.209
67.	एन्टीफजल टैब्लेट्स	0.10
68.	जिरकोनियम साल्टस फाम जिरकोनियम सेन्ड्स	0.10
69.	एक्रिलिक रेसिन एमुल्जन एज वाइन्डर 'वाइन्डर आर एस.	0.10
70.	फ्रिक्शन वैल्डिंग मशीन	0.50
71.	रेस्कालाइट	0.25
72.	नान-फेड ईसीजी मानीटर सिस्टम	0.15
73.	मिनीकार्डियोस्कोप	0.05
74.	सीयू-जेडएन-एएल शेप मेमोरी एलाय	0.20
75.	इलैक्ट्रोस्पोट टेस्टिंग किट फार फेरो एंड नानफैरस एलायस	0.103
76	अल्ट्रासोनिक हार्डनेस टेस्टर	0.15
77.	मैग्नीशियम सल्फेट (एप्सम साल्ट)	0.30
78.	टेबिल साल्ट एंड डेयरी साल्ट	0.05
79.	सोडियम क्लोराइड आइपी एंड एआर	0.10
80.	ड्राइ कैमिकल पाउडर फार एक्सटिंगनिशिंग फायर्स इन्वोल्विंग मैटल्स	0.10
81.	वाटर टैस्टिंग फील्ड किट	0.401
82.	ड्राइ शेम्पो	0.05
83.	इम्प्लेन्ट रील	0.403
84.	माइक्रोप्रोसेसर ट्रेनर किट	0.25
85.	एजूकेशनल रोबोट्स	0.25
86.	एन्टी-रेसिस्टेन्ट इस्सेक्टीसाइडल फारमुलेशन्स	0.25
87.	मोनोक्रोटोफास टैक्नीकल इन्क्लूडिंग मोनोक्रोटोफास 36-डब्ल्यू एस सी	8.75
88.	कार्डानल एंड अदर प्रोडक्ट्स बेस्ट आन कार्डानल एंड कैश्यू नट शेल लिक्विड	0.25
89.	मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	2,50

1	2	3
90.	डि-रिफाइनिंग आफ यूज्ड आइसी इंजिन क्रैंक केस आयल	0.70
91.	प्रेसीपिटेटिड सिलिका फ्राम राइस हस्क	0.20
92.	स्पिरल ग्रूव्ड ग्राइन्डिंग व्हील्स	2,00
93.	राइस हस्क पार्टीकल बोर्ड 10 65	10.65
94.	हाइपोस्प्रे जेट इन्जेक्टर	0.10
95.	बोन स्टीमुलेटर	0.25
96.	इडी करेन्ट प्रेसीजन थिकनेस टेन्सनर	0,07
97.	आटोमेटिक चार्जर फार लेड एसिड बैटरीज	0.05
98.	फायल टाइप स्ट्रेन गेज्स	0,80
99.	बोन्ड वायर स्ट्रेन गेज कालम टाइप लोड सेल्स	0 10
100.	नेसेलोन	0.10
101.	थियोफिलाइन, एमिनोफिलाइन, कैफीन	1.00
102.	म्येफोन	0.05
103.	विटामिन बी-6	4.00
104.	केन सीलिक कम्पोजीशन बेस्ड आन नेचुरल रबीर	0.30
105.	रेडियोसोन्म थर्मिस्टर	0.25
106.	क्लोरोस्कोप	0.05
107.	क्लोरीन टेबलेट्स	0.50
108.	एयर एंड नाइट्रोजन एटोमिस्ड एक्सट्रा फाइन नान-फेरस मेटल पाउडर्स	0.35
109.	जिंक आक्साइड फ्राम जिंक वेस्ट स्क्च एच जिंक एश/जिंक हाइड्रोक्साइड	0 60
110.	इलैक्ट्रोसाइटिक मैंगनीज डाइआक्साइड	10.00
111.	नान फेरस मेटल पाउडर	0.70
112.	इन्हीबीटर स्यूटेबिल फार पिकलिंग आफ स्टील्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोलुशन्स रूम टेम्प	0.20
113.	डायरेक्ट रेड्यूज्ड आयरन (स्पोंज आयरन) बाइ बोआरडोआर प्रोसेस	2.00
114.	ब्लैक स्टेम्प कैन्सिलेशन इंक	0.35

1	2	3
115.	सिल्वर इम्प्रेगनेटेड ग्रेफाइट कन्टेक्ट्स	1.10
116.	फ्लैट प्लेट कलैक्टर	0.15
117.	लिक्विड नाइट्रोजन कन्टेनर्स	0.15
118.	फ्लैक्सीबिल ग्रेफाइट	1.35
119.	मैग्नेटिक टेप	0.30
120.	इन्डिलीबिल इंक	0.25
121.	रिकवरी आफ सिल्वरफ्राम वेस्ट हाइपो सोलुशन	0.10
122.	टो लोड मीजरिंग डिवाइस	0.20
123.	इम्प्रुव्ड लिक्विड फयूल बर्नर	1.00
124.	सिन्थेटिक आयरन आक्साइड ब्लैक एंड रेड	0.20
125.	डिक्लोरोवोस	2.00
126.	कार्डानोले एंड सीएनएसएस बेस्ड सरफेस कोटिंग्स	0.75
127.	मेन्थोल फ्राम मिन्ट आयल	0.20
128.	सिलिका जेल	0 50
129.	कैफीन फ्राम टी वेस्ट्स	0.50
130.	डायोसजेनिन	0.50
131.	वाटर फिल्टर कैन्डिल्स	1.00
132.	थर्मोग्राफिक पेपर	1.50
133.	फास्फेमिडान टेक्नीकल इन्क्लूडिंग फास्फेमिडान 85-डब्ल्यूएससी	2.00
134.	डायरेक्ट कापी पेपर	0.40
135.	पेपर स्लेट	0.10
136.	हेन्डी ले अप टेक्निक फार मोल्डिंग आफ बनाना फेब्रिक कम्पोजिट	0.05
137.	पार्सियली डिफेटिड एडिबिल कोकोनट ग्रेटिंग	0.45
138.	हाइ पजेन्ट फ्रेक्शन एंड कलर फ्राम इंडियन स्पाइस ओलेओरेजिन	0.15
139.	बाटलिंग आफ कोकोनट वाटर	0.15

1	2	3
140.	डिसपोसेबिल ब्लड बैग्स, सोफ्ट शेल ब्लड आक्सीजनरेटर एंड साफ्ट शेल ब्लड आक्सीजन एंड साफ	12.00
141.	सेमी-आटोमेटिक बिल्डिंग ब्लाक्स मेकिंग मशीन	0 20
142.	प्रि-कास्ट फेरोसीमेन्ट सिलिन्ड्रीकल यूनिट्स	1.80
143.	फाइबर रेनफोर्सड सीमेन्ट कंक्रीट मेनहोल कवर्स	0.55
144.	फेरोसीमेंट मेनहोल कवर्स फार हे ड्यूटी	0 075
	योग :	145.202

विवरण-3

वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान विदेशी कम्पनियों को लाइसेंसीकृत प्रौद्योगिकियां और प्रत्येक से प्राप्त (वसूला गया) मुद्रा मूल्य

प्रौद्योगिकी	सविदा मूल्य* (रु. लाखों में)	आज की तारीख तक प्राप्त मुद्रा मूल्य (रु. लाखों में)
1. ट्रिकाटेनोल	15.15	2.65
2. डिहाइड्रेटिड ग्रीन पेपर	33.46	5.41
3. सिन्थेटिक एंड नेचुरल डाइस	120 30	20.15
4. मेन्थोल	72.66	72.66

*तकनीकी जानकारी, परामर्श व संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति सम्मिलित है।

विवरण-4

(क) इलेक्ट्रानिक्स

बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट

1. मैसर्स चाणक्य कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि. द्वारा जैव-चिकित्सा विषयक डिवाइस-प्रभार 60,000/- रु.।

2. निम्नांकित इलैक्ट्रानिक उत्पाद-विषयक

i. एजुकेशनल रेबोट

ii. माइक्रोप्रोसेसेर ट्रेनर किट

iii. इपीआरओएम प्रोग्रामर

iv. डिवीटल कन्डक्टीविटी मीटर

v. अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर (वेटिड टाइप+वोरटेक्स टाइप)

vi. इन्डस्ट्रियल टाइमर

Vii. अल्ट्रासोनिक विस्कोमीटर

Viii. आटोमैटिक बायो-केमिकल एनलाइजर

ix. सीनियर एक्सलिरेटर

x. यूनिवर्सल काउन्टर/टाइमर बाइ मै. बेहोम वेडिया एंड एसोसियेट्स—प्रभार 65,000/- रु.

परियोजना रिपोर्ट्स

1. रिपोर्ट आन मोनोक्रोम टीवी पिक्चर ट्यूब फॉसफर-प्रभार—1.15 लाख रु. टू सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.।

(ख) फार्मास्यूटिकल्स

बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट्स

1 आन कालीजम शीट्स कन्डक्टड बाइ मै. बिजनिस होरीजोन।

— प्रभार 30,000/- रु.

2. आन स्पीरूलिना एल्गे कन्डक्टड बाइ मै. बिजनिस होरीजोन,

— प्रभार 30,000/- रु.

भारतीय साइकिल निगम का सर्वेक्षण

6734. **श्री हाराधन राय :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी लिमिटेड ने भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड, कल्याणपुर/कल्याणी, पश्चिम बंगाल का सर्वेक्षण किया है और इससे अर्थक्षम बनाने हेतु कुछ उपाय अपनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है और इसे स्वीकार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की कार्य विधि क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) जी, हां। साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा नियुक्त मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज ने व्यापक अध्ययन किया है।

(ख) और (ग) प्रथमतः, कम्पनी द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

आलू को खाद्य पदार्थ में शामिल करना

[हिन्दी]

6735. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आलू और शकरकंद जैसी खाने योग्य जड़ों को खाद्य-पदार्थों की श्रेणी में शामिल करने का है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) आलू और शकरकंद जैसी कंदवर्गीय फसलों को पहले ही खाद्य फसलें माना जाता है। तथापि ऐसी समूची खाद्य फसलों के उत्पादन की कोई अलग श्रेणी अथवा संकलन नहीं है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का उत्पादन लक्ष्य

[अनुवाद]

6736. श्री उद्धव बर्मन :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कचार पेपर प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन पचग्राम का उत्पादन लक्ष्य काफी समय से पूरा नहीं किया गया है तथा उत्पादन लक्ष्य में भी प्रतिदिन गिरावट आ रही है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर मिल ने अप्रैल, 1988 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	मी. टन
1988-89	37,435
1989-90	47,160
1990-91	57,624

तथापि, बायलर और टी. जी. सैट की कुछ दिक्कतों, पावर तथा मानसून परिस्थितियों के में कारण लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सका।

1991-92 के पहले पांच महीनों ने मिल ने 32.000 मी. टन के लक्ष्य की तुलना में 20.845 मी. टन का उत्पादन किया। बाढ़, भू-स्खलन, परिवहन व्यवरोधों के कारण जिनसे अन्तर्वस्तुओं के लिए अपेक्षित अन्तर्वहन प्रभावित होता है, मिल में वर्ष के अन्य महीनों की अपेक्षा मानसून के दौरान उत्पादन सामान्यत: कम रहता है।

उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित उद्योग

[हिन्दी]

6737. डा लाल बहादुर रावल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितने जिलों में उद्योगों की स्थापना की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों ने कुल कितनी धनराशि अर्जित की है ; और

(ग) राज्य में और कितने जिलों में इन उद्योगों की स्थापना किये जाने की संभावना है और कब तक ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जहां तक खादी का संबंध है, इसे बिना लाभ व बिना हानि के आधार पर चलाया जा रहा है और इसके मूल्यों पर लागत चार्ट के जरिये नियंत्रण रखा जाता है। जहां तक ग्राम उद्योग का संबंध है, इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से व्यक्तियों और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा किया जाता है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों/संस्थानों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इनके द्वारा अर्जित लाभों के ब्यौरे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नहीं रखे जाते।

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के हाथरस में नए उद्योग

6738. डा. लाल बहादुर रावल :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के हाथरस में नये उद्योगों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो पी जे कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के हाथरस में नये उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कोई आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़-हाथरस निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास संस्थान

6739. डा. लाल बहादुर रावल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़-हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बक्शी का तालाब, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान विद्यमान है । ग्रामीण विकास संस्थानों को सुदृढ़ बनाने/स्थापित करने हेतु यूरोपियन इकोनोमिक कमीशन की सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत इस संस्थान को और सुदृढ़ बनाया गया है । अलीगढ़/हाथरस निर्वाचन क्षेत्र में अन्य ग्रामीण विकास संस्थान को सुदृढ़ बनाने/स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का दूरदर्शन से प्रसारण

6740. श्री गोविंद राव निकम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्माष्टमी आदि जैसे उत्सवों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का दूरदर्शन से प्रसारण किया जाता है ;

(ख) क्या दूरदर्शन ने महाराष्ट्र में आयोजित किये जाने वाले गणेश उत्सव से सम्बन्धित कार्यक्रमों को प्रसारित करने हेतु कभी भी पर्याप्त समय नहीं दिया है और यत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत गणेश उत्सव को कितना प्रसारण समय दिया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष के दौरान उगेश उत्सव से सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रसारित करने हेतु पर्याप्त समय देने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) दूरदर्शन द्वारा समय-समय पर 'कृष्ण जन्माष्टमी' और 'गणेश उत्सव' सहित महत्वपूर्ण त्यौहारों पर उचित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में इन त्यौहारों का कवरेज

समाचार बुलेटिनों और विशेष कार्यक्रमों के माध्यमों से दी जाती है। वर्ष 1989 और 1990 के दौरान 'गणेश उत्सव' के अवसर पर राष्ट्रीय नेटवर्क पर निम्नलिखित चार कार्यक्रम प्रसारित किये गये थे :

(1) दिनांक 29.10.89 को 18.09 मिनट की एक टी.वी. रिपोर्ट

(2) 'एक दन्त दि एटरनल' शीर्षक से 24.8.90 को 20 मिनट का कार्यक्रम

(3) दिनांक 4.9.90 को 10 मिनट 'गणेश स्तुति' भक्ति संगीत कार्यक्रम और

(4) दिनांक 6.9.90 को 'गणपति विसर्जन' पर 20 मिनट की टी. वी. रिपोर्ट। इस वर्ष भी इस समारोह को उचित रूप से कवर करने के अलावा, इस अवसर पर उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करने की परिकल्पना है.

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

6741. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के लिए नकद धनराशि देने का है ;

(ख) 1990-91 और जुलाई, 1991 तक कितने व्यक्तियों को धनराशि प्रदान की गयी ; और

(ग) देश में 1990-91 के दौरान कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया और इस अवधि के लिए कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) इंदिरा आवास योजना जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है, सहित जवाहर रोजगार योजना के निर्माण-कार्यों का कार्यान्वयन, निगरानी तथा पर्यवेक्षण राज्य एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के मकानों के निर्माण-कार्य में ठेकेदारों को लगाने पर सख्त पाबंदी है। केन्द्रीय मार्गदर्शिकाओं में उनका विभागीय तौर पर निर्माण करने की भी अनुमति नहीं है। इन मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा अपने प्रबन्ध करके स्वयं ही करना होता है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को एकमुश्त सहायता देने की आवश्यकता नहीं होती है। लाभार्थियों को सहायता की राशि का भुगतान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत काम की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध आधार पर किस्तों में करना होता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान 1,22,100 मकानों के लक्ष्य की तुलना में 1,70,131 मकान बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। देश में वर्ष 1990-91 में 1,4734 मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर होने की सूचना मिली है।

जहां तक 1991-92 का सम्बन्ध है, यहां यह उल्लेख है कि इंदिरा आवास योजना की प्रगति की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की मार्फत तिमाही आधार पर की जाती है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 में जून, 1991 तक 4437 मकानों के बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय भण्डार

[अनुवाद]

6742. श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण विभाग ने वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं से दालों के नमूने लिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो जिन मदों के नमूने लिये गये थे और जिन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार का कार्यकरण चुस्त बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारक विभाग के कर्मचारियों ने जुलाई, 1990 में केन्द्रीय भंडार की शाखा से राजमा चित्रा, मूंग साबुत तथा मसूर साबुत के नमूने लिए थे। मूंग साबुत तथा मसूर साबुत के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। केन्द्रीय भण्डार ने राजमा चित्रा के बारे में रिपोर्ट पर आपत्ति की। अतः खाद्य अपमिश्रण निवारक विभाग ने लोक विश्लेषक चण्डीगढ़ द्वारा नमूने की पुनः जांच करवाई जिसने इसे मानक के अनुरूप घोषित किया।

केन्द्रीय भण्डार का कार्य-निष्पादन संतोषप्रद है। फिर भी, केन्द्रीय भण्डार के कार्य पर निरन्तर निगाह रखी जाती है तथा जहां आवश्यक होता है वहां सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

दक्षिण ध्रुव प्रदेश में वैज्ञानिकों के अध्ययन-कार्य

6743. श्री रमेश चेन्निथला :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दक्षिण-ध्रुव-प्रदेश पर किये जा रहे अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय दल का आगामी अभियान कब प्रस्तावित है,

(ग) दल के एक अभियान पर औसतन कितना खर्च आता है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) भूमि विज्ञान, जीव विज्ञान और समुद्रविज्ञान, वायुमण्डलीय विज्ञान, मौसमविज्ञान, पर्यावरणीय

शरीर क्रिया विज्ञान और इंजीनियरी पहलुओं के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। अध्ययनों का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) अंटार्कटिक को अगला भारतीय वैज्ञानिक अभियान, जो कि 11वां अभियान होगा, नवम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह में भेजा जाएगा।

(ग) और (घ) महासागर विकास विभाग ने अब तक अंटार्कटिक को 10 अभियान भेजे हैं और इस पर कुल खर्च 69.85 करोड़ रुपए किया गया है। ब्यौरे सहित व्यय का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

अंटार्कटिक में किए गए वैज्ञानिक अध्ययन

भूविज्ञान

अंटार्कटिक भूविज्ञान की संरचना, विभिन्न विरचन और खनिजीकरण प्रक्रियाओं तथा पोलियो पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किये गये। वायुचुम्बकीय सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य भी किया गया और आइसबर्ग मॉनिटरिंग, हिमवैज्ञानिक अन्वेषणों और उल्का पिण्डों की खोज के अतिरिक्त भारतीय केन्द्र मैत्री के आस-पास नियंत्रण बिन्दुओं की स्थापना भी की गई।

जीव विज्ञान

चरम दशाओं में सूक्ष्म पौधों के जीवन सम्बन्धी अध्ययन किए गए। इनमें जीव-रासायनिक, आण्विक और जीवन के आद्य रूपों से सम्बद्ध अध्ययन तथा चरम शीत दशाओं में इनके अनुकूलन के अध्ययन शामिल किए गए हैं।

समुद्र वैज्ञानिक अध्ययनों में वायु-सागर अन्योन्य क्रिया, सामुद्रिक धाराओं और परिसंचरण पैटर्नों और मानसून प्रणालियों पर उनके प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन शामिल हैं।

वायुमण्डलीय विज्ञान

इस क्षेत्र में, ट्रेस गैसों और ओजोन रसायनविज्ञान पर उनके प्रभावों का अध्ययन करने के अतिरिक्त ओजोन परत और पादप गृह प्रभावों का अध्ययन भी किया गया है।

उच्चतर वायुमण्ड, स्वल मण्डल और वायुमण्डल में रेडियो घर्षितमनमापन और रेडन जैसे पदार्थों के अभिगमन सम्बन्धी अध्ययन भी किए गए।

मौसम विज्ञान

भारतीय मानसून के सन्दर्भ में विशेष रूप से बन देते हुए अंटार्कटिक में विद्यमान मौसम वैज्ञानिक परिघटना का अध्ययन किया गया। अंटार्कटिक में वैज्ञानिक और सम्भार गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए पवन, पवन गति, दाब तापमान आदि जैसे सामान्य मौसम वैज्ञानिक प्राचलनों का नियमित रूप से अभिलेखन किया जाता है।

पर्यावरणीय शरीरक्रिया विज्ञान

चरम शीत दशाओं में मानव अनुकूलन और जैव-चिकित्सीय प्राचलों की दृष्टि से विलगन प्रभावों का मूल्यांकन किया गया।

इंजीनियरी पहलू

अंटार्कटिक में पूर्ण रूप से स्वदेशी एक केन्द्र "मैत्री" का निर्माण किया गया है। इंजीनियरी सामग्री और अन्य संबंधित पहलुओं का लगातार अध्ययन और संशोधन किया जाता है ताकि उन्हें अंटार्कटिक के कठोर पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।

विवरण-2

अभियान-वार-व्यय

खर्च रुपए में करोड़ में

अभियान			खर्च
प्रथम अभियान			1 90
द्वितीय अभियान			1.95
तृतीय अभियान			5.70
चतुर्थ अभियान			6 20
पांचवा अभियान			5.74
छठा अभियान			5.12
सातवां अभियान			6.50
आठवां अभियान			11.50
नौवां अभियान			12 90
दसवां अभियान :—			
	जलयान किराया	:	5.93
	स्टेशन का रखरखाव :	:	0.9872
	संचार उपकरण एवं पुर्जे	:	0.4781
	कपड़ा, भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं	:	रु. 4.9447
दसवें अभियान का कुल खर्च		:	12.34 करोड़
10 अभियानों का सम्पूर्ण कुल खर्च		:	69.85

दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फीचर फिल्मों के भुगतान संबंधी लम्बित पड़े मामले

6744. **श्री रमेश चेन्नितला :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर दिखाई गई कितनी फीचर फिल्मों के लिए भुगतान नहीं किया गया; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण है और उनके लिए भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) ऐसे 31 मामले हैं जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारित फीचर फिल्मों के लिए भुगतान नहीं किया गया। भुगतान में देरी का मुख्य कारण यह है कि मामले अदालतों में विचाराधीन है अथवा भुगतान के लिए कथित प्रति-दावे किए गए हैं। न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने अथवा विभिन्न पार्टियों द्वारा कथित दावों का समाधान कर लिये जाने पर ही भुगतान किया जा सकता है।

फीचर फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण

6745. **श्री रमेश चेन्नितला :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए कितनी फिल्मों का चयन किया गया है;

(ख) कितनी फीचर फिल्मों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या चयनित फिल्में आवश्यक शर्तों को पूरा करती हैं? और

(घ) यदि नहीं तो इस प्रकार के चयन के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिये फिल्मों का चयन एक सतत् प्रक्रिया है। फिल्मों का चयन हो जाने के बाद भी अधिकारों के सत्यापन, प्रिंट की तकनीकी गुणवत्ता की जांच आदि जैसी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद प्रसारण सूचियां तैयार की जाती हैं।

सितम्बर, 1991 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से प्रसारण के लिए 18 फीचर फिल्मों की अनन्तिम सूची तैयार की गई है।

(ख) 415 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लम्बित है।

(ग) जी हां।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

[हिन्दी]

6746. श्री सुरेशानंद स्वामी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासिमपुर में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; यह सर्वेक्षण कब कराया गया था और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार का कासिमपुर में परमाणु विद्युत संयंत्र कब तक स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

औषध एककों के लिए लोन लाइसेंसिंग स्कीम

[अनुवाद]

6747. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र में औषध एककों के लिए लोन लाइसेंसिंग स्कीम को 31 दिसम्बर, 1991 के बाद जारी रखने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस योजना के दुरुपयोग की जानकारी है जिसके कारण बाजार में घटिया औषधों को बढ़ावा मिल रहा है, और

(ग) इस बारे में कौन से सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) भेषज क्षेत्र में ऋण लाइसेंस पद्धति को 31.12.199 के बाद जारी न रखने के सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, इस उद्योग से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

नमक का मूल्य

[हिन्दी]

6748. श्री साईमन मरान्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस वर्ष नमक का बहुत अच्छा उत्पादन होने के बावजूद में इसके मूल्य वृद्धि कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन तिथियों को नमक के मूल्यों में वृद्धि की गई;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नमक के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न देशों को होने वाली नमक की तस्करी को रोकने तथा नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कोई दीर्घकालिक बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) इस वर्ष नमक के कुल मिलाकर खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष नमक के खुदरा मूल्यों में भाड़े, संभालने के प्रभारों, स्थानीय परिवहन और पैकेजिंग सामग्री लागत में वृद्धि जैसे कारकों से मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें नमक बनाने के लिए और अधिक क्षेत्रों की व्यवस्था करना, उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकें अपनाकर नमक क्षेत्रों का इष्टतम उपयोग करना शामिल है। नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक दीर्घ-कालिक उपाय के तौर पर ग्रेट रन आफ कच्छ की नमक क्षमता का लाभ उठाने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

नमक की तस्करी के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस बारे में उपयुक्त कारवाई करने की सलाह दी गयी है।

औषध नीति

[अनुवाद]

6749. **श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :**

श्रीमती बासवराजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषध नीति के साथ-साथ मूल्य नियंत्रण तंत्र को पुनरीक्षित करने के प्रयोजन से इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) नई औषध नीति में शामिल करने के लिए औषध उद्योग ने क्या सुझाव दिये हैं, और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही गई है अथवा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) औषध नीति, 1986 की समीक्षा की जा रही है। उद्योग से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस कार्य के दौरान उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस अवस्था में संशोधनों को प्रकट करना समयपूर्व होगा।

सुपर बाजार में जनता को पामोलीन उपलब्ध कराना

6750. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पामोलीन जनता को सुपर बाजारों में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो जनता को पामोलीन की उचित तथा नियमित आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इस तेल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (घ) सुपर बाजार व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 'बक्री केन्द्रों के जरिए पामोलीन की आपूर्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेलों के आबंटन पर निर्भर करती है। विदेशी मुद्रा संबंधी अवरोधों कारण खाद्य तेलों का आयात स्थगित कर दिए जाने की वजह से केंद्रीय सरकार ने अप्रैल, 1991 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पामोलीन सहित आयातित खाद्य तेलों का कोई नियमित आबंटन नहीं किया है। आयातित खाद्य तेलों का आबंटन आयात के शुरू होते ही आरम्भ कर दिया जाएगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं

6751. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ विशेष विकास कार्यक्रम शुरू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या यह कार्यक्रम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)।

(क) से (घ) सातवीं योजना से सीमान्त क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) नामक एक विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम राजस्थान सहित 4 राज्यों की पश्चिमी सीमाओं पर चालू है। कार्यक्रम का मुख्य केन्द्र बिन्दु मानव संसाधन विकास तथा सिंचाई सुविधाओं पर रहा है। सातवीं योजना में कार्यक्रम के तहत वास्तविक व्यय लगभग 224 करोड़ रु था। वार्षिक योजना 1990-91 में कार्यक्रम के तहत 86 करोड़ रु के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। चालू वर्ष की वार्षिक योजना अर्थात 1991-92 में 85 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

6752. **श्री फूल चंद वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अनिवासी भारतीय ने सरकार को मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) का गठन नवम्बर, 1983 में हुआ था, तब से (जून 1991 तक) बिहार राज्य में आशय पत्र, विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल के आयात हेतु 25 अनुमोदन किये जा चुके हैं। इन परियोजनाओं की कुल चुकता पूंजी में अनिवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) की अंश धारिता 1918.80 लाख रुपये की है जिसमें 1134 रुपए प्रत्यावर्तन के आधार पर हैं और 78..8 लाख रुपये अप्रत्यावर्तनीय होंगे।

पर्यावरण के लिए स्वतंत्र विभाग का सुझाव

6753. **श्री देवेंद्र प्रसाद यादव :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों से पर्यावरण के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे विभाग स्थापित किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)। (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा ऐसे प्रशासनिक मामलों पर राज्यों को निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित ग्यारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्यावरण विभाग स्थापित किए गए हैं :

1. गुजरात

2. हिमाचल प्रदेश
3. हरियाणा
4. जम्मू एवं कश्मीर
5. महाराष्ट्र
6. मिजोरम
7. राजस्थान
8. सिक्किम
9. पश्चिम बंगाल
10. दिल्ली
11. चंडीगढ़

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

6754. **श्री साईमन मरांडी :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89 से क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का राज्य-वार/ब्योरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और उनके क्रियान्वित का ब्योरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, और उसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान तीन केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे थे :—

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

(II) ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार मुहैय्या कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी),

(III) ग्रामीण भूमिहीन गरीबों के लिए मजदूरी पर रोजगार की गारंटी वाले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी)

दो कार्यक्रमों एन आर ई पी तथा आर एल ई जी पी को जवाहर रोजगार योजना, जो 1.4.89 से शुरू की गयी थी, में मिला दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने

वाले लोगों को रोजगार देने के लिए नेहरू रोजगार योजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अक्तूबर, 1989 में शुरू की गयी थी।

शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम (एस ई पी यू पी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम का लक्ष्य भी स्व-रोजगार स्कीमों के जरिए गरीबी का उन्मूलन करना है।

विभिन्न राज्यों में वर्ष 1988-89 अथवा तत्पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही राज्य क्षेत्रक गरीबी उन्मूलन स्कीमों की एक सूची विवरण-I के साथ संलग्न है।

(ख) राज्यों के नाम, जहां पर उन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ है, विवरण-2 में दिये गये हैं।

उनके क्रियान्वयन संबंधी ब्यौरे विवरण-3 से विवरण-7 में हैं।

(ग) राज्यों के नाम, जहां पर इन कार्यक्रमों का संफलतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं हो सका था, विवरण-8 के ब्यौरे में हैं।

वे कारण, जिसकी वजह से कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो सका, प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। राज्यों में भी एक जिले से दूसरे जिले के कारण भिन्न-भिन्न हैं। कार्यान्वयन में कमियों पर संबंधित राज्यों द्वारा निकट से निगरानी की जा रही है तथा कार्य निष्पादन सुधार के लिए उपयुक्त सुधारात्मक तथा सहायक उपाय किये जा रहे हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्यों के नाम	स्कीम
1.	गोवा	गोवा लैंड आर्मी कारपोरेशन
2.	गुजरात	विशेष रोजगार कार्यक्रम
3.	कर्नाटक	अंत्योदया
4.	केरल	ग्रामीण बेरोजगार के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम
5.	मिजोरम	नई भूमि प्रयोग नीति
6.	उड़ीसा	ग्रामीण गरीबों का आर्थिक पुनर्वास
7.	त्रिपुरा	राज्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
8.	महाराष्ट्र	रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

विवरण-2

	कार्यक्रम के नाम	1988-89	1989-90	1990-91
	1	2	3	4
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्य	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्य
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी)	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा पश्चिम बंगाल, दमन व द्वीव को छोड़कर सभी राज्य	—	—
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा व नागर हवेली को छोड़कर सभी राज्य	—	—
4.	जवाहर रोजगार योजना	—	अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह चडीगढ़, दिल्ली, दमन व द्वीव को छोड़कर सभी राज्य	अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, मेघालय, पंजाब, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चडीगढ़ दिल्ली, दमन व द्वीव को छोड़कर सभी राज्य
5.	नेहरू रोजगार योजना	वे राज्य जो नेहरू रोजगार योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं, वे हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल।		

1	2	3	4
6.	शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार योजना	यह कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिए शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है तथा राज्यवार इसकी निगरानी नहीं की जाती है।	

विवरण-3

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई आर डी पी प्रतिशत उपलब्धि	एन आर ई पी प्रतिशत उपलब्धि	आर एल ई जी पी प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	126.91	99.31	112.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.38	70.51	61.07
3.	असम	89.24	82.60	57.31
4.	बिहार	109.55	103.90	118.30
5.	गोवा	106.98	79.26	63.01
6.	गुजरात	114.59	102.08	32.39
7.	हरियाणा	127.51	107.42	100.29
8.	हिमाचल प्रदेश	120.75	130.38	125.18
9.	जम्मू और कश्मीर	93.93	129.98	70.68
10.	कर्नाटक	113.35	113.79	140.32
11.	केरल	103.45	129.61	86.17
12.	मध्य प्रदेश	140.01	108.66	90.13
13.	महाराष्ट्र	111.40	105.88	132.68
14.	मणिपुर	101.78	162.44	89 06
15.	मेघालय	51.76	54.29	61.31
16.	मिजोरम	88.89	89.82	142.86
17.	नागालैंड	40.66	157.24	129.64
18.	उड़ीसा	131.63	95.37	125.02
19.	पंजाब	152.37	104.71	117.59

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	127.87	177.27	130.21
21.	सिक्किम	117.65	134 29	181.53
22.	तमिलनाडु	114.36	140.81	134.58
23.	त्रिपुरा	333.73	140.93	79.06
24.	उत्तर प्रदेश	112.67	140.16	127.36
25.	पश्चिम बंगाल	122.74	40.47	70.69
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	117.65	116.00	122.32
27.	चंडीगढ़	—	114.00	—
28.	दादर और नगर हवेली	100.00	100.00	70.53
29.	दिल्ली	112.50	100.00	102.52
30.	दमन और द्वीव	85.71	5.00	—
31.	लक्षद्वीप	100.00	92.14	18.10
32.	पांडिचेरी	157.89	83.45	104.52
	अखिल भारतीय	118.12	115.26	113.88

विवरण-4

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे आर डी पी प्रतिशत उपलब्धि	जे आर वाई प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	119.14	94.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.69	75.52
3.	असम	104.51	78.91
4.	बिहार	104.61	96.09
5.	गोवा	101.34	81.94
6.	गुजरात	116.15	102 04
7.	हरियाणा	263.65	100.03
8.	हिमाचल प्रदेश	402.45	118.16

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	136.19	95.13
10.	कर्नाटक	104.61	83.16
11.	केरल	101.79	108.72
12.	मध्य प्रदेश	114.76	82.51
13.	महाराष्ट्र	108.18	106.18
14.	मणिपुर	219.36	96.86
15.	मेघालय	45.65	126 33
16.	मिजोरम	65.42	142.92
17.	नागालैंड	61.69	120.56
18.	उड़ीसा	132.51	84.56
19.	पंजाब	314.41	118.52
20.	राजस्थान	116 24	101.04
21.	सिक्किम	112.74	88.83
22.	तमिलनाडु	115.17	117.31
23.	त्रिपुरा	204.79	103.44
24.	उत्तर प्रदेश	109.88	113.13
25.	पश्चिम बंगाल	121.79	97.67
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	101.84	70.98
27.	चंडीगढ़	—	44.68
28.	दादरा और नगर हवेली	101.57	82.16
29.	दिल्ली	124.74	53.09
30.	दमन और द्वीव	95.90	75.52
31.	लक्षद्वीप	116 11	111.45
32.	पांडिचेरी	137.16	116.09
	अखिल भारतीय	115.21	98.71

विवरण-5

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे आर डी पी प्रतिशत उपलब्धि (प्रावधान)	जे आर वाई प्रतिशत उपलब्धि (प्रावधान)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	150.58	88.33

1	2		3
28.	दादरा और नगर हवेली	100.00	81.84
29.	दिल्ली	100.84	17.38
30.	दमन और दीव	95.18	39.13
31.	लक्षद्वीप	92.67	85.11
32.	पांडिचेरी	167.18	83.13
	अखिल भारतीय	122.24	93.88

विवरण-6

(लाख रु. में)

नेहरू रोजगार योजना 6.9.91 तक की प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्रराज्य का नाम	शहरी माइक्रो उपक्रमों की स्कीम		
		अब तक जारी की गई केन्द्रीय राशि	स्वीकृत इमदादी राशि	प्रशिक्षित या प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थी सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	408.02	338.87	1,320
2.	बिहार	361.65	348.25	1,298
3	गुजरात	199.24	16.25	2,450
4.	हरियाणा	56.32	41.23	999
5.	कर्नाटक	347.88	307.66	476
6.	केरल	156.23	53.90	—
7.	मध्य प्रदेश	360.98	140.31	5,400
8.	महाराष्ट्र	417.93	180.00	1,628
9.	उड़ीसा	104.03	30.00	879
10.	पंजाब	107.16	52.13	392
11.	राजस्थान	211.67	0.55	—

1	2			3
12.	तमिलनाडु	482.09	163.12	6,002
13.	उत्तर प्रदेश	902.87	150.95	320
14.	पश्चिम बंगाल	381.78	—	714
15.	गोवा	8.58	—	—
16.	अरुणाचल प्रदेश	12.71	—	—
17.	असम	58.45	—	—
18.	हिमाचल प्रदेश	25.10	9.72	—
19.	जम्मू और कश्मीर	44.02	—	278
20.	मणिपुर	17.64	—	—
21.	मेघालय	12.68	—	—
22.	मिजोरम	8.18	3.05	—
23.	नागालैंड	15.19	—	—
24.	सिक्किम	10.17	—	80
25.	त्रिपुरा	8.75	22.90	250
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.70	—	—
27.	चंडीगढ़	17.92	1.03	—
28.	दादर और नगर हवेली	4.70	—	—
29.	दमन और द्वीव	9.20	—	—
30.	लक्षद्वीप	3.69	—	—
31.	पांडिचेरी	10.58	2.16	—
32.	दिल्ली	56.00	33.41	—
	योग	4825.61	1855.49	₹ 27,487

(लाख रु. में)

शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम

क्र सं.	राज्यसंघ/राज्य क्षेत्र के नाम	अब तक जारी की गई केन्द्रीय राशि	रिपोर्ट किया गया व्यय	सृजित मानव दिवसों की संख्या
1	2	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	715.87	357.55	347885

1	2	6	7	8
2.	बिहार	932.42	311.94	519681
3.	गुजरात	679.00	268.47	269098
4.	हरियाणा	170.13	120.03	112494
5.	कर्नाटक	866.86	269.17	527682
6.	केरल	302.32	162.49	324170
7.	मध्य प्रदेश	1076.61	278.08	153677
8.	महाराष्ट्र	1161.40	382.00	473364
9.	उडीसा	401.38	93.90	212000
10.	पंजाब	378.74	154.73	102983
11.	राजस्थान	662.41	74.75	83946
12.	तमिलनाडु	788.18	827.82	1804850
13.	उत्तर प्रदेश	2693.77	802.00	2015500
14.	प. बंगाल	620.99	239.00	414900
15.	गोवा	38.98	5.27	11809
16.	अरुणाचल प्रदेश	11.92	—	—
17.	असम	197.52	93.96	—
18.	हिमाचल प्रदेश	62.93	60.24	2770
19.	जम्मू व कश्मीर	59.73	12.85	31224
20.	मणिपुर	50.26	—	—
21.	मेघालय	17.79	—	—
22.	मिजोरम	28.94	25.09	—
23.	नागालैंड	20.78	—	—
24.	सिक्किम	23.19	23.34	—
25.	त्रिपुरा	48.40	63.18	52525
26.	अंडमान व द्वीप समूह	7.15	5.20	7845
27.	चंडीगढ़	7.45	14.62	—
28.	दादर व नगर हवेली	2.49	—	—

1	2	6	7	8
29.	दमन व द्वीव	6.27	4.00	8900
30.	लक्षद्वीप	12.30	11.53	4700
31.	पांडिचेरी	29.85	14.30	12000
32.	दिल्ली	—	—	—
	जोड	1207.6 03	4673.88	7493995

(लाखों रु. में)

आवास तथा आश्रय उन्नयन की स्कीम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	अब तक आवंटित केन्द्रीय राशि	स्वीकृत इमदाद	अनुमोदित ऋण की राशि	उन्नयन हेतु निहायशी यूनिटों की संख्या
1	2	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	442.49	325.34	1220.84	40728
2.	बिहार	392.73	380.00	1417.50	45000
3.	गुजरात	216.35	4.77	15.60	520
4.	हरियाणा	80 81	62 62	234 84	7828
5.	कर्नाटक	377.74	392 60	1472.49	40083
6.	केरल	169 85	282.63	1112 85	35329
7.	मध्य प्रदेश	401 30	366.16	1472.49	45772
8.	महाराष्ट्र	398.91	266.69	1032.04	33336
9.	उड़ीसा	113.50	132 90	53. 52	16612
10.	पंजाब	116.65	120 99	453.72	15124
11.	राजस्थान	231-04	17.06	67.65	2150
12.	तमिलनाडु	462.49	840.00	2520 03	80000
13.	उत्तर प्रदेश	984.96	1161.62	4566.06	145202
14.	प. बंगाल	253.23	427.78	1879.17	53472
15.	गोवा	7.48	—	—	—

1	2	9	10	11	12
16.	अरुणाचल प्रदेश	4.20	—	—	—
17.	असम	53.59	55.59	211.21	6948
18.	हिमाचल प्रदेश	9.20	—	—	—
19.	जम्मू व कश्मीर	28.94	24.87	93.26	3109
20.	मणिपुर	7.59	7.58	28.81	943
21.	मेघालय	4.30	—	—	—
22.	मिजोरम	3.90	—	—	—
23.	नागालैंड	6.20	—	—	—
24.	सिक्किम	3.50	3.50	13.77	437
25.	त्रिपुरा	5 41	2.61	9.93	326
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.48	—	—	—
27.	चंडीगढ़	11.34	1.82	6.81	227
28.	दादरा व नागर हवेली	1.25	—	—	—
29.	दमन व द्वीव	2.05	—	—	—
30.	लक्षद्वीप	1.25	—	—	—
31.	पांडिचेरी	8.08	7.52	29.61	940
32.	दिल्ली	8.08	—	—	—
	जोड़	4885.00	4664.66	18210.21	583091

विवरण-7

स्कीमों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों का कार्य निष्पादन नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	मामलों की संख्या (लाखों में)	राशि स्वीकृत (करोड़ रु. में)
1986-87	3.41	116 14
1987-88	3.82	136.55
1988-89	3.57	137.07
1989-90	3.57	126.26

विवरण-8

वर्ष	आईआरडीपी	एनआरइपी	आरएलइजीपी	जेआरवाई
1988-89	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड	अरुणाचल प्रदेश गोवा, मेघालय पश्चिम बंगाल, दमन व द्वीव	अरुणाचल प्रदेश गोवा, जम्मू व कश्मीर मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा व नागर हवेली	—
1989-90	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, चंडीगढ़	—	—	अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन व द्वीव
1990-91	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, चंडीगढ़	—	—	अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल मेघालय, पंजाब, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन व द्वीव

नेहरू रोजगार योजना :

राज्य जो नेहरू रोजगार योजना को कार्यान्वित करने में अपेक्षाकृत धीमे है वे है उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य ।

शहरी गरीबों के लिये स्व-रोजगार कार्यक्रम :

यह कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है और इसका प्रवोधन राज्यवार नहीं किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में टी. वी. ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

6755. **श्री विश्वनाथ शर्मा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में टी. वी. ट्रांसमीयर की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नही। फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकार का सतत प्रयास है कि देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का यथा-शीघ्र विस्तार किया जाए। तथापि यह कार्य इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए विभिन्न चरणों मे ही किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए आशयपत्र जारी करना

6756. श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1987 और 1988 के लिये आशय पत्र जारी किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) वर्ष 1987 तथा 1988 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए थे। उपक्रम का नाम तथा पता, स्थापना-स्थल, विनिर्माण की वस्तु(एं), जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों की क्षमता तथा संख्या एवं जारी करने के तारीख जैसे ब्योरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके 'मंथली न्यूजलैटर' में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

मोटर साइकिल का निर्माण

6757. श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर साइकिलों के निर्माताओं को 1989-90 और 1990-91 के दौरान विदेशी सहयोग के लिए बहुत बडी मात्रा में विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गयी है

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की थी, और

(ग) देश में विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी को देखते हुए विदेशी सहयोग के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं। 1989-90 तथा 1990-91 में मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में किसी विदेशी सहयोग को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र का सुधार करना

6758. डा. जी. एल. कनोजिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विशेषरूप से नई दिल्ली औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है तथा बदली हुई परिस्थितियों में नये औद्योगिक सम्बन्ध कानून को अद्यतन बनाने के लिए प्रस्ताव बनाया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या सरकार का औद्योगिक वित्त तथा पुनर्निर्माण बोर्ड का पुनर्गठन करने का विचार है ताकि रुग्ण एककों के मामले में जांच की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) से (ग) उन सरकारी उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड या पुनर्वीकरण/पुनर्स्थापन योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से गठित ऐसी ही सदृश उच्चस्तरीय संस्थाओं को सौंपने का विचार है, जो काफी लम्बे समय से रुग्ण चले आ रहे हैं और जिनके पुनरुद्धार की संभावना नहीं है। पुनर्स्थापन के ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तन्त्र के गठन का भी प्रस्ताव है।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम

[हिन्दी]

6759. डा. जी. एल. कनोजिया :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुकी महिलाओं के लिए कोई योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिये वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

6760. डा जी एल कनोजिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में रुग्ण लघु उद्योगों के पुनरुद्धार के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है और मार्च 1991 के अन्त तक ऐसी कितनी रुग्ण इकाइयों की सहायता की गई ; और

(ख) इन उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु वर्ष 1991-92 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित है ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन):(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1988 के अंत में, वह नवीनतम अवधि जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, उत्तर प्रदेश में संभावित रूप से जीव्य रुग्ण लघु एककों की संख्या 418 थी जिनपर 30.98 करोड रु. का बैंक ऋण बकाया था और उपचार कार्यक्रम में रखे गए रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या 171 थी जिनपर 23.09 करोड़ रु. का बैंक ऋण बकाया था।

रुग्ण लघु उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए सीमांत धन योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को मार्च, 1991 के अंत तक मंजूर की गई कुल राशि 60 लाख रु. थी।

1990-91 के दौरान लघु उद्योग विकास बैंक (एस. आई. डी. बी. आई.) ने रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनर्वास के लिए अपनी पुन: वित्त योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 4 एककों के लिए 20.8 लाख रु. की सावधि ऋण पुन: वित्त सहायता मंजूर की थी।

(ख) रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनर्जीवन के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने तारीख 8.1.1991 के परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं कि सामान्यतया रुग्ण पाये गये किसी एकक की जीव्यता अथवा अन्य बातों के सम्बन्ध में बैंकों के लिए 3 माह की अवधि के भीतर निर्णय लेना संभव होना चाहिए और इस प्रकार के निर्णय की तारीख से 3 माह के भीतर उपचार कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

[हिन्दी]

6761. डा. जी एल. कनोजिया :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर वर्ष 1991-92 के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का इनका ऐतिहासिक मूल्य पर्वटन और पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए इन प्रस्तावित केन्द्रों को प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं और प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी ने वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के ओबरा, बरेली, फैजाबाद, झांसी तथा मसूरी में एक-एक अर्थात कुल पांच नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में कोई चूक न हो ।

कोचीन स्थित एफ. एम. स्टेशन

[अनुवाद]

6762. प्रो. के. वी. थामस :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित एफ. एम. स्टेशन को एक सम्पूर्णतः स्वतंत्र स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न संगठनों और केरल के संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां । हाल ही में इस आशय का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ख) मौजूदा रेडियो स्टेशन पर से कार्यक्रम निर्माण तथा प्ले बैक की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं ।

राजनैतिक दलों संबंधी समाचारों का रेडियो/दूरदर्शन पर प्रसारण

[हिन्दी]

6763. श्री मोहन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में विभिन्न राजनैतिक दलों से संबंधित समाचारों के प्रसारण हेतु दूरदर्शन और आकाशवाणी के पालनार्थ कोई निर्धारित मानदंड विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन मानदंडों का कब से अनुपालन किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के द्वारा राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में समाचारों के टेलीकास्टिंग और प्रसारण के मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानदंडों का अनुसरण किया जाता है :

1. राजनीतिक गतिविधियों को स्थान उनके समाचारिक महत्व के आधार पर दिया जाता है ।

2. सभी राजनीतिक दलों के बारे में, समाचारों की रिपोर्टिंग निष्पक्ष की जाती है।

3. यथासंभव उसी बुलेटिन में भिन्न-भिन्न विचारों को कवर किया जाता है।

4. समाचार बुलेटिनों में "प्रगतिशील" और "सांप्रदायिक" जैसे विशेषणों के प्रयोग से बचा जाता है।

5. यदि किसी राजनीतिक दल के नाम के बारे में विवाद होता है तो भारत के निर्वाचन आयोग अथवा किसी न्यायालय द्वारा यथानुमोदित नाम का उपयोग किया जाता है।

6. राजनीतिक विवादों की कवरेज वस्तुपरक और निष्पक्ष होती है।

(ग) उपर्युक्त को शामिल करते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी के नाम विस्तृत मार्ग-निर्देश, दिनांक 4.5.1982 को विधिवतरूप से जारी किए गए।

गेहूं की स्थिति

6764. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या खाद्य मन्त्री 31 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गेहूं की, क्षेत्र-वार तथा ग्रेड-वार, स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जुलाई, 1991 से क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर पर आने-जाने एवं भण्डारण में, प्रत्येक में दस प्रतिशत अर्थात कुल बीस प्रतिशत कमी का निर्धारण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है।

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) गेहूं के मामले में वसूली के प्रयोजनों के लिए रबी विपणन मौसम, 1990-91 से केवल एक्स ग्रेड प्रणाली चलाई जा रही है। 31 जुलाई, 1991 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न जोनों में गेहूं की स्टाक स्थिति निम्नानुसार थी :—

(आंकड़े मीटरी टन में)

जोन	गेहूं	कैफियत
उत्तरी	80,78,047	केन्द्रीय पूल के लिए पंजाब और हरियाणा में राज्य सरकारें/एजेंसियों के पास पड़े हुए 47,77,000 मीटरी टन गेहूं सहित
पूर्वी	3,05,161	
उत्तर पूर्वी सीमा	6,967	

1	2	3
	दक्षिणी	3,62,094
	पश्चिमी	10,30,811
	जोड़	97,83,080
	मार्गस्थ स्टाक	1,62,282
	जोड़	99,45,362

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उचित दर की दुकानों से लिए गए खाद्यान्न के नमूने

6765. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत 12 महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों से लिए गए खाद्य-मदों के नमूनों की संख्या क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों में दिल्ली के ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए है नोर इस सम्बन्ध में परिणामों का ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग ने विगत 12 महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरित की गई खाद्य वस्तुओं का कोई नमूना नहीं लिया है। तथापि, उन्होंने उचित दर दुकान संख्या 5357 से 26.4.90 को गेहूं का एक नमूना लिया था। सरकारी विश्लेषक नमूने को अपमिश्रित पाया गया। उस विभाग ने अदालत में मामला दायर किया है।

इलेक्ट्रानिक अभिकल्पना तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न केन्द्रों में नियुक्ति

[अनुवाद]

6766. **श्री ई. अहमद :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1989 में केन्द्रीय सरकार ने इलेक्ट्रानिक अभिकल्पना तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र के तीन केन्द्रों मे विभिन्न तकनीकी पदों के लिए प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये थे;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में कितने पद भरे गये;

(ग) इन केन्द्रों ने उपकरणिका-शास्त्र तथा प्रक्रिया नियंत्रण में उपकरणों के संचालन, रख-रखाव तथा संरचना में विशेषज्ञता के क्षेत्र में क्या प्रगति की है; और

(घ) कितने अकुशल व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया है और इन केन्द्रों में कितने व्यावसायिक व्यक्तियों को पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। जून, 1989 में विभिन्न तकनीकी पदों के लिए तथा बाद में साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली), गोरखपुर तथा कालीकट स्थित तीन इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे।

इन इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों में 1 जुलाई 1991 तक भरे गए कुल पदों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :

साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)	—	30
गोरखपुर	—	19
कालीकट	—	13

(ग) कालीकट स्थित इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र को प्रक्रिया नियंत्रण तथा यंत्रीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस केन्द्र का भवन तैयार है तथा कुछ स्टॉफ की भर्ती कर ली गई है। विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना की दिशा में कार्यवाई आरम्भ की गई है।

(घ) इन इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना उद्योग के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करके इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने तथा डिजाइन और विकास सम्बन्धी कार्य आरम्भ करने के लिए की गई है। यह प्रशिक्षण अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के साथ-साथ डिप्लोमा तथा प्रौद्योगिकी निष्णात् स्तर पर औपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। (31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार) इन इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या लगभग 340 है।

अधीनस्थ चयन केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में टंकण परीक्षा

6767. श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे प्रत्याशियों को, जिनकी टंकण-मशीनें अधीनस्थ चयन केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई टंकण-परीक्षा के दौरान अव्यवहार्य हो जाती हैं, अगले सत्र में या किसी और समय दुबारा परीक्षा देने का अवसर दिये जाने की प्रथा थी;

(ख) यदि हां, तो अब इस प्रथा को समाप्त कर दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पुरानी प्रथा फिर से बहाल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड परीक्षा की टंकण परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को 1984 से इस सुविधा की अनुमति दी गई थी, हालांकि परीक्षा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

(ख और (ग) इस प्रथा को 1988 से समाप्त कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि एक तो टंकण परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हो गयी थी तथा उम्मीदवारों के इन दावों की वास्तविकता की सुनिश्चित करने में स्वाभाविक कठिनाईयां थीं कि उनकी टंकण मशीनें परीक्षा के दौरान खराब हो गई थीं। इस प्रथा को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में इण्डियन रेअर अर्थ यूनिट

6768. **प्रो के वी. थामस** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इण्डियन रेअर अर्थ यूनिटों के लिए कौन-कौन सी विस्तार योजनाओं पर विचार किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केरल इण्डियन रेअर अर्थ यूनिटों ने कितनी विदेशी मुद्रा व लाभ अर्जित किया; और

(ग) इण्डियन रेअर अर्थ यूनिटों में विकिरण के खतरों से बचने के लिये क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) विरल मृदा के डाइडोमियम खंड में से नियोडोमियम, प्रैजियोडोमियम और लैन्थेनम को अलग करने के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को अपने आल्वे स्थित रेअर अर्थ्स प्रभाग में एक सुविधा स्थापित करने की योजना है। नींदकारा—कायमकुलम में कायमकुलम के समुद्र तटीय क्षेत्र में उपलब्ध खनिज निक्षेपों को निकालने की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नींदकारा-इंडो-नार्वेजियन फाउंडेशन (ब्लाक 1 जिसके लिए खनन पट्टा केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के पास है) में उपलब्ध भारी खनिजों को निकालने के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड और केरल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सुविधा स्थापित करने के बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक के वर्षों में इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की केरल स्थित यूनिटों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा और लाभ नीचे दिए गए है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आल्वे स्थित रेअर अर्थ्स संयंत्र		चवारा संयंत्र	
	विदेशी मुद्रा	लाभ	विदेशी मुद्रा	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1988-89	7.8	3.0	8.9	11.0

1	2	3	4	5
1989-90	2.6	(—)0.4	16.7	16.0
1990-91 (अनंतिम)	4.2	(—)0.3	16.7	20.0

(ग) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के काम कर रहे सभी संयंत्रों में विकिरण संरक्षा संबंधी स्थिति को स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग का एक यूनिट मानीटर करता है। वे अपनी आवधिक रिपोर्टें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा गठित चालू संयंत्रों हेतु सुरक्षा पुनरीक्षा समिति को भेजते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सुरक्षा संबंधी विनिर्देश संयंत्रों का निरीक्षण करके, रिपोर्टों की पुनरीक्षा करके और यथोचित निदेश भेजकर कड़ाई से लागू कराए जाते हैं। ये उपाय संयंत्रों में विकिरण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक प्लाटों का आवंटन

[हिन्दी]

6769. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम।**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक एककों के लिए मोरगढ़, शाहपुर, नरेला और कुरौनी गांवों में औद्योगिक एककों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है,

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक विस्थापित किसान को एक औद्योगिक प्लाट आवंटित किया है;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापित किसानों के परिवार के व्यक्तियों को दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में रोजगार की सुविधा प्रदान की है, और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार मोरगढ़, शाहपुर गढ़ी, कुरेनी और तिगरी गांवों के कुछ भागों की भूमि का अधिग्रहण दिल्ली प्रशासन द्वारा कर लिया गया था और औद्योगिक बस्ती के विकास के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंप दिया गया था।

(ख) नरेला इंडस्ट्रियल कांपलेक्स में भूखण्डों के आवंटन के बारे में दिल्ली प्रशासन की स्वीकृत नीति यह है कि औद्योगिक बस्तियों के विकास हेतु जिन परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु उनमें से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कियोस्क आदि जैसा गैर औद्योगिक वाणिज्य स्थान आरक्षित कीमतों पर दिया जाए।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कागज उद्योग के लिये कच्चा माल

6770. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण कागज उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) कागज उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें एक समस्या कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति की है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वन नीति के कारण वन आधारित कच्चे माल की आपूर्ति कम हो रही है। इसलिए, कम सीमा शुल्क दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात करने की अनुमति दी गयी है। सरकार कृषि अवशिष्टों, खोई तथा अन्य गैर परम्परागत कच्चे माल माल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती है। खोई, कृषि अवशिष्टों तथा अन्य गैर-परंपरागत कच्चेमाल की न्यूनतम 75% लुगदी पर आधारित कागज एककों को नयी औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसीकरण से छूट दी गयी है।

भारतीय पेटेंट्स अधिनियम में संशोधन

[अनुवाद]

6771. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेटेंट्स अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार ने ऐसा निर्णय करने से पूर्व विभिन्न संबंधित पक्षों के विचार आमंत्रित किए थे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

6772. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सहायता में वर्ष 1990-91 के दौरान दी गयी केन्द्रीय सहायता की तुलना में कितनी वृद्धि की गयी है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)। (क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 1990-91 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान मानदन्ड आधारित सामान्य केन्द्रीय सहायता (सक्ल) में की गई वृद्धि को संलग्न विवरण-1 तथा विवरण-2 में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) अन्य दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के लिए अनुरोध किया है। चूंकि सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले पर आधारित होता है, इसलिए राजस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता का निर्णय भी इसी फार्मूले के आधार पर किया जाना है।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 में सामान्य केन्द्रीय सहायता (सक्ल) में वृद्धि।

राज्य		करोड़ रु.
क.	विशेष श्रेणी राज्य	
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	70.31
2.	असम	122.17
3.	हिमाचल प्रदेश	37.75
4.	जम्मू और कश्मीर	155.98
5.	मणिपुर	39.12
6.	मेघालय	29.83
7.	मिजोरम	47.08
8.	नागालैंड	40 08
9.	सिक्किम	20.30
10.	त्रिपुरा	31.79
	जोड़ : क	594.41

1	2	3
	ख. गैर विशेष श्रेणी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	98.16
2.	बिहार	141.87
3.	गोवा	—55.80
4.	गुजरात	32.26
5.	हरियाणा	15.09
6.	कर्नाटक	35.12
7.	केरल	37.05
8.	मध्य प्रदेश	85.80
9.	महाराष्ट्र	77.60
10.	उड़ीसा	59.15
11.	पंजाब	58.90
12.	राजस्थान	38.44
13.	तमिलनाडु	45.47
14.	उत्तर प्रदेश	46.94
15.	पश्चिम बंगाल	68.77
	जोड़ : ख	784.22
	कुल योग : (क+ख)	1378.68

विवरण-2

संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 में दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता* में वृद्धि

संघ राज्य क्षेत्र		करोड़ रु.
	1	2
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	57.50
2.	चंडीगढ़	9.39
3.	दादरा नगर हवेली	8.51
4.	दमन और दीव	3.60

* संघ राज्य के अपने संसाधन सहित ।

1	2	3
5.	दिल्ली	120.00
6.	लक्षद्वीप	0.96
7.	पांडिचेरी	15.00
	जोड़ ।	214.96

केन्द्रीय परियोजनाओं में केन्द्रीय पूंजी निवेश

6773. श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) वर्ष 1990-91 के अन्त में विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार कितने-कितने प्रतिशत पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या देश में किए गए कुल पूंजी निवेश का राजस्थान में केवल दो प्रतिशत पूंजी-निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राजस्थान में केन्द्रीय पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) केन्द्रीय योजना निवेश राज्यवार नहीं किया जाता है और इसलिए ठीक-ठीक ब्यौरे देना संभव नहीं है । तथापि, केन्द्रीय योजना व्यय के राज्यवार ब्यौरे के लगभग अनुमानों को दर्शाने वाला ब्यौरा तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1985-86 (वास्तविक आंकड़े), (1986-87 संशोधित अनुमान, तथा 1987-88) बजट अनुमान से संबंधित उनका प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है । यह अनेक कल्पनाओं पर आधारित है तथा इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों से स्थिति का सर्वोत्तम रूप में एक आयामी मूल्यांकन प्राप्त होता है ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय योजना निवेश संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । इसके अलावा कार्यक्रमों/परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांशत: उन क्षेत्रों में किया जाता है जहांकि आवश्यक आर्थिक कारक इष्टतम रूप में उपलब्ध होते हैं । अधिकांश मामलों में इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का राज्य-सीमाओं के साथ कोई सह-संबंध नहीं होता है (उदाहरणार्थ रेलवे लाइनें, राजमार्ग इत्यादि) । वे कभी-कभार ही किसी विशेष राज्य के लिए होती है । इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लाभ समस्त देश को प्राप्त होते हैं ।

विवरण

केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा

सातवीं पंचवर्षीय योजना : 1985-86 से 1987-88 (करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1987-88	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों के लिए कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2105.90	2156.22	2321.37	6583.49
		(13.07)	(11.23)	(11.44)	(11.84)
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.97	28.62	54.49	99.03
		(0.10)	(0.15)	(0.27)	(0.18)
3	असम	713.69	621.80	730 50	2065.99
		(4.43)	(3.24)	(3.60)	(3.72)
4.	बिहार	1133.68	1384.45	1393.82	3911.95
		(7.04)	(7.21)	(6.87)	(7.04)
5.	गुजरात	1109.99	1573.98	1585.63	4269.60
		(6.89)	(8.20)	(7.81)	(7.68)
6.	हरियाणा	253.14	249.46	329.64	832.24
		(1.57)	(1.30)	(1.62)	(1.50)
7.	हिमाचल प्रदेश	200.71	298.54	325.79	825.04
		(1.57)	(1.56)	(1.6)	(1.48)
8.	जम्मू व कश्मीर	197.11	167.02	230.64	594.77
		(1.22)	(0.87)	(1 14)	(1.07)
9.	कर्नाटक	558.13	687.32	809.89	2055.34
		(3.47)	(3.58)	(3.99)	(3.70)
10.	केरल	441.61	529.34	531.66	1502.61
		(2.74)	(2.76)	(2·62)	(2.70)
11.	मध्य प्रदेश	1976.29	2508.83	1895.79	6380.91
		(12.27)	(13.07)	(9.34)	(11.48)

1	2	3	4	5	5
12.	महाराष्ट्र	1302.23 (8.09)	1522.80 (7.93)	2020.66 (9.95)	4845.74 (8.72)
13.	मणिपुर	34.33 (0.21)	50.21 (0.26)	69.04 (0.34)	153.58 (0.28)
14.	मेघालय	24.50 (0.15)	26.44 (0.14)	34.36 (0.17)	85.35 (0.15)
15.	मिजोरम	13.38 (0.08)	12.23 (0.12)	16.45 (0.08)	51.96 (0.09)
16.	नागालैंड	27.60 (0.17)	30.08 (0.16)	53.46 (0.27)	113.14 (0.20)
17.	उड़ीसा	1176.75 (7.31)	951.76 (4.96)	1126.29 (5.55)	3254.80 (5.85)
18.	पंजाब	254.87 (1.58)	326.03 (1.70)	473.79 (2.33)	1054.69 (1.90)
19.	राजस्थान	532.23 (3.30)	648.12 (3.38)	773.42 (3.81)	1953.77 (3.51)
20.	सिक्किम	7.16 (0.04)	7.62 (0.04)	34.56 (0.17)	49.34 (0.09)
21.	तमिलनाडु	827.80 (5.14)	964.75 (5.03)	1069.64 (5.27)	2862.19 (5.15)
22.	त्रिपुरा	56.82 (0.35)	54.75 (0.29)	58.23 (0.28)	169.80 (0.31)
23.	उत्तर प्रदेश	1702.30 (10.57)	2568.40 (13.38)	2452.45 (12.08)	6723.15 (12.09)
24.	प. बंगाल	974.70 (6.05)	1234.13 (6.43)	1288.73 (6.35)	3497.56 (6.29)
	जोड़ राज्य	15640.94	18612.86	19682.30	53936.09
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.62 (0.10)	63.62 (0.33)	18.63 (0.09)	98.87 (0.18)

1	2	3	4	5	6
26.	चंडीगढ़	13.50	12.19	11.58	37.27
		(0.08)	(0.06)	(0.06)	(0.07)
27.	दादरा व नागर हवेली	1.79	2.10	1.70	5.59
		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
28.	दिल्ली	366.14	442.38	528.19	1336.71
		(2.27)	(2.30)	(2.60)	(2.40)
29.	गोवा, दमन व द्वीव	56.58	53.10	39.42	149.10
		(0.35)	(0.28)	(0.19)	(0.27)
30.	लक्षद्वीप	1.69	2.43	9.29	13.41
		(0.01)	(0.01)	(0.05)	(0.02)
31.	पांडिचेरी	7.64	9.74	7.00	24.38
		(0.05)	(0.05)	(0.03)	(0.04)
	जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	463.96	585.56	615.81	1665.33
	जोड़ आवंटनीय	10104.90	19192.41	20298.11	55601.42
	अनावंटनीय राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
	कुल जोड़ :	19108.48(*)	23666.23(†)	25275.54(&)	68050.25

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आवंटन योग्य धनराशि में से प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं

(*) "ग्रामीण विकास" के मामले में वास्तविक व्यय (1935-36) के आंकड़े भुगतान तथा लेखा कार्यालय द्वारा दिए गए थे।

(‡) जोड़ों में ये शामिल है : (1) 'संचार प्रणाली" के लिए वास्तविक व्यय, 1986-87 तथा (2) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के संशोधित अनुमान, 1986-87।

(&) जोड़ों में ये शामिल है : (I) "संचार प्रणाली" के लिए संशोधित अनुमान, 1987-88 (II) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के बजट अनुमान, 1987-88।

टिप्पणी : चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश राज्यवार आयोजित या आकलित नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसे ब्यौरे देने में कुछ कल्पनाएं की गयी हैं जबकि इस प्रकार के कार्य के आधार के रूप में वे सर्वोत्तम संभव कल्पनाएं प्रतीत होती हैं, उनकी प्रमाणिकता निश्चित रूप से सीमित स्वरूप की है। कुछ उदाहरणों को नीचे दिया गया है :

(1) रेलवे के मामले में जहां रोलिंग स्टाक किसी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां वितरण का अनुमान किसी विशेष राज्य से गुजरने वाले ट्रक के रूट/किमी. के आधार पर लगाया जाता है।

(2) इसी प्रकार विमानन के मामले में जहां विमानों के कारण अधिकांश परिव्यय होता है, वितरण विशेष राज्य के क्षेत्र में लैंडिंग्स की संख्या के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

(3) डाक सेवाओं में व्यय के ब्यौरे क्षेत्रवार अनुमानित किये जाते हैं।

चूंकि परियोजना में केन्द्रीय निवेश अधिकांशतः उन क्षेत्रों में हैं जहां आवश्यक आर्थिक कारक इष्टतम रूप से उपलब्ध है, ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन के उद्देश्य का केवल सीमित औचित्य हो सकता है।

सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार तथा सीएसडी (आई) कैंटीन के मूल्यों में अन्तर

[अनुवाद]

6774. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार तथा सीएसडी (आई) द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों में 20 प्रतिशत का अंतर होता है और यदि सीएसडी (आई) के मूल्यों में लगभग 13 से 15 प्रतिशत का अंतर होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार उपभोक्ताओं को थोक बिक्री तथा खुदरा बिक्री के लाभांश नहीं देता जैसाकि सीएसडी (आई) द्वारा किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को लाभांश प्रदान करने के लिए सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार को बाध्य करने हेतु एवं इनके मूल्यों और सीएसडी (आई) के मूल्यों में अन्तर केवल बिक्री कर की सीमा तक बनाए रखने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (आई) द्वारा चलाई जा रही है इकाइयों में लिए जाने वाले मूल्यों में कुछ अंतर है। सीएसडी कैन्टीन की वसूलियां बम्बई में केन्द्रीकृत हैं। वस्तुओं को अधिप्राप्ति बातचीत द्वारा तय की गई दरों पर थोक मात्रा में की जाती हैं और फर्मों द्वारा विशेष छूट के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट देश भर में फैली लगभग 3500 यूनिटों को वस्तुएं बेचने के लिए 32 डिपो चला रहा है और सीएसडी कैंटानों के ग्राहक केवल रक्षा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों तक ही हैं। बिक्री केन्द्रों के लिए स्थान भी रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अतः सीएसडी कैन्टीन बहुत मामूली लाभ पर कार्य करने में सक्षम है।

इसके अलावा केन्द्रीय भंडार को भी किराए की बहुत मामूली दर पर स्थान उपलब्ध होता है। सुपर बाजार को अपने बिक्री केन्द्रों के लिए वाणिज्यिक दरों पर बिक्री स्थान प्राप्त करना होता है। केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार को राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों द्वारा लगाई गई लेवी से कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। कम्पनियां/फर्में भी उन शर्तों को सुविधा नहीं देती हैं, जो वे सीएसडी कैंटीनों को देती हैं।

(ग) से (ङ) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार लाभ का न्यूनतम मार्जिन लगाकर, जो उनके अपने संगठनों के लिए वाणिज्यिक तौर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए अपेक्षित है, बिक्री मूल्य नियत करते हैं और शेष लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। सभी मामलों में मूल्यों को कम्पनियों द्वारा वस्तुओं के लिए नियत किए गए न्यूनतम खुदरा मूल्य के बराबर अथवा कम रखा जाता है।

मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नए उद्योग

[हिन्दी]

6775. **श्री दाऊ दयाल जोशी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नए उद्योगों के पंजीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है,

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को किन-किन तारीखों को मंजूरी दी गई,

(घ) कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा ये कब से लंबित पड़े हुए हैं ; और

(ङ) इन्हें मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) 1988 से 1991 (जुलाई तक) की अवधि के दौरान लाइसेंस मुक्त उद्योगों/छूट प्राप्त उद्योगों/डी.जी.टी.डी. पंजीकरण योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के उपक्रमों/संयुक्त क्षेत्र के एककों से प्राप्त हुए आवेदनों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

	मध्य प्रदेश			हिमाचल प्रदेश		
वर्ष	लाइसेंस-मुक्त उद्योगों के पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण	डी. जी. टी. डी. पंजीकरण	लाइसेंस-मुक्त उद्योगों के पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण	डी.जी.टी.डी पंजीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1988	—	—	—	8	—	—

1	2	3	4	5	6	7
1989	2	4	—	1	1	—
1990	—	2	—	—	—	1
1991 (जुलाई तक)	1	3	—	—	—	—

पंजीकरण जारी करने की तारीख, उपक्रम का नाम, स्थापना-स्थल विनिर्माण की मद (मदें) और वार्षिक क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूजलैटर" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय में भेजी जा रही हैं।

(घ) और (ङ) इस समय मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नए औद्योगिक एककों के पंजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। नई औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस-मुक्त उद्योगों/छूट प्राप्त उद्योगों/डी.जी.टी.डी. पंजीकरण योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं।

जौनपुर, उत्तर प्रदेश में उद्योग

6776. **श्री अखुंन सिंह यादव :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश, जौनपुर में इस समय केन्द्रीय सरकार के कार्यरत उद्योगों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी के थुंगुन) : जौनपुर में इस समय केन्द्रीय क्षेत्र का कोई उद्योग कार्यरत नहीं है।

तकनीकी पदों पर अनुसूचित/जाति-जनजाति के लोग

[अनुवाद]

6777. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी दिये गये समय में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा विशेषज्ञता वाले पदों की रिक्तियों की तुलना में रोजगार के क्षेत्र में श्रेणी-वार अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य अभ्यार्थियों की उपलब्धता में सदैव कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो जब तक अभ्यार्थियों को पहले से ही रहे तैयार और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता तब तक आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में केवल विज्ञापन जारी करके और सूचना परिचालित करके आरक्षित रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा ;

(ग) क्या कोई वर्तमान प्रशिक्षण संस्थान अथवा कार्यक्रम विशेष आवश्यकता को पूरा करते हैं ; और

(घ) यदि, नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

6778. श्री मदन लाल खुराना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अगस्त, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'सीएजी' प्लेज सी आर पी एफ एंड डी डी फार फाइनेंसियल वंग्लिंग्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के बारे में तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्योरा क्या है ;

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए तथा इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ; और

(घ) विगत में, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में कितनी बार प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इन अनियमितताओं के अब तक बने रहने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दूरदर्शन की ओर से उसकी कतिपय गतिविधियों के बारे में कुछ प्रक्रियात्मक कमियां तथा भूलें बताई गई हैं ।

(ग) और (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित सरकारी विभागों के काम की नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की जाती है । नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समय-समय पर संसद में प्रस्तुत रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों पर विधिवत विचार किया जाता है और इन सिफारिशों के सम्बन्ध में उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये धनराशि

6779. श्री धर्मण्णा सोंडय्या सादुल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया ।

(ख) क्या वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र के लिये नियत की गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है ।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमति मारग्रेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्धन के लिए कार्यक्रमों और स्कीमों के रूप में व्यवस्था की गई है और इसमें कोई पूर्व-निर्धारित राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

अखबारी कागज का आयात

6780. श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के अखबारी कागज का आयात किया गया ;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक अखबारी कागज एकक की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी तथा वास्तविक उत्पादन क्या रहा ; और देश में अखबारी कागज की मांग को पूरा करने में इसकी कितनी कमी रही ; और

(ग) इस मद की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के प्रयोजन से अखबारी कागज के मामले में देश संभवत: कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आयातित अखबारी कागज की वर्षवार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	मात्रा मी. टन (लाख)	लागत बीमा मात्रा मूल्य (करोड़ रुपये)
1988-89	2.24	223.45
1989-90	2.24	253.86
1990-91	2.26	276.02

(ख)

मिल का नाम	उत्पादन क्षमता (टन)	वास्तविक उत्पादन (टन)
1 2	3	4
1. नेपा लिमिटेड	88,000	75,512

1	2	3	4
2.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. (केरल)	80,000	90,387
3.	मैसूर पेपर्स लिमिटेड	75,000	75,003
4.	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट	50,000	39,065

वर्ष 1990-91 के दौरान अखबारी कागज की अनुमानित मांग 5.65 लाख मीट्रिक टन थी और देसी उत्पादन और आयात की मात्रा को हिसाब में लेने के बाद 5900 मीट्रिक टन की कमी रह गई थी।

(ग) आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना पर्याप्त क्षमताओं की स्थापना करने और कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

"इंडिया स्कू" नामक वीडियो मैगजीन

6781. श्री किरिप चालिहा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक्षिक वीडियो 'मैगजीन शो" दूरदर्शन के समाचार कैमरा मैन द्वारा लिये गए दृश्यों का, बिना भुगतान किये अथवा बिना कोई आभार प्रकट किये उपयोग कर रही है ;

(ख) क्या ये दृश्य धन के एवज में दूरदर्शन की वीडियो लायब्रेरी से चोरी-छिपे ले जाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या दूरदर्शन के पास यह पता लगाने के लिये कोई साधन अथवा माध्यम है कि उसके दृश्यांकनों को कतिपय वीडियो मैगजीनों द्वारा चोरी छिपे खरीदा तथा उपयोग में लाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) बाहरी निर्माताओं और निजी एजेंसियों को दूरदर्शन की समाचार लाइब्रेरी से समाचार दृश्यांकन अनुमोदित दरों पर भुगतान करने पर दिए जाते हैं। दूरदर्शन को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें किसी निजी वीडियो पत्रिका को दूरदर्शन की लाइब्रेरी से गुप्त रूप से दृश्यांकन दिए गए हों दूरदर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतता है कि इसके दृश्यांकन गुप्त रूप से किसी बाहरी निर्माता या निजी एजेंसियों को न दिए जाएं।

राष्ट्रीय कार्यक्रम "फोकस" में मिली खुली आवाजें

6782. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्टार्ट" सम्मेलन कार्यक्रम में जिसे जो 4 अगस्त, 1991 को राष्ट्रीय कार्यक्रम "फोकस" के अन्तर्गत दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया था, वक्ताओं की मिली-जुली आवाजें सुनाई दे रही थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किसी दोषी पाया गया है ; और

(ग) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु कौन से उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसा कार्यक्रम में डबिंग तथा प्लेबैक की गड़बड़ी के कारण हुआ।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के वास्तविक प्रसारण से पूर्व प्लेबैक की जांच करने तथा पूर्वावलोकन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

तकनीकी/गैर-तकनीकी कर्मियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

6783. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारत के दूतावासों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मियों को भारतीय संस्कृति, भाषाओं, मूल्यों और भारतीय दर्शन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो यह आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम कितनी जल्दी आरम्भ किया जायेगा तथा यह कितनी अवधि का होगा, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा और कौन सी संस्थाएं ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी, और

(ग) क्या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले वैज्ञानिकों को भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति तथा विकास का सम्यक रूप से अवलोकन कराने के लिये कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती माग रेट अल्वा) : (क) और (ख) इस प्रकार के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चूंकि ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत कम है और ये परिवर्ती समय पर विदेश प्रस्थान करते हैं इसलिए भारतीय संस्कृति और दर्शन पर व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवहार्य नहीं है।

(ग) वैज्ञानिकों को संगत पहलुओं पर विवरण (ब्रिफिंग) लेने के लिए भेजा जाता है।

लघु उद्योगों के लिए खनिज स्रोतों का उपयोग

6784. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए खनिज और प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में खनिज तथा प्राकृतिक संसाधनों सहित विभिन्न कच्चे मालों पर आधारित लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां निजी क्षेत्रक में उद्यमियों तथा कारीगरों द्वारा स्थापित की जाती है। सरकार की भूमिका मुख्यत: प्रोत्साहक की है। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास के लिए ये योजना कार्यक्रम एवं स्कीमें वित्तीय सहायता, कच्चे माल की प्राप्ति तथा आपूर्ति, विकसित औद्योगिक शेडों/प्लाटों का प्रावधान, प्रशिक्षण राज्य सहकारिताओं/शीर्ष तथा प्राथमिक सहकारी संघों को इक्विटी सहायता, सामान्य सुविधाओं का प्रावधान, प्रौद्योगिक उन्नयन, विपणन सहायता इत्यादि से सम्बन्धित है।

पेयजल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन

6785. श्री बीरेन्द्र सिंह :

श्री चेतन पी. एस चौहान :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने 1991 की अपनी रिपोर्ट संख्या I में पेयजल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यक्रम में कमियों की ओर इंगित किया है, जो सातवीं योजना के अन्त तक 1,13,155 गांवों को पानी की आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान कितने गांवों को पेयजल की आपूर्ति की गई और 1991-92 के दौरान कितने गांवों को पेयजल आपूर्ति का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) पेय जल प्रौद्योगिकी मिशन की समीक्षा के बारे में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट (1991 की रिपोर्ट संख्या I) के पैरा 4 की मुख्य-मुख्य बातें और इस मामले में उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1.4.85 को पता लगाए गए 1,61,722 समस्याग्रस्त गांवों में से सातवीं योजना अवधि के दौरान 1,51,357 समस्या ग्रस्त गांवों को पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थीं। 1991-92 के दौरान 2509 "बिना जल स्रोत" वाले गांवों और 41,591 आंशिक रूप से पेय जल सुविधाएं प्राप्त गांवों/अन्य गांवों को पेय जल की सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 1991 की रिपोर्ट संख्या-1 के पैरा-4 में उल्लिखित पेयजल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की समीक्षा की मुख्य बातें और इस मामले में उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	1989-90 के दौरान 1,37,155 गांवों को कवर करने की तुलना में 1,28,823 गांवों को कवर किया गया था और 8332 गांवों को कवर करना शेष रह गया था। इसमें आंशिक रूप से कवर किए गए वे गांव भी शामिल हैं, जिन्हें मानदण्डों के अनुसार पूरी मात्रा में पानी नहीं दिया जा रहा था।	1989-90 के दौरान वास्तव में 1,28,790 समस्याग्रस्त गांवों को कवर किया गया था और 8365 गांव कवर किए जाने के लिए शेष रह गये थे। 92,284 समस्याग्रस्त गांवों को पूर्ण रूप से और 61,073 गांवों को आंशिक रूप से कवर किया गया था। उपरोक्त कवरेज के अतिरिक्त, 1,61,722 पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की सूची के अलावा 98,074 गांवों को भी कवर किया गया था।
2.	मार्च, 1990 के अन्त में, मिशन की अवधि से पहले के गांवों सहित आंशिक रूप से कवर किए गए 1,18,163 गांव थे। मिशन को आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों की कवरेज संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।	कुछ राज्यों में आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों की संख्या अब उपलब्ध है। शेष राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों और बसावटों में मानदण्डों के अनुसार पानी की वास्तविक उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की सीमा में ऐसे आंशिक रूप से कवर किए गए गावों को मानदण्डों के अनुसार पूर्ण रूप से कवर करें।
3.	जल स्रोतों का पानी लगाने और पानी की उपलब्धता का जायजा लेने के लिए केवल परम्परागत तरीकों का ही इस्तेमाल किया	सेटेलाइट इमेजरीज और भूजल सम्भावना नक्शे तैयार हो जाने और उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध करा दिये जाने के बाद ही वैज्ञानिक तरीकों से जल स्रोतों का

1	2	3
	गया था।	पता लगाने का काम शुरू किया गया था। जियोफीजिकल और जियो हाइड्रोलोजिकल सर्वेक्षण किएजाते हैं। जल स्रोतों का पता लगाने केलिए राज्यों में गठित की गई वैज्ञानिक तरीकों से जल स्रोतों का पता लगाने संबंधी समिति का परामर्श भी लिया जाता है।
4.	जून, 1990 तक केवल 33 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं जबकि लक्ष्य 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का था।	अगस्त, 1991 तक सभी प्रयोगशालाओं ने काम करना आरम्भ कर दिया है।
5.	फ्लोराइड दूर करने के 133 संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य की तुलना में 6 संयत्र शुरू किए गये थे।	लक्ष्य को संशोधित करके 481 फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र (106 फिल एंड ड्रा टाइप और 375 हैंडपम्प वाले) कर दिया गया था 1 अगस्त, 1991 तक 172 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
6.	गिनीकृमि को समाप्त करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 5578 बावड़ियों को स्वच्छ कुओं में बदलने के लक्ष्य की तुलना में केवल 2576 कुओं को बदला गया था।	जून, 1991 के अन्त तक 4798 बावड़ियों (स्टैप वैल) को पहले ही स्वच्छ कुओं में बदला जा चुका है और 256 कुओं का काम प्रगति पर है।
7.	11,780 लौह दूर करने के संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में मार्च, 1990 तक केवल 2267 संयंत्र स्थापित किए गए थे।	अभी तक 119 8 लौह दूर करने के संयंत्रों की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। जुलाई, 1991 के अन्त तक 3568 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और शेष संयत्रों के मार्च, 1992 तक पूरे हो जाने की संभावना है।
8.	खारापन दूर करने के 120 संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में 42 संयंत्र लगाए गए थे।	जुलाई 1991 के अन्त तक 104 संयंत्र चालू कर दिए गए हैं।
10.	1986-90 के दौरान उप मिशन गतिविधियों के लिए 26.88 करोड़	मिशन ने 17.02 करोड़ रुपए के खर्च के ब्यौरे एकत्र कर लिये हैं। शेष रिलीजों के

1	2	3
	रुपए रिलीज किये गये थे जिसमें से हुए खर्च के ब्यौरे मिशन के पास उपलब्ध नहीं थे।	खर्च के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।
10.	15 मिनी जिलों में 9.63 करोड़ रुपये रिलीजों की सीमा से अधिक खर्च किये गये।	इनमें से अधिकतर मिनी मिशनों में किया गया अधिक खर्च कार्यों की अनुमोदित लागत के भीतर था लेकिन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन करने वाले कार्यकारी निदेशक को निधियों की रिलीज न होने के कारण वास्तविक भुगतान नहीं किया गया। कुछ मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियां उपलब्ध कराई गई थी। मिनी मिशनों ने सीमा से अधिक किये गये खर्च को नियमित करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।
11.	38 मिनी मिशन जिलों में खर्च न की गई शेष राशि 17.53 करोड़ रुपए थी, जिसमें 7 मामलों में तो रिलीज का 50 प्रतिशत से भी कम खर्च किया गया।	निधियों के इस्तेमाल में कमी के कई कारण थे जैसे गतिविधियों के कार्यान्वयन की गति जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को सौंपना आदि। तथापि, खर्च न की गई धनराशि पर ब्याज प्राप्त किया गया तथा इसे मिनी मिशनों को देय कुल राशि में समायोजित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब निधियों की अगली किश्तें रिलीज करने पर तभी विचार किया जाता है जब पहले वाली रिलीज का 80 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया गया हो।
12.	सुरक्षात्मक उपायों, परियोजनाओं के लिए निर्धारित 75 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले सिर्फ 26.23 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे तथा 17.66 करोड़ रुपये की रिलीज में से कुल 6.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए।	20.26 करोड़ रुपये की रिलीज में से 9.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सूचना है। कड़ी निगरानी तथा योजनाओं की तेजी से पूरा करने के लिए इस मामले पर 2 तथा 3 अगस्त, 1991 को ग्रामीण जल सप्लाई के प्रभारी सचिवों के साथ चर्चा की गई है।

1	2	3
13.	नौ राज्यों में जल एकत्रीकरण ढांचों के लिये कोई निधियां रिलीज नहीं की गई।	निधियां इसलिए रिलीज नहीं की गई क्योंकि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, इन राज्यों से इस हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे।
14.	यह पाया गया था कि 300.14 लाख रुपये की निधियों को अस्थाई तौर पर मिनी मिशन के कार्य क्षेत्र के बाहर के अन्य कार्यों के लिए अपवर्तित कर दिया गया था।	ऑडिट द्वारा उल्लिखित निधियों के अपवर्तन को केवल उप-मिशन आदि के तहत आने वाली गतिविधियों जैसे मिनी मिशन को दी गई निधियों के उपयोग जैसी सम्बद्ध गतिविधियों के लिए किया गया था। ऐसा अस्थाई तौर पर किया गया तथा अनुमोदित गतिविधियों के लिए निहित निधियां प्राप्त होने के पश्चात अपवर्तित की गई निधियां वापस ले ली गई।
15.	जैसा कि मिशन के दस्तावेज में प्रकाशित किया गया है, उपलब्धियों के विश्लेषण, समस्याओं को दूर करने के उपायों तथा लक्ष्यों में संशोधन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए परियोजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा नहीं की गई थी।	प्रत्येक मिनी मिशन के लिए लक्ष्य अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) की लागत तथा ऐसे अनुमोदन के संदर्भ में वास्तविक कार्यों तथा वित्तीय खर्च की निगरानी के आधार पर निर्धारित किए गए थे। उपलब्धियों का विश्लेषण करने, समस्याओं को दूर करने आदि के रूप में निगरानी संबंधित राज्यों के साथ हुई आवधिक बैठकों के जरिए की गई थी। इस विषय पर हाल ही में सचिवों तथा ग्रामीण सप्लाई के मुख्य इंजीनियरों तथा मिनी मिशनों के निदेशकों के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि मार्च, 1992 तक मिनी मिशन परियोजना पूरी करने के लिए कदम उठाए जायेंगे।
16.	अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन करने तथा खामियों को सुधारने हेतु	प्रगति के मूल्यांकन का कार्य राज्य समन्वयक तथा केन्द्र और राज्य स्तरों पर हुई आवधिक बैठकों के माध्यम से किया गया था।

1	2	3
	आवश्यक पद्धति तथा नीति का सुझाव देने के लिए एजेंसियों का पता लगाने का कार्य नहीं किया गया ।	

मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

6786. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता अद्यतन समीक्षानुसार अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में कितनी है ;

(ख) मध्य प्रदेश में गरीबी उन्मूलन हेतु वर्ष 1991-92 के लिए स्वीकृत की गई विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश को इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1991-92 में कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर भारद्वाज) : (क) नवीनतम वर्ष 1987-88 में जिसके लिए सूचना उपलब्ध है, मध्यप्रदेश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक स्थिति को संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) मध्य प्रदेश में ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) 1991-92 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित केन्द्रीय स्कीमें हैं तथा राज्य के शहरी गरीबों के लिए नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) का कार्यान्वयन हो रहा है ।

(ग) मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1991-92 के लिए गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित केन्द्रीय सहायता को नीचे दर्शाया गया है :—

कार्यक्रम	केन्द्रीय आबंटन
	1991-92 (करोड़ रु. में)
आइ आर डी पी	34.3
जे आर वाई	211.2
एन आर वाई	8.6

विवरण

ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्रों के लिए पृथक रूप में राज्यों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की संख्या तथा प्रतिशत 1987-88 (अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की सं. (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की सं. (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की सं. (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	153.1	33.8	42.6	26.1	195.70	31.7
2.	असम	50.4	25.5	2.5	9.4	52.89	22.8
3.	बिहार	300.3	42.7	36.1	30.0	336.54	40 8
4.	गुजरात	56.2	21.2	172.1	12.9	73.25	18.4
5.	हरियाणा	13.5	11.7	4.7	11.7	18.15	11.6
6.	हिमाचल प्रदेश	4 4	9.7	0.1	2.4	4.25	9.2
7.	जम्मू व कश्मीर	8.4	15.5	1.4	8.4	9.79	13.9
8.	कर्नाटक	102.8	35.9	33.7	24.2	136.46	32.1
9.	केरल	37.4	16.4	11.6	19.3	48.98	17.0
10.	मध्य प्रदेश	194.0	41.5	30.9	21.3	224.97	36.7
11.	महाराष्ट्र	166.9	36.7	47.2	17.0	214.10	29.2
12.	उड़ीसा	124.2	48.3	10.9	24.1	135.12	44.7
13.	पंजाब	9.6	7.2	4.3	7.2	13.88	7.2
14.	राजस्थान	80.6	26.0	19.0	19.4	99.54	24.4
15.	तमिलनाडु	138.4	39.5	38 5	20 5	176.85	32.8
16.	उत्तर प्रदेश	373.1	37.2	75.2	27.2	448.34	35.1
17.	प. बंगाल	137.2	30.3	36.3	20.7	173.45	27.6
18.	छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	9.3	11.8	4.9	4 7	14 2	7.7
19.	अखिल भारतीय	1959.7	33.4	417 0	20.1	2376.7	29.9

टिप्पणी : (1) उपरोक्त अनुमानों को 1973-74 कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति

व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता के समरूप 49.09 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में यदि 2100 कैलोरी की आवश्यकताके समरूप 56.64 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह की गरीबी रेखा का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं।

(2) 1987-88 के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निजी खपत डिफ्लेटर का प्रयोग किया गया है।

(3) ये प्राक्कलन घरेलू खपत व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के 43वें दौर के प्रारूप रिपोर्ट पर आधारित हैं (रिपोर्ट स. 372, खपत व्यय से सम्बन्धित चौथे पंचवार्षिकीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट, एन एस एस ओ जून, 1990)

(4) गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या मार्च, 1988 की जनसंख्या पर आधारित है।

(5) राज्यवार गरीबी अनपात का प्राक्कलन सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय अपनायी गई पद्धति प्रयोग करके किया गया है। तब से गरीबी अनुमान की पद्धति के बारे में कई मुद्दे उठाये गये हैं। तथा इन मुद्दों पर डा. डी. टी. लक्कड़ वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

(6) यहां प्रस्तुत अनुमानों में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर संशोधन होने की सम्भावना है।

फिल्म उद्योग का बन्द होना

6 87. **श्री मोरेश्वर सावे :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची फिल्म के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण फिल्म उद्योग बन्द होने के कगार पर है ;

(ख) क्या फिल्म उद्योग के नेताओं के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार फिल्म उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार वीडियो चोरी, केबल टेलीविजन नेटवर्कों, कच्चे माल की ऊंची कीमतों इत्यादि संबंधी फिल्म उद्योग की कठिनाईयों से अवगत है।

(ख) और (ग) फिल्म उद्योग ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा हाल में कच्ची फिल्मों की कीमत बढ़ाने सम्बन्धी घोषणा के खिलाफ अभ्यावेदन दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने

सिने कलर पाजिटिव फिल्म के लिए कीमत फार्मूला तैयार करने के मुद्दे को औद्योगिक मूल्य और लागत ब्यूरो को सौंप दिया है और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि कलर निगेटिव और कलर पाजिटिव कच्चे माल पर प्राथमिक और पूरक शुल्क समाप्त किया जाये।

महाराष्ट्र में चीनी कारखानों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करना

6788. **श्री मोरेश्वर सावे :**

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए कुल कितने लाइसेंस मंजूर किए गये ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, आई. डी. बी. आई. और आई. सी. सी. आई. जैसी वित्तीय संस्थाओं ने यह कहकर ऋण देने से इंकार कर दिया है कि ये कारखाने न तो संभव हैं और न ही अर्थक्षम ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कारखानों के लिए ऋण देने हेतु किसी प्रकार की जांच का आदेश दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले तीन चीनी मौसमों अर्थात् 1987-88, 1988 89 और 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 36 आशय पत्र जारी किए गए।

(ख) से (ङ) परियोजना लागत में तेजी से वृद्धि के कारण केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं नई चीनी फैक्ट्रियों की अर्थक्षमता की पुन: जांच कर रही हैं। चीनी फैक्ट्री की अर्थक्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे गन्ना कीमत, खुली बिक्री वसूली, संसाधन क्षमता आदि। इस मामले में किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया है लेकिन सरकार इसके सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं बम्बई कपड़ा मिलों के मजदूरों से सम्बन्धित एक गम्भीर समस्या के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बम्बई की लगभग दस कपड़ा मिलें काफी समय से लगातार बंद है और पच्चीस हजार कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त तेरह कपड़ा मिलें जिनका काम-काज सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और जिनका राष्ट्रीय वस्त्र निगम संचालन करता है वे भी सभी स्थायी कामगारों को नौकरी पर बहाल नहीं कर पाई हैं। उन्हें देय धन राशि की भी अदायगी नहीं की गई है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम और बम्बई की राष्ट्रीय मजदूर संघ के बीच जो समझौता हुआ है उसे केन्द्रीय सरकार की ओर से मंजूरी प्रदान

नहीं की गई है। हालांकि कामगारों ने औद्योगिक न्यायालय तथा बम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया था फिर भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने उन पर उच्चतर न्यायालय में भी मुकदमा किया था।

इसीलिए वस्त्र मंत्री से अनुरोध है कि मामले की जांच करें और बम्बई के इन कपड़ा मिल मजदूरों का उद्धार करें जो बेरोजगार हैं तथा जो देय राशि की वसूली भी नहीं कर पा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद झारखण्ड आन्दोलन चलाया जा रहा है, एक अलग राज्य के लिए। इस आन्दोलन को तीव्र होते देख कर स्व. राजीव गांधी जी के मंत्रित्व काल में 1988 में झारखण्ड विधेयक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का कार्य चल ही रहा था कि मध्यावधि चुनाव हो गए। उसके बाद उस समिति के काम को जब श्री वीपी सिंह प्रधानमन्त्री बनें, तब फिर हम लोगों ने स्मरण पत्र दिया। उसके बाद समिति का काम पूरा हुआ और 18 मई, 1990 को उस समिति ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी। पुन: 10 अगस्त, 1991 को बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 नवम्बर को बिस्सा मुंडा जी के जन्म दिन पर समाधान किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से 9 नवम्बर को वह सरकार चली गई। फिर चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री हुए और फिर उनको भी स्मरण पत्र दिया गया। उन्होंने दो माह के अंदर उस समस्या का समाधान करने के लिए पत्र लिखा और बिहार के सभी राजनीतिक दलों, नेताओं, एम. पी. और एम. एल. एज. से दो दिन दिल्ली में वार्ता की। उसके बाद फिर लोकसभा भंग हो गई। अब वही सरकार आई है, जिस सरकार ने झारखंड विधेयक समिति का गठन किया था, लेकिन आज तक उस समिति की रिपोर्ट लोकसभा मे नहीं रखी गई है, जो गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। अभी भी इस तरह का आन्दोलन चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि देश में झारखंड आन्दोलन गांधी जी की नीतियों पर चलाया जा रहा है। कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं हो रही है। देश में असम, पंजाब और काश्मीर में जो हिंसा का वातावरण हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस समिति की रिपोर्ट को सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाए। झारखन्ड मुक्ति मोर्चा द्वारा निर्णय किया गया है कि दो अक्टूबर तक गांधी जी के आदर्शों का पालन करेंगे। अगर उस रिपोर्ट पर कार्यवाही और समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग फिर उसका अनुसरण नहीं करेंगे। तो देश में असम, पंजाब और काश्मीर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, आज लोग आक्रोस में जी रहे हैं। इसलिए सरकार को इस विषय पर रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए और इस समस्या के निदान के लिए शीघ्र वार्ता करनी चाहिए, हम यही निवेदन करना चाहते हैं। नहीं तो उस इलाके में नौजवान, किसान मजदूर रोष में हैं और सिद्धान्तों को न मानने की तरफ चले जा रहे हैं, इस लिए देश को और इस सदन को इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार इस पर कोई वक्तव्य दे।

श्री कालकादास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वोट क्लब पर रखे हुए धरने की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए वोट क्लब पर धरना

दिए हुए हैं कि दिल्ली में 1983 के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं और दिल्ली के नागरिकों को अफसरशाही के भरोसे छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर अनेक समस्याएं खड़ी हुई। इस सम्बन्ध में हम प्रधानमंत्री से भी मिले थे, दिल्ली के भाजपा के सांसदों और प्रदेश पदाधिकारियों ने आपको भी एक पेटीशन हमने दिया था और आपने भी हमारे से एग्री किया भी

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चैम्बर में जो बातचीत हुई है उसकी यहां चर्चा मत करिए वरना मैं आपसे भेंट नहीं करूंगा।

श्री कालकादास : हमने आपको दिल्ली की कठिनाई से अवगत कराया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी दो मांगें हैं—एक तो दिल्ली में चुनाव कराए जाएं और सरकार ने जो वायदा किया था कि सौ दिन के अन्दर महंगाई कम कर दी जाएगी, उसे पूरा लेकिन न महंगाई कम की गई है और न दिल्ली के चुनाव कराए गए हैं। अध्यक्ष जी, हम प्रधानमन्त्री जी से भी मिले थे, यह बात सदन में पहले भी कही जा चुकी है, हमारे नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी उस समय हमारा नेतृत्व कर रहे थे और यहां पर उन्होंने यह बात रखी भी थी, प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि दिल्ली में चुनाव कराने में हमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन न तो चुनाव हुए और न कीमतें कम हुई हैं।

दिल्ली के लोग वोट क्लब पर दो दिन से धरना दिए बैठे हैं लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यदि उन ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो दिल्ली के नागरिकों को उसी तरह सड़कों पर आना पड़ेगा, जिस तरह से गोवा के नागरिक सड़कों पर आए थे। (व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि इससे पहले कि दिल्ली के लोग सड़कों पर आ जाएं, सरकार को चाहिए कि दिल्ली में तुरन्त चुनाव कराएं और यह जो महगाई लोगों की कमर को तोड़े हुए है, जिस महगाई से लोग घबरा उठे हैं इस महगाई को घटाएं, नहीं तो इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इस पर फुल डिसकशन की मैंने मांग की थी, इस बारे में फुल डिसकशन होना चाहिए। (व्यवधान) दिल्ली के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) महंगाई बढ़ रही है, सड़कें खराब हो रही हैं, यह कब तक चलता रहेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाएं। आपके साथी इस बारे में बहुत अच्छी तरह से बोल चुके हैं।

श्री मदनलाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे उस दिन भी इन समस्याओं के लिए कहा था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटक) : महोदय, कल बोट क्लब पर एक बड़ा उत्साह-वर्द्धक दृश्य था। पंजाब से हजारों औरत, मर्द और बच्चे आये थे उन्होंने पंजाब में प्रजातांत्रिक प्रणाली को

फिर से शुरू करने की मांग करते हुए धरना दिया था। वे आतंकवाद के खिलाफ और देश की एकता के समर्थन में नारे लगा रहे थे। हमने वहां स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। आम जनता वहां संघर्ष कर रही है। हमने बार-बार आवाज उठाई है ताकि कोई समाधान मिल सके। हमने अपनी राय के बारे में सरकार को बताया है कि हमें पंजाब में चुनाव करवाना होगा और इसके लिए कुछ राजनैतिक समाधान करने के लिए उपाय करने होंगे जिसकी एक लम्बे अर्से से प्रतीक्षा है। हमने कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाये। सभा में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इस प्रयोजन की दृष्टि से सरकार क्या उपाय कर रही है। हम यह भी कहते रहे हैं कि नदी जल के बारे में होने वाले विवाद पर निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय को मामला सौंपा जाना चाहिए। हमें विश्वास है कि यदि समुचित उपाय किए गए तो हम आम जनता को अपने पक्ष में पायेंगे। हमें उनमें विश्वास है। यदि हम एक जुट होकर आतंकवाद के खिलाफ गंभीरता इमानदारी लड़ते हैं तो पंजाब में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने में मदद कर सकते हैं।

अब जरूरत इस बात की है कि सरकार जो सोचती है उसे साफ-साफ इस सभा को तथा विरोधी दलों को बताए। यह बहुत गंभीर मामला है। लोग वहां मर रहे हैं। रोज-रोज आतंकवादी उन्हें मार रहे हैं।

इसके बावजूद ऐसे लोग भी हैं जो उनसे संघर्ष कर रहे हैं और दिल्ली भी आ रहे हैं। वे कुछ मांग कर रहे हैं। जो भी सही निर्णय एकजुट होकर लिया जायेगा उसका वे समर्थन करना चाहते हैं। किन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने विरोधी पक्ष को विश्वास में नहीं लिया है। इसको जो भी कार्यवाही वे करना चाहते हैं उसके बारे में हमें जानकारी देने के मामले में वे जरा भी गंभीरता नहीं बरत रहे हैं।

इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्य श्री राजबीर सिंह जैसे लोग जो देश की एकता को मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वे हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि उनके लिए इससे पहले सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया था।

वे आतंकवाद के खिलाफ कुछ न कुछ कहते रहते थे। बाद में उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से वंचित कर दिया गया। इस तरह के जो लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं यदि सरकार की ओर से उन्हें समर्थन नहीं मिला तो वे कहां जायेंगे ? इस सरकार का यही लापरवाही से भरा और गैर जिम्मेदाराना रवैया है।

पंजाब में निर्वाचन कराये जाने हैं और जहां तक मुझे मालूम है सरकार पूर्ववर्ती अधिसूचना को रद्द करने के बारे में सोच रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह वक्तव्य दे कि वह क्या सोच रही है और क्या वह निर्वाचन की घोषणा से पहले पंजाब को चंडीगढ़ सौंपे जाने के मामले में निर्णय लेगी या नहीं। इस के अतिरिक्त नदी जल संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द करेगी या नहीं। आपसे अनुरोध है कि कृपया सरकार को यह बतायें और सभा में इस आशय का

वक्तव्य दिया जाये ताकि हम यहां उस पर चर्चा कर सकें और पंजाब की निरन्तर बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सर्व सम्मति से समाधान ढूंढा जा सके।

(व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हम भी जानना चाहते हैं कि पंजाब में सरकार कब तक चुनाव कराना चाहती है ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, यूनिवार्ता के एक साथी पत्रकार मनोहर सिंह को प्रधानमन्त्री जी की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक ए एस आई ने इतनी बेरहमी से पीटा कि वे लहू-लुहान हो गए और उनको गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बारे में शिकायत की गई और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश दिए गए और कहा गया कि जांच शीघ्र कराई जाएगी, लेकिन खेद का विषय है कि अब तक किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। इस संबंध में नवभारत टाइम्स, वीर अर्जुन आदि सभी समाचार पत्रों में विस्तार से लिखा है और घटना के बारे में बताया है कि किस प्रकार वहां पर एक पत्रकार के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया, मार-पीट की गई और अब तक इसकी कोई जांच नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस घटना की जांच की जाए और पत्रकारों के अन्दर जो भय और असंतोष व्याप्त है, इसके लिए ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसकी पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए और न्यायिक जांच हो।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, 1 सितम्बर, 1991 को दूरदर्शन ने संसदीय कार्य मंत्रालय की देखरेख में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया था। दुर्भाग्य से उस कार्यक्रम में मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए कुछ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो गया था। आपकी अनुमति से मैंने यह प्रश्न 6 सितम्बर, 1991 को उठाया था। इस प्रश्न को उठाये जाने का इस सभा के सभी दलों ने समर्थन किया था।

महोदय, मुझे खेद है और मुझे इस बात की हैरानी भी है कि उसी दिन सूचना और प्रसारण मंत्री राज्य सभा में उपस्थित हुए क्योंकि वहां भी यही प्रश्न उठाया गया था और उन्होंने सभा के समक्ष बिना शर्त क्षमा याचना की थी और कल भी उसी सभा में वक्तव्य दिया था जिसके अन्तर्गत ऐसे अपमानजनक उस स्थिति और परिस्थिति को उन्होंने स्पष्ट किया था जिसके कारण उन शब्दों का प्रयोग हो गया था। महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि चूंकि हम जोर-जोर से शोर मचाकर अपनी बात नहीं कहते हैं इसीलिए हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता और अभी तक किसी ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, हालांकि सभा के नेता ने यह आश्वासन दिया था कि इस मामले को सूचना और प्रसारण मंत्री के ध्यान में लाया जायेगा। वे कई बार आये हैं किन्तु सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें चाहिए था कि वे यहां आते, क्षमा याचना करते और स्पष्टीकरण देते कि मौलाना अबुल कलाम जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कैसे की गई।

मैं इस सभा और उस सभा के प्रति अख्तियार किए जाने वाले भेदभाव के रवैये का जोरदार विरोध करता हूं मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी दल के लोग मेरी इस राय से सहमत होंगे।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान काफी महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसके सम्बन्ध में कल और परसों, दो दिन तक इस हाउस में चर्चा चली। परसों जब हमने मामले को उठाया कि शारदा प्रसाद रावत की हत्या पोलिटीकल कारणों से हुई है। कल मामला उठा छोटेलाल यादव का, जिन पर प्राणघाती हमला किया गया। दिल्ली में वे बच जायेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता।

कल इस हाउस में एक ऐसा तीन क्रिएट किया गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आज कहता हूँ, वी. पी. सिंह जी बैठे हुए हैं, ये गोरखपुर गए हुए थे, वहां जाने के बाद इनको जो तथ्य मालूम हुए हैं, वे बतायेंगे। लेकिन एक बात मैं सदन में रखना चाहता हूं कि जो शारदा प्रसाद रावत ने मृत्यु से पहले 3 8.91 को पत्र लिखा था, उस पत्र को ओथेंटीकेट कर दिया गया है और नियम 369 (ए) के अन्तर्गत आपके पास श्री वी. पी. सिंह जी के हस्ताक्षर से दे दिया गया है। उसके अनुसार मैं इस पत्र को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने 3.8.91 को लिखा था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे रिकार्ड ठीक करने हैं। यह वी. पी. सिंह की लिखावट में नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : वी. पी. सिंह जी ने दिया है। उन्होंने सैक्रेटरी जनरल को दिया है। वह आपके अधिकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नहीं आया।

श्री राम विलास पासवान : वी. पी. सिंह जी ने 11 बजे के पहले दे दिया है। उस समय उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखा था, 3.8.91 को, मतलब एक महीना पहले।

"श्रीमान पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर, महोदय मैं गत लोक सभा में महन्त अवैद्यनाथ के विरुद्ध जनता दल का गोरखपुर से प्रत्याशी था। उसके बाद मेरे पक्ष में ही मतदाताओं की राय थी। यही स्थिति हमारे निर्वाचन क्षेत्र से हमारी पार्टी की प्रभा रावत को श्री टी. वी. शुक्ला विधायक के विरुद्ध थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे सत्यापित किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे मेरे पास आए थे। मैंने कहा कि यदि आप इसे सत्यापित करते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : "मुझे अत्यन्त विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि महन्त अवैद्यनाथ व उनके अत्यन्त ही विश्वासपात्र श्री टी. पी. शुक्ला व श्री ओम प्रकाश विधायकगण के माध्यम से अत्यन्त ही संगीन अपराधियों को मेरी हत्या कराने हेतु लगा दिया गया है। मेरी तत्काल सुरक्षा व्यवस्था करने का कष्ट करें। मेरे पास कोई भी असंला लाइसेंसी नहीं है। मेरे परिवार और मेरी सुरक्षा इस स्थिति में अविलम्ब करने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें एवं मुझे भी अवगत कराने की कृपा करें।"

अध्यक्ष जी, हम सभी राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं। राजनीतिक कार्यकर्त्ता होने के नाते सब प्रदेशों की अलग-अलग सरकारें हैं, अपनी-अपनी सरकारें हैं। सरकार के माध्यम से यह हत्या की साजिश चली। एक महीने पहले वहां के पुलिस अधीक्षक को लिख कर दिया गया। रावत जी उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रह चुके थे उन्होंने कभी अपने जीवन में सुरक्षा की मांग नहीं की थी। लेकिन जब उनकी जान पर हमले का अन्देशा हुआ, उन्होंने लिखकर दिया और लिखने के बाद भी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी। मैंने जब इस मामले को यहां पर उठाया था, बहुत ही रोष में हमारे बी. जे. पी. के साथी थे। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आप मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, हम सब मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, कल मैम्बर आफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते हैं लेकिन जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट न हो।.....जो सड़क पर हमारे कार्यकर्त्ता हैं तो उनके जीवन की कोई गारन्टी नहीं और कोई सुरक्षा नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तत्काल गृह मन्त्री जी को बुलाया जाए और गृह मन्त्री जी इस सम्बन्ध में बताएं कि अभी तक क्या कार्यवाही की है उसकी रिपोर्ट दें और सारे मामले को सी. बी. आई. के द्वारा जांच कराने के आदेश दें। सभी पक्ष के लोग मांग करते हैं कि सी. बी. आई. के द्वारा इस हत्या की जांच करें और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो नहीं तो इस देश में फासिस्टवाद कोई नहीं रोक सकता। फासिस्टवाद होने से किसी कार्यकर्त्ता का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है।

(व्यवधान)

विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, कल मैं गोरखपुर गया था और बिहार के सी. एम भी साथ गए थे। वहां पर श्री शारदा प्रसाद रावत जी की लाश उनके दरवाजे पर पड़ी थी। परिवार वालों ने मिलने की भी इच्छा प्रकट की वैसे भी परिवार से मिलना था। वहां उनकी पत्नी थी। उनके बेटे ने अटैची से यह पत्र मुझे दिया और दिखाया और यह कहा कि इसको हमारे पिताजी ने अपने जीवनकाल में ही इस तरह दिया था। मैंने बड़ों के अधिकारियों से पूछा कि ऐसा कोई पत्र दिया गया है या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह का पत्र दिया। इसलिए, मैंने अपने हस्ताक्षर से आथेन्टीकेटेड पत्र आपके सामने दिया है, उनके हस्ताक्षरों सहित।

मान्यवर, श्री शारदा प्रसाद रावत ने कभी अपनी सुरक्षा के लिए मांग नहीं की। वे, एक भूतपूर्व मंत्री रहे हैं नहीं तो मांग कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में साधारण एम. एल. ए. भी पाते रहे हैं। उन्होंने पहली बार यह मांग की कि इस बार उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी जान को खतरा है। इसलिए उन्होंने मांग की और वहां जानकारी मिली और उनको यह उत्तर दिया गया कि

आपको सुरक्षा के लिए चार हजार रुपया महीना देना पड़ेगा। एक भूतपूर्व मंत्री अपनी सुरक्षा और ज्ञान के लिए कह रहे हैं और जो भी आशंका है, उसकी मेरिट और डी-मेरिट में नहीं जाता हूं। उनको कहा गया कि चार हजार रुपया आप दीजिए तब मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि उनको नहीं मिला। और उनकी हत्या हुई। मैं जब गया तो घर के पास बड़े सुनियोजित ढंग से एक बम फेंका गया। बम फेंकने के बाद यह नहीं हुआ कि लोग डर रहे हों और मारने वाले को कोई समझ सकता। बड़े इत्मीनान से मारा गया। कोई ऐसा नहीं था कि बम फेंकने वालों के पीछे भागे। ..... (व्यवधान) एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सी. बी. आई की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं। वहां पर उनके पुत्र ने, उनकी हत्या के बाद बताया कि यह पुत्र जो है, वहां के एस. आई को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि इसको पेश न करें नहीं तो मामला लटक जायेगा, सी. बी. आई. को चला जायेगा। इस तरह वहां के पुलिस अधिकारी ने इस रेलीवेंट डाक्युमेंट के बारे में कह दिया। जो बीस, साल का अबोध लड़का है. उसको सारी जानकारी नहीं है, यह कहा गया कि इसको मत दो। इससे आशंका होती है कि इस तरह से पूरी जांच करने की मंशा वहां के अधिकारियों की है या नहीं। एक चीज यह भी पैदा होती है कि वह जुड़ जाता है कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। मृत्यु में कोई फाइनल चीज नहीं होती। मृत्यु से बहस नहीं होती। खेद की बात है कि श्री सोहन लाल पीपल की हत्या बदायूं में हुई। वे, शेडयूल्ड कास्ट्स के हमारे नेता और जनता दल के नेता थे .....(व्यवधान) श्री शारदा प्रसाद रावत भी हमारी जनता दल के मजबूत नेता थे, उनकी हत्या हुई। श्री छोटे लाल यादव भी हमारी जनता दल के मजबूत नेता थे। उनके ऊपर प्राण घातक का आक्रमण किया गया। मैं, गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। कल रात मैंने कहा कि मैं वहां गया था। डाक्टर्स जवाब दे चुके थे कि हम लोग इलाहाबाद में कुछ नहीं कर सकते, शायद दिल्ली में कुछ हो सके। मैंने उनसे प्रार्थना की कि उनको हवाई जहाज से लाया जाए। उनको लाने की व्यवस्था हुई और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साईन्स में इलाज के लिए प्रबन्ध हुआ और अभी श्री सोनकर शास्त्री जी ने लिखकर के दिया है, आपके सामने भी आया होगा। उत्तेजित होने की बात नहीं है। उन्होंने उप गृह-मंत्री श्री रामलाल राही का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुद सुना कि उमा जी कह रही थीं कि सोनकर की लाश बनारस के घाट पर जलते हुए शीघ्र देखना ...

कई माननीय सदस्य : यह बिलकुल गलत है अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि सी. बी. आई. से इन्क्वायरी इसमें जरूर की जाये ...

(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत : यह गलत है और एक संसद सदस्य को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी कटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री रामलाल राही को तत्काल इस सभा में बुलाया जाए क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : श्री रामलाल राही से पूछा जाये और यहां श्री रामलाल राही को सदन में बुलाया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट बैठ जायें। रावत जी इस पर चर्चा मत करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्लीज, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बंकुरा) : महोदय, गृह मंत्री को इस सभा में तत्काल बुलाया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जसवन्त सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें। मैंने श्री जसवन्त सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। मैं श्री जसवन्त सिंह को बोलने की इजाजत दे रहा हूं। आप अपनी ओर से उन्हें बोलने दें। यदि आप सभी लोग खड़ा होकर एक साथ बोलने लगेंगे तो कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा और न ही कुछ समझ में आएगा। इस मामले में क्या करना चाहिए, वह हमें मालूम नहीं है। यदि किसी के निवेदन किये जाने पर आप उत्तेजित हो रहे हैं तो आपका एक प्रतिनिधि उस पर बोल सकता है। मैं श्री जसवन्त सिंह को अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए। मैंने आपको मौका दिया बोलने का, आप जसवन्त सिंह जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला उत्तर प्रदेश में एक राजनैतिक दल विशेष के एक प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्त्ता की हत्या से सम्बन्धित है। पहले दिन ही जब यह मामला उठाया गया था, विपक्ष के नेता तथा हमारे दल के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने साफ-साफ शब्दों में कहा था कि राजनैतिक विद्वेष के कारण राजनैतिक हत्या की कड़े-से-कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए। इससे कोई मतभेद नहीं हो सकता। और मुझे पक्का विश्वास

है कि यहां इस प्रकार का विचार शायद ही कोई रखता होगा कि राजनैतिक बदला लेने के लिए हत्या की सीमा तक जाया जा सकता है।

तत्पश्चात, इसे पुन. उठाया गया और आपके कार्यालय में कुछ तथ्य बताने का हमें मौका मिला था और उसके बाद उन तथ्यों का इस सभा में सही उल्लेख किया गया था और वास्तव में इस तथ्य को आपको वैयक्तिक तौर पर भी दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के परामर्श के पश्चात यह बताया गया है कि मेरी जानकारी तथा उनकी जानकारी के अनुसार जो प्रथम सूचना रपट दर्ज की गई है इस बात का कतई उल्लेख नहीं है कि इस हत्या के पीछे राजनैतिक बदले की भावना है।

इस मामले से सम्बन्धित दो अन्य पहलू भी हैं। जब मेरे मित्र श्री रामविलास जी ने इस मसले को उठाया था, मैं जानता हूं कि यदि किसी राजनैतिक दल के कोई सदस्य थोड़ा घायल भी हो जाता है, हत्या की बात तो दूर रही, तो उस दल के नेता उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अवश्य अपना विरोध प्रकट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। परन्तु जब विरोध प्रकट करने की आवाज एक सीमा को पार कर जाता है तो यह इस सभा की सामूहिक चिन्ता का विषय बन जाता है। यह सभा उत्तर प्रदेश का विधान मंडल नहीं है। यह सभा उन मामलों का निपटारा नहीं कर सकती जो उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह सभा उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब नहीं कर सकती। और हम अनेक बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी की कृपा पर नहीं चल रही है। यह उत्तर प्रदेश अपनी संविधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए चुनी गई है। (व्यवधान)

मेरे लिए सबसे चिन्ता की बात यह है कि जब देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस सभा में कुछ कहते हैं यह लाजमी होता है कि उसे सभी लोग ध्यान से सुनें। जैसा कि स्वाभाविक था, मैंने भी उनकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। संक्षेप में, उनके वक्तव्य तथा रामविलास जी के वक्तव्य से पता चलता है कि दो या तीन गंभीर गलतियां की गई हैं। पहला, यह कि रामविलास जी ने और माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने जो कहा है, उसके अनुसार दोनों माननीय सदस्य का नाम लिया है और उन्होंने उक्त माननीय सदस्य के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये हैं। महोदय मुझे यह नहीं मालूम है कि उन्होंने ऐसा करने से पहले आपकी स्वीकृति ली है अथवा नहीं। और यदि आपने इस सभा के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति प्रदान की है तो मैं यह टिप्पणी वापस लेता हूं। (व्यवधान) परन्तु इन दो वरिष्ठ सदस्यों के साथ कुछ दिन पहले तक हमने एक-साथ काम किया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : हमको भी मौका दीजिए, यह हमसे सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : कुछ दिन पूर्व हम एक साथ काम कर रहे थे। मुझे घोर निराशा हुई है कि इस देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सभा के एक माननीय सदस्य इस हत्याकांड से संबंधित हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने केवल पत्र पढ़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। आजमगढ़ से निर्वाचित माननीय सदस्य ने कहा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने केवल पत्र पढ़ा था। हम सभी को सभी तरह के पत्र दिये जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, उन्होंने आपकी अनुमति से पत्र पढ़ा था।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : इस मामले से संबंधित अन्य दो या तीन पहलू भी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के एक सहयोगी जब हमारे एक सहयोगी के विरुद्ध एक बेहद घटिया आरोप लगा रहे थे, तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए एक सुझाव दिया। क्या उन्होंने आपसे अनुमोदन प्राप्त कर लिया था ? यदि उन्होंने आपसे अनुमोदन नहीं लिया था तो इस देश के एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री के मुंह से इस सभा के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध इस तरह की ओछी बात कहना शोभा नहीं देती। (व्यवधान) आप इस प्रक्रिया में हैं। यदि यह स्वीकृति नहीं ली गई है तो आप जानते होंगे आप क्या कर रहे हैं। यह संसद है, न कि कोई जांच-अदालत। आप बोली की ताकत पर नहीं आंक सकते। आप बोली की ताकत अथवा सदस्यों की ताकत पर कानून लागू नहीं कर सकते। अतः आप इस सभा को जांच अदालत में तब्दील न करें एक अन्य पहलू भी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। परन्तु यह सभी मामलों में सभी सदस्यों पर लागू होता है।

श्री जसवन्त सिंह : सचमुच, महोदय। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि किसी चुनिन्दा मामले पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी एक मामले में एक कानून तथा दूसरे मामले में दूसरा कानून नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह आपका सुझाव है। यदि मैं कोई गैर-कानूनी काम कर रहा हूं तो आप मुझे ऐसा करने से अवश्य रोकें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह श्री जसवन्त सिंह पर लागू न हो सकेगा परन्तु यह अन्य सदस्यों पर जरूर लागू होता है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, संक्षेपतः, यही मुद्दा है क्योंकि आपने पुनः इसे रेखांकित किया है। मैं सभा की सामूहिक चिन्ता में विश्वास करता हूं। यह सभा जांच अदालत नहीं बन सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री जसवन्त सिंह : यह सभा राज्य सरकारों के बारे में उनके दैनिक कृत्यों पर निर्णय नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप न केवल संविधान के पूरे ढांचे को बर्बाद कर देंगे। एक केन्द्र राज्य संबंधों तथा पूरे संघीय व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे।

मेरे मन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए बेहद सम्मान है। (व्यवधान) उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के कुछ वर्गों को बाहर निकाला जा रहा है। मैं इसे बिल्कुल आपत्तिजनक टिप्पणी मानता हूं। यदि इसमें सच्चाई है तो, उनका यह कर्तव्य है कि वह उत्तर प्रदेश से निर्वाचित अपने सदस्यों से कहें कि वे इस मामले को उठायें। तो फिर क्या होगा तुम जानते हो। क्या तुम राम को इतना सस्ता समझते हो कि तुम * कह लोगे! क्या स्वच्छा से कुछ कह सकते हो?

इस तरह से मैंने आपत्ति की। मैंने बी. जे. पी. के सदस्यों को कहा कि किसी भी व्यक्ति को न राम के बारे में न जीसस क्राईस्ट न मोहम्मद के बारे में अभद्र शब्द खास तौर से दूराचार जैसे शब्द के प्रयोग का अधिकार नहीं है। तुम भी मत बोलो, अगर तुम बोलोगे तो मैं उस पर भी आपत्ति करूंगी। वे वाद-विवाद के क्षण थे। मुझे किंचित मात्र भी स्मरण नहीं है कि मैंने सोनकर शास्त्री जी को यह कहा हो कि मैं तुमको मार डालूंगी और तुम्हारी लाश बनारस के घाट पर मिलेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यन्त खेद है कि सभा में इस प्रकट की चर्चा हो रही है। मगर ये मैटर्स आए हैं और आपने कहा है तो जो शब्द आपने प्रयोग किया है उस प्रयोग से ही हमको अर्थ निकालना पड़ेगा। आपने कहा कि स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं है आप कहना चाहती हैं या मैंने नहीं कहा कहना चाहती हैं। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : मैं कहना चाहती हूं कि मैंने इस तरह के शब्द का किंचित मात्र भी प्रयोग नहीं किया कि मैं सोनकर शास्त्री जी को मरवा दूंगी और बनारस के घाट पर उनकी लाश मिलेगी। इस तरह के शब्द मैंने न सदन के अन्दर न सदन के बाहर बोले हैं। शास्त्री के सम्बन्ध में और किसी भी व्यक्ति के संबंध में नहीं बोले हैं। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : मेरी बात है, मुझे जरूर मौका दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आपको नहीं बोलना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारे को ** जैसे शब्द में लपेटा गया है इसलिए मैं उस शब्द के बारे में कहना चाहता हूं। यहां सिद्ध हो जाएगा कि मैंने क्या कहा है। मुझे एक मिनट मेरी बात कहने का मौका दिया जाए। कल भी यहां पर वातावरण गर्म था। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपना भाषण दे रहा था। मैंने वाल्मीकि रामायण के एक शब्द का उल्लेख किया था और उसमें सम्बुक की कथा बताते हुए, रिकार्ड देख लीजिए, मैंने केवल एक शब्द कहा था कि राम ** था। (व्यवधान)

---

* कार्यवृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइए। मैं वही कर रहा हूं जो आप करना चाहते हैं। मैं आपको स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों का प्रयोग करना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह बार-बार उठते हैं। आप समझते हैं कि आप ही हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं वही कर रहा हूं जो आप करना चाहते हैं। मेहरबानी करके मामले को जटिल न बनाएं।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपको भी तकलीफ होती होगी हमको भी तकलीफ है कि कई दिनों से संसद में जिस तरह का तर्क-वितर्क चल रहा है और सदस्यों में आपस में जो टोलरैंस और दोस्ताना का भाव रहना चाहिए वह नहीं है। श्री जसवन्त सिंह जी ने जो सवाल उठाया, कानूनी शक्त क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और लीडर आफ ओपोजीशन आज नहीं हैं। रावत जी की हत्या का जो सवाल इस सदन में उठा है, आडवाणी जी ने ठीक ही किया कि, सारे सदन का रोष, दुख कहिए, निन्दा करने का काम किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ जो बात की थी,

इस सभा में इस मामले पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में चाहे मामला राजस्थान, तमिलनाडु, असम या हरयाणा से संबंधित हो, इन राज्यों के राजनीतिक दांव-पेंच पर इस सभा में बहस करने की प्रवृत्ति का अंत तो होना ही चाहिए। मुझे खेद है कि पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री ने जो हस्तक्षेप किया वह भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता दल के राजनीतिक दांव पेंच की इस सभा में चर्चा करवाने का प्रयास ही है।

आप एक छोटी सी लड़की पर जो इस सभा की माननीय सदस्या है, पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि वह कुछ लोगों को जान से मार देना चाहती हैं। इस प्रकार की टिप्पणी अत्यन्त आपत्तिजनक है आपने इसके लिए अनुमति कैसे दे दी ? मैं किसी सदस्य के किसी टिप्पणी को कार्यवाही वृतांत से हटाने के लिए नहीं कह रहा हूं। वस्तुतः होना तो यह चाहिए कि इसके लिए जांच की जाये। यदि आप किसी एक प्रकार की जांच से प्रसन्न नहीं है तो जिस प्रकार की जांच से आपको संतोष हो उसी प्रकार से करवायें। लेकिन भगवान के लिए इस सभा को गैर-जिम्मेदारी से पूछताछ करने वाली सभा के स्तर तक न गिरायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सन् * 1930 में फासीवाद ने भी पहले इसी प्रकार से बोलना शुरू किया था।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : मैंने श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री से प्राप्त यह पत्र पढ़ा है। यह

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

केवल श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री या उमा भारती से सम्बन्धित प्रश्न मात्र नहीं है वरन् यहां गृह मंत्रालय के उपमंत्री श्री रामलाल राही का हवाला भी दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने यह कहा है या नहीं अगर उन्होंने गलत ढंग से बात कही है जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने बताया है तो यदि एक माननीय मंत्री यह बात कहता है तो यह एक गम्भीर मामला है। यदि जो उन्होंने कहा है वह सही है तो भी मामला गम्भीर है। दोनों दृष्टि से ही यह मामला गम्भीर है। इसीलिए मैंने इसे किसी अन्य प्रयोजन से नहीं पढ़ा है। मैंने केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया है और श्री जसवन्तसिंह ने किसी अन्य अभिप्राय से इसे पढ़ा है तो यह उनकी मर्जी है, किन्तु मैंने अनुमानों का नहीं वरन् तथ्यों का ही बयान किया है।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। कल, जब पूजा स्थल के सम्बन्ध में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस समय मैं एक दम पीछे की सीट पर बैठी थी अचानक श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने अपने विषय पर चर्चा करते हुए राम के बारे में कुछ शब्दों का उच्चारण किया। प्रारम्भ हुआ—"राम * थे, अन्त में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि राम "*" थे। "*" जो शब्द होता है यह चरित्रहीन व्यक्ति के लिए, बलात्कार इत्यादि करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द के प्रयोग पर अचानक उत्तेजना पैदा हुई और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य इस पर आपत्ति करने लगे। इसी समय पर, मैं पीछे, की सीट से उठ कर, आगे आई-यह जानने के लिए कि विवाद आगे न बढ़े। (व्यवधान) इतने में जनता दल के एक सदस्य ने स्वामी चिन्मयानन्द जी को, आज यहां पर मौजूद नहीं हैं, मेरे सामने यह कहा कि मैं तुम्हारे हाथ-पांव तोड़ दूंगा। मैं जनता दल के उस सदस्य की तरफ अंगुली उठाकर बता सकती हूँ कि वे सदस्य कौन थे, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं मालूम। जब थोड़ी देर हो गई और सब लोग शांति के साथ बैठ गए, तब दुबारा जनता दल के लोग, जनता दल के कुछ सदस्य उठकर राजनाथ सोनकर शास्त्री जी की तरफ बढ़े और उन्होंने सोनकर शास्त्री जी को बधाई दी इस बात के लिए और सोनकर शास्त्री जी ने हाथ मिलाते हुए जोर-जोर से इस बात का हंसी-ठट्ठा करना शुरू कर दिया कि राम को * कहते हुए हमने कोई गलती नहीं की। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करूं, मुझे मालूम नहीं है कि इस सदन की स्थिति क्या है, कौन कितना गूंगा है और कौन कितना बहरा है, लेकिन मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार में जन्म लेने के बाद भगवान राम के लिए * शब्द सुनना-मुझे तो कल से यह लग रहा है कि जीवित होने का भी कोई अर्थ है कि नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उन विवाद के क्षणों में भी मैंने यह प्रयत्न किया कि जब हमारी पार्टी के एक सदस्य ने यह कहना चाहा कि अगर कोई मोहम्मद या जोसिस क्राइस्ट के बारे में ऐसा बोलेगा, तो तुम जानते हो, कल आपको, सदन को इस बारे में मालूमात किए थे। सदन के कोलिग, भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, वह वहां गये और उनको फ्रैश एविडेंस मिला जो कि सदन को नहीं मिला है। वह उन्होंने आपसे अनुमति लेकर सदन के सामने रखा। मैं आपको वह जानकारी देना चाहता हूँ जिस के बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं होगी और वह यह है कि रावत साहब ने अपनी हत्या के एक महीने पांच दिन पहले गोरखपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में क्या लिखा था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उनको यह शंका थी कि कौन उनके खिलाफ है और वह उनकी हत्या भी कर

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया गया।

सकता है। कल जब आप इस सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय भी संसद सदस्यों के मन में शंका आई थी और वे कहने लगे कि हमारे ऊपर भी खतरा हो सकता है उस समय बकायदा गृह मन्त्री जी उठ कर खड़े हुए और कहा कि ऐसा खतरा होने पर आप सब को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। हमारे सभी संसद सदस्यों के मन में इस बात को लेकर बहुत तकलीफ है। भले ही रावत साहब संसद सदस्य नहीं थे, लेकिन वह एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता थे : उनका कोल्ड ब्लडिड मर्डर दिन-दहाड़े हो जाता है। मैं इसके कानूनी पहलू में नहीं जाना चाहूँगा लेकिन मानवता के नाते मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ है। मैं माधव राणे साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि वह प्रेस एविडेंस को देखकर इस बारे में कल्याणसिंह जी से बात करेंगे। हो सकता है वह कल्याणसिंह जी की फाइल में गया हो या गृह मंत्रालय के पास गया हो। यह जो प्रेस एविडेंस आया है उसको देखते हुए यह पता लगाया जाये कि उनके मर्डर के बारे में कौन जिम्मेदार था। चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी, उसको जब उनका लड़का एस. एच. ओ. को दिखाता है तो वह उसको कहता है कि 1-2 नाम बता दो, मैं उनको पकड़ कर और पिटाई करके पता लगा लूंगा कि कैसे ये सब हुआ। मैं अपने बी. जे. पी. के दोस्तों से कहूँगा कि इसमें कानूनी पहलू जो भी हो लेकिन यह एक मानवता का सवाल है। इतना ही नहीं छोटे लाल यादव पर भी हमला किया गया जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हो गये। हम चाहेंगे कि वह बच जायें। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी 2-3 दिन के दरम्यान हुआ, उससे सब को दुख पहुंचा है। यहां पर कानूनी पहलू को न उठा कर और राजनीति से ऊपर उठ कर इसकी भर्त्सना करनी चाहिये। इस बात को लेकर देश चिंतित है, सदन चिंतित है और यह स्वाभाविक भी है। संदेह को दूर करने के लिए मैं चाहूँगा कि खुद मुख्यमन्त्री जी वहां जायें और सी. बी. आई से इस केस की जांच कराने के आदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमदर्दी है कि इससे ज्यादा इसको शायद बढ़ाना उचित नहीं रहेगा। मेरी सारे संसद के सदस्यों से यह प्रार्थना रहेगी कि इसके ऊपर बोलने के लिए टाइम मांगने की कोशिश न करें—(व्यवधान)—जब मैं उठ कर खड़ा होकर बोल रहा हूं तो आप समझते हैं कि आपके बोलने से काम हो रहा है। इससे इसकी जो सारी गम्भीरता है वह चली जाती है। यह मामला ऐसा है कि जिस को सदन में सोचा जा सकता है कि नहीं सोचा जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारा सदन इनवैस्टीगेशन का काम भी करेगा, एविडेंस रिकार्ड करने का भी काम करेगा, डिसीजन देने का काम भी करेगा। स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस-पांसिबिलिटीज हैं, उनका काम करेगा या पालिसीज मेकिंग का काम करेगा। अब ऐसे कुछ मामले सदन में उठाने के लिए यहां परमिशन दी जाती है इसलिए कि उसमें कुछ पालिसी मैटर्स भी रहते हैं। अगर कोई पोलिटिकल वैंडेटा रहा है या पोलिटिकल क्राइम्स हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर क्राइम्स हो रहे हैं, तो उस संबंध में पूरे देश के लिए किस प्रकार की हमको नीति बनानी चाहिए, इस बात की तो यहां पर जरूर चर्चा हो सकती है। मगर हर चीज के बारे में एक एक के बारे में हम करना शुरू कर देंगे तो हमें पालिसी का काम करना पड़ेगा, जुडिशियल मैजि-स्ट्रेट का काम करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर का काम करना पड़ेगा और फिर सदन को सैन्ट्रल गवर्नमेंट को पालिसी मेकिंग की वजह से भी काम करना पड़ेगा इसी में कुछ अड़चनें निर्माण हो जाती हैं। यह बात सही होने पर भी आपकी जो भावनायें है वे तीव्र है और कभी उसमें बहुत आधार होता है और कभी उस में कुछ आधार नहीं भी होती है। कारण यह कि आपको कोई आकर बतलाता है, क्योंकि आप हर जगह पर नहीं रहते है। ये दोनों चीजें हैं इसलिए हम को रास्ता निकालना जरूरी हो जाता है।

माननीय सदस्य, श्री जसवन्त सिंह जी ने जो कुछ भी कहा, मैं उनके सारे शब्दों से सहमत हूं। सिर्फ एक बात मैं उनको कहना चाहूंगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक-दो-तीन-चार आदमियों की न समझें, यह जिम्मेदारी सारे सदन के सदस्यों की है और बोलते समय इस प्रकार से बोलें कि सारे सदस्यों को बोल रहे हैं, किसी एक-दो आदमियों को नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ इतनी ही दुरुस्ती उसके अन्दर मेरी है। अगर आप एक स्टेट के बारे में सवाल उठायेंगे, तो दूसरे के बारे में क्यों कर के उठाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दूसरे स्टेट के बारे में उठायेंगे तो तीसरे स्टेट के बारे में क्यों कर के उठाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और सारे स्टेट में कुछ हो रहा है और उसके संबंध में आपको कोई नीति निर्धारित करनी है, तो भले ही अपने आप रुल्स को लेकर इसके सामने रखें, उसके ऊपर पूरी चर्चा हो। आपके जो सुझाव हैं, उन सुझावों पर सरकार अमल करेगी यह बात सही है कि हमारे देश में कुछ जगहों पर थोड़ा सा आतंक बढ़ गया है। कुछ जगहों पर बहुत बढ़ गया है कुछ व्यक्तिगत रूप में भी कुछ लोग परेशान हैं, राजकीय व्यक्तियों पर भी हो रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं। इसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर को दोष दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि वह हर जगह पर हो ही नहीं सकते हैं या आन्ध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को दोष दें, तो वह भी हर जगह पर नहीं हो सकते हैं या हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को दोष दें, तो वे भी हर जगह पर नहीं हो सकते हैं या वेस्ट बंगाल को दोष दें तो वह भी हर जगह पर नहीं हो सकते हैं या उड़ीसा को हम दोष दें तो वे भी हर जगह पर नहीं हो सकते हैं। ये बातों तो लैजिस्लेचर के अन्दर चर्चा में आनी चाहिए।

श्री रामविलास पासवान (बिहार)।

अध्यक्ष महोदय : बिहार के चीफ मिनिस्टर को भी आप लाना चाहें, तो उनको भी लाइए, वे भी सब जगहों पर नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर जो लैटर मेरे पास आते हैं, जब यह लैटर आया, तो मैंने यह कहा था—लैटर आपके पास लेकर आते हैं, वास्तव में उनके दस्तखत हैं या नहीं यह भी तो आपको जान लेना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा, यह लैटर मैं नहीं लूंगा, जब तक आप आथैंटिकेट नहीं करेंगे। जब कोई मैम्बर आथैंटिकेट करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा पूछताछ करवा लीजिए। यह बात सही है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने पूछताछ करने के बाद भी पता लगाया हो, इसमें तथ्य की बात है। उसमें उन्होंने किया होगा, लेकिन मैं आर्डिनेरिली भी उनको यह आथैंटिकेट करने नहीं देता। कहता कि एक और दफा आप पूछ लीजिए। क्योंकि यह बात ऐसी होती है कि राजनीति में रहने वाले लोग हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास आकर कहते हैं। हमारी सहानुभूति जरूर होती है, लेकिन अगर उसके पीछे तथ्य कुछ अलग निकला तो भी गलत बात होती है। यह हम बुरी भावना से नहीं करते है, हम विश्वास करके करते हैं। विश्वास करने के लिए आपको कहा गया तो यह देखना भी जरूरी हो जाता है। अब इसमें जो कुछ कहा गया है, पत्र के अन्दर एक संसद सदस्य के खिलाफ है। उस सदस्य को भी यह चीज मालूम होनी चाहिए थी। वह चीज उनको शायद मालूम नहीं हुई है। उसके बारे में वे जो एक्सप्लेशन देना चाहेंगे, मैं उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए हाउस में इजाजत दूंगा, क्योंकि यह चीज हाउस में उठाई गई है। दूसरी बात तो मैं इस लैटर का अर्थ क्या है एविडेंशियल वैल्यू कितनी है, इसको चैटर्जी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। कानून है तो जुडिशियरी में जाएगा। इसकी एक आई आर के पहले जो स्टेटमेंट दी है डाइंग डिक्लरेशन इसमें आता है या नहीं आता है, उसको कितनी

इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये सारी चीजें कोर्ट के अन्दर देखी जाती हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी चीजें ला के संबंध में कोर्ट के अन्दर देख सकें या कर सकें। इसलिए इस पत्र को कितना महत्व देना चाहिए, जब तक हम पूरी तरह से विचार करके नहीं देते, तो जिसके खिलाफ गोली चली है, उसकी जान गई है, उनकी तो हत्या हो गई और उनके साथ अन्याय हो गया है।

13.00 म. प.

मगर कोई निरपराध, जो उसमें नहीं है, उसके खिलाफ भी अगर कुछ हो गया तो वह भी अपराध हो जाता है। इसीलिए अपने को बहुत ही सोच-समझ कर और बड़े ही संयमता से इसके ऊपर देखना पड़ेगा। मैं आप सब की भावनाओं से सहमत हूं, भावनाओं से उत्तेजित हम जरूर हो जाते हैं मैं उससे सहमत हूं और आपने प्रकट किया है, आपने इस प्रकार से कतव्य किया है, तो मैं उसके लिए कोई दोष नहीं लगाता हूँ, मगर उसमें से जो अड़चनें निर्माण होती हैं उसको भी ध्यान में आप रखिए, यह मेरी आप सबसे प्रार्थना है।

दूसरी बात जो यहां पर निकली है सोनकर जी और उमा जी की और दूसरों की जो बात निकली है, उसके लिए मेरी आप से विनती रहेगी कि आप मेरे चेम्बर में आकर बतावें, मैं आपकी बात को सुन लूंगा, मिनिस्टर साहब को भी बुला लूंगा। मगर इसी हाउस में अगर मैं आपको और दूसरों को भी स्टेटमेंट देने लगा, मिनिस्टर साहब को भी देने लगा, तो यह जो हमारा पालिया मेंट है, जैसा कि जसवन्त सिंह जी ने कहा कि पालिसी बनाने का नहीं है, मगर किस ने क्या किया उसकी मालुपात कराने का यह कोर्ट आफ इंक्वीजिशन हो जाएगा, यह हमारा जूडीशियल कोर्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमारे पास करने के लए कुछ नहीं है और ऐसी चीजें नहीं होती हैं। इसीलिए हमारी प्रीविलेज कमेटी है जहां पर ये मेटर भेजे जाते है और मैं समझता हूं कि कभी-कभी उत्तेजना में आकर कुछ सांसद कह देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह उसी दृष्टि से कहते हैं। कल भी कुछ बात हुई थी तो इधर से उत्तेजना हुई, मगर उसका अर्थ उसी समय हम लगाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अगर गुस्से में आकर कोई बात कह देता है तो वह उसको करना ही चाहता है, उसको कितना महत्व देना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है और उसको लेकर हद से बढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपकी जो दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि यहां पर एक्सप्लेनशन जरूर हुआ है, मिनिस्टर साहब को मैं अपने पास बुला लूंगा, उनसे बात करूंगा, मगर उसके पीछे की जो सही भावना है, क्या ऐसा करने की भावना हो सकती है, क्या है वह भावना या सिर्फ वे गुस्से में आकर कह देते हैं या उससे आपको सही डर लगता है, तो हम आपको, किसी भी सदस्य को उसके बारे में जो कार्यवाही करनी हो वह हम करेंगे। मगर उसके साथ-साथ हमारी यह भी विनती रहेगी, जैसा कि कल हमने बोलने के लिए इजाजत नहीं दी थी आज भी कुछ बोलने के लिए इजाजत नहीं देंगे, जिसकी वजह से दूसरों की भावनाओं को ठेस लगे।

ग्रन्थों में बहुत कुछ लिखा गया है। अगर बार-बार एक ही चीज को आप कहते जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे

प्रार्थना है, शायद स्पीकर को इतना लम्बा-चौड़ा नहीं कहना चाहिए, इसका मतलब होगा कि लिमिट हो गया है, इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर मैं आपसे यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो नियम बनाने के काम है, दीरन नीति बनाने के काम हैं उनको अलग रखा जाए। मजिस्ट्रेट और कोर्ट के काम अगर हम करते रहे या चीफ मिनिस्टर के काम हम करते रहे, तो नहीं होगा।

(व्यवधान)

मुझे जरा इस विवाद को समाप्त करने दीजिए दो-चार लोग मेरे साथ में आकर बैठें। मैं वी. पी. सिंह साहब से भी विनती करूंगा, उनसे भी मैं बात कर लूंगा और जो भी बात इस संबंध में जरूरी है वह करने के लिए मैं खुद इसमें ध्यान दूंगा। श्री वी. पी. सिंह साहब हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और इसके साथ-साथ महंत साहब के पास, अगर उन्होंने कुछ दिया है, उसमें क्या है यह मुझे मालूम नहीं है उस पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और अगर कोई दोषी है तो उसको सजा हो जाएगी और अगर कोई दोषी नहीं है तो उसके ऊपर कोई नाम भी नहीं आना चाहिए, इसको भी हम पूरी तरह से देखेंगे। कृपा करके आप इसको लम्बा करने की कोशिश न करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे कृपया आधा मिनट का समय दीजिए। आपने अपनी टिप्पणी से इस मामले में प्रकाश डाला है। माननीय अध्यक्ष होने के नाते आपने यह महसूस किया कि यह मामला ऐसा है जिसको हम बहुत महत्व देते हैं और आपकी टिप्पणियों का सम्मान करते हैं। इस मामले में सभा की जो राय है उसके बारे में भी कृपया आप विचार करें। उसे समुचित प्राधिकरण को बताया जाये कि आपकी ओर से नहीं बल्कि सरकार की ओर से उसे बताया जाये। सरकार को चाहिए कि इसकी जानकारी समुचित प्राधिकरण को दे।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने कहा था कि इस मामले के बारे में प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्रियों की संयुक्त बैठकों में चर्चा किया जाना बेहतर होगा जैसे कि एन डी सी या राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकें इसके लिए समीचीन हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारी राय जरूरत बताई जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसी की मांग की गई है और हमने भी यही कहा है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे और यह पोलिटीकल हत्या है इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि आप गृह मन्त्री जी को कहें कि इस मामले में सी. बी. आई. से जल्दी ही इसकी जांच कराएं। इसकी सूचना कल-परसों तक, जब भी उचित समझें, सरकार इस सदन में देने का काम करे, यह हम आपके माध्यम से स्ट्रांगली डिमांड करते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...।

अध्यक्ष महोदय : आप अगर कल बोलें तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय देश भर में राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्र की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर फिर से चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : आपकी अनुमति से मैं उसे उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आज नहीं, कल ही अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

13.06 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) संशोधन विनियम, 1991, जो 9 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 524 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थागार में रखा गया, कृपया देखिये एल.टी.सं.-600/91]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत

---

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

अधिसूचना संख्या का. आ. 539 (अ), जो 22 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति का दो वर्ष की अवधि के लिए गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखा गया, कृपया देखिए संख्या एल. टी. 609/91]

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1991, जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 533 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थागार में रखा गया। कृपया देखिए संख्या एल. टी.-608/91]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली के अन्तर्गत अधिसूचना आदि।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : मैं श्रीमती मारग्रेट अल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (श्रेणी 'ग' और श्रेणी 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991, जो 8 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 544(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखा गया, कृपया देखिए संख्या एल. टी. 609/ 1]

(2) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1989 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रतिवेदन में उल्लिखित कुछ मामलों में आयोग के परामर्श को स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखा गया। कृपया देखिए संख्या एल. टी. 610/91]

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली की कार्यकरण की पुनरीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थागार में रखा गया। कृपया देखिए संख्या एल. टी. 611/91]

(3) केंयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत केंयर बोर्ड, कोची के 1 अप्रैल, 1990 से 30 सितम्बर, 1990 तक की अवधि के अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थागार में रखा गया। कृपया देखिये संख्या एल. टी. 612/91]

हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की पुनरीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थागार में रखा गया। कृपया देखिये संख्या एल. टी. 613/91]

1.07 म. प.

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 सितम्बर, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

नियम 377 के अधीन मामले

13.7½ म. प.

(एक) मुम्बई में धरावी गंदी बस्ती के सुधार तथा पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए धन मंजूर करने की आवश्यकता।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : बम्बई में लगभग 52 प्रतिशत आबादी झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में रहती है। परन्तु उत्तर मध्य बम्बई में धारवी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। धारवी गंदी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों को महसूस करते हुए तथा उनकी दशा को सुधारने की आवश्यकता को देखते हुए स्वर्गीय श्री राजीव ने धारवी गंदी बस्ती का दौरा करने के बाद इस बस्ती के सुधार के लिए 37 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की थी। यह राशि पूरे बम्बई के लिए मंजूर की गई 100 करोड़ रु. की धनराशि में से दी गई थी। यह धनराशि खर्च हो गई है और यह काम रुका पड़ा है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बम्बई के धरावी गंदी बस्ती के सुधार तथा पुनर्वास के लिए धनराशि मंजूर करने की कृपा करे।

13.09 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) औरंगाबाद-परमणी से पारली तक रेलवे लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में शीघ्र बदलने की आवश्यता।

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे (जालना) : मनमाड औरंगाबाद परमणी से पारली तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू किया गया था, परन्तु मनमाड से औरंगाबाद तक ही लाइन बदलने का काम पूरा हुआ है। औरंगाबाद-जालना-परमणी से पारली तक का काम छोड़ दिया गया है और इसे तीसरे चरण में पूरा किये जाने के लिए रखा गया है।

तथापि, परमणी-मघकड से अहीलाबाद तक मीटरगेज को बड़ी लाइन में बदलने का काम द्वितीय चरण में लिया गया। परन्तु यह प्रथम चरण के काम से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। औरंगाबाद परमणी से पारली तक के काम के न पूरा किये जाने से उक्त क्षेत्र के लोग बहुत

नाराज हैं तथा उनमें असंतोष व्याप्त है। अत:, औरंगाबाद-परभणी से पारली के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

(तीन) भड़ौच, गुजरात को वायुदूत से जोड़ने की आवश्यकता।

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ौच) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भड़ौच गुजरात का प्रमुख केन्द्र है। भड़ौच में कई बड़े-बड़े उद्योग हैं। नर्मदा फर्टीलाइजर का कारखाना, पेट्रोकेमीकल्स, नर्मदा स्कूटर का कारखाना, चीनी के कारखाने, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पैट्रौल और नेचुरल गैस के भंडार, नर्मदा बांध यहीं पर हैं। देश-विदेश के लोग यहां आते-जाते रहते हैं। फिर भी आज तक भड़ौच को वायुदूत से जोड़ा नहीं गया। इस कारण भड़ौच जिले की व्यापारिक गतिविधियों में बाधा आती है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि भड़ौच-जिले में राजपीपला शहर में 150 (डेढ़ सौ) एकड़ जमीन में एक पुराना हवाई अड्डा आया हुआ है। उसका उपयोग करते हुए, उसे नये सिरे से चालू करके लोगों को सुविधा देनी चाहिए। हफ्ते में एक बार वायुदूत की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

(चार) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, बिजली करघा उद्योग को बचाने के लिए उचित मूल्य पर धागे की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

श्री राम कापसे (ठाणे) : बिजली करघा उद्योग को धागे की खरीद के लिए खुले बाजार पर निर्भर होना पड़ता है। बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अर्थात जून तथा जुलाई, 1991 में धागे के मूल्य में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। धागे के मूल्य में भारी वृद्धि होने तथा इसकी अनुपलब्धता के कारण बिजलीकर्घा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले के इच्छा करयारी में उत्पादन केवल 1 शिफ्ट में किया जा रहा है। यदि स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो उद्योग के बन्द होने का तत्काल खतरा है अत: सरकार से अनुरोध है कि वह उचित मूल्य पर धागे की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करे।

(पांच) हल्दीबारी और सिग्रालदह के बीच एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उत्तरी बंगाल के लोगों की हल्दीबारी से सिग्रालदह तक एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की पुरानी मांग है। यह बहुत ही पुराना तथा महत्वपूर्ण मार्ग है। जलपाईगुड़ी तथा सिलीगुड़ी महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है। लोगों को प्राय: कलकत्ता आना पड़ता है। यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय न्यू जलपाईगुड़ी तथा सिग्रालदह के बीच केवल एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। सभी यात्रियों को इसमें जगह नहीं मिल पाती। मुझे मालूम हुआ है कि हल्दीबारी स्टेशन पर आधारभूत सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हल्दीबारी तथा सिग्रालदह के बीच एक और एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जाए।

(छः) खेत मजदूरों के कल्याण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक विशाल देश है। यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि पर आधारित खेत मजदूरों की जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा है, जिनकी स्थिति दयनीय है। जिसका मुख्य कारण उचित मजदूरी न मिलने के साथ ही साथ प्राकृतिक विपदा जैसे कैंसर, पक्षाघात, यक्ष्मा, हैजा इत्यादि रोग से ग्रसित हो जाना है। मालिक द्वारा किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने के कारण गरीब लोग घर में मर जाते हैं। जिस तरह का औद्योगिक एवं खनिज मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बना हुआ है उसी तरह का खेतीहर मजदूर के लिए भी कानून बनाया जाए। इनके बुढ़ापे एवं बीच में रुग्ण होने पर आवश्यक सुविधाएं दी जावें।

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि खेतीहर मजदूरों को सुविधा देने के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

(सात) सुजानपुर, टीहरा, अबाह देवी, इत्यादि में कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता।

प्रो. प्रेम धुमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है। दूरदर्शन और आकाशवाणी यहां पर लोगों की शिक्षा एवं सूचना के सशक्त माध्यम हैं। जिला हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा और नादौन तथा जिल ऊना के अनेक भागों में दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाई नहीं देते हैं। कई बार मन्त्रालय को पत्र लिखे गए हैं और सुजानपुर टीहरा तथा सोलह सिंगी धार के ऊपर (एल. पी. टी) कम दूरी का ट्रांसमीटर लगाने की मांग की गयी है परन्तु अभी तक ट्रांसमीटर नहीं लग सके।

अतः मैं प्रसारण मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि सुजानपुर टीहरा अबाह देवी, सोलह सिंगी धार तथा खुडियां के ऊपर एक-एक कम दूरी का ट्रांसमीटर स्थापित करने का तुरन्त प्रावधान किया जाए। इससे इन क्षेत्रों के लाखों लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने की सुविधा प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त हमीरपुर में बन रहे आकाशवाणी केन्द्र को भी तुरन्त चालू करके लोगों को सूचना की सुविधा प्रदान करवाई जाए।

(आठ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की बालिकाओं की उचित शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सरगुजा आदिवासी बाहुल्य जिला है। कन्या-शालाओं के अभाव में आदिवासियों, हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जा रही हैं। इसी कारण से शिक्षित महिलाओं की संख्या जिले में बहुत कम है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गरीब लोग अपनी बालिकाओं को 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के पश्चात् पढ़ाई बन्द करवा देते हैं।

अतः दो या तीन ग्रामों के बीच एक कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्रत्येक विकास खंड स्तर पर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कन्या छात्रावास खुलवाने हेतु सरकार समुचित योजना बनाए।

(नौ) कर्नाटक के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से सामना करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

श्री एच. डी. देवगौड़ा (हसन) : कल मैंने नियम 377 के अन्तर्गत पढ़े जाने के लिए नोटिस दिया था जिसे आज के लिए स्थगित कर दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कल अनुपस्थित थे ?

श्री एच. डी. देवगौड़ा : मैं उपस्थित था, परन्तु उसे आज के लिए स्थगित कर दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अध्यक्ष महोदय ने उसे आज पढ़ने के लिए अनुमति दी थी ?

श्री एच. डी. देवगौड़ा : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप उसे पढ़ सकते हैं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : कर्नाटक विशेष रूप से हसन, मांड्या तथा मैसूर जिले में हाल ही में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए राहत कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार को 10 करोड़ रु. की धनराशि दी है।

प्राधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण बाढ़ पीड़ित लोगों की कठिनाइयां और बढ़ गई हैं।

प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 3 रु. 6 रु., कटना तथा 12 रु. की दर से क्षतिपूर्ति दी गई है, चाहे उसकी फसल बर्बाद हुई हो या न। इसके अलावा नष्ट हुई फसल की कीमत अवास्तविक आधार पर आंकी गई है, क्योंकि नियम इस प्रकार है कि फसलों के वास्तविक नुकसान के आधार पर क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती।

हजारों मकान बह गये हैं और हजारों मकानों का नुकसान हुआ इसके बावजूद अधिकारीगण पीड़ित व्यक्तियों से सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदित योजना प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं ताकि क्षतिपूर्ति देने से पूर्व उचित मूल्यांकन किया जा सके। ऐसा करने पर भी नगण्य क्षतिपूर्ति दी जा रही है।

सैकड़ों पम्प सेट बह गये हैं और प्रत्येक किसान ने एक पम्पसेट पर 50,000/- से 60000/- रु. तक राशि खर्च की थी। परन्तु इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। तो यह दिया जा रहा है कि उनकी आय 60,0/- प्रति वर्ष से अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखकर दिया था तथा जिसे अनुमोदित किया गया था, वही भाग रिकार्ड में जाएगा।

श्री एच. जे देवगौड़ा : मेरी मांग है कि माननीय कृषि मंत्री ने कर्नाटक सरकार को राहत कार्य के लिए 10 करोड़ रु. की राशि दी है। वह राज्य सरकार को निर्देश दें कि वास्तविक नुकसान के अनुरूप क्षतिपूर्ति देने के लिए यथा आवश्यक नियमों में ढील दी जाए।

[अनुवाद]

14.20 म. प.

विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंध पत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंध पत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक लेंगे। श्री मोहन सिंह :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने विचार के लिए रखा है, उस विधेयक की जितनी कड़ी आलोचना व निन्दा की जाये, उतनी कम है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भुगतान संतुलन के नाम पर भारत सरकार इस देश में कोई भी धंधा करने से, परहेज करने से तैयार नहीं है जिससे विदेशी मुद्रा मिल सके। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें थाईलैंड है जहां पर काफी चकलाघर चलते हैं। यदि सरकार को इतनी आवश्यकता है तो क्या सरकार उस स्तर पर उतरने को तैयार है ? जितने इस देश के तस्कर हैं, भ्रष्ट साधनों से इस देश के बाहर विदेशी मुद्रा को रखे हुए हैं, उनको किसी भी तरह इस देश में लाकर बाण्ड खरीदकर अपना पैसा रखने का अधिकार है। आप विधेयक पढ़ने का कष्ट करें, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि इस अधिनियम में अध्याय 9 से 17 तक 1985 की सभी धारायें भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988 या कोई भी दायित्व, उसमें परिवर्तन नहीं होगा यानि हिन्दुस्तान में जितने कानून हैं, उनके ऊपर रखने की आप कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो लोग जितना काला बाजारी करें, गलत काम करें, इस देश में जब एमरजेंसी लगी थी, उस समय इस देश के जितने स्वयंसेवी संस्थायें थीं, उनके खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इन्क्वायरी करायी कि विदेशी मुद्रा, विदेशों की सम्पत्ति जिनके माध्यम से इस देश में खर्च होती है और ये बाहर की हुकूमत की दलाली करके इस देश में अव्यवस्था का राज करना चाहते हैं, यह बात उस जमाने में कही गयी और फिर कोफेपोसा सख्ती से इस देश में लागू किया गया। यह बहुत कष्टकारक बात है कि इस देश में जितने कानून बने थे, तस्करों के खिलाफ, काला-बाजारियों के खिलाफ और भ्रष्ट तरीकों से पैसा इकट्ठा करके इस देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला करने वालों के खिलाफ सबसे ऊपर कुछ लोगों को करने की कोशिश इस कानून के तहत की गयी और दूसरी तरफ आप

कहते हैं। कि हमारे देश में भुगतान संतुलन कम हो गया, विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है लेकिन विदेशी मुद्रा को बरबाद करने के तमाम एवेन्यूज खोल दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल के ऊपर बरबादी हो रही है लेकिन निजी वाहनों के उत्पादन पर पाबंदी लगाने को सरकार तैयार नहीं है। रोजाना अखबारों में इनकी तमाम वित्तीय संस्थायें विज्ञापित करती हैं कि 5000 रुपया खर्च करिये और मारुति कार में बैठकर घर चलिए। इनकी तमाम वित्तीय संस्थाओं को प्राईवेट कार खरीदने के लिए इन्सैंटिव देने के प्रयोग किये जा रहे हैं। अभी विदेशी कारों का भारत में आयात बंद कर दिया लेकिन फिर खोल दिया और यह कह दिया कि पुरस्कार स्वरूप या उपहार स्वरूप किसी कार को कोई भी यदि अप्रवासी भारतवासी लाना चाहे तो उसे छूट होगी बल्कि यहां तक किया गया कि उस पर जो एक्साईज ड्यूटी लगती थी, उत्पादन-कर लगता था उसमें भी सहूलियत देने का प्रावधान अभी भारत सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी विदेशी कारें हैं, वह आपको चार मारुति गाड़ियों के बराबर पैट्रोल की खपत करती हैं। लेकिन विदेशी मुद्रा लेने के नाम पर टैक्स पर आपने जो छूट दी लेकिन उस कार के ऊपर जितना पैट्रोल बरबाद होगा, उस पैट्रोल को खरीदने में जो विदेशी मुद्रा चली जायेगी, उसका भी आकलन करने की कभी कोशिश की ?

उपाध्यक्ष महोदय, निजी सुरक्षा इस देश में एक विडम्बना हो गई है। दुनिया की हर सरकार निजी सुरक्षा को अतिरिक्त प्रोत्साहन देती हैं, प्राथमिकता देती हैं और राष्ट्र की सुरक्षा पर भी देती हैं लेकिन हमारे देश की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को नम्बर दो विषय पर बनाती है और निजी सुरक्षा को नम्बर एक का विषय बनाती है। इस सवाल पर वित्त मंत्रालय द्वारा 4 करोड़ 70 लाख रुपये का आकलन किया गया, अनुमानित किया गया। वह व्यय अधिक हो सकता है। यह व्यय किसके ऊपर होगा ? अत्याधुनिक मोटार उनकी सुरक्षा के लिए तथा सुरक्षा कवच लगाए जाएंगे जो विदेश में बनते हैं। उस पर विदेशी मुद्रा बरबाद होगी। अत्याधुनिक वॉयरलैस सेट लगाए जाएंगे, उसके ऊपर विदेशी मुद्रा बरबाद होगी। विदेशी मुद्रा बरबाद करने के लिए नए नए तरीके आपकी सरकार निकाल रही है और फिर शायद बहाना बनाएगी कि विदेशी मुद्रा का इस देश में संकट है इसलिए नए-नए कानून तस्करी को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और जो बेईमान इस देश की मूल्यवान पूंजी को बाहर ले जाकर बरबाद किए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए चोर दरवाजे से नए-नए कानून बनाने की कोशिश करती है। इसलिए मैं इस कानून की तीव्र निन्दा करता हूं और वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यदि भुगतान संतुलन को ठीक करना है तो प्रशासकीय सादगी और एक नए युग के वातावरण का इस देश में निर्माण किया जाना चाहिए और उसके निर्माण के बजाये ये जो नए तौर-तरीके आप निकाल रहे हैं, जिससे उन कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिले, उन तरीकों को बंद करें तभी अच्छा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसकी निन्दा और आलोचना करते हुए फिर आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को आज यहां पास न कराएं और जनमत जानने के लिए इसे प्रसारित करें, यही मेरा संशोधन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसकी निन्दा और आलोचना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के अन्दर जो विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके सबध में कहना चाहता हूं कि हमारा हिन्दुस्तान किसी समय सोने की चिड़िया कहलाता था और प्राचीन काल में सारे संसार के लोग इस देश की ओर आकर्षित होते थे, यहां के धन, समृद्धि और वैभव की चर्चा सारे विश्व में होती थी और आज आजादी के लगभग 44 वर्षों के बाद हमारी जो दुर्गति हुई है, हमारी आर्थिक अवनति हुई है और विदेशी मुद्रा का संकट जो हमारे ऊपर उपस्थित हुआ है जिसके कारण आज हमें आई. एम. एफ. अथवा पाश्चात्य देश जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, उनके दबाव में आकर अनेक प्रकार की शर्तों को मानते हुए कई प्रकार की ढील देने के लिए, काले धन को सफेद रूप में बदलने के लिए एक प्रकार से हमने द्वार खोल दिया है। अनिवासी भारतीयों के लिए कहने को तो है लेकिन अनिवासी भारतीयों के माध्यम से कौन-कौन सी विदेशी कम्पनियों से या कौन-कौन से विदेशी लोगों के माध्यम से, कौन-कौन सी विदेशी एजेन्सियों के माध्यम से इस देश में धन आएगा, यहां नहीं कहा जा सकता। मैथिलीशरण गुप्त जो हमारे राष्ट्रकवि थे, मैं उनके शब्दों में कहूंगा—

"हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी,
आओ मिलकर विचारें देश की समस्याएं सभी।"

जो देश के आर्थिक संकट है, देश के आर्थिक संकट की चिन्ता तो हम सबको है, हम भी उसमें भागीदार हैं, लेकिन देश के आर्थिक विकास के लिए सही साधन जुटाने की क्षमता हमारे अन्दर होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के बारे में कहा जाता है कि—

[अनुवाद]

भारत वर्ष में संसाधनों की कमी नहीं है परन्तु फिर भी वहां की जनता गरीब है।

[हिन्दी]

भारत सम्पन्नता का देश है फिर भी यहां के लोग गरीब हैं। आज भी भारत के अन्दर धन-दौलत की कमी नहीं है। भारत के अन्दर नैसर्गिक सम्पन्नता की कमी नहीं है। यहां पर प्राकृतिक सम्पदा की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सही ढंग से उसका दोहन किया जाए सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए और हमारे हिन्दुस्तान के लोगों के अन्दर मितव्ययिता की भावना पैदा की जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप के माध्यम से मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा के संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? आजादी के बाद हमारे पास विदेशी मुद्रा कितनी थी और इन वर्षों में कितनी बढ़ गई और इस प्रकार की स्थिति आज क्यों आई कि विदेशी मुद्रा की कमी से हमारे देश का एक तरह से दीवाला सा निकल गया है। विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया है और उसके कारण हमारा जो सोना होता है, जिस सोने को देश के रहने वाले गरीब लोग भी बचाकर रखते हैं और जब वे सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई जरिया नहीं रह गया है, अब हम असहाय हो गए है, बेसहारा हो गए हैं, तब आखिरी वक्त अपना सोने का मंगलसूत्र या सोने की अंगूठी या सोने का हार, वह लेजाकर वह गिरवी रखने की कोशिश करता

है, कहीं से धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन आज भारत का सोना विदेशों के अंदर भेजा गया है तीन-तीन, चार-चार दफा, और आगे न जाने क्या स्थिति पैदा होने वाली है और उस रूप में भी हमारा संकट दूर नहीं हुआ और प्रवासी भारतीयों को हिन्दुस्तान के अन्दर अपनी संपत्ति भेजने के लिए, अपनी विदेशी मुद्रा भेजने के लिए खुली छूट दे दी गई है। और उनसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन से स्रोत से, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया और उसको किसी प्रकार से पूछा नहीं जाएगा, तो मान्यवर इस प्रकार से कितना कालाधन विदेश से आएगा, इसका पता नहीं लगेगा। हमारे यहां कहावत है—अगर अनुचित साधनों से कमाया गया धन है, तो वह अनुचितरूप से ही बरबाद हो जाता है।

हमें याद आती है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जब देश के ऊपर संकट आया था, तो अमरीका ने पी. एल. 480 के अन्तर्गत विदेशी गेहूं देने से इंकार कर दिया था। तब उन्होंने कहा कि हमें अमरीका के गेहूं की आवश्यकता नहीं है। हम अपने साधनों से जिएंगे, अगर हमें भूखा रहना पड़े, तो हम भूके रहेंगे, लेकिन विदेशियों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मान्यवर, उन्होंने उस समय "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था और बंगलों के अन्दर भी खाली जमीन पर जो भी फसल हो सकती थी, वह बोने और उगाने का प्रयास किया और उसके बाद ही हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर बने, लेकिन आज की सरकार हर बात के अंदर ढील दे रही है। विदेशी मुद्रा को लाने के लिए, अनिवासी भारतीयों को हिन्दुस्तान में पूंजी लगाने के लिए, हर प्रकार की सुविधाएं दे रही है, लेकिन उनकी पूंजी के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण यदि नहीं रहेगा, तो मान्यवर, काला धन हिन्दुस्तान को खा जाएगा। विदेशी पैसा जब यहां आएगा, तो बड़े-बड़े कारखानों पर वह छा जाएगा और बड़े-बड़े उपक्रमों के ऊपर जब उनका आधिपत्य हो जाएगा या जो निजी क्षेत्र हैं, उनमें उनका आधिपत्य हो जाएगा और जो अप्रवासी भारतीय हैं जिनसे हम पूछ नहीं सकते कि यह पैसा कहां से लाए हो, कौन से माध्यम से लाए हो, कौन कौन सी एजेंसियां हैं, तो मान्यवर हो सकता है कि हमारे देश में सी. आई. ए. के. जी. बी. आदि एजेंसियां काले धन को हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में प्रवेश करा दें और इस हिन्दुस्तान को चौपट कराने का काम करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में आज काला धन देश के पूंजीपतियों के पास ही काफी मात्रा में जमा है। पहले हिन्दुस्तान के काले धन को बाहर निकालो और उसके बाद विदेशी मुद्रा की यदि जरूरत हो तो बाद में बाहर से मंगवाया जाए। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर, हमारे अपने साधनों से, हमारे यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो क्या आवश्यकता है हमें बाहर से पैसा मंगाने की? हमारे यहां पर एक कवि थे, जिन्होंने कहा था—

"रहिमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए"

आज इस स्वाभिमानी देश के लिए यह बड़े शर्म की बात है कि वह विदेशी-मुद्रा प्राप्त करने के लिए और आर्थिक संकट से उबरने के लिए विदेशियों के पास या मुद्रा कोष के पास जाएं और उनके द्वारा जो थोपी हुई शर्तें हैं, उनको माने और उनके सामने हम अपने को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हों।

मान्यवर, इस मुल्क में जो लोग पहले से विदेशी मुद्रा नानाप्रकार से ला रहे थे उनको और

मौका मिलेगा। नाना प्रकार के काण्ड इस सदन के मंच पर खुले थे, तो फिर उनको यहां खोलने की क्या आवश्यकता थी ? इस प्रकार से तो विदेशी मुद्रा हिन्दुस्तान के अन्दर किसी न किसी रूप में आएगी और जो सीमा इस बिल के अंदर रखी गयी है। दिसम्बर 1991, उस दिन तक जो कालाधन आएगा या उस सीमा से पहले जो आना चाहिए, वह नहीं आएगा, तो बाद में हमें और छूट तथा रियायतें देनी होंगी और नाना प्रकार की शर्तों के अन्दर बंधना पड़ेगा, जो एक स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए गौरव की बात नहीं है। विदेशी मुद्रा भारतीय विदेशियों से, चाहे वे कुवैत में हों, ईरान में हों, अमरीका में हों या अन्यान्य देशों में हों, वे अपनी पूंजी हिन्दुस्तान में विदेशी मुद्रा के रूप में लाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारन्टी है जिनके माध्यम से जो चीजें विदेशी मुद्रा के रूप में नहीं आनी चाहिए, वे आएंगी और वे फिर कहीं आगे जाकर हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट न कर दें और हमारे यहां काले धन का वर्चस्व न हो जाए और भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो जाए। इसलिए मैं इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में सावधानी बरते। हमारे यहां मनु स्मृति में कहा गया है—

"अन्यान्योपार्जित द्रव्यं

दसवर्षाणितु तिष्टति

प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति"

अन्याय से कमाया हुआ धन या गलत तरीकों से प्राप्त हुआ धन 10 वर्ष तक तो रहता है और 11वें वर्ष आने पर "समूलं च विनश्यति" समूल नष्ट हो जाता है। तो कहीं ऐसा न हो कि वह कालाधन विदेशी मुद्रा के रूप में जो हम देश में लाना चाहते हैं, अनिवासी भारतीयों से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस देश की जो आर्थिक आत्म निर्भरता है, इस देश का जो स्वावलम्बन है, वह कहीं समाप्त न हो हो जाए ? और स्वावलम्बन राष्ट्र की सबसे बड़ी शत्रु न बन जाए।

सर्वं आत्मवशं सुखं !

सर्वं परवशं दुखं !!

सब प्रकार से अपने साधनों के अधीन रहना ही सुख का मार्ग कहा गया है और पराए साधनों के भरोसे रहना या पराई पूंजी के सहारे रहना कभी फलीभूत नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का अपनी ओर से विरोध करता हूं। हालांकि विदेशी मुद्रा का संकट है, उसका निवारण करने में हम सरकार का साथ देने को तैयार हैं लेकिन संकट के निवारण के लिए जो साधन अपनाए जाएं वे देश के स्वाभिमान को बनाए रखने वाले हों।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, हम ऐसे प्रस्तावित विधान पर चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारे आर्थिक क्षेत्र में अनैतिकता का प्रवेश हो जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से सरकार विदेशी मुद्रा प्राप्त करके कुछ हद तक भुगतान संतुलन के संकट से उबरना चाहती है। सरकार ड्राफ्टों आदि के रूप में विदेशी मुद्रा के प्रेषण को प्रोत्साहित करना चाहती है। इस सम्बन्ध में यह

कहा गया है कि 'कोई भी व्यक्ति' अगर विदेशी मुद्रा जमा कराता है तो इससे स्रोत के बारे में कोई पूछताछ नहीं की जायेगी, उसे ऐसी राशि की प्रकृति तथा स्रोत के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी।

महोदय, कोई भी भारत में किसी को भी धन भेज सकता है। देश के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्ति की मंशा अच्छी हो सकती है। परन्तु मेरा यह कहना है कि यह तरीका न केवल अनैतिक है बल्कि हमारी ईमानदारी को नष्ट करने वाला भी है।

इस अधिनियम से किसे प्रोत्साहन मिलेगी ? पारित हो जाने पर इस विधेयक द्वारा हमारे आर्थिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा इससे हमारी विधान पुस्तिका भी प्रभावित होगी। इससे बेइमान व्यक्तियों को प्रोत्साहन के साथ-साथ पारितोषिक भी मिलेगा इसके द्वारा हम उन लोगों का स्वागत करेंगे जो पिछले कई वर्षों से आर्थिक कानूनों का उल्लंघन करके सरकार को धोखा देते रहे हैं और देश को लूट करके अपना कालाधन विदेशी बैंकों में जमा कराते हैं। इसके द्वारा वह अपने ऐसे कालेधन को साथ लाएंगे और सरकार भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकती। वह जानबूझ कर ऐसा कर रही है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर इस देश में पैसा होने वाले वे लोग जो आर्थिक कानूनों का उल्लंघन करते रहे हैं, पारितोषिक प्राप्त करेंगे।

विगत में अनेक आरोप लगाये गये थे। आपने देखा है कि कम तथा अधिक लागत के बीजक बनाकर तथा कमीशनों आदि के द्वारा व्यापारियों एवं राजनेतिज्ञों और कुछ अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कालाधन अर्जित किया जा रहा है। इन घटनाओं ने बार-बार देश में उपवाद-विवाद तथा झगड़ों को जन्म दिया है। पर इस विधेयक के द्वारा क्या किया जा रहा है ? सरकार इन लोगों को अभयदान दे रही है मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा तैयार की गई कतिपय रिपोर्टों तथा श्रीमती सौराज द्वारा किए गए अध्ययन को पढ़ा है। उनसे पता चलता है कि भारतीय व्यापारियों, राजनैतिज्ञों, अधिकारियों तथा अन्य लोगो द्वारा व्यापार में कम अथवा अधिक लागत के बीजक बनाकर वर्ष 1981 से 1989 के बीच लगभग 28 बिलियन डालर देश से बाहर भेजे थे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसकी सत्यता के बारे में सूचित करें। अब सरकार उन्हें इस पैसे को वापस लाने का मौका देना चाहती है। लेकिन वे लोग इस पैसे को बाहर ले क्यो गये थे ? उन्हें हमारी आर्थिक पद्धति में विश्वास नहीं है। उन्होने सोचा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था तथा राजनैतिक परिस्थिति अनिश्चित रहेगी। वे अपने धन को विदेशों में रखकर सुरक्षित जीवन व्यतीत करना चाहते थे और उनकी पूंजी यही है। इसके लिए उन्ह ने इस देश का पैसा बाहर लगाया। यहां हमारे रुपये की कीमत लगातार गिर रही है। इसलिए उन्होने अपना पैसा डालरों के रूप में जमा किया, जिसे वे वापस लाकर और अधिक धन प्राप्त करेंगे। इससे उन्हें लाभ होगा। इसीलिए उन्होंने धन यहां से बाहर भेजा था। अब सरकार उस पैसे के कुछ भाग को वापस लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। परन्तु मुझे नहीं लगता कि वे अपना पूरा पैसा वापस लायेंगे क्योंकि वे वहां भी धन रखना चाहते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके। उनका और भी उद्देश्य है क्योंकि वे देश द्रोही हैं और उन्होंने राष्ट्र को कोसा दिया है। वे पूरा पैसा नहीं अपितु कुछ भाग ही वापस लायेंगे।

आपका उद्देश्य अनिवासी भारतीयों के धन से अर्थ व्यवस्था में सुधार करना है पर ये अनिवासी भारतीय दूसरे देशों के नागरिक हैं और उनके कानूनों द्वारा शासित हैं इसलिए वे अधिक धन यहां नहीं भेजेंगे। केवल यहां रहने वाले अनिवासी भारतीय ही, जो यहां रहे हैं तथा सब प्रकार के आर्थिक अपराध करके काला धन जमा कर रहे हैं, वही यहां उस धन को भेजेंगे जो यहां से वे पहले बाहर ले जा चुके हैं। इसलिए इस विधेयक के पारित होने से वे ही अपने काले धन को विनियमित करेंगे।

महोदय, आपको पता है कि हमारे देश में हवाला पद्धति प्रचलित है जिसके कारण काला धन जमा किया जाता है। यहां तक कि कुछ सांसद भी 'हवालागलों' की आर्थिक सहायता से चुनाव जीतकर उनके हितों का सदन में संरक्षण करते हैं। अतः इससे 'हवालागलों' तथा काला-बाजारियों को ही लाभ होगा क्योंकि वे अपने काले धन को विनयमित करेंगे। उन्हें दुगना लाभ होगा। एक ओर तो वे अपने काले धन को वापस लायेंगे तथा दूसरी ओर उन्हें प्रत्यक्षकरों पर छूट भी मिलेगी। इस प्रकार इस विधेयक के द्वारा उन्हें दोहरा लाभ होगा। वर्ष 1982 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणवमुखर्जी ने 14-15 फर्जी कम्पनियों के लिए अनुमति प्रदान की थी और उन्होंने अपना काला धन जमा कराया था। अब इस अधिनियम द्वारा हम उन्हें विनयमित करेंगे। इसीलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह सरकार बेईमानों की सरकार है परन्तु मैं इसे बेईमानों द्वारा संचालित कहने से हिचक रहा हूं क्योंकि मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री मनमोहन सिंह इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार निःसन्देह बेईमानों की तथा बेईमानों के लिए सरकार है। इस विधेयक के पारित होने पर, मुझे खेद है कि मेरे प्रतिष्ठित मित्र दुर्भाग्यवश बेईमान लोगों की मदद करने का साधन बन रहे हैं। बहरहाल, मैं माननीय मन्त्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप समझते हैं कि इस विधेयक के पारित होने पर अनिवासी भारतीय यहां आयेंगे? अनिवासी भारतीय कौन है? इस देश में धन कौन लायेंगे; क्या आपको उनसे कोई सहयोग मिला है, क्या वे इस देश में पैसा लाने को सहमत हो गये हैं। इस बारे में आपकी क्या धारणा है? आपको उनसे कितना धन मिलेगा? मुझे नहीं पता कि आप किस आधार पर यह गणना कर रहे हैं। परन्तु वास्तविकता यही है कि आप उन व्यक्तियों को इनाम देने जा रहे हैं जो आर्थिक अपराधी हैं। इसी कारण हम आपके विचार से सहमत नहीं हैं।

दूसरे, मैं मन्त्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इससे ईमानदार करदाता हतोत्साहित नहीं होगा? उनकी क्या गलती है? क्या उनकी गलती यही है कि उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, कर-अपवंचन नहीं किया और काला धन जमा नहीं किया? उन्होंने अपना धन देश से बाहर नहीं भेजा इसलिए उन्हें अपना धन विदेशों से लाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। वे अपनी ईमानदारी के बारे में पुनः सोचने पर विवश होंगे। वे महसूस कर सकते हैं कि ईमानदार होना एक मूर्खतापूर्ण काम है। इसलिए वे काले धन जमा करते हैं और इसे अप्रवासी भारतीय के निवेश के रूप में बाहर भेजते हैं और उस पैसे को पुनः इस देश में लाते हैं। अभी तक शायद वे ऐसा नहीं सोचा करते थे कि उन्हें बचाने के लिए श्री मनमोहन सिंह जैसा कोई मसीहा आयेगा। यह एक गम्भीर समस्या है। वास्तव में ईमानदार करदाता इससे हतोत्साहित होंगे और वे भी गलत तरीके

अख्तियार करने के लिए प्रलोभित होंगे, जिससे काला धन पैदा होगा।

जहां तक पूंजी के पलायन का प्रश्न है, मुझे इसके बारे में पूरा ब्यौरा मालूम नहीं है। मैं इस बारे में पहले ही एक प्रश्न पूछ चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पूंजी के पलायन के बारे में आहूका क्या मूल्यांकन है। मुझे नहीं मालूम है। माननीय मन्त्री द्वारा किस आधार पर गणना की गई है। विदेशी मुद्रा बन्ध पत्रों का भी प्रश्न है। इस समय सरकार की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। यह आर्थिक नीति उन्हीं की बनाई हुई है जिसे वे गत पिछले 40 वर्षों से पालन करते आ रहे हैं। उसी नीति के परिणामस्वरूप आज आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। अब वे आर्थिक स्थिति को और बदतर करना चाहते हैं और हमारे आर्थिक जीवन में सभी आर्थिक नैतिकता तथा ईमानदारी को समाप्त करना चाहते हैं। आज इस विदेशी निवेश को इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको विदेशी मुद्रा नहीं मिलती। मुझे याद है कि एक बार भारत सरकार ने अस्थाई आर्थिक राहत के लिए समुराई बान्ड जैसे मिनी बान्ड खरीदे थे। अनेक प्रकार के बान्ड प्रचालित किये गये थे। परन्तु आपको ऐसा करने की क्षमता नहीं है। आज क्या रहा है ? सभी बिचोलिये आगे आयेंगे। वे अपना काला धन इस्तेमाल करेंगे। वे विदेशी मुद्रा बान्ड खरीदेंगे और बदले में उन बान्डों को हमारी सरकार को बेचेंगे जिसका यहां इस्तेमाल किया जायेगा। तथाकथित छूट का फायदा वे उठायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बताये। अनेक सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार वित्तीय समस्या तथा भुगतान संतुलन की समस्या से पीड़ित है। मुझे सरकार के इरादे के बारे में मालूम नहीं है। सरकार का इरादा आर्थिक संकट के समाधान करने का नहीं है बल्कि उन बेईमान व्यक्तियों की सहायता करने का है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह स्वर्ण बान्ड के लिए क्यों नहीं आगे आ रही है ? वह लोगों को सोना जमा करने के लिए प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रही है। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है ? यदि सरकार स्वर्ण बान्ड जारी करे तो उससे सरकार को सोना प्राप्त होगा और उसके आधार पर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। उस सोने को विदेशी मुद्रा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। सरकार अनेक तरीके से काले धन को बाहर निकाल सकती है परन्तु मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने जो तरीका अपनाया है, उससे केवल बेईमान व्यक्तियों को ही फायदा होगा। इससे हमारे देश में आर्थिक संकट को बढ़ावा ही मिलेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का उपर्युक्त कारणों के आधार पर विरोध करता हूं। मुझे आशंका है कि श्री मनमोहन सिंह को इतिहास में केवल बेईमान तथा काले धन रखने वाले लोगों द्वारा ही याद किया जायेगा न कि भारत के ईमानदार नागरिकों द्वारा मुझे इसके लिए दुख है। जहां तक इतिहास का सम्बन्ध है, उसके लिए भी यह एक टूंजडी है।

श्री के. वी आर. चौधरी (राजामुन्दरी) : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक संकट के समाधान के लिए वित्त मन्त्री जी ने जो कदम उठाया है, वह सराहनीय है। इसके साथ-ही साथ मुझे खेद के

साथ कहना पड रहा हैं कि उनके द्वारा किये गये उपाय हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है।

जो अप्रवासी भारतीय भारत में वास्तविक सम्पदा बनाना चाहते हैं, उन्हें करों में राहत दी गई है। दुर्लभ मुद्रा को भारत भेजने की योजना के अन्तर्गत उपहार कर न लगाये जाने का प्रावधान जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा बिना पूछताछ के विदेशी मुद्रा भेजे जाने की योजना नैतिक तथा आर्थिक आधारों पर तर्क संकत नहीं है। नैतिक रूप से यह योजना काले धन को कानूनन सही बनाने जैसी है और उन व्यक्तियों को पारितोषिक दिया गया है जिन्होंने गम्भीर आर्थिक संकट के दौरान देश के साथ धोखा धड़ी की है।

हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती हैं। हाल ही में अप्रवासी भारतीय एफ डी एन आर ए तथा एन आर ई आर के अपने खानों से धन निकाल रहे थे परन्तु विदेशी मुद्रा के संरक्षण के अनेक उपाय हैं। सरकार जापानी प्रौद्योगिकी अथवा कोरियाई प्रौद्यागिकी जैसे उपाय क्यों नहीं करती। सरकार को लौह अयस्क के स्थान पर लोहा का निर्यात करना चाहिए ताकि उसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। वनस्पति, मांस, फल अथवा दुग्ध उत्पादन के निर्यात के लिए कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। हम इस क्षेत्र में पीछे हैं।

इसी तरह आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ग्रेनाइट का भारी भण्डार है परन्तु इन खानों को उन व्यक्तियों को लीज पर दिया जाता है जो राजनैतिक नेताओं के पारिवारिक मित्र हैं। इन खानों को लीज पर देने क लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित किया जा सकता है जिससे हमें हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा मिल सकती है। 2500 करोड़ को धनराशि मिलने का अनुमान हैं परन्तु थोड़ से धनराशि पर राजनैतिक नेताओं के रिश्तेदारों को लीज प्रदान किया जाता है।

सिंगरैनी कोयला क्षेत्र में भी हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाते है। इस पर 250 करोड़ रुपये की लागत आती है। परन्तु अब जर्मन प्रौद्योगिकों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिस पर लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस तरह हम विदेशी मुद्रा का अपव्यय कर रहे हैं। इसी तरह, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में एक बड़ा इस्पात संयंत्र है। इसमें करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। पिछले वर्ष 550 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। उनका कहना है कि आने वाले दस वर्षों में यह एक रुग्ण एकक हो जायेगा। क्योंकि इस कारखाने को पर्याप्त धनराशि नहीं दी जा रही है। यदि हम इसी तरह काम करते रहे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इस वर्ष वे 1500 करोड़ रुपये मांग रहे थे परन्तु उन्हें केवल 350 करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये। इस तरह यह एक रुग्ण एकक हो जायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भविष्य मे हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति भी बहुत खराब हो जायेगी। इसी तरह हम कुछ आर्थिक उपाय करके तेलों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। इसीलिए मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस देश को लूटने वाले को इस तरह छूट प्रदान करके प्रोत्साहन न दें।

श्री ई अहमद (मंजेरी) : मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए यह सही दिशा में एक सही कदम है। इस विधेयक में यह उल्लेख किया जा चुका है कि इस विधेयक का उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को बढ़ावा देना है।

अप्रवासी भारतीय इस देश में राष्ट्रीय महत्व के बन गये हैं। अप्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि भारत के प्रति उत्तरदायित्व तथा बंधनबद्धता है तथा उन्हें अपने अधिकार भी हैं। अतः यह सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि उनकी बचत को देश के लाभ के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाये। इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने का यही एक उचित समय है। अब भी मैं कहता हूं कि अप्रवासीय भारतीयों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय इस सभा में जो भी कानून पास करवाना चाहते हैं वह भी इस दिशा में बहुत थोड़ा है। जहां तक अप्रवासी भारतीयों की समस्या का प्रश्न है राष्ट्रीय हित में इस विधेयक में जो प्रावधान किया गया है उससे समस्या का एक अल्पभाग का ही समाधान होगा।

हमारे अनेक भारतीय जो दूसरे देशों में रह रहे हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं। उनमें से अनेक अन्य देशों की सरकारों में भी काम कर रहे हैं।

यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 1 करोड़ थे। करोड़ 20 लाख तक भारतीय 150 देशों में निवास कर रहे हैं और वे लगभग 100 बिलियन अमरीकी डालर की बचत कर रहे हैं। फिर उन्हें अपनी बचत को अपने देश में भेजने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता है। उसमें बुराई क्या है ?

अनिवासी भारतीय दो प्रकार के हैं। मेरे ख्याल से एक प्रकार के वे हैं जो अमरीका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में रहते हैं तथा दूसरे प्रकार के भारतीय सुदूर पूर्व और मध्य पूर्व, खास तौर से खाड़ी देशों में रह रहे हैं मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पश्चिमी देशों तथा खाड़ी देशों और सुदूर पूर्व के देशों में रह रहे भारतीयों की प्राथमिकतायें स्पष्ट और भिन्न-भिन्न हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों में निवास करने वाले भारतीय वहां स्थायी रूप से रहने लगे हैं और उन्होंने उस देश के नागरिकता भी प्राप्त कर ली है जबकि मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के अनिवासी भारतीय अभी तक भारतीय नागरिकता प्राप्त किये हुये हैं और वे यहां बसने के लिए किसी भी समय वापस आ सकते हैं। इसलिए नीति निर्धारण के समय सरकार को चाहिए कि वे इस बात को ध्यान में रखें तथा वित्तीय प्रोत्साहनों का समुचित मिश्रण तय करें तथा विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए न्यूनतम तथा सरल प्रक्रियायें निर्धारित करें। खाड़ी देशों और मध्य पूर्व में निवास कर रहे अनिवासी भारतीयों की मंशा को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना अत्यावश्यक है। उनकी समस्यायें उन अनिवासी भारतीयों से बिल्कुल भिन्न हैं जो पश्चिमी देशों में रह रहे हैं। मैं यहां जो भी निवेदन कर रहा हूं वह खाड़ी तथा पश्चिमी देशों में रहे अनिवासी भारतीयों को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं जो कभी भी भारत में बसने के लिए वापस आ सकते हैं। वे अपने बच्चों और परिवार के लिए अपनी बचत का निवेश करना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था चाहते हैं। इसलिए सरकार को नीति निर्धारित करते

समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरी ओर हमारे पास एक ही कानून है जिसके तहत हम विदेश में रह रहे अपने लोगों को विदेशी मुद्रा का निवेश भारत में करने के प्रोत्साहित कर सकते है। यदि हम "इकोनमिक सर्वे" को पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि अनिवासी भारतीयों में विदेशी मुद्रा को यहां निवेश करने के प्रति उत्साह कम हो गया है। उदाहरण के लिए 1990-91 के दौरान लगभग 255 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बाहर से हमारे देश में आई थी जबकि उससे पिछले वर्ष यह धनराशि 2179 करोड़ रुपये मूल्य की थी। इसलिए हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। विरोधी दल के मेरे मित्र ने जो आपत्ति की है हालांकि वे अपनी राय कायम करने के लिए स्वतंत्र हैं फिर भी मेरी राय में जिस स्थिति में आज देश है उनकी राय सगीचीन नहीं है।

मेरे कुछ मित्रों ने धन प्रेषक का उल्लेख किया है। इस विधेयक में इसके बारे में बड़ी स्पष्टता से बताया गया है अर्थात इसे भारत के बाहर स्थिति बैंक से लिए गए ड्राफ्ट, यात्री चैक या चैक, तार द्वारा अन्तरण, डाक द्वारा अन्तरण, धनादेश के रूप में होना चाहिए ; या अनिवासी भारतीयों के विदेशी खाते, अनिवासियों के विदेशी मुद्रा खाते में अन्तरित किया जाना चाहिए अथवा विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1973 के तहत भारत में स्थित विदेशी मुद्रा के विशेष खाते से अन्तरित किया होना चाहिए। इसलिए यह तीसरे पक्ष या किसी अप्राधिकृत डीलर द्वारा किया गया नहीं है। प्रेषण विदेशों में जो भी उनकी धनराशि है वे उसे समुचित चैनल से भारत भेज रहे हैं। उन्हें यह धनराशि कैसे प्राप्त हुई उसकी जांच का मामला बिल्कुल भिन्न है : फेरा के अन्तर्गत केवल यही पूछने का अधिकार है कि उन्होंने यह धनराशि कैसे अर्जित की। कोई भी अनिवासी भारतीय धनराशि यहां भेज सकता है, किन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे क्यों नहीं भेज रहे हैं ? क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हो रहा है। उन्हें देश की आर्थिक स्थिति में कोई विश्वास भी नहीं है। जो लोग खाड़ी देशों तथा अन्य देशों में काम कर रहे हैं वे भारत में अपनी धनराशि जमा करने की अपेक्षा कहीं और जमा कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में यह डर बैठा हुआ है कि वे अपनी धनराशि बाद में प्राप्त भी कर पायेंगे या नहीं।

जहां तक बान्ड जारी किये जाने का संबध है। मुझे तो यही समझ में आया है कि नर्मदा परियोजना तक के लिए भी बान्ड जारी किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उनके लिए वही शर्तें है जो ऐसी परियोजनाओं के लिए पहले से विद्यमान है।

इस विधेयक में एक दोष है। मुझे आशा है माननीय वित्त मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे। खंड 3 के उप खंड (1) (ग) में यह कहा गया है कि उन्हें आय कर की परिधि से छूट दी जायेगी। जब कि खंड 4 के उपखंड (1) (क) मे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उन्होने आयकर उपबंधो के अधीन माना गया है। अत: उन्हें आयकर की परिधि से छूट नहीं दी गई है, किन्तु मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि खंड 4 और खंड 3 इन दोनों उपबंधों में किये गये प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं। इसका अध्ययन अवश्य किया जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात जरा जल्दी समाप्त कीजिए। इस चर्चा में और लोग भी भाग लेना चाहते हैं।

श्री ई. अहमद : मैं अपनी बात समाप्त ही करने वाला हूँ। मुझे जो आंकड़े प्राप्त हैं उसके अनुसार केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें कुल जमा राशि का का 27.6 प्रतिशत आदिवासी भारतीयों द्वारा जमा किया गया है। केरल वासी भारत सरकार से विदेशी मुद्रा संचित करने के बारे में एक अनुरोध करना चाहते हैं। लगभग 150,000 लोगों जिनमें से अधिकांश केरल से हैं, को खाड़ी युद्ध के कारण मजबूर होकर कुवैत से वापस लौटना पड़ा। यह बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की उपसमिति ने यह निणय लिया है कि खाड़ी युद्ध के कारण जिन एशियाई लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ा है उन्हें मुआवजे के तौर पर 2500 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति अदा किया जायेगा। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि फिलीपींस, बंगलादेश और पाकिस्तान जैसे देशों ने इसका विरोध किया है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि यदि कुवैत से आने वाले उनके नागरिकों के लिए कम-से-कम 10,000 अमरीकी डालर में भुगतान को ही वे स्वीकार करेंगे।

हमारे देश में इसके बारे में विदेश मन्त्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है इसलिए संभव है कि वित्त मंत्री के पास इसका कोई ब्योरा न हो। किंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम 1,50,000 भारतीयों के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 अमरीकी डालर के हिसाब से गणना करें तो भारत को अपने नागरिकों के लिए मुआवजे के तौर पर 1.5 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। इसके कारण अपने देश को काफी भारी मात्रा से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं वित्त मंत्री से इस अवसर पर यह आग्रह करना चाहूंगा कि समुचित प्राधिकारियों के साथ बैठकर इस पर विचार किया जाय और इस बात की जांच की जाय कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुआवजे की यह धनराशि हमारे नागरिकों को मिल सकती है या नहीं। यदि ऐसा हो सकता है तो मुआवजे की राशि क्या होगी, क्या वह 2,500 अमरीकी डालर होगी जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताया गया है और क्या भारत की तरह फिलीपींस, बंगलादेश, पाकिस्तान और अन्य एशियाई देश उस धनराशि को स्वीकार कर रहे हैं या उस धनराशि में वृद्धि के लिए आग्रह कर रहे हैं ? आप इस बात पर भी ध्यान दें कि भारत को यह मुआवजा मिले जिससे कि भुगतान संतुलन को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

14.07

मेरे ख्याल से यह कानून तदर्थ आधार पर बनाया गया है। जब तक कि सरकार बांड जारी करने या कोई योजना पूरी तरह से लागू करने के मामले में कोई निर्णय नहीं लेती है तब तक ही उन्हें फेरा और ऐसे किसी अन्य अधिनियमों के उपबंधों छूट दी जायेगी भारतीय दंड संहिता से कोई छूट नहीं दी गई है। उन्हें 'टाडा' जैसे अधिनियमों के उपबंधों से छूट नहीं दी गई है उन्हें काले

उपबन्धों से छूट नहीं दी गई है बल्कि केवल फेरा और आयकर अधिनियम से जो छूट दी गई है वह सीमित अवधि और सीमित प्रयोजन के लिए है। इसलिए देश को जिस वर्तमान विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, को ध्यान में रखते हुए तथा विदेशों में बसे हुए भारतीयों को अपनी अर्जित धनराशि बचत के रूप में भारत भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यदि सर्व-सम्मति से इस कानून को पास किया जाय तो यह सही दिशा में प्रयास होगा।

[अनुवाद]

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है.....अब गणपूर्ति हो गयी है। श्री जार्ज फर्नांडीस अब बोल सकते।

2.12 म.प.

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, इस विधेयक को जब सदन में पेश किया गया तो मैंने इसका विरोध किया था और उस वक्त मैंने संविधान की चंद धाराओं का यह विरोध है उसकी चर्चा इस सदन के सामने की थी। आज इस विधेयक का एक बार फिर विरोध करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो इसका वहां से प्रिएम्बल है। वित्त मंत्री ने इस बिल को रखते वक्त इसके आबजेक्ट्स और रीजन्स जो इसके प्रिएम्बल में हैं, वही शब्दों का इस्तेमाल किया है। वह कहते हैं :

[अनुवाद]

"जबकि भुगतान-संतुलन की स्थिति नाजुक है और विदेशी मुद्रा का निवेश किया जाने को प्रोत्साहित करना जरूरी हो गया है।

[हिन्दी]

मैं सबसे पहले यह मुद्दा इस सदन के सामने उठाना चाहता हूं और वह यह है कि यह बैलेंस आफ पेमेन्ट क्यों बनी। कब से, क्यों और कैसे बनी। कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बैलेंस आफ पेमेन्ट की स्थिति हम लोगों को बहुत ही खराब हो गई। इसको लेकर जिस इलाज की चर्चा आप कर रहे हैं वह इलाज इस देश को कहां ले जाने वाला इलाज है। मेरी यह मान्यता है कि पिछले दस-ग्यारह सालों में बैलेंस आफ पेमेन्ट का मामला जो बिगड़ता गया, उसके पीछे हिन्दुस्तान के तीन प्रतिशत लोगों की अय्याशी और उनको अपने जीवन में विलासिता की जरूरतें महसूस हो गई। वह मुख्यतः हम

मानते हैं कि उसकी वजह है। वित्त मंत्री ने अपना पद ग्रहण करने के बाद अगर सबसे पहले किसी मुद्दे की चर्चा करने का हो तो वह यही विदेशी मुद्रा की समस्या रहा। हमें उस वक्त यह समझ रहे थे कि उनकी तरफ से ऐसे प्रस्ताव भी और ऐसे कुछ सुझाव भी आयेंगे जिसमें विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करना, उसके लिए कोई ऐसे ठोस उपाय निकालना जिससे यह बीमारी हमेशा के लिए हम मिटा सकें, यह कदम उनकी तरफ से उठाए जायेंगे। लेकिन, वित्त मंत्री बिल्कुल ही उल्टी दिशा में जा रहे हैं और एक-एक विधेयक सदन के सामने ला रहे हैं, वह मेरी राय में देश की वित्तीय परिस्थिति को सुधारने के काम में मदद देने वाला विधेयक नहीं है। उनका एक-एक प्रस्ताव मेरी राय में इस देश के लिए और बुरे दिनों तक काम करने वाला है। और हम वित्त मंत्री से बहुत निराश हैं। न केवल उन्होंने वित्त मंत्री बनने के बाद जो निवेदन किये थे, उसको लेकर बल्कि उनकी सोच में पहले से कल्पना रही कि देश के निर्माण, देश के विकास के ढांचे के बारे में उनकी क्या सोच है और इस विषय पर उन्होंने बार-बार उस सोच को किस तरह से रखा है।

सभापति जी, मेरे हाथ में एक किताब है, वह असल में किताब नहीं, रपट है जिसका नाम है—वैलेंज टू दा साउथ—यह रपट आफ साउथ कमीशन, जिसके वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह प्रधान सचिव मात्र नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में उस साउथ कमीशन का, दुनिया के उन तमाम अविकसित देशों का, एक बहुत ही मजबूत संगठन के तौर पर, उसको चलाकर वित्तीय मामलों में उसे एक नयी दिशा देने का काम अगर किसी एक व्यक्ति का उसमें सबसे ज्यादा योगदान है तो वह वित्त मन्त्री का है और यह जो रिपोर्ट उनकी लिखी हुई है, भले ही उसमें अनेक स्रोतों का हाथ हो, इससे ये इनकार नहीं करेंगे कि हम इनमें जो पूछते हैं, उसकी जानकारी हमें पहले ही से होती है, कहां से खोजकर लाते हैं, फिर भी इसमें वे लिखते है कि :

[अनुवाद]

"हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार की व्यापकता और विकास तथा समाज पर उसके कुप्रभाव के बारे और अधिक खुली बहस की भी आवश्यकता है। इस बढ़ती बुराई को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयत्नों के लिए यही आधार होना चाहिए। इन प्रयत्नों में जिन उपायों से अत्यधिक सहायता मिलेगी, उनमें ये भी शामिल हैं—लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना, प्रेस की आजादी, नौकरशाही से दूर रहना, विनियमों की अति नशीले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही, एकाधिकार को समाप्त करना, एवं सार्वजनिक रोजगार और गैर-सरकारी तथा सरकारी धन पर नियंत्रण तथा उस पर अधिक जवाबदेही।"

कहीं भी उन्होंने यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार से जो लोग पैसा जुटाते हैं, उस पैसे को, हुये भी काले धन के नाम से उसे सफेद धन बनाने का काम करना चाहिये। यह बात उन्होंने कभी नहीं कहीं और साउथ के तमाम मुल्कों को, जिनकी संख्या 100-125 के बीच होगी, उनको यह सुविधा नहीं दी कि अपनी संसद के द्वारा ऐसा कानून पारित करायें जिससे काले धन को सफेद करने के लिए या कालाधन पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप कोई उपाय निका-

लिये, यह उन्होंने कभी सलाह नहीं दी। इस किताब में इस सवाल पर उनका निवेदन है जो इतना ही सख्त है, कुछ इससे भी सख्त है लेकिन मैं उस निवेदन को इस सदन के सामने लाकर कम से कम सदन का वक्त खराब नहीं करना चाहूंगा। इसमें बार-बार कुछ बात रखने का मौका हमें वित्त मंत्री जरूर देंगे।

सभापति महोदय, हमें निराशा है क्योंकि वित्त मंत्री इस विधेयक से जो चीज करने वाले हैं, वे पूरा करने वाले नहीं हैं। यह बाण्ड शब्द का इस्तेमाल करके विदेश से अपना पैसा लाने के लिए आपने उपाय बताये हैं—एक तो हिन्दुस्तान में जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं किसी के नाम पर पैसा भेजने का काम करें जो इनके अध्याय 3 की धारा 6 में लिखा है कि जो :

[अनुवाद]

"अनिवासी भारतीय या समुद्रपारीय नियमत निकाय जो विदेशी मुद्रा बाण्डों के मालिक हैं या भारत में रहने वाला कोई निवासी व्यक्ति जिसे ऐसे बाण्डों का उपहार दिया गया हो....."

[हिन्दी]

तो ये जो बाण्ड्स हैं जिसको हिन्दुस्तान से बाहर रहे हुए लोग खरीद सकते हैं। इन बान्ड्स का अनुभव हम लोग पहले कर चुके हैं।

जब 1981 में वही काले धन को सफेद करने के लिए इस सदन में बीयरर बाड्ज का ऐलान हुआ था और फिर उसके अन्तर्गत कुछ पैसा जरूर जुटाया गया था और वित्त मंत्री स्वयं इसकी गवाही आज इस सदन में देंगे कि जो बीयरर बाड्ज आपने निकाले, वह बीयरर बाड्ज ने काले धन को मिटाया नहीं, बल्कि काले धन का निर्माण करने का और काले धन से ही व्यापार चलाने का सबसे बड़ा साधन पिछले 10 वर्षों में हिन्दुस्तान में बना रहा। तो अब यह अनुभव आपके सामने है कि आज जो काले धन के बीयरर बाड्ज स्टाक एक्सचेंज में आफिशियल या अनआफिशियल, चाहे जिस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है और अधिक काला धन पैदा करने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री किस आधार पर आज सदन के सामने आते हैं कि इस रास्ते से जो पैसा हिन्दुस्तान का विदेशों में है, और इस बात से भी वित्त मंत्री इंकार नहीं करेंगे कि अरबों नहीं, हो सकता है खरबों रुपया इस देश का विदेश चला गया हो—ओवर इनवाइसिंग के माध्यम से या इनवाइसिंग के माध्यम से चला गया हो या पच्चीसों तौर-तरीके से चला गया हो तो किस आधार पर आज इस बात को आप यहां पर रख रहे हैं कि इस विधेयक से इस समस्या को आप मिटाने का काम करेंगे ?

मेरी एक बहुत बड़ी दूसरी आपत्ति इस विधेयक पर है और वह आपत्ति है कि यह विधेयक खुलकर लोगों को कह रहा है, सारी दुनिया को कह रहा है कि हिन्दुस्तान की सरकार, ईमानदारी को जिसकी आमदनी है, ईमानदारी को जिसकी विदेश में कमाई है, वह अगर अपनी कमाई यहां नहीं लाए तो उसके ऊपर कार्यवाही करेगी। वित्त मंत्री अपना सिर हिला रहे हैं तो हम उनका

खुलासा करके सुनेंगे जब वह जवाब देंगे। यहां पर बोलते हैं धारा 6, सब क्लाज (2) में;

"इस विदेशी मुद्रा पर उप-धारा (1) से कुछ भी लागू नहीं होगा जिसे—

(एक) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का

(दो) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधान के अधीन भारत में लायी जाना अपेक्षित है,

यदि वह अवधि जिसमें ऐसी विदेशी मुद्रा भारत में लायी जानी है, समाप्त नहीं हुई है या जहां केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य किसी प्राधिकरण ने किसी भी ढंग से इस अवधि को बढ़ा दिया है, ऐसी बढ़ी हुई अवधि इसे अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को समाप्त नहीं हुई है का काम किया और उस मशीनरी पर पैसे का ऐसा हिसाब लगाने का काम किया कि जो उसके दाम से दूना या तिगुना था। आज मैं उसका नाम रखना चाहता हूं। पेप्सी का ओवर इनवाइसिंग आफ इंपोर्टेड मशीनरी इस देश का कितना पैसा चोरी से विदेश ले जाने में कामयाब हो गया है। सफेद करने के लिए बन रहे हैं। तुम्हारे पैसे को काला करने के लिए या तुम्हारे पैसे का अधिक लाभ उठाने के लिए हम कानून नहीं बना रहे हैं, काले धन को सफेद करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए यह कानून बना रहे हैं। यह बिल मंत्री ने इस विधेयक में बहुत स्पष्ट तौर पर रखने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैंने आपसे यह कहा कि यह विधेयक काले पैसे को सफेद करने का मौका देगा और यह यहीं नहीं रुकेगा। सभापति महोदय, मैं दो-तीन उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरीके से हिन्दुस्तान से बाहर गया हुआ पैसा अब इस देश में लाकर हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था पर इस देश के सबसे बड़े बदमाशों को कब्जा देने का काम इस विधेयक के चलते होना है। इस सदन में चार दिन पहले पेप्सी कोला को लेकर एक विवाद हो गया, आधे घंटे की बहस हो गयी। हमने उस वक्त एक बात को छेड़ा था कि किस तरह से पेप्सी कोला कम्पनी ने अपनी ही एक केवल साइन शेल्ड वाली कम्पनी के जरिए हिन्दुस्तान में मशीनरी भेजने का काम किया और उस मशीनरी पर पैसे का ऐसा हिसाब लगाने का काम किया कि जो उसके दाम से दूना या तिगुना था। आज मैं उसका नाम रखना चाहता हूं। पेप्सी का ओवर इनवाइसिंग आफ इंपोर्टेड मशीनरी इस देश का कितना पैसा चोरी से विदेश ले जाने में कामयाब हो गया है।

(1) आलू साफ करने और हटाने वाली मशीन

निर्माता – वैन मार्क, यू. एस. ए.

एक मशीन लीजिए, उसका दाम लिखा, एफ. ओ. बी. वैल्यू, आयात करते वक्त 41695 डॉलर. यह 1988 में आयात हो जाती है और लिखा जाता है 41695 डॉलर। 1990 में इस मसले की जांच होती है अमरीका में और यह मशीन 1990 में हिन्दुस्तान आती है। 1990 में इस मशीन की कीमत अमरीका में 22220 डॉलर थी। यानी 19475 डॉलर का इस देश का लूट पेप्सी कोला

कम्पनी ने कर ली। यानी लगभग 4 लाख रुपया हिन्दुस्तान का अमरीका में चला गया।

(2) निरीक्षण मेज के साथ आलू छीलाई की मशीन

निर्माता—बैन मार्क, यू. एस. ए.

इसका दाम 84933 डालर 1988 में और इसी मशीन का अमरीका में दाम 1990 में 25640 डालर, लूट हो गयी 59293 डालर की और एक्सट्रा जो तीसरी मशीन प्लेट और बीकट के साथ आलू सुखाईकर

निर्माता—उरशैल, यू. एस. ए.

इसको जिस दाम से हिन्दुस्तान में लाया गया 97587 डालर और 1990 में उसका दाम अमरीका में 37276 डालर, लूट हो गई हमारी 60311 डालर और चौथी मशीन एयर स्वीप आस्टो-मैटिक वेजीटेबल ब्लायर के साथ आलू सुखाईकर, इलेक्ट्रिक कीडर के साथ सीजनिंग्लूप

निर्माता—होट एण्ड कंट्रोल, यू. एस. ए.

दाम दिया 464288 डालर, जब कि दो साल के बाद दाम 313340 डालर अमरीका में ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से 162918 डालर की हमारी चोरी हो गई। इतना अधिक पैसा इस पैप्सी कोला कम्पनी ने हमारे देश से बाहर भेजा। यानी कुल 301997 डालर इस पैप्सी कोला कम्पनी ने केवल 4 मशीनों के ऊपर हिन्दुस्तान से बाहर ले जाने का काम किया और वित्त मंत्री जी इसकी जांच कर लें और सदन के सामने हकीकत को रखने का काम करें। इसी पैप्सी कोला कम्पनी को इंडस्ट्रियल फायनेंशयल कारपोरेशन आफ इंडिया की तरफ से 43 करोड़ रुपये का कर्जा दिया गया। पैप्सी जब हिन्दुस्तान में आया, वह यह कह कर आया कि हम 22 करोड़ रुपए में सारा कारखाना खड़ा करेंगे। इसके दो साल के अन्दर अब उन्होंने अपने कारखाने को खड़ा किया तो 22 करोड़ कहां गये वे यहां 75 करोड़ का काम दिखा दिया और 75 करोड़ का काम दिखाते हुए इंडस्ट्रियल फायनेंशयल कारपोरेशन आफ इंडिया से 43 करोड़ का कर्जा ले लिया और आज मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि यह जो आई. एफ. सी. आई. से लिया हुआ कर्जा है, इस कर्जे को अपना कारखाना खड़ा करने में इस कम्पनी ने नहीं लगाया बल्कि इस पैसे को हिन्दुस्तान से बाहर भेजने का काम किया, विदेश में ले जाने का काम किया। हिन्दुस्तान के जिस किसी अधिकारी और व्यक्ति को घूस देनी थी, उसको देने का काम किया और पैसे को विदेश ले जाने का काम किया। इस प्रकार से अब माननीय वित्त मंत्री महोदय, इस काले धन को, लोगों के पैसे को, हिन्दुस्तान के लोगों के पैसे को वापस देश में लाने का, ईमानदारी से पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री हिन्दुस्तान में लाएं, यह ठीक है, लेकिन यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। अब मैं वित्त मंत्री महोदय के सामने उस कम्पनी का उदाहरण देना चाहूंगा जो आज बहुत चर्चित कम्पनी है, वह है रिलायंस उन्होंने समय मांगा है हमसे मिलने के लिए। हमने कहा कि हम मिल सकते हैं।

इस कम्पनी में बहुत से सबूत हैं लेकिन मैं 2-3 उदाहरण देता हूं जिससे हम समझ लें कि

वित्त मंत्री जो कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा का संकट है वह संकट किस तरह से निर्माण होता है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाने का काम इस देश में ऐसे लोग हैं जो करने वाले हैं, इसका सबूत मैं यहां पर रखना चाहता हूँ। 41 कम्पनियां हैं, केवल एक पनामा में रजिस्टर्ड हैं, चैनलाईण्ड हैं। सब की सब बोगस कम्पनियां हैं। इनमें 99 प्रतिशत जो कैपीटल है वह एक ऐसे आदमी के नाम हैं जो हिन्दुस्तानी है मगर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। उसका नाम श्री जी वी. ईश्वर है। उसने जो 41 कम्पनियां बनाई हैं उनके नाम तो और सुनने लायक हैं। जैसे उसमें ऋषिकेश इनकौरपोरेटेड, बेदाकट इनकौरपोरेटेड, विगनेश्वर कौरपोरेशन, परमेश्वर इनकौरपोरेटेड, परमाथमन इनकौरपोरेटेड, विग्नराज इनकौरपोरेटेड हैं। सारे हिन्दुस्तानी हैं! (व्यवधान) लम्बोधर इनकौरपोरेटेड, मन्नीपट्टी इनकौरपोरेटेड, सुन्दरीकुट्टी इनकौरपोरेटेड आदि ऐसी 41 कम्पनियां हैं। इन कम्पनियों में रिलायंस में कुल शेयर्स खरीद लिए। एक-एक कम्पनी ने दस लाख जो डालर में खरीदकर कुल चार करोड़ दस लाख रुपये रिलायंस में डालने का काम किया। वित्त मंत्री जी को जरूर मालूम होगा कि इसमें से 75 प्रतिशत रुपया बैंक आफ बड़ोदा ने 41 कम्पनियों को देने का काम किया। मगर 75 प्रतिशत यानि तीन करोड़ रुपया जहां बैंक आफ बड़ोदा ने बोगस कम्पनियों को दे दिया वह दूसरा सवाल है, उस पर बहस अगले शनिवार को हो सकती है या इस सदन में आगे चल सकती है। बैंक और इन लोगों में किस प्रकार के रिश्ते होते हैं वह भी अलग बहस का विषय है। मैं केवल कहना चाहता हूँ हिन्दुस्तान से विदेशी मुद्रा कैसे बाहर जाती है। श्री ईश्वर ने 41 बोगस कम्पनियों को बना दिया। हिन्दुस्तान के जिस व्यक्ति से, जिस उद्योगपति से उनका बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, जिसकी तरफ से वह दलाली करते है उसकी कम्पनियों में शेयर्स को बैंक आफ बड़ोदा से विदेशी मुद्रा खरीदकर उसमें डालने के लिए बना दिए। 75 प्रतिशत बैंक आफ बड़ोदा विदेशी मुद्रा में उसको देती है तो 25 प्रतिशत तो खुद का पैसा डाला होगा। इसका मतलब 41 बोगस कम्पनियों में एक करोड़ रुपया तो गया। वह एक करोड़ रुपया डालर में वहां से वापस लौटाने का काम हो गया। इसलिए हम बहुत चिन्तित है कि यह विधेयक ऐसे लोगों के पैसे को आज सफेद करने के मकसद से इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बढ़कर इस विधेयक में कुछ नहीं होना है। कोई यह न समझे कि हमने कहां आठ लाख डालर की बात की और कहां एक करोड़ डालर की बात की।

मैं इस कम्पनी का एक और उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से विदेशी पैसा यहां से ले जाने का काम, अंडर इनवायसिंग ओवर इनवायसिंग से आयात-निर्यात के मामले में हुआ और फिर उस पैसे को हिन्दुस्तान में वापस लाने का काम चल रहा है अपने औद्योगिक क्षेत्र में जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए मैं उसी कम्पनी के बारे में बोल रहा हूँ। उन 41 कम्पनियों का नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिससे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस तरह से विदेशों में पैसा लाने का काम हुआ।

सभापति महोदय : आप इन कम्पनियों के ब्यौरे की चर्चा करने लगे हैं। इस विधेयक का उनसे कुछ लेना देना नहीं है।

श्री आजं फर्नान्डीज : इस बिल में और है ही क्या। हिन्दुस्तान से विदेश गए हुए पैसे को, लूटकर ले गए पैसे को इस देश में वापिस लाने का काम किया है। इसमें और कुछ भी नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह अनुचित है क्योंकि जिनका नाम आप ले रहे हैं, वे यहां नहीं है और वे अपना बचाव किसी अन्य के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इन पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। यह सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और मैं ऐसी किसी सूचना का उपयोग नहीं कर रहा हूं जो सरकारी स्रोतों से प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वित्त मंत्री इसको इन्कार कर सकते हैं। वित्त मंत्री हम से यह कह सकते हैं कि वह जांच करेंगे। मैं वह दस्तावेज सदन की टेबल पर अभी रखने के लिए तैयार हूं। यह तो सरकारी दस्तावेज है। मैं अभी 11 कम्पनियों के नाम आपके सामने रख सकता हूं। इनमें से 10 कम्पनियों ने एक-एक ने 2 करोड़ 8 लाख रुपये से 2 करोड़ 34 लाख रुपये तक विदेशी मुद्रा में रिलायंस में डालने का काम किया। कहां वह रजिस्टर्ड हैं ? यह 41 कम्पनियां पनामा में हैं। अगर वित्त मंत्री चाहें तो इसके एड्रेस भी दे सकता हूं। एविडा फेडरिको ब्वाएड, नं. 33, पनामा,

[अनुवाद]

रिपब्लिक आफ पनामा प्रशासनिक कार्यालय, पो. आ. बाक्स 1961, दुबई, यू एलई, पत्र व्यवहार केवल प्रशासनिक कार्यालय से किया जाना चाहिए। वह भी देने के लिए तैयार हूं। मैं अभी इसके नाम पते के साथ दे रहा हूं।

[अनुवाद]

गेनफोर्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, टावर स्ट्रीट सेंटर, रेमसे, आइल आफ मैन

हिन्दुस्तान के काले पैसे को विदेशी डालर में ले जाकर वहां उसको रखकर फिर सफेद करने के लिये वापिस हिन्दुस्तान में भेजने का जो दुनिया के ऐसे 3-5 बड़े केन्द्र हैं, उसमें आइल आफ मैन बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। केमन आइलैंड एक और हैं, पनामा तो है ही। येन फोर्ड इनवैस्टमेंट लिमिटेड कितना खरीद लिया ? इस कम्पनी का कुल कैपिटल है 200 पौंड—

एक माननीय सदस्य : गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : गरीबी की रेखा के बहुत ही नीचे है। 200 पौंड कैपिटल वाली कम्पनी जिस में श्रीमती डिंकी शाह, इंडियन, 120 पौंड का शेयर रखती हैं। एक श्री टी. आर. डोनिली, ब्रिटिश हैं जो कि 40 परसेंट के शेयर रखते हैं। इन्होंने खरीद लिया है 2 करोड़ 8 लाख रुपये का शेयर रिलायंस से कहां से आ गया ?

[अनुवाद]

थार्नटन इन्वेस्टमैंट लिमिटेड, टावरस्ट्रीट सैंटर, रेमसे, आइल आफ मैन। श्री प्रफुल अमृतलाल शाह

भारतीय और श्री जे. टी. सी. डोनाली, 8 पौंड अर्थात 40 प्रतिशत कितना शेयर खरीद लिया, 2 करोड़ 8 लाख रुपये।

समापति महोदय : आपको उनका नाम नहीं लेना चाहिए जो यहां अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। यह उचित नहीं है।

श्री आर्जे फर्नान्डीज : इसमें बचाव के लिए कुछ नहीं है। मैं इन कागजात को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

समापति महोदय : आप नियमों का पालन कीजिए और नियमो के अनुसार सभा पटल पर रखिये किन्तु मैं समझता हूं कि उदाहरण देने की आड़ में आप उनके नामों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

श्री आर्जे फर्नान्डीज : मैं आगे नाम नहीं लूंगा। अगली कम्पनी है विक्टर इनवैस्टमेंट लिमिटेड, कैपिटल वही 200 करोड़, शेयर खरीद लिया 2 करोड़ 8 लाख रुपये। रोमन इनवैस्टमेंट लिमिटेड वही पता, 200 पौंड कैपिटल, शेयर खरीद लिया 2 करोड़ 21 लाख रुपए, बैनफोर्ड इनवैस्टमेंट लिमिटेड वही पता, वही डायरेक्टर, 2 करोड़ 34 लाख रुपये का शेयर खरीद लिया और वही 200 पौंड की कैपिटल है। रोबसाइड इनवैस्टमेंट लिमिटेड, वही पता 200 पौंड की कैपिटल और 2 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये का शेयर खरीद लिया। अयोट्या इनवैस्टमेंट लिमिटेड, वही कैपिटल 200 पौंड, 2 करोड़ 27 लाख 50 हजार का शेयर खरीद लिया।

[अनुवाद]

एशियाटिक मल्टीग्रोथ इन्वैस्टमेंट लिमिटेड (पूर्व में क्रोकोडाइल लिमिटेड के नाम से ज्ञात) आपको याद होना चाहिए कि इसकी बहुत चर्चा हुई थी। शेयर कैपिटल वही 200 पौंड, 2 करोड़ 34 लाख रुपये का शेयर खरीद लिया। कौरविन इनवैस्टमेंट लिमिटेड, वही पता, वही 200 पौंड की कैपिटल, 2 करोड़ 8 लाख रुपये का शेयर खरीद लिया।

[अनुवाद]

एशियन इन्वैस्टमेंट लिमिटेड, फिआस्को इन्वैस्टमेंट भी है। वह भी चर्चित नाम है। दो सौ पाउन्ड का कैपिटल और दो करोड़ 34 लाख के शेयर खरीद लिये और अन्तिम नाम है—ट्राइकेट इन्वैस्टमेंट लिमिटेड वही पता दूसरा है—15 बोलटन स्ट्रीट लंदन डब्ल्यू-1 दो करोड़ कैपिटल और 42 लाख 50 हजार के इन्होंने शेयर खरीद लिए। मेरा कहना यह कि आपने आपत्ति उठाई, आपने शिकायत की है, लेकिन मेरी शिकायत इतनी है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं श्री आर्जे फर्नान्डीज से जानना चाहता हूं कि क्या इन कम्पनियों ने विद्यमान विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करके किसी भारतीय कम्पनी के शेयर लिए हैं?(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह से प्रश्न पूछने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

[हिन्दी]

श्री आर्ले फर्नान्डीज : सभापति जी, उनका प्रश्न बिल्कुल दुरस्त है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : मैं और अधिक जानकारी लेना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको जो जानकारी चाहिए आप बाद में उनसे मिल कर ले सकते हैं। इस समय वह विधेयक पर अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहे हैं। आप इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कृपया सभा का समय बर्बाद नहीं कीजिए।

श्री ई. अहमद : यदि माननीय सदस्य इन्हें प्रस्तुत करते हैं तो मन्त्री जी उन्हें उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : आपसे कह दिया ऐसे प्रश्न नहीं पूछिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आप उनका सवाल समझ ही गए हैं, तो उनका उत्तर भी दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर्ले फर्नान्डीज : सभापति जी, हम तो उनकी परेशानी को समझ सकते हैं। उनका कहना यह है कि इसमें कोई गलत काम हुआ है, यह पैसा हिन्दुस्तान में लाते हुए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपने एन आर आईज इन्वैस्टमेंट लाने का जो रास्ता खोला था, उसमें पहले तो आपने कुछ सीमा बांधी थी, अब यह सीमा मुझे याद नहीं है, पहले सीमा बांधी थी कि अमुक रकम तक ही विदेशों से कोई भी एन आर आई हिन्दुस्तान की कम्पनी की इक्विटी खरीदने के लिए ला सकता है। फिर एक दिन भारत सरकार ने अचानक फैसला किया, अब उसकी चर्चा करने का वक्त नहीं है, मैं केवल एक ही बात पर सीमित हूं, यह पैसा हिन्दुस्तान से बाहर गया हुआ पैसा, यह पैसा इस देश के बेईमानों के रास्ते विदेश ले जाया गया पैसा और आज इस कानून के द्वारा इस प्रकार के पैसे को आप देश के अन्दर में लाने का रास्ता, एक और बड़ा रास्ता, पहले तो छोटा रास्ता था, हमको दिखाया था, पहले तो उनको पीछे का दरवाजा दिखाया था, लेकिन अब आप अपना पूरा घर खोल कर कह रहे हैं कि जितना भी कोई ले गया हो चोरी करके उसको आप सीधे दरवाजे से अन्दर ला सकते हैं। तथा इस देश के अन्दर अर्थ व्यवस्था में अपना कब्जा रख सकते हो।

सभापति जी, परसों के दिन फिक्की के वार्षिक अधिवेशन में इस सदन के विरोधी दल के नेता, श्री लालकृष्ण आडवाणी का भाषण हुआ था : उन्होंने यहां पर एक बात कही वे बोले—

हिन्दुस्तान में साल में 60 हजार करोड़ रुपये काला धन पैदा होता है। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने वहीं शब्द कहे जो इस सदन के एक भूतपूर्व सदस्य, जो मंत्री रह चुके हैं, हमारे मित्र श्री वसंत साठे जी ने कही। उन्होंने एक किताब में लिखकर इन सारे आंकड़ों को सिद्ध किया था, अस्सतन साल में 50 हजार से 60 हजार करोड़ रुपया हिन्दुस्तान में काले धन का पैदा होता है, उन का यह हिसाब सात-आठ साल पहले का था। मेरे ख्याल से अब तो एक लाख करोड़ रुपया पैदा होता है। हम लोग आडवाणी जी की ही बात को कबूल कर लें कि 60 हजार करोड़ रुपया काले धन का हिन्दुस्तान में पैदा होता है। इसमें पैसा हवाला के माध्यम से विदेश जाता है। बी सी सी आई. का मामला भी उसी में से एक है। हवाला से पैसा जाता है और हवाला का मार्केट बम्बई में हिन्दुस्तान के महानगरों में किस तरह से हनप रहा है, उसकी जानकारी जितनी वित्त मंत्री जी रखते हैं, उतनी हम नहीं समझते कि सदन में किसी के पास है। इसलिए मेरी आपत्ति है, मेरी परेशानी है। वित्त मन्त्री जी अपना ही जो आज तक सोच रहे थे, उस सोच पर अड़े रहे और हिन्दुस्तान से विदेश ले जाया हुआ पैसा बेईमानी के रास्ते से जो पूंजी यहां से गई है, उस पैसे को आज इस देश में खोल कर, बुलाकर, इस देश की अर्थ व्यवस्था पर अपना कब्जा बनाने के लिए उनको न छोड़ो। सभापति जी, आज के अखबारों में बोफोर्स का मामला आया है। हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात जब हमने अखबारों में पढ़ा तो हमको बहुत ही परेशानी हो गई। हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े हत्यारे दंगा करने वाले बोफोर्स के कांड में एफ आई आर में उसका नाम दर्ज है, उस व्यक्ति का नाम तो आप लेने नहीं देंगे। उन्होंने कल दिल्ली के हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया और उस मुकदमें में जो बातें उन्होंने कही हैं उसकी एक ही बात मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि हमको शर्म लगी कि उनके मुंह से ऐसी बातें आएं।

[अनुवाद]

> "याचिकादाता को आशंका थी कि तोपों की खरीद में किसी प्रकार की कमीशन के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के अधिनियमन के बाद यदि सी बी आई फिर से सारे मामले की जांच करती है तो उसे सभा की अवमानना माना जायेगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इसका अर्थ आप समझ लीजिए, मैंने जो कहा कि हमको शर्म लगती है कि जो व्यक्ति आज हिन्दुस्तान में आ नहीं रहा, वह इस देश में आने के लिए डर रहा है, जो दुबई में रहता है और जो यहां से भेजे हुए किसी भी सामान को स्वीकार नहीं करता है, जो इस देश में कानून से भागता आता है वह अपने वकील के द्वारा दिल्ली की अदालत में एक दस्तावेज को फाइल करता है, अपनी जान को बचाने के लिए और उसमें कहता है कि काम तो कर रहे हो, लेकिन उसमें सदन का अपमान हो सकता है। तो हम लोगों को, इस सदन की गरिमा को बचाने में, आज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के तस्कर इस काम में लगे हुए हैं और वित्त मन्त्री जी से मेरी यही प्रार्थना है कि इन तस्करों को, इस देश के इन लुटेरों को, जो मान-सम्मान देने का काम इस कानून के जरिए से हो रहा है, इसको आप देखिए, कृपा करके इस काम को आप न करें और इस विधेयक को आप वापस लें। अगर

आप इस विधेयक को वापस नहीं लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस विधेयक को इंकार करने में कामयाब हो जाएगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं सभी बातें एक साथ कहने में विश्वास नहीं रखती। अत: मुझे जो भी कुछ कहना है बहुत संक्षेप में कहूंगी इसके अतिरिक्त कई विद्वान सदस्य मुझसे पहले इस विषय पर बोल चुके हैं।

जहां तक भुगतान संतुलन की स्थिति का सम्बन्ध है और जिससे ये विधेयक संबंधित है, मैं वित्त मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं क्योंकि जब वह उसका उत्तर देंगे तो शायद मैं यहां न होऊं क्योंकि मुझे अपने पति के साथ के जाना पड़ेगा जो कि बीमार है। इसलिए जो सुझाव मैं भुगतान संतुलन के संबंध में दूंगी उनके बारे में मन्त्री महोदय का जवाब सुनना चाहूंगी महोदय आपको याद होगा कि मैंने यह सुझाव दिया था कि दूरदराज के क्षेत्रों में भरी जाने वाली उड़ानों को कम से कम एक वर्ष के लिए रद्द किया जा सकता है। ऐसा करने से आसमान तो सिर पर नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार हम हवाई ईंधन पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की भारी बचत कर सकते हैं क्योंकि आयात किए जाने वाले पदार्थों में यह सबसे मंहगा पदार्थ है इसका मैं उत्तर जानना चाहती हूं। दूसरे कई ऐसी मदें हैं जिनको आयात करना जरूरी नहीं है। मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहती। मैं संशोधनों की सूचना नहीं दे पाई कुछ आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के कारण मुझे समय नहीं मिला साथ ही इस कार्य के लिए कई अधिनियमों को देखना पड़ता लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि आप सिंथैटिक कैफीन, जिसके बारे में श्री जार्ज फर्नांडीज ने भी उल्लेख किया है, की आयात बंद क्यों नहीं करते। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में आयातित गाड़ी पुर्जों और आयातित कार पर ही प्रवेश करेंगे। क्या ऐसा करना जरूरी है, क्या हम कुछ समय के लिए पैट्रोल बचाने के खातिर इसे रोक नहीं सकते ? इन तीन प्रश्नों का उत्तर मैं चाहती हूं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं यह पूछना चाहती हूं कि मैंने पहले भी अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था और जिसके बारे में श्री जार्ज फर्नांडीज ने काफी विस्तार से उल्लेख किया है इस बात की क्या गारंटी है कि आप अनिवासी भारतीयों से जो धन लेने जा रहे हैं वह हमारे देश से भेजा हुआ काला धन सफेद होकर विदेशी मुद्रा के रूप में देश वापस नहीं आ रहा है। ऐसा पहले भी हुआ है और हर वक्त हो रहा है। हिन्दूजा को ही लीजिए। अत: आप क्या सावधानी बरतने जा रहे हैं क्योंकि मैंने पूर्वोपायों के बारे में कोई उल्लेख कहीं नहीं देखा।

अत: मैं इन कुछ प्रश्नों के सटीक उत्तर चाहती हूं जिनके लिए अन्य समानान्तर उदाहरणों के विस्तार में न जाया जाये क्योंकि उदाहरणों की कोई कमी नहीं। इसलिए स्पष्ट उत्तर स्वागत योग्य होंगे। आशा है इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दिया जायेगा।

सभापति महोदय : श्री भार्गव कृपया इस प्रस्ताव पर तथा विधेयक को परिचालित करने संबंधी अपने संशोधन पर विचार प्रकट करिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर) : जो आसन की आज्ञा होगी, मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा।

मान्यवर, देश की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए विदेशों में जो पूंजी लगी हुई है, उनको 2-3 स्कीमों द्वारा भारत में हमारे वित्त मंत्री जी लाना चाहते हैं। 150 देशों करीब 1.2 करोड़ अनिवासी भारतीय रह रहे हैं। 1991-92 के बजट में देश को विदेशी मुद्रा के संकट से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा को किस प्रकार से आकर्षित किया जाए, अप्रवासी भारतीयों को अधिकाधिक विदेशी मुद्रा देश में लाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए वित्त मंत्री जी ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विदेशों में जो रकम लोगों के पास है, वह किस प्रकार से यहां आ जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ रियायतें दी हैं। विदेशी मुद्रा राशियां प्रत्यक्ष कर कानून और विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियमों से मुक्त रखी गई हैं।

मेरा निवेदन है कि दो प्रकार के व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं एक तो वे जो भारतीय नागरिक हैं और दूसरे वे जो भारतीय नागरिक नहीं हैं। आपने कहा है कि ये लोग भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा भेज सकते हैं, इस पर उपहार कर नहीं लगेगा और राशि का स्रोत बताने की आवश्यकता नहीं है, राशि कहां से आई, इसकी कोई जांच नहीं होगी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और यह भी कहा कि जल्दी से जल्दी करो और इसकी तारीख रख दो 30 नवम्बर 1991।

मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि यदि इसमें एक्ट के अनुसार विदेशी नागरिक विदेशी मुद्रा किसी भी भारतीय नागरिक को भेज सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि गैर-कानूनी तौर पर विदेशी एजेंट बनने की संभावना बढ़ेगी और कुछ संस्थाओं को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि एक प्रकार से यहां पर भारत में अप्रवासी भारतीयों के एजेंट बन जाएंगे। इसलिए इसमें यह अनिवार्य कर दिया जाए कि राशि वही व्यक्ति भेज सकता है जो भारतीय नागरिक वहां पर रह रहा होगा, यह मेरा पहला सुझाव है। मुझे उम्मीद है कि आपकी राशि उन भारतीयों के द्वारा आ ही जाएगी। इस सुझाव को आप स्वीकार करेंगे।

दूसरा मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि दूसरी आपने योजनाएं लागू की हैं कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत विकास बांड जारी किये जाएंगे, जिसका मूल्य अमेरिकन डालर में होगा। प्रवासी भारतीय विदेशों में निगमन निकाय द्वारा वे खरीदे जा सकेंगे, 5 वर्ष के लिए होंगे और कितनी रकम हो सकती है उस पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया। बांड अप्रवासी भारतीयों के बीच में पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो सकेंगे। बांड से जो ब्याज होगा उस पर आय कर से आपने छूट दी है और परिपक्वता तक धन कर से वह मुक्त रहेगा और वे भारतीय नागरिकों को उपहार के रूप में भेज सकेंगे। वे भारत में जब आ जायेंगे, उनको पहले की तरह उपहार कर में आपने छूट दी है। निवासी प्राप्त-कर्त्ता बांड धारक को भी विनियम दर का सरक्षण और आय कर तथा धन कर से

आपने परिपक्वता तक छूट दी है। मेरा मतलब है कि उसकी जो कैश पेमेंट होगी वह भारतीय मुद्रा में होगी, उस रकम को वहां नहीं भेजा जा सकता। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं उसमें भी आपने 30 नवम्बर, 1991 तिथि तय की है।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो भारतीय नहीं हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, बाहर रह रहे हैं, उनको आप इस प्रकार की छूट न दें। उनको आप यदि छूट दे देंगे तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा।

इसी प्रकार से तीनों योजनाएं जो आपने लायी है, काले धन को सफेद करने की योजना आपने बनायी है। देश में आर्थिक संकट है, इस सम्बन्ध मे मुझे किसी प्रकार के विचार व्यक्त नहीं करने। क्योंकि वैसे भी देश में इन्दिरा विकास पत्र चल रहा है। वह भी एक प्रकार से काले धन को सलेद करने का एक तरीका है। हार्शिंग मंड आदि जो जोजनाएं चल रही हैं वे भी इसी प्रकार की योजनाएं हैं।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि अप्रवासी भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, वे आपसे कुछ नहीं ले रहे, उनको यदि वापस यहां पर लौट कर आना हो, वो यदि भारत में अपना व्यवसाय करना चाहते है उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार लालफीताशाही के द्वारा, नौकरशाही के द्वारा जो हो रहा है, जिससे वे परेशान होकर बाहर चले जाते हैं और कुछ वर्षों की अवधि के पश्चात् वे भारत में रहना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार अपने देश में चलें। लेकिन देश में जब सारी प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं होती हैं तो आखिरकार वे विदेश में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भारतवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, विदेशों में हैं, भारतवर्ष में आकर अपना व्यापार जमाना चाहते हैं तो उनको सुविधा देनी चाहिए। यह मैं समझता हूं। मेरा जो छोटा सा सुझाव है, इसको माननीय मंत्री जी अपना जवाब देते समय निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : सभापति महोदय, पिछले 10 वर्षों की गतिविधियों के फलस्वरूप आज हम कितनी विकट आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं यह विधेयक इसी बात का सूचक है। विदेशी मुद्रा के संकट को दूर करने के लिए हमें कितनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं और कितना नीचे झुकना पड़ा है। एक ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिनके सम्मुख हमें झुकना पड़ रहा है और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा के संकट को टालने के लिए हम हर गुनाह को बख्शने के लिए तैयार है। अन्य सदस्यों ने इस सम्बन्ध में आंकडे आदि दिए है। लेकिन जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा खतरा है वह यह है कि यह विधेयक भविष्य में विदेशी मुद्रा के रूप में और अधिक काला धन पैदा करने में सहायक होगा। ये तो सब जानते हैं कि जब अनिवासी भारतीय या अन्य लोग विदेशों से यहां आते हैं तो उनके मित्र ही उनका सारा खर्चा उठाते हैं और ये लोग वापस जाकर अपने पर व्यय हुए धन को विदेशों मे अपनी ओर से उन व्यक्तियों के नाम पर जमा कर देते हैं। यह विधेयक इस काम को और आसान कर रहा है क्योंकि काले धन को विनियमित करने

के सम्बन्ध में जो देश में आंतरिक योजनाएं बन रही हैं जिनमें 40 प्रतिशत कर के रूप में ले लिया जायेगा, इन योजनाओं पर वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान हम अपने विचार प्रकट करेंगे। लेकिन इन बांडों और उपहारों के सम्बन्ध में कोई कर नहीं लगाए गए। मैं नहीं जानता कि हवाला के कारण इसका असल परिणाम क्या होगा क्योंकि हवाला मार्केट में दरें काफी बढ़ रही हैं अतः इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन सभा आगाह कर दे कि अर्थव्यवस्था की ऐसी विकट स्थिति का चित्रण तथा उससे निपटने के लिए अब तक किए गए उपाय तथा अब तक बनाई सभी नीतियां देश को निर्धन करती जायेंगी। वित्त मंत्री लाचार हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं इससे आगे वे नहीं जाना चाहते। न केवल यह संसद अपितु भावी पीढ़ी, वर्तमान सांसदों और वर्तमान वित्त मंत्री को, भावी पीढ़ी के प्रति किए जा रहे अपराधों के लिए, कभी माफ नहीं करेगी।

वित्त मंत्री (श्री मोहन सिंह) : मैं सभी माननीय सदस्यों का चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं।

चर्चा के दौरान कई मुद्दे उठाये गए, कुछ त्रुटियों तथा तथ्यों आदि का उल्लेख किया गया, इन सब बातों के विस्तार में जाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का कुछ और मतलब न लगाया जाये। विकट आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए यह आपतकालीन उपाय, बहुत छोटे अर्से के लिए अपनाया जा रहा है और यह सुविधा बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होगी। कई माननीय सदस्यों ने कई बार इस सभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाने से पहले हमें अपने अनिवासी भारतीयों की सहायता लेनी चाहिए और जो संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य श्री अहमद ने अनिवासी भारतीयों के संबंध में राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं उनसे सहमत हूं। हमें इस दिशा में एक दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए जिससे अनिवासी भारतीयों को देश में पूंजीनिवेश करने के लिए कहा जा सके। अनिवासी भारतीयों ने भी हमारे साथ सम्पर्क किया उन्होंने कहा यदि भारत इतनी कठिनाई में है तो हम अपने देश की सहायता के लिए तैयार हैं। और इसीलिए बांड जारी किए गए। अनिवासी भारतीय कहीं भी भारतीय कर नहीं देता। हम उन्हें केवल यह रियायत दे रहे हैं कि जो लोग इन बांडों में पैसा लगाएंगे और उपहार के रूप में ये बांड भारत में किसी को देंगे तो आदाता को भारतीय कर से छूट मिलेगी। इसलिये कालेधन को सफेद धन में परिवर्तित करने के बारे में जो कुछ कहा गया है, मेरे विचार से वह सब कहे जाने की सम्भवतः आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि इस योजना का दूसरा हिस्सा या निश्चित रूप से एक ऐसी योजना है जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी निवासी भारतीय ने किसी समय देश से बाहर ले जाकर धन जमा कराया है तो हम उसे उस धन को देश में वापस लाने का मौका दे रहे हैं। तीन प्रत्यक्ष कर अधिनियमों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और विदेशी अंश-दान अधिनियम के प्रयोजन के लिए हम उसके इस कार्य की अनदेखी कर देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भ्रष्टाचार अथवा अन्य कार्यों द्वारा किये गये किसी अपराध को क्षमा कर रहे हैं।

उदाहरण के लिये अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया गया है और मेरे विचार में श्री मोहन ने इसके आशय को गलत समझा है। विदेशी मुद्रा जमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली उन्मुक्ति तथा छूट का विस्तार करने का जो प्रस्ताव है उसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय नौ अथवा अध्याय सत्रह, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, आतंकवादी तथा विध्वंसक कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अथवा किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिये दण्डनीय किसी अपराध के अभियोजन से उन्मुक्ति शामिल नहीं है। इसलिये मेरे विचार से यह कहे जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि ये असामाजिक तत्व इस सुविधा का लाभ उठायेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कम राशि या अधिक राशि के बीजक तैयार किये जाने से उत्पन्न होने वाली समस्या का उल्लेख किया है। मेरे विचार से यदि मैं यह स्वीकार नहीं करता तो उचित नहीं होगा कि कम या अधिक राशि के बीजक तैयार नहीं किये जाते तथा हमारे देश में बहुत काफी कर अपवंचन होता है और बड़ी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जायी जाती है। मेरे विचार से कुछ समय में हमें इन समस्याओं का अधिक टिकाऊ तथा स्थायी हल निकालना होगा। मैं यही कहूँगा कि पीड़ाकारी व प्रशासनिक उपायों के जरिये समाधान ढूंढने के पुराने तरीकों का अपना महत्व था लेकिन अब उन उपायों की उपयोगिता सीमित रह गयी है और चाहे आप चाहे या न चाहें, मेरे विचार से भारतीय अर्थव्यवस्था स्वत: उत्तरोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती चली जा रही है।

मैं 70 के दशक के आरम्भिक वर्षों में लागू किये गये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के साथ संबद्ध रहा हूँ। उस समय हमने यह सोचा भी नहीं था कि भविष्य में विदेशी में बसे भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में समृद्ध हो जायेंगे। मेरे विचार से उस समय एक ऐसी पृष्ठभूमि में समस्या से निपटने का प्रयास किया गया था जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। इसलिये हमारे दृष्टिकोण में भी पूरी तरह बदलाव आना चाहिये। तेल के मूल्य में तीन बार वृद्धि हो जाने के पश्चात अब हमारी राष्ट्रीय आय में विदेश व्यापार का हिस्सा बढ़ गया है। इसलिए कम राशि के तथा ज्यादा राशि के बीजक तैयार करने की गुंजाइश यो निश्चित बढ़ी है और मेरे विचार से हमें कुछ समय के बाद अधिक परिवर्तनीय मुद्रा क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जिसमें इस तरह के कार्यकलाप लाभप्रद नहीं रहते। इन समस्याओं से निपटने के पुराने तरीकों का अपना ही महत्व था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अब ये सफल नहीं रह गये हैं। लेकिन मैंने उस समस्या को नोट कर लिया है जिसका उल्लेख श्री जार्ज फर्नान्डीज ने किया है। आने वाले समय में हमें इन समस्याओं पर विचार करना चाहिये कि हम किस प्रकार मिल बैठकर इन समस्याओं का अधिक कारगर हल निकाल सकते हैं।

लेकिन आज हम भुगतान संतुलन के कारण उत्पन्न गम्भीर राष्ट्रीय आपात स्थिति से निपटने की सीमित समस्या पर विचार कर रहे हैं और मैं इस सम्बन्ध में यही कहूँगा कि हम इन मामलों के बारे में लापरवाही नहीं बरत सकते।

आज हमारे पास जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करने तक के लिए विदेशी

मुद्रा नहीं है। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं बजट पर हुए वाद-विवाद में उनकी बात का उत्तर नहीं दे पाया और न ही उन्हें उस बारे में लिख सका। तथापि मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हमें आयात पर किए जाने वाले अपने बेकार के खर्च को कम से कम करना चाहिए। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि पिछले तीन महीनों में जो कुछ हमने किया है वह मामूली सा कार्य है। और हमने स्वदेश में उत्पादित वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि की है। व्यापार नीति में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादन के लिए उपलब्ध संरक्षण में वास्तव में वृद्धि हुई है। यह संरक्षण कम नहीं हुआ है। कुछ विशिष्ट मुद्दे उठाये गए है। यह पूछा गया था कि क्या सिंथेटिक कैफिन का आयात किया जाना चाहिए, मोटर कारों का उत्पादन किया जाये या नहीं और क्या विमानों की उड़ान संख्या में कमी की जा सकती है या नहीं। निश्चित रूप से यदि ये चीजें की जायें तो पेट्रोलियम उत्पादों में कुछ बचत होगी लेकिन इसके दूसरे परिणाम भी होंगे। जैसे रोजगार के अवसर का जहां तक सम्बन्ध है, यदि आप मोटर कार उद्योग में बड़े पैमाने पर छंटनी करेंगे तो रोजगार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के उद्योग को बन्द करने का निर्णय लेने से पहले इन सभी बातों पर विचार करना होगा। वास्तव में यदि हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार हों कि हम सभी उद्योगों को बंद कर दें और भारत को सम्पूर्ण परिवहन व्यवस्था को ठप्प कर दें तो हम भुगतान संतुलन की समस्या को हल कर सकते हैं। तब स्पष्ट रूप से विदेशी मुद्रा लोहा तथा अन्य वस्तुओं की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदय स्थिति को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे मैंने उनसे सारी परिवहन सुविधाएं बन्द कर देने के लिए कहा है। क्या मैंने ऐसी बात कही है ? मंत्रियों के परिवहन व्यय के बारे में जो पत्र मैंने लिखा था उसका क्या हुआ ? क्या वह बात मैं फिर से कहूं। मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री मन मोहन सिंह : आप वह बात फिर कभी कह सकती हैं। मैं महसूस करता हूं कि समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे सामने जो विकल्प हैं, उनको देखते हुए तथा इस बात को देखते हुए कि हमारे सरकारी कोष में जो भी सोना उपलब्ध था वह हमें विदेश भेजना पड़ा। इसी बात से स्थिति की देश के सामने विद्यमान गंभीरता का पता चलता है।

कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। यह वास्तव में यह लम्बे समय से चली आ रही है लेकिन मेरे विचार से हम पहले की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन उससे आज जो समस्या हमारे सामने विद्यमान है, उसका कोई समाधान नहीं होगा। इमानदारी से मेरा विचार यह है कि विगत में जो भी गलतियां हुई है उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। गलतियां हुई हैं। हो सकता है हमने आयात बहुत ज्यादा किया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आयात के संबंध में हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मुझे रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की चिन्ता है। यदि आयात के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति बरकरार रहती है तो हमारे देश के उद्योगों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो जायेगी। हमें अपनी शक्ति के अनुसार इन खतरों से निपटने का भरसक प्रयास करने चाहिए। उस आयातिक

स्थिति से निपटने के लिए किया गया यह छोटा सा प्रयास है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भुगतान संतुलन की समस्या का यह स्थायी हल है। वास्तव में यह एक ऐसी चीज है जो सामान्य रूप से ली जानी चाहिए। और हमें काले धन को सफेद धन में बदलने की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन आज हम जिस स्थिति में हैं यदि उस स्थिति में हम विदेशों में विदेशी मुद्रा रखने वाले लोगों को उस धन को अपने देश में वापस लाने के लिए सीमित अवसर प्रदान करते हैं तो यह देश की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को देखते हुए उचित ही है मेरे विचार से राष्ट्रीय हित की यह मांग है कि देश में विद्यमान स्थिति की समग्रता पर विचार करते हुए इस बात को उचित माना जाना चाहिए।

जहां तक अनिवासी बांडों का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि सदन के कई सदस्यों ने अनिवासी भारतीयों के सम्बन्ध में आक्षेप किए हैं मेरे विचार से हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री श्री ज्योतिबसु ने जिनके लिए मेरे मन में बहुत अधिक इज्जत है, एक सार्वजनिक बयान दिया था और यह कहा था कि हमारा पहला प्रयास यह होना चाहिए कि हम अनिवासी भारतीयों की मदद लें। क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि उसी भावना के आधार पर यह योजना तैयार की गई थी। अब इस मामले में अनिवासी भारतीयों की योजना में एक निहित स्वार्थ की गंध महसूस की जा रही है। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हम अनिवासी भारतीयों को कोई अनुचित सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : नेटिव नान रेसिडेंट शब्द मैंने ही बनाया है। यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो यहां से विदेशों में धन ले जाकर उसे फिर देश में वापस ला रहे हैं। ये लोग अनिवासी भारतीय नहीं हैं। वास्तव में ये ऐसे अनिवासी हैं जिन्हें आप लाभ पहुंचा रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मेरे विचार से ऐसे भी लोग हैं जो इन सभी सुविधाओं का दुरुपयोग करेंगे। मेरे विचार से मैं यह गारन्टी नहीं दे सकता कि यह व्यवस्था उन लोगों के लिए दोष रहित होगी जो देश को कर के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से वंचित रखना चाहते हैं। किन्तु मेरे विचार से इन सभी तथ्यों पर समग्र रूप से ध्यान देना चाहिए और इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा विश्वास है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह सही है। यह हमारे देश के हित में है। यदि इससे आगामी कुछ महीनों में भुगतान संतुलन की समस्याओं के समाधान को कुछ गुंजाइश बनती है तो हमें वे सब कठोर कदम उठाने होंगे जिससे देश का संकट दूर हो सकता है।

मेरे विचार से आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश की समस्याओं का कोई अंतर्राष्ट्रीय समाधान नहीं हो सकता और न ही अप्रवासी भारतीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा विश्व समुदाय इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। इन समस्याओं के समाधान हमें स्वयं करने होंगे। किन्तु किसी आपात स्थिति में हमें समस्याओं का शीघ्र तथा अचूक समाधान करना होगा।

मेरे विचार से देश की वर्तमान विदेशी मुद्रा की स्थिति के संदर्भ में हमारे पास इस कदम के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : क्या यह कहा जा सकता है कि पूर्वानुमानित स्थिति में विदेशी मुद्रा में काफी उतार चढ़ाव आयेगा ?

श्री मनमोहन सिंह : मैंने बताया है कि इस सम्बन्ध में कोई खतरा नहीं है। हम एक योजना बना रहे हैं और वह योजना केवल सीमित अवधि के लिए लागू की जायेगी। जहां तक विदेशी मुद्रा के ऋण-पत्रों का संबंध है, मेरे विचार से इस योजना में इस प्रकार की कोई खामियां नहीं हैं। इसलिए मैं किसी प्रकार की आशंकाओं से चिन्तित नहीं हूं। इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक सदन की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि विदेशी मुद्रा से हमारे देश को राजनैतिक प्रणाली का स्थायित्व खतरे में पड़ सकता है और उससे देश की अखंडता को भी नुकसान हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे बचने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं पहले भी यह बता चुका हूं कि यदि कोई राजनैतिक पहलू है और यदि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं हुआ है और यदि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जानी है तो इन अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई क्षमा नहीं है।

सभापति महोदय : तीन माननीय सदस्यों ने सर्वश्री मोहन सिंह, गिरधारी भार्गव और भगवान शंकर रावत ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए इसे परिचालित करने संबंधी प्रस्ताव पर में संशोधनों की सूचना दी है।

मैं सभी संशोधन सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को और विदेशी मुद्रा बंधपत्र अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों का और ऐसे प्रेषणों और बंधपत्रों के संबंध

में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों का उपबंध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

खंड 2

सभापति महोदय : खंड-2 के लिए श्री ई. अहमद और श्री रासा सिंह रावत ने संशोधन दिए गए हैं।

श्री ई. अहमद : वित्त मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जब उन्होंने संशोधन का प्रस्ताव पेश ही नहीं किया तो उसको वापस लेने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है ?

सभापति महोदय : ठीक है, संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री रासा सिंह रावत— उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

सभापति महोदय : श्री रासा सिंह रावत ने संशोधनों की सूचना दे रखी है। वह उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने संशोधनों की सूचना दी है वह सदन में उपस्थित नहीं है। श्री ई. अहमद अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 5

सभापति महोदय : खंड 5 के लिए संशोधन हैं। श्री ई. अहमद संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। श्री रासा सिंह रावत—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया जाते"

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6

सभापति महोदय : श्री रासा सिंह रावत ने संशोधनों की सूचना दी है किन्तु वे सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव ने संशोधनों की सूचना दी है। वे सदन में उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय । अब, प्रश्न यह है :

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

'कि विधेयक पारित किया जाये ।'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

'कि विधेयक पारित किया जावे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15.22 म.प.

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विनेयक पर विचार किया जाए ।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि वर्तमान विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम 1988 के अन्तर्गत केवल पद पर आसीन प्रधानमन्त्री को ही विशेष संरक्षा ग्रुप के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की

गई है। श्री राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद अनेक माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के परिवार के सदस्यों को भी विशेष संरक्षा ग्रुप की सुरक्षा प्रदान की जाये क्योंकि उनको सुरक्षा को काफी खतरा है। भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया और विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक 1991 को लोक सभा में पुर:स्थापन किया और इसका उद्देश्य स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम में संशोधन करना है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि मारे गये भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा जीवित भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के बीच अंतर नहीं किया जाना चाहिए।

इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस विधेयक पर पुन: विचार किया है और अब भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनिम में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए प्रधानमन्त्री पद से मुक्त होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक विशेष संरक्षा ग्रुप के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। समय खुद ही मरहम का काम करता है। यह अपेक्षा की जाती है कि पांच वर्ष बीतने तक खतरे की आशंका कम होती जायेगी और उसकी सम्भाव्यता भी कम हो जायेगी तथा विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना भी सामना किया जा सकेगा।

महोदय मुझे आशा है कि प्रस्तावित संशोधन से उन अधिकांश लोगों की आकांक्षायें और अपेक्षायें पूरी हो सकेंगी जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों/उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के प्रति काफी चिंतित हैं।

मैं इस पावन सभा के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

समापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में संशोधन हेतु इस विधेयक पर विचार किया जाय।"

कुछ सदस्यों द्वारा विचारार्थ प्रस्ताव में संशोधन के लिए नोटिस दिए गए हैं :

1. श्री दाऊ दयाल जोशी—अनुपस्थित

2. श्री रासा सिंह रावत—अनुपस्थित

3. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—अनुपस्थित

4. श्री गिरधारी लाल भार्गव—

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को आम जनता की राय जानने के लिए 9 दिसम्बर, 1991 तक परिचालित किया जाये ।"

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि इस विधेयक को जो विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें निम्नलिखित 10 सदस्य होने चाहिए :—

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री लालकृष्ण आडवाणी
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री इन्द्रजीत गुप्त
5. श्री जसवन्त सिंह
6. श्री रामलाल राही
7. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
8. श्री रवि राय
9. श्री शिबू सोरेन
10. श्री जार्ज फर्नान्डीज

उन्हें यह अनुदेश दिया जाय कि अगले सत्र के पहले दिन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

सभापति महोदय : अब श्री राम नाईक बोलेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : इस विधेयक का उद्देश्य और जिस प्रकार से यह सदन के सामने लाया गया उसमें कुछ अमैंडमैंटस करनी चाहिए । सरकार की ड्राफ्टिंग के साथ-साथ उसका जो उद्देश्य है वह एक विधेयक में जिस प्रकार से व्यक्त होना चाहिए उस प्रकार से नहीं था । इसलिए जब यह इंट्रोड्यूस हुआ उस समय कुछ बातें यहां सामने लाई गई थीं और उस भूमिका में सरकार की ओर से कुछ अमैंडमैंटस बाद में आए । सैक्शन बाय सैक्शन अमेंडमैंट के आधार पर इस बात पर विचार करते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल राजीव गांधी के लिये नहीं बल्कि कोई भी प्रधानमंत्री हो और इस प्रकार की घटना हो तो उनको सुरक्षा देने की आवश्यकता है । जब राजीव गांधी जी की इस प्रकार से क्रूर हत्या हुई है तो उनके परिवार को इस प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिये उसमें कोई भी दो राय हम लोगों की नहीं है । लेकिन इसमें से 2-3 बातें सामने आती

हैं। गृह मन्त्री ने वक्तव्य दिया और उसमें पांच साल को उन्होंने समय दिया है। पहले जो स्टेटमेंट दिया है मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, इसका फैसला कानून द्वारा बांध कर नहीं किया जाये बल्कि इसको गवर्नमैंट पर छोड़ दें। हो सकता है 10 साल लग जायें, अतः इसको समय के अन्दर बांधना उपयुक्त नहीं होगा। जब अमेंडमेंट आयेगा तो अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट करके हम इस बात को कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति होती है तो आपके हाथ में परिस्थिति में डिसक्रिशन होना चाहिये, इसलिये समय के अन्दर इसको न बांधिये।

दूसरी बात यह है कि सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं, यह सरकार अच्छे ढंग से जानती है। कोई भी प्रधानमन्त्री अपने समय में कई प्रकार के फैसले लेते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति उसके विरोध में, या कोई संगठन उसके विरोध में कभी भी बदला ले सकता है और बदला लेने की भावना हो सकती है। हमारे पूर्व प्रधानमन्त्री श्री वी. पी. सिंह, चन्द्रशेखर जी और मोरारजी भाई ने अपने समय में कई सारे फैसले किये और उनसे वैस्टिड इंटरस्ट को तकलीफ होती है। ऐसे में बदला लेने की सम्भावना कभी भी हो सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह सुरक्षा सबको मिले। एक सीमित परिवार को इस प्रकार की सुरक्षा न देते हुए जितने भी पूर्व प्रधानमन्त्री हैं उन सभी को वह सुरक्षा मिलनी चाहिये ऐसा इसमें प्रावधान होना चाहिये और इसमें समय का प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा होता है तो स्टेच्यूट बुक में लगेगा कि ठीक है, सारे पूर्व प्रधानमन्त्रियों के लिये किया है। मुझे लगता है कि यह आवश्यक है।

इसमें यह बताया गया कि इस पर साढ़े चार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। मैं मानता हूं कि इसमें सब नागरिक समान होते हैं और अगर सबको सुरक्षा ऐसी प्रदान की जायेगी तो खर्चा बहुत आयेगा। ऐसे में जब बजट आयेगा तब हम इस पर बोलेंगे और जितनी टीका-टिप्पणी करनी है, कटुता से करनी होगी तो कटुता से करेंगे और आपको अभिनन्दन देना होगा तो वह देंगे। मेरे विचार में इस प्रकार का विचार नहीं रखना चाहिये कि अगर सबको वह सुरक्षा देंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। सबको इस प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिये और पांच साल का प्रतिबन्ध उसमें नहीं होना चाहिये।

यही बात कह कर मैं इस विधेयक की जो भावना है उस भावना का समर्थन करता हूं। अन्त में यह भी कहना चाहता हूं कि सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को इस प्रकार का रिस्क पैदा हो गया है। अतः सारे प्रधानमंत्रियों को इस प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिये। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. रामन्ना राय (कासरगोड) : सभापति महोदय, इस विधेयक के अंतर्गत सरकार चाहती है कि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री या जिन प्रधानमन्त्रियों की हत्या हो गयी है उनके निकटस्थ सम्बन्धियों के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। उस प्रयोजन से भारत सरकार साढ़े चार करोड़ रु. खर्च करेगी। इसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार सुरक्षा की व्यवस्था करना पर्याप्त है। हम जानते हैं कि इस तरह की सुरक्षा क्यों जरूरी है। इस देश में कुछ भी हो सकता है इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

इस देश में ऐसे संगठन है जिन्होने महात्मा गांधी तक की हत्या कर दी थी। ऐसी एसोसिएशन अभी भी सक्रिय हैं। अतः जब इस देश में इस तरह के एसोसिएशन और संगठन काम कर रहे है तो केवल वर्तमान प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं वरन् उनके निकटस्थ सम्बन्धियों का जीवन भी निःसदेह खतरे में रहता है। किन्तु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जहां तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के निकटस्थ सम्बन्धियों अर्थात् श्रीमती सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चों का सम्बन्ध है हम जानते हैं कि अभी हाल ही में जिन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की हत्या हो गई थी उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी विदेश गई थीं। भारत सरकार ने उन्हें वहां किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की थी ? इसी प्रकार स्व. श्री राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी जो अमरीका में पढ़े रहे हैं भारत सरकार उनकी किस तरह से सुरक्षा करेगी। हम जानते हैं कि आतंकवादी सिर्फ पैसे के लिए हत्या कर देते हैं और कभी-कभी आक्रमण ही तो केवल बदला लेने के लिए भी ऐसा करते हैं। वे केवल भारत में ही सक्रिय नहीं हैं बल्कि विदेशों में भी सक्रिय है। भारत सरकार उनके लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने वाली है ? स्व. प्रधानमन्त्री के पुत्र राहुल गांधी इस समय अमरीका में पढ़ रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हाल ही में सोनिया गांधी विदेश गयी थीं तो भारत सरकार ने उनको किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की थी। यदि हम साढ़े चार करोड़ रु खर्च भी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि यह केवल भारत के भीतर के लिए ही कर रहे होंगे। बाहर के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री के निकट सम्बन्धी जब विदेश जाए यदि उन्हें वहां सुरक्षा दी जानी हो तो यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेश में आप उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे ?

मेरा यह सुझाव है कि सबसे सुरक्षित तरीका उनका राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना ही है। यदि वे राजनीति से दूर रहेंगे तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। अतः जिन प्रधान मन्त्री की हत्या हो गयी है उनके निकटस्थ सम्बन्धियों को कृपया यही सलाह दें कि वे भारतीय राजनीति में कम से कम 5 वर्ष तक बिल्कुल भी भाग न लें। यदि वे 5 वर्ष तक अपने घरों में बिना किसी राजनीतिक सक्रियता के बने रहेंगे तो उनकी सुरक्षा किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि जहां तक स्व. प्रधानमन्त्री के निकटस्थ सम्बन्धियों की सुरक्षा का सम्बन्ध है उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए।

आप चाहते हैं कि इस दृष्टि से साढ़े चार करोड़ रु. खर्च किये जायें हम जानते हैं कि इस देश में हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने सुरक्षा गार्ड के हाथों ही मारी गई थी तो हमने उनको किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की थी ? इस मामले में भी क्या साढ़े चार करोड़ रु. खर्च कर पुलिसकर्मियों द्वारा ही सुरक्षा प्रदान करेंगे ? आप ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों द्वारा ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः आप यह कैसे जान पायेंगे कि वे उस आदमी की हत्या नहीं करने वाले हैं जिनकी सुरक्षा के लिए वे तैनात हैं। अतः मैंने जो कारण बताये हैं उसको यदि ध्यान में रखा जाय तो इस प्रकार धनराशि खर्च कर जिस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जब भी वह ठीक नहीं होगी बल्कि पैसे की बर्बादी ही होगी। अतः मेरा विनम्र निवेदन है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : हमें यह भी पता चला है कि हत्यारे उनके पूरे परिवार को

समाप्त कर देना चाहते हैं। उनके पूरे परिवार के लिए खतरा है। (व्यवधान)

श्री एम. रमन्ना राय : इस मामले में हमारे प्रिय राजीव गांधी संयोगवश ही प्रधानमन्त्री बन गये थे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गयी थी और उनकी हत्या से पहले श्री संजय गांधी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी इसीलिए राजीव गांधी राजनीति में आये थे, आप कहते हैं कि श्री राजीव गांधी के निकटस्थ सम्बन्धियों को जान खतरे में है जबकि सच्चाई तो यह है कि श्री संजय गांधी की पत्नी और उनके बेटे को अधिक खतरा है। जहां तक खतरे का सवाल है श्री संजय गांधी और उनके पुत्र को वह ज्यादा है·····(व्यवधान)····· श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमन्त्री के रूप में श्री संजय गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं। अतः श्रीमती मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को खतरे की आशंका अधिक है। उनकी जिन्दगी अन्य की अपेक्षा ज्यादा खतरे में है या नहीं ? अतः जैसा कि मैंने पहले कहा स्व. प्रधानमंत्री के निकटस्थ सम्बन्धियों को चाहिए कि कुछ वर्ष तक राजनीति से दूर रहें।

इन्हीं निवेदनों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने प्रवर समिति सम्बन्धी संशोधन के बारे में बोलते हुए अपनी बात कह सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : ठीक है। आप जानते हैं कि किस लिए यह विधेयक आया था, सबसे पहले एक परिवार को लेकर। मुझे खुशी है कि गृह मन्त्री जी ने इसमें काफी सुधार किया है।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत : आपका सुझाव था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह मेरा सुझाव नहीं था : मैं ऐसा सुझाव कभी नहीं करूंगा। यह सुझाव आपकी तरफ से हुआ है, जहां केवल एक परिवार की चिन्ता सरकार को इसके पहले थी अब वह तीन परिवारों तक पहुँच चुकी है। प्रधान मंत्री के लिए तो सुरक्षा होती ही है, उनके लिए तो नया विधेयक नहीं था, लेकिन अब यह विधेयक तीन भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों तक पहुंच चुका है : अगर एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री के परिवार पर साढ़े चार करोड़ रुपया आप एक साल में खर्च करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है साढ़े तेरह (13) करोड़ रुपया आपको एक साल में खर्च करना पड़ेगा, प्रतिवर्ष तीन भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के ऊपर।

अध्यक्ष जी, मैंने इस विधेयक को यहां पर पेश करते वक्त ही जब विरोध किया था, तब कहा था कि आप दो प्रकार के नागरिक इस देश में निर्माण कर रहे हो, यों तो यह है ही हमें यह तो नहीं कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति इस देश में नहीं है, इस देश में तीन प्रतिशत लोग हैं, जिनकी विलासिता, अय्याशी इस देश के 90 प्रतिशत लोगों को डुबो कर, दबा कर जिन्दा है, यह तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इस प्रकार के कानूनों को लाकर आप इस विभाजन को और मजबूत करने का काम कर रहे हो, मुझे इसमें सख्त आपत्ति है। इसलिए इस विधेयक के लिए मेरा सख्त विरोध है। हम इस बात को कतई नहीं मान सकते हैं कि दो इन्सान की जान में एक बहुत ही ऊंचे पद पर बैठने वाला और एक सड़क पर झाड़ू मारने वाला, तो उनकी जान की कीमत आप अलग-अलग लगा सकते हो। उनकी बुद्धि को लगा सकते हो, उनकी काबलियत को लगा सकते हो, अनेक क्षेत्रों में आप फर्क कर सकते हो, लेकिन इन्सान की जान की कीमत अलग-अलग रखने की प्रक्रिया जो हिन्दुस्तान में चल रही है, उससे मुझे सख्त आपत्ति है।

सभापति महोदय, यहां पर लोग कभी-कभी इसलिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, परिवार में कोई मर जाता है और अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि परिवार में छोटा भाई मर गया तो बचा हुआ भाई बन गया और हम नहीं बनेंगे हम नहीं बनेंगे, यह कहते कहते बन गया। इसलिए हिन्दुस्तान में व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों बनता है, काबलियत को लेकर बनता है या खानदान को लेकर बनता है, अथवा इस देश को जो वर्ण-व्यवस्था है, जिसने ऐसी परिस्थितियां बना रखी हैं, जिनमें कुछ लोग सत्ता पर, गद्दी पर बैठ जाते हैं, क्या वे लोग काबिल हैं और अन्य लोग नहीं है?

श्री इन्द्रजीत : उनको मैन्डेट तो मिलता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैन्डेट की बात बाद में आती है, व्यवस्था बहुत बड़ी चीज होती है और हिन्दुस्तान में जो व्यवस्था है, उसके बारे में डा. लोहिया ने एक बार कहा था कि हिन्दुस्तान में सार्वजनिक जीवन में 3 चीजें अहमियत रखती हैं, उच्च वर्ण, अंग्रेजी भाषा और पैसा और इन चीजों में से यदि दो चीजें एक जगह पर आ जाएं तो यह बहुत खतरनाक चीज बन जाती है। इसलिए यह बात हमने कहें कि जनमत मिला; मैंडेट मिला, इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। इस देश में कैसे-कैसे लोग बन जाते हैं, प्रसारण के साधनों का इस्तेमाल किस प्रकार होता है, पैसे का किस तरह से इस्तेमाल होता है लाठी का इस्तेमाल क्यों होता है, यह सब हम लोग अनुभव कर चुके हैं और कह रहे हैं।

इसलिए सभापति महोदय, जान की जो भिन्न-भिन्न कीमत लगाने का सिलसिला चल रहा है, इससे हमें सख्त आपत्ति है और इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

अब यह कहा जाता है कि जो भी हो, आपके विरोध के बावजूद एक परिस्थिति है, यह परिस्थिति यदि हो, इस परिस्थिति को मददेनजर रखकर लोगों की जान बचाने का काम हमको करना है, तो यह मात्र भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों तक ही क्यों सीमित हो। आज सुबह इस सदन में मामला उठाया गया, हमारे एक साथी मारे गए, उनका सवाल यहां पर उठाया गया और बताया

गया, सदन में एक पत्र पेश किया गया, जिसमें उन्होंने 5 हफ्ते पहले अपने जिले के एस. पी. को पत्र लिखकर कहा था कि लगता है मेरी जान को खतरा है और मुझे संरक्षण दीजिए, लेकिन आपने नहीं दिया। और यह कोई अकेला ऐसा किस्सा नहीं है। मेरी जानकारी में एक और उदाहरण है, मेरे हाथ में राजदेव सिंह का पत्र है, जो पिछली लोकसभा के सदस्य थे और अकाली पंथ की एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। किन कठिनाइयों में, किन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव 1989 में लड़ा था, किन परिस्थितियों में यहां पर शपथ ली थी, उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई थी, इसको सारा सदन जानता है। वह लोकसभा खत्म हो गई, पंजाब में फिर चुनाव घोषित हो गए।

श्री इन्द्रजीत : सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि पंजाब समस्या का हल विद इन दी कांस्टीट्यूशन होना चाहिए, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यही मैं कह रहा हूं कि कितनी हिम्मत उन्होंने दिखाई। जब राजदेव सिंह ने जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया और लौटे, उनकी सुरक्षा के इन्तजाम को उसी क्षण हटा लिया गया। जो व्यक्ति जान हथेली पर रखकर वहां पर नामांकन-पत्र दाखिल कर रहा है, हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र में विश्वास व्यक्त कर रहा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था वापिस ले ली गई। आप यह नहीं कह सकते कि जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, वैसे ही यहां पर किसी और की जिम्मेदारी है। पंजाब में तो केन्द्र सरकार की ही जिम्मेदारी है, वहां पर गवर्नर का शासन है और 26 अप्रैल से लेकर, जब उन्होंने नामांकन-पत्र दाखिल किया तब से लेकर इस क्षण तक राजदेव सिंह जी वहां के गवर्नर से लेकर यहां के गृहमंत्रालय तक सब का दरवाजा खटखटाने का काम कर रहे हैं। अपनी जान को हथेली पर रख कर महानगर में, इस राजधानी में घूम रहे हैं और उनकी कोई पूछ नहीं है। पंजाब के चीफ सैक्रेटरी ने कबूल किया कि आपके जिले का जो एस. पी. है उसकी आपसे दुश्मनी है, इसलिए आपकी दी गयी प्रोटेक्शन वापस ले ली। हमको मालूम है, मैं कोई उपाय निकालूंगा। लेकिन उपाय नहीं निकाला।

यह मामला गृह मंत्रालय के पास भेजा गया। अनेक संसद सदस्यों ने लिखित रूप में दिया मंत्री जी के हाथ में पहुंचा या नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि गृह मंत्रालय के पास राजदेव सिंह के पत्र के अलावा इस सदन के सदस्यों के पत्र पहुंच चुके हैं कि उनकी जान बचाइए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। साढ़े चार करोड़ रुपया एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के लिए और ऐसे तीन परिवारों के लिए आज यहां पर इन्तजाम करने के लिए आप विधेयक ला रहे हैं। हम लोग कौन सा देश बनाने जा रहे हैं? कहा जाता कि प्रधान मंत्री होने पर भारी लोभ होता है, प्रधानमंत्री होने के बाद कितना बोझ होता है उसकी भी कल्पना करिए। पदों का जो भोग होता है वह आपको पसन्द है। एयर एण्डिया का जम्बो 747 उठाकर हर रोज 2-3 करोड़ रुपया उस पर खर्च होता है, दो-दो जम्बो विमानों से विश्व का पर्यटन करने वाला भोग आपको पसन्द है तथा आपको चिन्ता नहीं है कि मेरा बाद में क्या होगा। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो सत्ता का इस्तेमाल होता है, इसको उठाओ, इसको बिठाओ, राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लात मार कर सुबह निकालो, शाम को बैठाओ, यह शक्ति का प्रयोग आप करते हो, आपको पसन्द है, उसमें आपको मस्ती आती है, बड़ा मजा आता है। खानदान की कुर्बानी क्या है? क्या खानदानी कुर्बानी हिन्दुस्तान में हो रही है। कितने लोग इस देश की आजादी की लड़ाई में मरे सभापति

महोदय, आज आजादी की लड़ाई के सैनानियों में से एक रहे हैं, आप बताइये कितने लोग नहीं मरे हैं। बाबू गेणू ने बम्बई की सड़कों पर विदेशी चीजों के सामने सत्याग्रह करते हुए गाड़ी के सामने लेट कर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। बाबू गेणू का नाम किसी को याद है ?

यहां खानदानी कुर्बानी की बात पिछले 30-35 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। मैं भगत सिंह का नाम नहीं ले रहा हूं, सब लोग जानते हैं, लेकिन बाबू गेणू का नाम यहां कोई नहीं जानता है। कितने लोगों का हम नाम लें अध्यक्ष जी, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। जो खुद गए, जिनके परिवार गए, उनके लिए क्या आपने ताम्र-पत्र देकर, सैकिण्ड क्लास रेलवे टिकट देकर उसका समाधान कर दिया। यहां पर चर्चा होती है कि खानदान ने भारी त्याग किया। हमें जानना चाहिए कि खानदान का त्याग क्या होता है। मैं आज खानदान चर्चा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, किसी दिन इस सदन में इस पर भी चर्चा होगी। कितना लूट लिया है उसकी चर्चा होगी। अफसरों के लिखे हुए लैक्चरों से अपना भाषण दे कर पब्लिकेशन डिवीजन की ओर से छपवा कर रायल्टी लेने की लूट जो इस देश में चल रही है, वह मजाक नहीं है। बड़ा गम्भीर मामला है। इस पर बहस होगी। हिन्दुस्तान एक ही मुल्क है आज विश्व में, जहां पर मरने के बाद 100-100 एकड़ जमीन का इन्तजाम हो जाता है परिवार के नाम। घर तो नाम पर हो ही जाते हैं, वे तो दर्शन की जगह बन जाते हैं, लेकिन 100-100 एकड़ जमीन चली जाती है। दिल्ली में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन मरे हुए लोगों के नाम पर बने 100-100 एकड़ के बना कर रख देते हैं। इन चीजों की चर्चा इस सदन में होगी, इस देश में होगी और होनी चाहिए। इसलिए यह जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी जान को भारी खतरे में डालने की बात होती है, जिनको अपनी जान की इतनी ही चिन्ता होती हैं उसको प्रधानमंत्री के पद का लालच नहीं होना चाहिए। उसको इस पद के लिए अपने नाम को आगे नहीं करना चाहिए। इस देश की रक्षा प्रधानमंत्री नहीं करता है, इस देश की रक्षा जवान करता है, जो मिलिट्री में भर्ती होता है।

वह अपनी जान को हथेली में लेकर हिमालय की चोटी पर इस वक्त खड़ा है। वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो जायेगी। वहां पर 6-6 महीने हमारे जवान ऐसी हालत में खड़े रहते हैं, जिनको देखने पर परेशानी हो जाती है, आंसू आ जाते हैं। इस देश के बचाव के लिए हमारे जवान लड़के किस तरह से अपने को कुर्बान करते हैं। सियाचीन का मामला है। जहां लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं। भारत का जो जवान सियाचीन में जाता है, जितने जवान वहां जाते हैं तो क्या यह सदन को मालूम है, उनमें से दस प्रतिशत लोगों को मालूम है, हमारा वहां जाना यानि हमारी मौत है। दस प्रतिशत लोगों को लाशें वहां से लानी पड़ती हैं, गोली खाकर नहीं। सियाचीन जिस ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई पर जो हवा की कमी है उसके चलते वहां गए हुए दस प्रतिशत लोगों की मौत जाने के पहले उनके नाम पर लिखी हुई है। यहां कहा जाता है कि प्रधान मंत्री होने से भारी खतरा है, मत हो, लेकिन बहुत लोग हैं इस देश को चाहने वाले ··(व्यवधान) किसने आपको आग्रह किया कि आपको प्रधान मंत्री होना चाहिए।

हम अदब के साथ कहना चाहते हैं कि कृपा करके इस प्रकार के बहाने लेकर इस सदन के सामने न लाएं कि प्रधान मंत्री को भारी खतरा है। हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम इस विधेयक को नहीं मान सकते हैं। हम इसके साथ एक और बात कहना चाहते हैं। देश में हिंसा

का वातावरण अगर हो और राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता, कुल मिलाकर तमाम लोग, आज, अगर एक साधारण नागरिक अपनी जान बचेगी या नहीं और अपनी जान के ऊपर कितना खतरा है, यह सोचकर परेशान होकर अगर जी रहा हो तो फिर सरकार का यह फर्ज है कि इस परिस्थिति के असली कारण क्या है। उसको खोज निकालें और उसका मार्ग कर कोई रास्ता निकालें। आज हमने सवेरे अखबार पढ़ा। हमें विश्वास है कि गृह मंत्री जी ने भी निश्चत रूप से पढ़ा होगा। आज दिल्ली के कई अखबारों ने अपने किसी एक पन्ने पर पिछले चौबीस घंटों में कितनी हत्याएं हुई, किस प्रकार से दिल्ली के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसको एक तस्वीर के तौर पर छापने का काम किया है। इस शहर में रोज हत्याएं होती हैं। आप बचा नहीं पा रहे हैं। कल एक हत्या को लेकर पुलिस ने कहा कि क्रिमिनल ट्राइब है। उस क्रिमिनल ट्राइब का मतलब है जो भूखा हो जाता है वह लूटने जाता है और पकड़े जाने पर खून करता है। ऐसी स्थिति इस हिन्दुस्तान में हम लोगों ने बना रखी है, पिछले 40-42 सालों के विकास के ढांचे को लेकर जिसमें आज सिवाय चोरी और डकैती का कोई दूसरा उपाय इस देश का गरीब नहीं सोच पा रहा है, अपनी जिन्दगी को बिताने के लिए या चलाने के लिए। एक सप्ताह पहले की बात है। मैं बम्बई में था। आप बम्बई के हैं। आपको मालूम है कि सड़कों पर अपनी रोजी कमाने वाले दो लाख फेरी वाले, खोमचे वाले हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर, बड़े आइ. ए. एस. अफसर ने फैसला किया कि इन खोमचे वालों या हाकर्स का धंधा बन्द करो। दो लाख फेरी वालों को एक आदेश से उन्होंने गैर-कानूनी घोषित कर दिया और कहा कि ये लोग सड़क के ऊपर नहीं आयेंगे। लड़ाई हो गई और लाठियां चली और म्युनिसिपल की गाड़ियां पकड़ने आई। अंत में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे उनसे बात करनी पड़ी कि क्या कर रहे हैं कि ईमानदारी से अपनी रोजी कमाने वालों को आप बेईमानी के रास्ते पर भेजना चाहते हो हिंसा करने के रास्ते पर भेजना चाहते हो, चोरी करने के रास्ते पर भेजना चाहते हो, लूट के रास्ते पर भेजना हो या क्या करना चाहते हो। मैं ग्यारह महीने तक रेल मंत्री था। रेल स्टेशनों पर छुटपुट चीजें बेचने वाले बच्चे होते हैं। उन्हें चीजें बेचने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। बम्बई की सबर्बन गाड़ियों में ऐसे बच्चे मिठाई, कंघी, चना या मूंगफली बेचते हैं। हमने आदेश निकाला कि इनको अपना धंधा करने में कोई रुकावट न हो।

हां, तो मैं कह रहा था कि रेलों की व्यवस्था है, हिन्दुस्तान की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत हम जैसे लोग आये और 11 महीने में फिर सड़क पर आये लेकिन जो व्यवस्था है जिसे हम हिन्दुस्तान का सब से मजबूत ढांचा मानते हैं, मंजूर नहीं है। चूंकि उनको वहां पर व्यापार करने के लिए, ईमानदारी से लाईसेंस देते हैं तो घूस लेने वाले दलालों की घूस बन्द हो जाती है। रेल की पुलिस हो या और पुलिस हो, म्युनिसिपेलिटि का इन्स्पेक्टर हो या सरकार. इन्सपेक्टर हो, उस व्यवस्था से हम लोग हिंसा की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग क्यों भूल जाते हैं? जब यहां बहस छेड़ी जाती है कि भारी हिंसा हो गयी, उसका कारण खोजें तो पता चलता है कि हिन्दुस्तान में हिंसा फैलाने, हिंसा बढ़ाने का काम इस देश में पुलिस व्यवस्था कितना कर रही है? जरा सोचो।

सभापति महोदय, हम लोग बड़े हैरान हो जाते हैं अगर एक एम. पी. को कहीं लाठी मारी जाती है तो प्रिव्लेज का प्रश्न आ जाता है लेकिन 5-6 रोज पहले बहादुरगढ़ में भराई गांव में जो घटना घटी, हम लोग गये और बाद में यहां प्रश्न उठाया गया, हल्ला हो गया। जैसे एक अमीना का मामला आ जाता है तो हल्ला हो जाता है लेकिन जो सामान उठा कर ले जाते हैं, हम लोगों में

से किसी को भी उनका ख्याल नहीं होता है। एक दिन हम लोगों ने हल्ला कर दिया। अब जहां तक हिंसा का सवाल है, हिन्दुस्तान में आधी हिंसा सरकारी हिंसा है, चाहे जिस पहलू से उसे आप देख लीजिए। इन गरीब लोगों की रोजी से वंचित करने के लिए वे हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं पुलिस और सरकारी हिंसा की बात कर रहा हूं। तो हिंसा को मिटाने का काम और जो हिंसा फैल चुकी है, इसके चलते राजनैतिक नेता, बड़े पैसे वाले उद्योगपति अन्य लोग है, इनकी जान खतरे में आ जाती है, इसकी जड़ में जो बात हो तो गृह मंत्री से अपील करता हूं कि उसे पकड़ने का काम किया जाये क्यों कि दूसरे किसी भी रास्ते से किसी की जान को नहीं बचा पायेंगे।

सभापति महोदय, यहां पर इन्दिरा गांधी का नाम लिया गया कि उनके अंगरक्षकों ने उनको जान से मार दिया लेकिन मैंने हमेशा माना है कि दुनिया में दो लोगों को कभी नहीं मारना चाहिये था। एक तो महात्मा गांधी, जिनको मारा गया और दूसरे अमरीका के प्रेजीडेंट जॉन एफ. कैनेडी। उनके लिए कितना सुरक्षा क्या इन्तजाम क्या गाड़िया और क्या बन्दूकें लेकिन फिर भी वे मारे गये। तो इसलिए जिस प्रकार की सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, उस सुरक्षा से कोई चीज नहीं बनती है। हमें तो जड़ को पकड़कर उसमें कोई इलाज निकालने का काम करना होगा। हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं हमारे मित्र श्री राम भाउ। 5-10 साल की आधी बात की और गृह मंत्री ने इस विधेयक को पेश करते हुए भी कहा कि 5 साल के बाद खतरा खत्म होने की संभावना है।

समय तो मरहम है।

मैं कोई बुरी दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहा हू। मैं तो केवल समस्या के बारे में कह रहा हूं कि यह कितनी गहरी है उसको आप हल्के ढंग से देख रहे हैं या कितने सरसरी ढंग से देख रहे है, इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसी देश का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। जनरल डायर कितने सालों के बाद मारे गये ? 6 साल के बाद।

एक माननीय सदस्य : कहां मारे गये ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लन्दन में। तो इसलिए हम लोगों को सरसरी ढंग से नहीं देखना चाहिए। मैं सदन से यही अपील करूंगा कि बिल के सन्दर्भ में ऐसे दो प्रकार के नागरिक स्तर न करे जिसमें व्यक्ति की जान के तौर पर और कुछ खानदान कुछ परिवार या पद की दृष्टि से देखी जाती हो इस प्रकार विभाजन इस देश में न हो और न हो इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण होने दें। इसी संदर्भ में मैं इस बिल का पूरी ताकत के साथ विरोध करता हू।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : (राजगढ़) महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सभा के इस पक्ष के लोग इस मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। इस समय स्थिति यह है कि आधुनिक भारत के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी नेता श्री राजीव

गांधी की कुछ महीने पहले की हत्या हो गयी है और उनके परिवार के सदस्यों की जान को भी खतरा है, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

मुझे खेद है कि कुछ मित्रों ने बड़ी विचित्र तर्क पेश किये हैं मेरे एक मित्र कहते हैं कि "प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों को सक्रिय राजनीति से क्यों आना चाहिए ? उन्हें बंद दरवाजों के भीतर रहना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सकें।"

माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस विषय पर एक लम्बा भाषण दिया था। भेद-भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात सही है कि विशेष सुरक्षा ग्रुप के पुलिस अधिकारियों का एक ऐसा उच्च प्रशिक्षण प्राप्त समूह है जिन्हें केवल अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षत किया जाता है। इसके लिए एक विशेष अधिनियम का प्रावधान किया गया है। अत: यह समूह मूल रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए है जिनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था किया जाना अपरिहार्य है। इससे पहले यह केवल उन प्रधानमंत्रियों के परिवारों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता था जिनकी हत्या हुई हैं। किन्तु अब हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया है और सरकार भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों के लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था कर रहा है। हालांकि उनके जीवन को इस समय किसी प्रकार का खतरा नहीं है संभव है कि इसकी बाद में आशंका हो। अत: मैं इस प्रावधान का भी स्वागत करता हूं।

मेरी यह समझ में नहीं आता कि विशेष सुरक्षा समूह द्वारा सुरक्षा किये जाने की व्यवस्था केवल 5 वर्ष तक ही सीमित क्यों की गई है। सरकार इसको समय सीमा में क्यों बांधना चाहती है ? इसे तभी वापस लिया जाना चाहिए जब खतरा न रहे या सम्बन्धित परिवार ऐसा महसूस करे। यही कारण है कि 5 वर्ष की समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है। अत: मेरी राय में इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

इस विधेयक का समर्थन करने के बारे में और अधिक क्या कहूं ! क्योंकि इस देश में स्थिति इतनी बहतर हो गई है कि जहां तक राजनीति का सम्बन्ध है उसमें अपराधियों की संख्या तथा आपराधिक गतिविधियों बढ़ती जा रही हैं आज ही सभा में संसद के एक भूतपूर्व मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के बारे में सुना गया कि पत्र से चेतावनी प्राप्त होने के बावजूद सतर्कता नहीं बरती गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह बात बिल्कुल सही कही है कि श्री राजदेव सिंह जो कि एक सिख है और पंजाब के आतंकवादियों के खिलाफ खुल्लमखुल्ला बोलते हैं। ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे लोग ही आतंकवाद के खिलाफ देश को बचायेंगे। पंजाब और कश्मीर को आतंकवाद से पुलिस कर्मियों और सेना की जबर्दस्त तैनाती से भी नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन पंजाब और कश्मीर के वही लोग इसे बचा सकते हैं जिनमें आतंकवादियों के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस है। सम्भव है उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सके किन्तु मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे मामलों पर विचार करें और उनके लिए पुलिस

बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

यही कारण है कि मैं इस विधेयक की जोरदार वकालत करता हूं और समर्थन करता हूं।

मैं विपक्ष के सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

देश में राजनीति अत्यधिक अपराधीकरण के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को अवश्य पारित किया जाना चाहिए तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उन भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों जिनकी हत्या की गई थी, के परिवारों को विशेष सुरक्षा ग्रुप सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिये। धन्यवाद।

*श्री भू. विजय कुमार राजू (नरसापुर) : सभापति महोदय, इस समय सभा के समक्ष विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1991 विचारार्थ प्रस्तुत है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा 1984 में हत्या कर दी गई थी। इस सभा के प्रत्येक सदस्य को पता है कि उन दिनों देश विशेष रूप से पंजाब की स्थिति कितनी खराब थी। हर जगह स्थिति तनावपूर्ण थी। अपनी मां की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उनके तथा उनके अव्यवहित के कुटुम्ब जीवन के प्रति गंभीर खतरा विद्यमान था। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति उस समय विद्यमान वातावरण तथा कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के बारे में जानता है। श्री राजीव गांधी तथा उनके अव्यवहित कुटुम्ब के जीवन के प्रति गम्भीर खतरे को देखते हुए वर्ष 1988 में विशेष सुरक्षा बल गठित किया गया था और उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी। अब इस संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उन प्रधानमंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों जिनकी हत्या कर दी गई है के अव्यवहित कुटुम्ब के भी लाना है। प्रधानमंत्री अथवा भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या अनेक कारणों पर निर्भर करती है। वह प्राकृतिक मृत्यु अथवा हत्या किसी के कारण भी हो सकती है। प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होने पर हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना है। महत्वपूर्ण बात उस अवधि के दौरान राजनैतिक तथा सामाजिक दोनों स्थितियों की विद्यमानता हैं। सुरक्षा प्रदान करने की बात तात्कालिक परिस्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इस विधेयक के माध्यम से विशेष सुरक्षा ग्रुप के द्वारा उस प्रधानमंत्री तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हो गयी हो के अव्यवहित कुटुम्ब को सुरक्षा प्रदान करना है। माननीय मंत्री ने बताया है कि यह सुरक्षा उन्हें पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी। मेरा निवेदन है कि उनकी सुरक्षा के बारे में कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित की जानी चाहिए। सुरक्षा प्रदान करने की बात तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सरकार का यह प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह उन सभी को सुरक्षा उपलब्ध कराये जिन्हें इसकी आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना किसी भी सरकार की आधारभूत जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति इस तथ्य को नकार नहीं सकता।

*मूलत तेलुगु में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय हम बहुत संकटपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। देश की राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। इस स्थिति में राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाना बहुत जरूरी है। इन परिस्थितियों में उन प्रधानमंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, जिनकी हत्या की जा चुकी है, के अव्यवहित कुटुंब को केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। उन्हें यह सुरक्षा तब तक प्रदान की जानी चाहिए जब तक ऐसा करना आवश्यक हो। सरकार को चाहिए कि वह समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर सुरक्षा प्रबन्धनों के बारे में निर्णय करे। इस सम्बन्ध में संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पुरःस्थापित किया जाना चाहिए। यह निर्णय सरकार को करना चाहिए कि किसी व्यक्ति या परिवार को राज्य द्वारा सुरक्षा कितनी अवधि तक प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए निरन्तर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ रुपये का व्यय होगा। आज केवल 2 या 3 परिवारों को ही विशेष संरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन कल परिस्थिति बदल सकती है। स्वतंत्रता के 44 वर्षों तक केवल एक ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री हुए हैं। अब से स्थिति में परिवर्तन आता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हम प्रधानमंत्री के पद पर विभिन्न व्यक्तियों को आसीन होते देख चुके हैं। यदि हम ऐसे प्रत्येक प्रधानमंत्रियों जिनकी हत्या की जा चुकी है के अव्यवहित कुटुंब को सुरक्षा प्रदान करेंगे तो आने वाले वर्षों में राजकोष पर कितना अधिक भार पड़ेगा। क्या देश इस भार को वहन करने की स्थिति में है? अतः निश्चित समय-सीमा के बजाय यह सुरक्षा आवश्यकतानुसार प्रदान की जानी चाहिए। इसका आधार मृत्यु नहीं बल्कि विद्यमान परिस्थिति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह विधेयक केवल उन प्रधानमंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के अव्यवहित कुटुम्ब तक ही सीमित है जिनकी हत्या की जा चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता द्वारा बताया गया, हमारे भूतपूर्व सांसद जो कि भूतपूर्व मंत्री भी थे को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई जबकि सरकार को डेढ़ मास पूर्व सूचित किया गया था कि उनके जीवन को खतरा है। ऐसे सब व्यक्तियों, जिन्हें वास्तव में इस सुरक्षा की आवश्यकता है, को बजाय केवल एक ही परिवार के लिए साढ़े चार करोड़ रु. खर्च करना अत्यधिक आपत्तिजनक है। यह सुविधा उन सभी को दी जानी चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने शांति का प्रचार किया था। वे राष्ट्रपिता हैं। उनके नेतृत्व में करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता की खातिर अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने खुशी-खुशी गोलियों का सामना किया था। परन्तु आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। लोग बन्दूकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं। लोगों में इस प्रकार के डर का क्या कारण है। समाज की ऐसी मनःस्थिति के लिए हम राजनीतिज्ञ ही जिम्मेदार हैं। हम अपनी इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। आजादी के 44 वर्षों के बाद भी हम आर्थिक समानता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हम अपने आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं। इसके अतिरिक्त हम अपनी जनता को सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। समाज इस समय सम्प्रदाय, जाति तथा क्षेत्री आधार पर विभक्त है। आज आतंकवाद का बोलबाला है। इस स्थिति से अब तक की सभी सरकारों की विफलता परिलक्षित होती है। अब समय आ गया है कि हमें सभी की प्रगति तथा खुशहाली के बारे में सोचना है। अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में व्यवस्था करने की जिम्मेवारी देश के लोगों की नहीं होनी चाहिए। सभी राजनैतिक दलों की जिम्मेवारी है कि वे इस बात पर विचार करें कि देश को किस दिशा की ओर ले जाना है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जिन प्रधानमंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या की जा चुकी है, के अव्यवहित कुटुंब को सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। परन्तु साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज देश में किसी का भी जीवन रक्षित नहीं है। सरकार को इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिये। महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यह सोचते हैं कि जिन प्रधानमंत्रियों तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी है, के अव्यवहित कुटुंब को सुरक्षा प्रदान करना अनावश्यक है। उन परिवारों को अवश्य सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम इस बात पर सिद्धांत: सहमत हैं। परन्तु साथ ही विशेष संरक्षा उन सभी को दी जानी चाहिये जिन्हें इसकी आवश्यकता है। वर्तमान परि स्थितियों में यह और भी आवश्यक है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं आपको इस अवसरपर बोलने की अनुमति देने लिए धन्यवाद देता हूं।

प्रो रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा जो विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक 1991 लाया गया है इसके उद्देश्यों को लेकर और इस सदन में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

वास्तव में हमारे देश के सब नागरिक समान हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक, सारे हिन्दुस्तान में रहने वाले 80-82 करोड़ लोग एक समान हैं। उनका जीवन एक समान है और देश के अन्दर जो भी कल्याणकारी सरकार बनती है वह सबसे पहले यह देखे और उसका यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि देश के सब नागरिकों के जान माल की हिफाजत करे। अगर वह देश के नागरिकों के जानमाल की हिफाजत नहीं करती है, तो ऐसी सरकार का शासन करने का वैसे भी कोई अधिकार नहीं रहता है।

सभापति महोदय, प्राचीन काल में हमारे देश की व्यवस्था भी कुछ ऐसी रही है कि पहले राजा अपनी चिन्ता नहीं करता था, वह जनता की सोचता था कि जनता उसके राज्य में खुशहाल है कि नहीं, जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान के अन्दर एक ही परिवार की जो हुकूमत रही और आज भी हमारे कांग्रेस के लोग नेहरू परिवार के प्रति अपनी स्वामी-भक्ति का परिचय देने के लिए यह विधेयक यहां पर लेकर आए हैं। उन्होंने अब तक जो किया सो किया वह राजीव भक्ति थी और वह राजीव भक्ति भी राजीव परिवार भक्ति के रूप में बदलकर विशेष सुरक्षा ग्रुप विधेयक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस के बंधुओं में होड़ लगी हुई है कि कौन सोनिया जी का अपने आप को ज्यादा वफादार सिद्ध करेगा। राजीव जी की निर्मम हत्या हमारे देश के लिए काला दाग था, यह बड़ा दुखद कांड था, इसे कोई अच्छा नहीं कह सकता। लेकिन यह किन परिस्थितियों मे हुई, उन परिस्थितियों को पैदा करने के लिए उत्तर-दायित्व किनका था, इस देश हुकूमत किनकी थी। जो हुआ बुरा हुआ। इसके बावजूद सोनिया जी के लिए और उनके परिवार के लिए देश के करोड़ रुपये का धन एन. एस. जी. को खड़ा करने में लग जायेगा। पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा ग्रुप खड़ा किया गया था उसमें संशो-

धन करके अब वह पूर्व प्रधानमंत्री और हर प्रधानमंत्री के परिवार के लोगों के लिए प्रस्तावित किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि एक नागरिक और दूसरे नागरिक में भेद की दीवार खड़ी की गई है, उसमें फर्क किया गया है। आज तीन पूर्व प्रधानमंत्री हैं जैसे श्री मोरारजी देसाई, श्री वी. पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर या श्री गुलजारी लाल नन्दा जो दो-तीन बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उनके परिवारों की ओर, उनके जीवन की रक्षा करने की ओर सरकार का ध्यान कभी नहीं गया। केवल मात्र नेहरू खानदान के प्रति अपनी स्वामीभक्ति दिखाने के लिए, सोनिया जी के प्रति अपनी स्वामीभक्ति दिखाने के लिए किया जा रहा है। कभी राजीव फाउंडेशन बनाने के नाम पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं और जब देखा कि विफल होने लगे और सोनिया जी राजी नहीं हैं तो वही लोग चिल्लाकर विरोध करने लगते हैं कि सोनिया जी ऐसा नहीं चाहती हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग करोड़ों रुपए के रूप में कभी जवाहर ज्योति के रूप में, राजीव ज्योति के रूप में, खर्च किया जाएगा।

पिछले दिनों समाचार पत्रों में नेहरू स्मारक संग्रहालय के बारे में बहुत लम्बा-चौड़ा विवरण प्रकाशित हुआ है जिससे पता लगता है कि प्राइवेट खर्चों के नाम पर देश की सम्पत्ति का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के हर नागरिक की जान-माल की रक्षा करने का दायित्व सरकार का होना चाहिए। पंजाब में, कश्मीर में हजारों बेगुनाह लोग कभी रेलगाड़ी में यात्रा करते समय कोयले से भूने जाते हैं, कभी बसों से उतारकर एक पंक्ति में खड़ा करके उनको गोलियों का शिकार बना दिया जाता है। पंजाब की नदियों का खून लाल हो गया है, कश्मीर में लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा है। आज उनके बच्चों की, माताओं की, पत्नियों की रक्षा करने की किसी को चिन्ता नहीं है। केवल एक परिवार के लोगों के सदस्यों की रक्षा करने के लिए देश की जनता के बजट पर एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करने लिए तैयार हैं। पांच वर्ष में कितना खर्च होगा, इसकी कितनी संख्या बढ़ेगी। कुलीन तंत्र को सुरक्षा देने के लिए, नकली प्रतिबिंब बनाने के लिए, काल्पनिक दुनिया का निर्माण करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों, गृहमंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने स्वयं उत्तर दिया था और कहा था कि सी. आर पी. की नई बटालियन सरकार खड़ी करना चाहती है लेकिन सरकार के पास अभी बजट नहीं है। इसलिए जो नई बटालियन खड़ी करनी चाहिए थी उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है। उसके लिए तो बजट नहीं है और इसके लिए एकदम एक करोड़ का खर्चा दिखाने वाले (व्यवधान) विदेशी मुद्रा का संकट, आर्थिक संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है। विदेशों के सामने कटोरा लेकर हमारे मंत्री लोगों और प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ धन का इस प्रकार से दुरुपयोग और अपव्यय हो रहा है। इस धन के दुरुपयोग को रोका जाये।

पूर्व सेनाध्यक्ष जिस ने पंजाब के आतंकवादियों से जुझते हुए स्वर्ण मन्दिर के अन्दर जो ब्लू स्टार अपरेशन हुआ था, उसमें जान की बाजी लगा दी थी। उस पूर्व सेनाध्यक्ष को पुणे में आप रक्षा नहीं कर पाए। रिबेरो जिसने अपनी जान का अधिकांश हिस्सा पंजाब के अन्दर सेवा में

लगाया था, आज वह विदेश में राजदूत है लेकिन वहां पर भी यह सरकार उसकी रक्षा में सफल नहीं हुई। कांग्रेस के लोग जो कि धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीटते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि

"जाको राखो साईंया मार सके न कोई,
बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो।"

ईश्वर के अन्दर विश्वास रखो, अपनी नीतियों को ऐसे बनाओ कि कोई इस प्रकार से किसी को मार नहीं सके और देश के नागरिकों की जान और माल हिफाजत में रहे।

अन्त में मैं इस बिल का विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, पिछले एक दशक में अभूतपूर्व हिंसा की अनेक घटनायें हुई हैं। राजनैतिक निराशा के परिणामस्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। जो राजनैतिक पार्टियां तथा ग्रुप सत्ता में नहीं आ सके हैं वे राज्य अथवा केन्द्र में सरकार बनाने के लिए ऐसे साधन अपना रहे हैं जो सभ्य देश के राजनैतिक दलों तथा ग्रुपों को शोभा नहीं देते हैं।

1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण महान राष्ट्रीय संकट के पश्चात जब श्री राजीव गांधी ने इस देश की बागडोर संभाली तो देश में राजनैतिक हिंसा अत्यन्त बलवती थी। उस समय श्री राजीव गांधी के सामने अनेक विकल्प मौजूद थे। वे नरम रूख अपना सकते थे तथा देश के हितों के विरुद्ध काम करने वाली ताकतों से समझौता कर सकते थे। परन्तु उन्होंने उस समय दृढ रूख अपनाया तथा देश की शान बढ़ाने के लिए न्यायसंगत संघर्ष का ऐसा रास्ता अपनाया जिससे भारत को 21वीं शदी में ले जाया जा सके। वह समय भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था जब गांधी ने दृढ़ निर्णय लिये जिससे लोग उनकी सफलता से हक्के-बक्के रह गये और उनकी हत्या के लिए षडयंत्र करने लगे। इस परिस्थिति में सरकार ने विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 अधिनियमित किया ताकि प्रधानमंत्री और उनके अव्यवहित कुटुंब को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

1989 के चुनावों में जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध मत दिया। श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री नहीं रहे परन्तु उनकी सुरक्षा के प्रति खतरा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया क्योंकि देश के अन्दर और बाहर ऐसे लोग थे जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे पुनः सत्ता में न आएं। उनके विरुद्ध षड्यन्त्रों की गति तीव्र हो गई और लोग राजीव गांधी की हत्या करने के लिए जीजान से जुट गये. उस समय हमने श्री राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा ग्रुप की मांग की थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने यह सुरक्षा इस आधार पर नहीं दी कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधि-

नियम, 1988 केवल प्रधानमंत्री के लिए ही है। (व्यवधान) जी हां, यह प्रावधान अवश्य था। परन्तु सरकार अधिनियम में संशोधन करके श्री राजीव गांधी को भी सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। उन्हें सुरक्षा प्रदान न करने के क्या परिणाम हुए, यह आप देख चुके हैं। दूसरे पक्ष से मेरे माननीय मित्र श्री रावत ने इस मामले में अन्तर्ग्रस्त लागत का उल्लेख किया है। क्या वे ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो पुनः सत्ता संभालने वाले थे, की सुरक्षा को 4 करोड़ रुपये की दृष्टि से देखना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री रावत ने माननीय गृह मंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत संशोधनों को पढ़ा नहीं है। यदि आप संशोधनों सहित विधेयक को पढ़ेंगे तो पायेंगे कि विशेष संरक्षा बल किसी और प्रत्येक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को उपलब्ध होगा। यदि हम इस देश के उच्च पद पर सुशोभित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अन्तर्ग्रस्त लागत पर विचार करने लगेंगे तो मुझे खेद है कि हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे और अपनी राजनैतिक पद्धति की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आज किसी पद पर है, वह कल उस पर नहीं रहेगा। लोकतन्त्र में जो व्यक्ति आज सत्ता में है, हो सकता है वह कल सत्ता में न रहे लेकिन पुनः सत्तारूढ़ हो जाये।

मुझे बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस विधेयक का विरोध करने के पीछे सही मनोवृत्ति कार्य नहीं कर रही है। मैं जानता हूं कि मेरी यह टिप्पणी अपेक्षाकृत कड़ी है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों के बारे में, परन्तु यदि आप आज देश के सुरक्षा-वातावरण को देखें ..

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट के लिए बोलने देंगे?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी नहीं। अब आप बीच में क्यों बोलना चाहते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं उस मुद्दे का विरोध करना चाहता हूं जो माननीय सदस्य श्री रावत ने दूसरे पक्ष की ओर से उठाया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं। उत्तर दे रहे हैं। उत्तर के प्रत्युत्तर की परम्परा जारी नहीं रखी जा सकती। आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। समय नष्ट हो रहा है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : विपक्षी सदस्य श्री रावत ने कांग्रेस पर देश में एक परिवार अर्थात नेहरू परिवार की परम्परा जारी रखने का आरोप लगाया है। मैं श्री रावत को याद दिलाना चाहता हूं कि आज देश की जो भी स्थिति है, वह नेहरू परिवार के परिणामस्वरूप ही संभव हो पाया है (व्यवधान) श्री रावत तथा विपक्ष के मेरे अन्य मित्र भी स्वतन्त्रता संग्राम में श्री मोतीलाल नेहरू का योगदान भूल रहे हैं (व्यवधान) वे पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान भूल रहे हैं (व्यवधान) वे श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान देश के गौरव को भी भूल रहे हैं और

जब श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई ** मुझे यह कहते हुए पुनः खेद है कि ** देश की जनता उनके सपनों को साकार नहीं होने देगी (व्यवधान)

श्री आर्च फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री प्रेम धूमल : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरे राजनैतिक दल के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणियां मत करिये।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मेरा यह आशय नहीं था। मैं केवल विधेयक के बारे में बोलना चाहता था (व्यवधान)

मैंने कोई बुरी बात नहीं कही है हो सकता है कि उस ओर के सदस्यों को अच्छा न लगा हो। जब मैंने यह कहा···

श्री रवि राय : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कोई निन्दाजनक बात न कहें। सदस्य बोलते समय किसी भी सदस्य अथवा राजनैतिक दल के विरुद्ध निन्दाजनक बात नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

श्री रवि राय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को टिप्पणी करने का हक है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी हिन्दुस्तानी है और हम सब लोग जो संसद सदस्य हैं कोई भी हिन्दुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के देहान्त पर, यह विरोधी दल के खिलाफ जो कलंक लगाया है कि * यह ठीक नहीं है (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अच्छा कि उनको मना किया लेकिन आपके मना करने के बावजूद भी यह इल्जाम लगाते रहे कि मैं उनसे कहूंगा।

सभापति महोदय : कृपया भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में, जिनके प्रति

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ की अनुमति से कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सबके मन में श्रद्धा है, ऐसी बात मत कहिए यह आपको शोभा नहीं देता।

श्री पवन कुमार बंसल : श्री रवि राय ने जो कहा है वह मेरे आचरण पर आक्षेप है इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। महोदय, मैंने जो कुछ कहा था उसे मैं दोहराना चाहता हूं। आप कार्यवाही वृत्तांत देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि .....

(व्यवधान)

मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं ..

सभापति महोदय : आप कृपया अन्य मुद्दा उठाइये।

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने यह कहा था कि कुछ लोग जो शायद यह सोचते हैं **

महोदय मैंने यही कहा था (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने जो कुछ कहा था उसका सम्बन्ध अन्य राजनैतिक दलों के साथ है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रति निन्दाजनक बात कहना उचित नहीं है। अब आप अपनी अगली बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदय, यदि मुझे कोई राजीव गांधी का श्रीमती इंदिरा गांधी का शिष्य कहता है तो गर्व की अनुभूति होती है। यदि मुझे राजीव गांधी का अनुयायी कहा जाता है तो भी मुझे इस बात का गर्व है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदय क्या आप उन्हें ये सब बातें कहने की इजाजत दे रहे हैं ? श्री रवि राय ने अपनी बात कह दी है और आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं। क्या उनकी बात सही है क्या उसके लिए अनुमति दी जा रही है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अपमानजनक बात कही गई है तो कार्यवाही वृत्तांत देखने के बाद उसे मैं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस ओर के सदस्यों के मन में जो भय बैठा है उसे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ नेहरू परिवार के विख्यात व्यक्तियों के प्रभावशाली व्यक्तित्व से आक्रान्त है। श्री रावत द्वारा इस मामले में सोनिया गांधी का नाम लिया जाना उचित नहीं (व्यवधान) मैं समझता हूं, मैं भी पढ़ना जानता हूँ। अगर आप कृपा करेंगे तो मैं बिल की प्रोविजन पर ही आऊंगा।

श्रीमती सोनिया गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी हैं। यदि इन लोगों के मन में** तो वह ऐसी बातें कभी नहीं कहते जोकि वे अब कह रहे हैं।

महोदय, उस ओर के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मन्त्री महोदय ने एक संशोधन पेश किया है।

राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बहुत अनुचित बात कही गई हैं। मुझे इस उपबन्ध की उपयुक्तता के बारे में समझ नहीं आता।

इस विधेयक का उद्देश्य भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के निकटतम परिवारों और वर्तमान प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार को विशेष सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा प्रदान कराना है। (व्यवधान) मैं उस पक्ष के अपने माननीय मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कष्ट मुझसे अधिक इस सभा में कोई दूसरा नहीं जानता है। मेरे सहोदर भाई को दो मास तक अपहरण कर लिया गया था और मैंने इस बात का उल्लेख यहां नहीं किया। मुझे पता है कि आतंकवाद की यंत्रणा क्या होती हैं। मैं उनकी सरकार के पास सहायता के लिए कभी नहीं गया। मैं उनमें से किसी व्यक्ति के पास भी नहीं गया। आज वे मुझे उपदेश का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे मालूम है कि वे क्या हैं। आज भी वे अपने स्थानों पर बैठे-बैठे 10 वर्ष आगे की सोच रहे हैं। अभी डर का भूत उन्हें सता रहा है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि नेहरू परिवार कांग्रेस की उपस्थिति में, कांग्रेस के विरुद्ध तमाम प्रकार के अनमेल भ्रष्टाचार के बावजूद, उनकी मंशा पूरी नहीं होगी।

कुछ दिन पूर्व एक अन्य माननीय सदस्य ने एक दूसरे विधेयक पर बोलते हुए देश की आत्मा का उल्लेख किया था। भारत की आत्मा है। भारत को अतीत से परम्पराएं मिली हैं। भारत की आत्मा है। यदि इस आत्मा से रक्त बह रहा है तो इसके लिए लोगों के कुछ वर्ग, राजनैतिक दल जिम्मेदार हैं। उनके कृत्यों के कारण देश में संकट व्याप्त है।

महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दल से ज्यादा सदस्य बोलने वाले हैं। मेरे दल को जितना समय आवंटित किया गया है, उससे ज्यादा समय न लूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी टीका टिप्पणियों की उपेक्षा कर दें और इस विषय पर बोलें तथा पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पवन कुमार बन्सल : यदि उस पक्ष के हमारे माननीय सदस्य विशाल हृदय के होते तो इस विधेयक के लाने के लिए सरकार के खिलाफ तथा कांग्रेस (आई) पार्टी के खिलाफ इस तरह के दुर्भावनापूर्ण आरोप न लगाते तथा हमारे खिलाफ ऐसी गालियां नहीं देते। इस विधेयक को लाने के पीछे यह कारण है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों तथा उनके निकटतम परिवारों की रक्षा करने का दायित्व न केवल सरकार का है। बल्कि पूरे राष्ट्र का है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के हमारे मित्रों में से ऐसा कोई भी कहने का साहस नहीं करेगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा प्रदान न की जाये। वह ऐसा नहीं कहेंगे कि देश को भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की चिन्ता नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों तथा उनके परिवार को भूखे भेड़ियों को सुपुर्द कर दिया जाये। यदि इस विधेयक के पीछे यह भावना है तो यह बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस विधेयक के प्रावधानों के बारे में अनाप-सनाप आरोप लगाये जा रहे हैं तथा तर्क दिए जा रहे हैं।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह सरकार का पावन कर्त्तव्य था कि वह इस प्रकार का विधेयक सदन में लाये। श्री राजीव गांधी की मृत्यु से इन बातों की सच्चाई का पता चल गया है जो हम कहा करते थे। यदि हमारी बातों पर तत्कालीन सरकार ने ध्यान दिया होता तो राजीव गांधी की मृत्यु के रूप में जो राष्ट्रीय संकट का राष्ट्र को सामना न करना पड़ा वैसा संकट का राष्ट्र को सामना नहीं करना पड़ता।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सभा इस विधेयक को सीधे स्वीकार कर ले। विधेयक पर पेश किए गए विभिन्न संशोधनों के सम्बन्ध में मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा तथा इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधेयक के मसौदा तैयार करने के स्तर में काफी गिरावट आ गई है। यह गिरावट अचानक नहीं आई है। पिछले कई वर्षों से हम यह देख रहे हैं। यदि आप संशोधनों को देखेंगे तो पायेंगे कि विधेयक से लम्बे संशोधन हैं।

मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना चाहिए। परन्तु सरकार ने विधेयक के पुर:स्थापन के समय इस सभा के माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखा है इसलिए सरकार इसके लिए प्रशंसा का पात्र है और सरकार की निन्दा नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि उस पक्ष के सदस्य कर रहे हैं।

मैं खंड-4 के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : इस चरण पर हम विधेयक पर खंडवार विचार नहीं कर रहे हैं बल्कि सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यदि मैं खंडों का उल्लेख करूंगा तो आप मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। परन्तु आपने मुझे विधेयक के उपबन्धों तक ही सीमित रहने के लिए ही कहा है, इसीलिए मैं खंड-4 का उल्लेख कर रहा हूं। खंड-4 में विशेष सुरक्षा बल द्वारा पांच वर्ष

के लिए भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अथवा उनके निकटतम परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और 5 वर्ष की अवधि की गणना प्रधानमन्त्री के पद मुक्त होने की तारीख से की जायेगी।

मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध से भविष्य में कभी भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

ऐसी बात नहीं है कि 5 वर्षों के बाद किसी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री को सुरक्षा का खतरा न होगा।

यदि किसी मामले में सरकार को यह पता चलता है कि सुरक्षा का खतरा अभी मौजूद है तो सरकार को संशोधन लाना होगा।

इस बात को देखते हुए मेरा सुझाव है कि इस उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाये और इसके बदले इस मामले को सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाये। किसी मामले में किसी समय सरकार को यह महसूस होता है कि किसी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अथवा उसके निकटतम परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जानी है तो सरकार किसी समय भी यह काम कर सकेगी क्योंकि जो कानून बनाया जा रहा है वह बहुत ही अच्छा है।

यह जो कानून बनाया जा रहा है वह कोई संक्रांतिकाल के लिए नहीं बनाया जा रहा है। यह कानून आने वाले सभी समय के लिए बनाया जा रहा है। यह कानून हमारी उस चिन्ता का द्योतक है जो इस देश के प्रधानमन्त्री के प्रति इस देश की जनता को है। क्योंकि प्रधानमन्त्री के कार्यकाल के दौरान उसे कई अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। इस अप्रिय निर्णयों के कारण उसे कुछ लोगों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। इस तरह के लोग न केवल इस देश में होते हैं बल्कि विदेशों में भी होते हैं। अतः राष्ट्र का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह अपने भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, जहां तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार विधेयक के पुरस्थापन के समय मैंने कहा था कि मैं किन्हीं व्यक्तियों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

लेकिन सरकार ने अपने कृत्यों से इस विधेयक के अन्तर्गत कुछ ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया है जो दुर्भाग्यवश शोक संतप्त परिवार के हैं और उनके साथ हमारी पूरी-पूरी सहानुभूति है। उन्हें केन्द्रीय स्थिति में लाद दिया गया है। कृपया इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण देखने की कृपा करें। इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों से पता चलता है कि इसे एक परिवार के लिए लाया गया है। इसमें कहा गया है :

> "श्री राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसे पता चलता है कि अनेक देशी तथा विदेशी आतंकवादी संगठन उनके निकटतम परिवार

के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए षडयंत्र कर रहे हैं। इन रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के निकटतम परिवार के सदस्यों को गंभीर खतरा है।"

अतः इस विधेयक से आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इसे केवल एक परिवार के लिए लाया गया है। मुझे उस परिवार से सहानुभूति है। जो कुछ घटित हुआ उसके लिए भी मुझे बहुत दुख है। मुझे दुख है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में व्यक्तियों की चर्चा अनिवार्य रूप से की जा रही है। इस विधेयक, जिसमें मसौदे सम्बन्धी अनेक त्रुटियां हैं, के पुरस्थापन के समय हमने कहा था कि अब इस विधेयक में सभी भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों को भी शामिल कर लिया गया है। वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा उनके परिवार को पहले से ही इस अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा मिल रही है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को अपने सुरक्षा प्रदान करे। प्रत्येक नागरिक का जीवन मूल्यवान है। किसी को पिता से हाथ धोना पड़ रहा होगा तो किसी को अपने पुत्र से लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक परिवार का बराबर महत्व है। हो सकता है कि किसी को कुछ ज्यादा खतरा हो लेकिन क्या इस देश में निर्दोष लोग मारे नहीं जा रहे हैं? एक सदस्य ने ठीक कहा है कि लोगों को बसों तथा रेल गाड़ियों से उतार कर मारा जा रहा है। उनका क्या कसूर है। उनके परिवारों के सदस्यों को क्या महसूस हो रहा होगा। अतः मैं इस बारे में बहुत महसूस कर रहा हूँ। सरकार का यह दायित्व है कि वह सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। मेरा कहना है कि सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति आप लेलें। परन्तु किसी परिवार विशेष को उल्लेख करके आप इस विधेयक को क्यों ला रहे हैं। वस्तुतः जैसा कि मूल विधेयक में उल्लिखित था, इसे देश में केवल तीन व्यक्तियों के लिए ही इसे लाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा उनके परिवार के सदस्यों को पहले से ही सुरक्षा मिल रही है। मेरा कहना है कि सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति आप स्वयं लें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि और मैं अब भी कह रहा हूँ कि गृह मंत्री में मुझे पूरा विश्वास है। वह स्वयं यह निर्णय करेंगे कि किसे विशेष सुरक्षा की जरूरत है अथवा नहीं। अब सशस्त्र सेनाओं पर अनिवार्य ड्यूटी लादी जा रही है कि वह कुछ व्यक्ति विशेष को सुरक्षा प्रदान करे। कानून द्वारा कुछ विशेष व्यक्तियों को यह सुरक्षा क्यों प्रदान की रही है।

महोदय, मुझे मालूम है कुछ व्यक्तियों को अपने पद विशेष के कारण, जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल ने कहा है, अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। अतः उनकी विशेष चिन्ता करने की जरूरत है। परन्तु हम खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं। आज भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग इसमें मौजूद थे और गृह मंत्री भी मौजूद थे। सुरक्षा के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि हम ज्यादा प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। लेकिन कितने लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं। इस विधेयक को कानून बन जाने के बाद और विशेष सुरक्षा दल को सशस्त्र बल के रूप में गठित किए जाने के बाद क्या भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के जीवन की रक्षा की जा सकी? आपने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के जीवन की रक्षा नहीं की। अतः यह अंतिम सुरक्षा नहीं है। क्या आप श्री राजीव गांधी के जीवन की रक्षा कर सके?

श्री पवन कुमार बंसल: यह सुरक्षा उन्हें प्रदान नहीं की गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप क्या बात कर रहे हैं ? क्या सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं थी ?

श्री पवन कुमार बंसल : इसे स्वतः ही हटा लिया गया था। उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। हमने इस विषय को कई बार सदन में उठाया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कानून क्या कहता है ? यह कैसे किया जा सकता है ? कानून के अनुसार आप सुरक्षा व्यवस्था हटा नहीं सकते। कानून इस प्रकार है : "प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघ सरकार का विशेष सुरक्षा दल नाम से एक सशस्त्र बल होगा।"

वह भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थे। किन्तु उन्हें हर सम्भव सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। क्या आपने व्यवस्था नहीं की थी ?

श्री पवन कुमार बंसल : आप अन्य मुद्दे पर आ गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए मैं यह कहा हूं कि हो सकता है आपने उसे विशेष सुरक्षा दल नाम न दिया हो किन्तु आपने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं ?

श्री पवन कुमार बंसल : आप इसे अन्य तरीके से समझ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी बल को कोई अलग नाम देने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। किसी ने इस सुरक्षा बल को हटा लेने के लिए नहीं कहा था।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : यही तो किया गया जिससे श्री राजीव गांधी को जीवन से हाथ धोना पड़ा। (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : व्यवधान मत डालिये। श्री सोमनाथ जी, आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक देश जानता है, श्री राजीव गांधी को पूरी सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही थी। टिप्पणी तमिलनाडु पुलिस की कथित लापरवाही पर की गई है किन्तु जहां तक अन्य सुरक्षोपायों का सम्बन्ध उसमें कोई कमी नहीं की थी और न ही उन्होंने कभी यह कहा था कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उस समय हमारी सरकार नहीं थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप तत्कालीन सरकार के दायित्व के बारे में कह रहे हैं तो उस समय आपकी सरकार थी। (व्यवधान) जब उस समय एक वर्तमान सदस्य को धमकी दी गई थी तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गए थे। मेरे ग्रुप के एक सदस्य श्री जैनुल अबेदीन ने

एक संकल्प रखा था। उन्हें टेलीफोन और पत्रों से एक से अधिक बार धमकी दी गई थी और यह कहा गया था कि उनके परिवार को खत्म कर दिया जायेगा। मैंने गृहमंत्री और अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर खींचा था और बार-बार के अभ्यावेदनों के बाद एक दो आदमी उनके घर पर नियुक्त किये गए थे। उनके पास कार नहीं है और वह सड़कों-गलियों में जहां जाते हैं, एक पुलिस का आदमी सादे कपड़ों में उनके पीछे चलता है क्या इसे सुरक्षा कहते है? क्या आपने उन्हें कार दी हैं? आप बात क्या कर रहे है?

भूतपूर्व संसद सदस्य श्री राजदेव सिंह के साथ भी यही हुआ। उनका अपराध क्या था? उनका कसूर यह था कि वह संसद सदस्य थे और वह पंजाब से है और वह उम्मीदवार हैं। यही उनका अपराध था। उनसे सुरक्षा हटा दी गई है। क्या उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? प्रश्न यह है कि क्या आपको दोहरे मापदण्ड अपनाने दिये जाएं और जार्ज फर्नान्डीज ने इस तरह ठीक ही इशारा किया है। उनके तर्क को आप नकार नहीं सकते हैं।

देश के सामने आर्थिक गम्भीर संकट के साथ-साथ अन्य समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं। क्या आप इस कानून को पारित करके, कुछ लोगों को औरों से बड़ा करके इस समस्या का हल निकाल लेंगे? लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं अपनी पार्टी की ओर से या अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं कि कोई सुरक्षा न दी जाए। इसे गलत समझा जायेगा। मैं देश को यह संकेत नहीं देना चाहता कि हम उस परिवार की सुरक्षा के बारे में चिन्तित नहीं हैं। उन्होंने अत्यधिक कष्ट उठाए है और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। किन्तु यह विशेष सुरक्षा क्यों? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कौन-सा विशेष सुरक्षा बल प्रदान करेंगे और क्या अन्य कोई सुरक्षोपाय नहीं है? यह ठीक ही कहा गया है कि अनेक लोगों ने अपनी जानें दी हैं और अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह कोई नई बात नहीं है। श्री संतोष मोहन देव कुछ समय तक गृह मंत्रालय मे थे। मैं नहीं जानता कि उन्हें वहां क्यों लाया गया और किस लिए वहां से हठ गया। कुछ दिन पहले मैंने श्री चव्हाण को लिखा है। लोग हमारे पास स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए आते हैं और हर एक के बाद एक अभ्यावेदन कर रहे हैं। कई बार वे कहते हैं कि आपके साथी कैदियों के हस्ताक्षर पूरी तरह से पढ़े नहीं जाते, उसके बारे में रिकार्ड नहीं मिले हैं। चूंकि 30 या 40 वर्ष पुराने रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सके हैं इसलिए उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इन लोगों ने देश के लिए बलिदान किये है फिर भी वह कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि कुछ बलिदान अन्य बलिदानों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह रवैया पसन्द नहीं है।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके बेटे को विशेष सुरक्षा प्रदान की जा रही।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विशेष संरक्षा ग्रुप के माध्यम से?

डा. देवी प्रसाद पाल : जी हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सब जानते हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं है।

डा. देबी प्रसाद पाल : उसके बेटे को सुरक्षा की आवश्यकता है। वह सत्ता में नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार उस पर इतना अधिक धन क्यों खर्च कर रही है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है वहां विशेष संरक्षा ग्रुप की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरे विचार से वे सो रहे थे और एक अचानक आ गये हैं।

मैं सरकार से यह अपील कर रहा हूं कि वह देश में एक परिवार के बारे में अनावश्यक ही इस तरह की भावना पैदा कर रहे हैं। यदि शक्तियों का इस्तेमाल विवेक और स्व विवेक से किया जाता तो लोग यह समझ सकते कि गृह मंत्री महोदय जो कि सम्पूर्ण देश की सुरक्षा के प्रभारी हैं, ने इस मुद्दे पर विचार किया है और सभी को सुरक्षा प्रदान की है चाहे वह श्री जायनल अबेदिन हो अथवा श्री राजदेव सिंह हो या फिर श्रीमती सोनिया गांधी और उसका परिवार हो। किन्तु इस विधेयक में एक परिवार विशेष के लाभ के लिए उपलब्ध किये जा रहे हैं। इसके लिए आप इन्कार नहीं कर सकते कि इस पर भारी खर्च होगा। निःसंदेह यह बहुत बड़ी राशि होगी।

अब आपने इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को भी शामिल कर लिया है। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा आप भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को 5 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कर रहे है। यदि वे इस सुरक्षा को लेने से इन्कार करते हैं तो वह दूसरी बात है और यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो आपको उनको सुरक्षा प्रदान करनी होगी। इस तरह से प्रत्येक परिवार पर 4.5 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी।

श्री पवन कुमार बंसल : ऐसा नहीं है। इस पर एक मुश्त राशि खर्च की जायेगी।

सभापति महोदय : इसके लिए गृह मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री महोदय ने उनसे इस सम्बन्ध में बात की है अथवा वह उन्हें अपना सहयोगी मान रहे हैं। इसमें कहा गया है "उपरोक्त उद्देश्य के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कार्मिकों उपस्करों और सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली धनराशि प्रति वर्ष 4·5 करोड़ रुपये होगी—उपरोक्त उद्देश्य एक परिवार विशेष को सुरक्षा प्रदान है यदि और अधिक परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी तो और अधिक धनराशि खर्च होगी। यह तो सीधी गणित की बात है हरियाणा में अच्छे गणितज्ञ हैं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : हरियाणा में सभी 'लाल' हिसाब किताब में माहिर हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें यह बताया गया है कि इस विधेयक का विशाल हृदय और संवेदनशीलता से समर्थन करना चाहिये।

श्री बंसल कहते हैं कि यह राष्ट्र का दायित्व है। मैं भी यही कह रहा था राष्ट्र का दायित्व देश में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करना है। आप दूसरों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। आपने श्री जायनल अबेदिन और श्री राजदेव सिंह को सुरक्षा प्रदान करने की बात नहीं कही है इसलिए हम इन दोहरे मानकों को अपनाये जाने के विरुद्ध हैं। मेरा यह कहना है कि इस परिवार को आवश्यक

सुरक्षा प्रदान करें किन्तु साथ ही आपको देश में उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जिनको इसकी जरूरत है।

यह बड़े चिन्ता का विषय है कि देश में अधिकाधिक लोगों को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। मंत्रियों को सुरक्षा की जरूरत है जब भी मैं प्रमुख पोर्टिको द्वार की तरफ जाता हूं तो मैं डर जाता हूं क्योंकि वहां पर अनेक मंत्री और सांसद आते रहते हैं। ज्यों ही उनकी कारों के द्वार खुलते हैं उनमें से ए. के.-47 लिये लोग बाहर निकालते हैं। हमें न तो सुरक्षा दी गई है और न ही सादे वस्त्रों में कोई सुरक्षा कार्मिक दिया गया है और न ही ए. के.-47 की सुरक्षा दी गई है। पता नहीं क्या होने वाला है ? हमारा तो कोई दर्जा ही नहीं है।

17.00 म. प.

मैं मानता हूं कि आजकल कुछ लोग अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऊंची सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी हो गया है। यदि आपकी रक्षा के लिए आपके साथ ए. के. 47 रायफल धारी सुरक्षा कर्मी है तो इस देश में आतंकवादियों का निशाना बनने की दृष्टि से आप पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोग आतंकवादियों का लक्ष्य भी है।

इसलिए मेरी पार्टी इस विधेयक के विरुद्ध मतदान नहीं करेगी। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं लेकिन मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रकार के कानूनों के द्वारा अपना प्रेम या सम्मान प्रदर्शित करने की कोशिश मत करिये। ऐसी व्यवस्था करके आप केवल भूतपूर्व प्रधान मंत्री के प्रति अपना असम्मान ही व्यक्त कर रहे हैं। आप इस प्रकार की व्यवस्था करके और कुछ लोगों को सम्भवत: इस प्रकार की आलोचना और टिप्पणी के लिए अलग-अलग कर रहे हैं जिसके वे स्वयं पात्र नहीं है, आप भूतपूर्व प्रधान मंत्री की स्मृति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उनकी विधवा पत्नी और बच्चे इस प्रकार की आलोचना के पात्र नहीं है वे तो परिस्थितियों के मारे हुए हैं। आप यह व्यवस्था और अधिक अच्छे ढग से तथा अधिक विचार पूर्वक कर सकते थे। ऐसा करके आप केवल आलोचना की सम्भावनायें ही पैदा कर रहे हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री से यह आशा करूंगा कि वह यह आश्वासन दें कि प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जायेगी ताकि उन्हें पुलिस अधिकारी गृहमंत्री और उसके बाद अध्यक्ष महोदय तथा महासचिव आदि अन्यान्य अधिकारियों से उस न्यूनतम सुरक्षा की व्यवस्था के लिए मिलते न रहे नापड़े क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से अब में माननीय गृह मंत्री से उत्तर देने के लिए कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके दल की ओर से काफी लोग बोल चुके हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : समय तेजी से बीत रहा है अब 5 बजे हैं। इस विधेयक के लिए दिया गया दो घंटे का समय 5·10 बजे समाप्त हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अभी तो हमारी तरफ से दो बोलने वाले रहते हैं। मैंने तो इस पर अमैंडमैंट भी दी है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाये। यदि आप कहें तो हम थोड़े समय में अपनी बात रख देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको एक मिनट देता हूँ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : सभापति जी, हमारी तरफ से भी अभी बोलने वाले रहते हैं। हमने भी सुझाव देने हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु कृपया संक्षेप में बोलिए। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय आरम्भ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक में व्यक्त की गई खतरे की अवधारणा से सहमत नहीं हूँ। यह विधेयक एक व्यक्ति विशेष को सुरक्षा प्रदान करने की अवधारणा के साथ तैयार किया गया है। हमारे देश में कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस विधेयक के विरुद्ध है। लेकिन जहां तक मेरी पार्टी या मेरा अपना सम्बन्ध है हम किसी व्यक्ति विशेष अर्थात श्रीमती सोनिया गांधी और उनके बच्चे के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किये जाने के विरुद्ध हैं। हम इस विधेयक के विरुद्ध नहीं है लेकिन इस विधेयक की मूल अवधारणा ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसके पीछे मूल आशय देश की समस्त जनता में से कुछ लोगों को एक विशेष वर्ग में रखने का है। यह कानून की नजर में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। यदि मेरे मित्र मुझसे बहुत नाराज नहीं है तो मैं यह कहूंगा कि यह आज सत्तारूढ़ दल के एक वर्ग द्वारा अनेपेक्षित चाटुकारिता के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे विचार से इस सब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस सदन में ही नहीं बल्कि इस देश में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह न चाहता हो कि हमारे देश की एक विधवा, एक सम्माननीय महिला जो कि देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की पत्नी है को समुचित सुरक्षा प्रदान न की जाये। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करता। लेकिन विद्यमान व्यवस्था अनेपेक्षित चाटुकारिता के प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इस विधेयक की मूलभूत अवधारणा को ही मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्रीमान मुझे बताया गया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के परिवार के लिए सरकार द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। यह विशेष समिति इस सरकार को यह सलाह देने के लिए स्थापित की गई थी कि श्रीमती सोनिया गांधी और उनके

परिवार को सुरक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया जाना चाहिये। कुछ उच्च पदाधिकारियों जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अमेरिका के तीन दौरे किये ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जिस व्यक्ति को हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं उसे किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए···(व्यवधान)·· मुझे बताया गया है कि उस विशेष समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि इस मामले में विशेष सुरक्षा ग्रुप के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाये। उन्होंने ऐसी सिफारिश नहीं की थी। मेरे विचार से समिति ने यह महसूस किया कि ऐसा करना गलत होगा। उन्होंने यह अवश्य कहा है कि विद्यमान सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए लेकिन इसके लिए उन्होंने विशेष सुरक्षा ग्रुप द्वारा सुरक्षा प्रदान किये जाने की सिफारिश नहीं की। क्या विशेष सुरक्षा ग्रुप ही संरक्षण देने का एकमात्र साधन रह गया है ? इसके लिए अन्य संगठन एवं संस्थायें भी हैं। तब क्या कारण है कि केवल विशेष सुरक्षा ग्रुप को ही इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपे जाने का विचार किया जा रहा है···(व्यवधान)···क्या यह सच है कि विशेष सुरक्षा ग्रुप द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाना श्रीमती सोनिया गांधी के लिए उनकी उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक मात्र है। मेरे कुछ मित्रों का ये विचार है कि इस प्रकार की व्यवस्था श्रीमती सोनिया गांधी पदस्थिति के अनुरूप है लेकिन ये विचित्र बात यह है कि ऐसा विचार उन लोगों के दिमाग में है।

देश की आम स्थिति का जहां तक सम्बन्ध है, मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आप अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अथवा नहीं ? केन्द्र सरकार और सरकारी उपक्रमों के अनेक अधिकारी अम्मू कश्मीर और असम में मारे गये हैं। श्री राजू की हत्या की गई है। अन्य सात अपहृतों की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी जानकारी नहीं है। आप जानते हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल से देश को 25 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। आप एक क्षण के लिए नहीं सोचते कि आपको अपने आदमियों की रक्षा करनी है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों की रक्षा करनी है। आपने उनके बारे में कोई चिंता नहीं दिखाई है। आपको एक व्यक्ति विशेष के लिए अनावश्यक रूप से चिंतित हैं।

महोदय, इस सभा में श्री रामविलास पासवान ने शिकायत की है कि सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रही है। आज सुबह हमने कुछ माननीय सदस्यों को यह कहते सुना है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने शिकायत की है कि पुलिस अधीक्षक से कहने के बाद भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। आज जब आम जनता, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा का अभाव है, मैं समझता हूँ कि एक विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था बनाना स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

जहां तक परिवार के बलिदान की बात है, मैं गृह मंत्री का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूँगा। क्या रायल इंडियन नेवी की बगावत में हिस्सा लेने वाले देश भक्त नहीं है ? क्या वे स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं ? वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके विभाग ने क्या किया है ? अनेक लोगों ने जिन्होंने रायल इंडियन नेवी की बगावत में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन किया था। मेरे पास बगावत में हिस्सा लेने वालों की सूची है। मैं उन्हें बागी नहीं कहता मैं उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहता हूं। किन्तु भारत सरकार के गृह

न्यायालय ने एक नोट लिखा है कि उस स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले पेंशन के लिए हकदार नहीं है क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना जाता है। क्या उनका बलिदान हम लोगों से जिसमें मैं भी शामिल हूँ कम है।

अत: मैं इस विधेयक के पीछे जो सिद्धांत है। उसके विरुद्ध हूं किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम प्रधान मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का समर्थन करते है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस विशेष सुरक्षा ग्रुप द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह अवांछनीय है। मैं समझता हूँ कि सरकार को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए किन्तु साथ ही राष्ट्र के समक्ष यह घोसणा करनी चाहिए कि पूर्व प्रधान मंत्री और उनके नजदीक परिवार के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।

5.11 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह खास कर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के परिवार की सुरक्षा के लिए है। इन्होंने इसके द्वारा जानबूझकर एक व्यक्ति को टारगेट बनाया है।

सभी देशवासियों को नेहरू परिवार से मोह है लेकिन इन्होने जो एक खास मोह उनके प्रति दिखाया है, उसका यह एक उदाहरण है राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए इन्होंने बजट में जो रुपया रखा था, उसको लेकर जब पूरे देश में विरोध हुआ तो फिर इन्होंने वापस ले लिया। किस मजबूरी में लिया, यह तो सब जानते हैं। जिस के लिए यह रुपया रखा था, उसने ही जब लेने से इन्कार कर दिया तो इन्होंने उसे वापिस ले लिया। देश को इन्होंने चरागाह बना दिया है और उसे चरने का स्थान समझ बैठे हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी के लिए 300 एस. पी. जी. के जवान रिक्रूट किये गये थे और इसका किसी ने विरोध नहीं किया : विरोध की बात भी इसमें नहीं होनी थी। आज सिर्फ व्यक्तिगत आधार पर यह बात आ रही है। हम लोग पीछे अभी बहस किए हैं, हंगामा हुआ है। एक श्यामा प्रसाद रावत शायद वे भी मंत्री थे और राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे उनकी सुरक्षा न रहने के कारण हत्या हुई है। सुरक्षा के सवाल पर उनसे चार हजार रुपए माहवारी मांगा गया और दूसरी तरफ साढ़े चार करोड़ रुपए की बात आती है। इन सबको आपको देखना होगा। हमारा यह कहना नहीं है कि आपके पास बहुत फोर्स है। बी. एस. एफ. है, सी. आर. पी. एफ. है और वह बिल लाने की जरूरत नहीं थी। खासकर सोनिया गांधी समझे कि हमारे लिए इतने लोग इस तरह की चीज चाहते हैं। इन लोगों को साजिश है किसी न किसी तरह बैकडोर से उन्हें लाने की लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश को फिर चरने का चरागाह न बनाइए। इसमें सच्चाई है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है।...(व्यवधान)...मैं कहना चाहता हूँ सुरक्षा के घेरे में भी असुरक्षा है। आप ही के सामने स्थिति है, सुरक्षा के अन्दर श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधान मंत्री हत्या कर दी गई। राजीव गांधी सुरक्षा के अन्दर रहते हुए भी मार दिए गए। ये सब

सवाल सुरक्षा के बारे में है। आप लोगों को कम से कम इस बात की लज्जा होनी चाहिए कि देश के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के अन्दर रहते हुए भी हत्या हो गई है। यह देख कर आप कैसे बचा लीजिए। इस देश को आप चरागाह न बनाइए। आजादी के बाद 42 सालों तक आपने चरागाह बनाया, 42 साल चरागाह बनाकर के आप देश को कहां तक ले गए हैं। आज देश में हाहाकार है और देश के अन्दर देश की जनता भोग रही है। ठीक ही कहा है श्री चित्त बसु ने कि इसमें आपके अधिकारी कितने मारे जा रहे हैं। आखिर आप देश कैसे चलाइएगा? अकेले चलाइएगा इस देश को सब मिल कर चलायेंगे और उसमें सारे अधिकारी शरीक होंगे। इन सब चीजों को आप देखते नहीं और ठाट से लेकर आते हैं और समझते हैं कि यह हयारी बचौती है। हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह देश सब का देश है। किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है।

हमारे बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में बहुत से भूतपूर्व मंत्री है। बिहार में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके साथ इतनी फोर्स लगाई गई है वह खर्चा कहां कहा जा रहा है। हम लोग तो ऐसे आदमी है कि रात के बारह बजे चलते हैं, कोई खतरा नहीं है। खतरा तो गलत पथ पर जाने से होता है। गलत काम करते हैं इसलिए खतरा होता है। ''(व्यवधान)···इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उनको बदनाम मत कीजिए। आप उन लोगों पर बहस मत कराइए। आप जैसेउस बिल को वापिस लिए हैं इसको भी वापिस ले लीजिए। यह उनके लिए बढ़िया होगा। मैं फिर कहता हूं कि आपके पास कोई सुरक्षा चीज है···(व्यवधान)···दूसरी बात अब तक सात प्रधान मंत्री हुए हैं। तीन प्रधान मन्त्री स्वर्गीय जिनके मकान हैं, आवास हैं सफदरजंग जनपथ या रेडक्रास उसमें हुआ क्या तीनों को स्मारक एवं संग्रहालय बना दिया। होना यह चाहिए था। कि जो भी प्रधान मन्त्री आते जायेंगे लेकिन आवास वही रहेगा। ये सवाल बने रह जाते हैं। प्रधान मन्त्री बराबर अपने आवास बदलते रहते हैं। इसमें भी खर्च होता है। खर्च गरीब का, मजदूर का किसानों का और नौकरी करने वालों का होता है। पाई-पाई उसकी मेहनत की कमाई की है और हम उसमें लगा देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि काम करने का तरीका होता है। जैसे आप उसको बाइज्जत वापिस लिए हैं, उसी तरह से इसको भी बाइज्जत वापिस ले लीजिए तभी अच्छा होगा।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, यह महान भारत है जिसकी संस्कृति और गरिमा बड़ी ऊंची रही है और विश्व में आज क्या कारण है कि इतना महान भारत देश, जो दूसरों को रक्षा प्रदान करता था, आज इस देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। इस सदन में कहीं न कहीं बैठे बड़े नेताओं की अदूरदर्शिता का प्रतीक है। इस देश में बसे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी मानसिकता है कि हम इस देश को चला रहे हैं, उनमें कई खामियां हैं और खास करके यहां के उद्योगपति, जो इस देश देश में चीजों का निर्माण करने के लिए देश के पैसों को खर्च करते हैं, इन तीन वर्गों में खामियां हैं और यह सच्चाई है कि यह तीन वर्ग इस देश को चला रहे हैं— डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और उद्योगपति हम सभी यह कहते हैं कि हम चला रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट, इस सदन में कानून बनाते है इस देश में अमन, चैन और शान्ति के लिए, लेकिन खुद ही हम कानून के

शिकार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी पीड़ा और दर्द है इस देश की गिरती हुई व्यवस्था के प्रति, मेरे जैसा आदमी, जिसने अपने हाथों से हल चलाया और समाज की सेवा करके इस सदन में पहुंचा तो मैंने सोचा था कि मेरे जैसे लोग इस सदन में अगर पहुँचेंगे तो इस देश के हालात जो बिगड़े हैं, जो इस देश के गांव उजड़े हुए हैं, जिन गांवों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है उसे हम ठीक करेंगे। अपने बड़े-बड़े नेताओं, पूर्व प्रधानमन्त्री की सुरक्षा की गारंटी अगर आवाम नहीं दे सकते हैं तो जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, विशेष सुरक्षा अधिनियम, इससे आप किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसे कानून के द्वारा अगर सुरक्षा देने की बात होती तो अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी को भी हम सुरक्षा दिला सकते थे लेकिन कानून के द्वारा सुरक्षा नहीं दे सके।

श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके अंग रक्षक ने ही उनकी हत्या कर दी, इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसे कानून से हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं आज इस देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट, डेमोक्रेट और उद्योगपति, ये तीनों दिगभ्रमित हो गए हैं, तीनों के तीनों स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से परे होकर अपनी निजी भावनाओं से प्रेरित हो रहे हैं आज समाज में उनकी अगुवाई है। आज पूरे का पूरा समाज दिगभ्रमित हो गया है, सामाजिक मानसिकता बिगड़ गई है। मैं इसलिए इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं कि आज मानसिकता को बदलने की जरूरत है और जब तक हम इस देश की आवाम की मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तो शायद हम कोई भी बिल बना लें, हम कोई सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान) कहीं भी हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो लोकतन्त्र की रक्षा की यहां कसम खाते हैं, जो कहते हैं कि हम कसम खाते हैं कि आवाम की सुरक्षा करेंगे। हम कसम खाते हैं देश को खुशहाल बनाएंगे। ठीक उसके विपरीत हम काम करते हैं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज हिन्दुस्तान का ब्यूरोक्रेट, जिसकी सेवा पुस्तिका में लिखा जाता है, कि सेवक है जो मालिक बन बैठे हैं और आवाम की भावनाओं को ठुकरा देता है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट के आफिसों में पैसा चलता है, आई. एस. आफीसर बगल में बैठे रहते हैं जो देश के शाका को तैयार करते हैं, जिसका क्रियान्वयन हम इस पार्लियामेंट के द्वारा करते हैं, वहीं यह सब कुछ होता है। इस देश के उद्योगपति जो देश के लिए अच्छा सामान बनाने के लिए कहते हैं और वह नकली सामान बनाते हैं।

बहुत से ब्यूरोक्रेटस और डेमोक्रेटस ऐसे हैं तो उद्योगपतियों की रक्षा करते हैं। मान्यवह, जब तक यह धारणा बनी रहेगी, तब तक ऐसे डेमोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपतियों के सहारे यह देश नहीं बन सकता। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स और उद्योगपति, इन तीनों की जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हम चाहे जितने कानून बनाएं, अवाम की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं सदन में बैठे हुए नेता बंधुओं से अर्ज करना हूं कि हम इस देश के नेता हैं, राष्ट्रभक्त हैं तो हमको इस देश में मातृवत प्यार और स्नेह का वातावरण बनाना चाहिए, भारतीय संस्कृति की जो पुरानी विरासत है, उसको दोबारा लाइए, तभी हर जगह अमन-चैन रह सकेगा। तुलसीदास जी ने कहा है—

पर हित सरिस धरम नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।

हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चौपाई को याद कर दूसरों से प्यार करें और इस बात को मानें कि परउपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है और सब लोग यदि इस नीति को अपना लें तो कोई इन्सान किसी इन्सान से नहीं लड़ेगा, इन्सान, इन्सान से प्रेम करेगा और ऐसे विधेयकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हमें इन्सानियत को बढ़ाने के लिये वातावरण तैयार करना चाहिये, जिसमें हम सब लोग ब्यूरोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स और उद्योग-पति मिलजुल कर काम करें और देश को खुशहाल बनाएं।

5.26 म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के बारे में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे माननीय मित्र जो चण्डीगढ़ के सांसद हैं, उनको कुछ बताना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि मेरे मित्र ने पूरी बहस सुनी नहीं है। हमारी पार्टी के वक्ताओं ने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा, इन बातों की पूरी जानकारी उनको नहीं है। जिस दिन बिल इंट्रोड्यूज हुआ था, उस दिन भी शायद आप उपस्थित नहीं थे। उस वक्त हमारी पार्टी के नेता माननीय आडवाणी जी ने कहा था कि इसमें आप सिर्फ असेसिनेटेड प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का ही बात कर रहे हैं, एक विशेष परिवार की ही बात आप मत करिए और सभी प्राइम मिनिस्टर्स को इसमें शामिल कर लीजिए। इस बिल के क्षेत्र को बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और इसके पीछे जो लोगों को सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा की जो आवश्यकता है, उससे कोई इन्कार नहीं करेगा। अब यह किन कारणों से है, कौन सी नीतियां आपकी पार्टी अपनाती रहीं, यह अलग बात है, लेकिन आज यह एक आवश्यकता है कि उस परिवार को सुरक्षा चाहिए, लेकिन आपने पता नहीं इसके साथ क्या-क्या जोड़ दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी के कत्ल की बात भी आप ले आए, मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता।

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने श्री रावत जी की बात सुनकर कहा था। (व्यवधान)

प्रो. प्रेम धूमल : मैंने इसीलिए कहा कि आपने सारी बहस नहीं सुनी है, यदि सुनी होती तो आप इस तरह की बातें नहीं कहते। (व्यवधान)

सभापति महोदय, हम इस भावना का समर्थन कर रहे हैं और आज यह हकीकत है कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के परिवार के लिए आपको स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की आवश्यकता है, इसके साथ-साथ हमारी पार्टी ने जो अमेंडमेंट दिया, आडवाणी जी ने जो सजेस्ट

किया, उसको भी आपने माना और "फार्मर प्राइम मिनिस्टर" कर दिया, लेकिन पूरी बात को आप नहीं लाए। इसमें भी आपने साढ़े 4 करोड़ का प्रावीजन रखा है, एक परिवार के लिए भी साढ़े 4 करोड़ और अब 4 परिवार हो गए, तब भी साढ़े 4 करोड़।

सभापति महोदया माननीय मित्र इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राजीव गांधी या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन जो "आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स" आपने बिल में दिए हैं, उनमें स्वयं आपने यही कारण दिया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस भावना से इस बिल को लाया गया है, अगर वह भावना केवल मात्र एक परिवार को सुरक्षा देने की है तो कृपया इस अवसर को अपनी वफादारियां साबित करने के लिए इस्तेमाल मत करिए।

जो बात मेरे साथी ने कही थी उसको भी आपने ध्यान से नोट किया होगा, बाद में बहुत से मित्रों ने कहा है कि उसमें जो दोहरा मापदण्ड अपनायेंगे एक तरफ साधारण नागरिक मारा जाता है, किसी भी परिवार का बाप या मुखिया मरता है तो उस परिवार की रोटी बन्द हो जाती है। जहां आप कुछ परिवारों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने की सोच रहे हैं, वहीं उन परिवारों के बारे में सोचिए जैसे आपके सामने कहा गया कि बसों से उतार कर लोग मार दिए, गाड़ियों में जा रहे हैं उन पर रोज फायरिंग होती है, वहां पर भी सरकार की ओर से कुछ ध्यान जाना चाहिए।

मैं इस बहस में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में यह दोष न दीजिए कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। स्पेशल प्रोटैक्शन ग्रुप जो आप बना रहे हैं' अमेण्डमेंट जो हमने लायी थी कि फार्मर प्राईम-मिनिस्टर्स को सुरक्षा देनी चाहिए, उनके परिवारों को सुरक्षा देनी चाहिए इसको आपने माना है। कृपया जो पैसे का प्रावधान है, उसमें भी सुधार करिए। उसके साथ ही यह बात हम कहना चाहते हैं कि साधारण नागरिक की सुरक्षा की उतनी ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप पहचानिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि इस बिल के मार्फत जो यह विशेष सुरक्षा वाला कानून है, इससे इस देश में तीन प्रकार की कैटागिरी हो जायेंगी—एक सुरक्षा, दूसरी विशेष सुरक्षा और तीसरी सुरक्षा विहीन। ये तीन प्रकार की कैटागिरी इस आधार पर हम करने जा रहे हैं। एक परिवार विशेष पर 4-5 करोड़ रुपया खर्च होगा। मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि इस प्रकार से इतनी रकम को खर्च करेंगे एक परिवार की सुरक्षा पर, यह उचित नहीं है:

सभापति महोदया: आप अमेण्डमेंट पर बोलिएगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैडम, मैं अमेण्डमेंट पर नहीं बोलूंगा उस पर समय नहीं लूंगा। जिन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाए वे अपने निवास स्थान से देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, इसके लिए भी कुछ नियम होना चाहिए। इस व्यवस्था से यदि वे विदेश जायेंगे तो विदेश में भी उनको विशेष सुरक्षा दी जाएगी और वह यात्रा करेंगे तो उसमें सारे के सारे प्रहरी साथ जायेंगे। इस प्रकार से मेरा कहना यह है कि पहले भी यह बिल लाया गया था और मस्तिष्क में और भी

सुरक्षा का इन्तजाम करने वाला प्रबन्ध नहीं था। केवल मन में था कि राजीव गांधी की सुरक्षा की जाए। अब उनके नाम पर बिल लाया गया है, अब उनके परिवार के नाम पर बिल लाया गया है। इसमें दूसरे जो प्रधान मंत्री हुए हैं, उनके जो परिवार के मेम्बर्स हैं उनकी इसमें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं की गयी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब, दूसरे चार प्रधान मंत्री जो हुए हैं उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में इस बिल में आप क्या संशोधन करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो विशेष सुरक्षा दल आप लायेंगे, मान लीजिए, प्राईम मिनिस्टर आपका संसद सदस्य नहीं है, वह दूसरा काम करने लगे, विशेष सुरक्षा ग्रुप होने के नाते विशेष सुरक्षा उनको दी है, कोई आदमी उनसे मिल नहीं सकेगा, कुछ गुप्त मंत्रणा नहीं कर सकेगा। वह कहेगा जाओ विशेष सुरक्षा ग्रुप के लोग बैठे हैं। मान लीजिए सोनिया गांधी से आपने कोई बातचीत करनी है तो सोनिया गांधी कहेंगी कि पहले विशेष सुरक्षा ग्रुप को हटाओ उसके बाद बातचीत होगी। इस प्रकार से उसका औचित्य क्या होगा। विपक्ष पहले भी यह बिल पूर्व प्रधान मंत्रियों पर लागू करने के लिए लाना चाहता था कांग्रेस ने उस समय बात नहीं मानी। मेरा मतलब, मुद्दा आज यह है कि इस घृणा और हिंसा के वातावरण को किसी प्रकार समाप्त करें।

इसके बाद मेरा निवेदन है कि एक ओर हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं, विशेष प्रबन्ध करने की बात आपने ही समाप्त की थी।

आज उन पर भी सौ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ईमानदारी से कहना चाहता हूँ और मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि इटली के तीन सौ जवानों को प्रशिक्षित किया गया है। उन तीन सौ जवानों को विभिन्न स्थान देने के लिए आप यह बिल लाए हैं। यह विशेष जानकारी है और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ..... (व्यवधान) इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद आपने इस विधेयक को लाने की चिंता क्यों नहीं की। राजीव गांधी की जो निर्मम हत्या हुई कहीं कोई व्यक्ति उसकी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि निंदनीय था। आपके सुरक्षाकर्मी जो होते हैं उन्हीं के द्वारा ही आपके प्राईम मिनिस्टर को मारा जाता है। स्व. इंदिरा गांधी मारी गई इस बात की चिंता क्यों नहीं की। इस समय आप चिंता क्यों कर रहे हैं। जो मोरारजी भाई हैं, वी. पी सिंह, चन्द्र शेखर और कर्ण सिंह व लाल बहादुर शास्त्री हैं..... (व्यवधान) जो बीच में बोल रहे हैं इनको बिठाइए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदया, उनसे उनके संशोधन पर बोलने की अपेक्षा की जाती है किन्तु वह अपने संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं। वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। यह क्या है ?... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चार-पांच करोड़ रुपया आप एक परिवार पर खर्च करने जा

रहे हैं। सुरक्षा पर कितना खर्च होगा, क्या इसका अनुमान आपने लगाया है ····(व्यवधान) इस लिये प्राईवेट मैम्बर बिल भी यहां इस बारे में लाया गया था : कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। सुरक्षा के नाम पर आप देख सकते कि मामूली से मन्त्री आयेंगे या होम मिनिस्टर यहां से पधारेंगे तो आठ गाडियां इनके पीछे चलेंगी : एम्बुलैंस भी जायेगीं ताकि माननीय मंत्री जी का हार्ट फेल न हो जाए।···(व्यवधान) पहले ऐसी व्यवस्था थी कि प्राईम मिनिस्टर आ रहे हैं तो चार चार घंटे रास्ता ब्लाक कर दिया जाता और सांसदों को नहीं जाने दिया जाता था। जब मामूली से मंत्री आठ गाडियां लेकर चलते हैं तो इनके पीछे बंदूकधारी चलते हैं जिससे वह अपनी बन्दूक चला दें···(व्यवधान) जनता के प्रतिनिधि होते हैं उन्हें इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं होनी। मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूं। लेकिन इनको सुरक्षा देनी चाहिए और विशेष परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। तीन सौ इटली के जवानों को प्रशिक्षित किया गया है, उनको केवल रोजगार देने के नाते यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हू।

सुरक्षा प्राइम मिनिस्टर को मिले और सबको मिले, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : सभापति महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों का अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करने के लिए आभारी हूं : मैं समझता हू कि उन्होंने अपने विचारों को अत्यधिक स्पष्टता के साथ सभा के सामने रखा है।

हम भी आंशिक रूप से दोषी हैं क्योंकि उद्देश्यों और कारणों के कथन में परिवार के नाम का उल्लेख किया गया है। उस सीमा तक हम भी उत्तरदायी हैं कि हमने आपको यह अवसर दिया कि आप वे बातें भी कह सके जो पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के बाद सामान्यतया नहीं कही जानी चाहिए थी। शायद इसके लिए मेरे पास कोई बचाव नहीं है। अतः मैं उस पर बात नही करूंगा। आपके उस परिवार के बारे में जो विचार थे आपको पूरा हक था कि आप उन्हें व्यक्त करते। खेद हम उस पर चिंतित नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आम आदमी को और अधिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। यदि आप पूरे माहौल को देखें तो मुझे पूरा विश्वास हैं कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि हिंसा और आतंक केवल भारत में ही नही फैले हुए हैं बल्कि विश्व में अधिकांश देशों में ये फैल चुके हैं किन्तु हम इससे तो संतोष प्राप्त कर के बैठे नही रह सकते हैं। कुछ लोग हैं जो वस्तुतः ऐसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं जिससे वे अपने लिए एक अलग देश बना सकें। कुछ लोग खालिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग जम्मू-कश्मीर को न केवल विशेष दर्जा देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं बल्कि यदि सम्भव हो तो वे उसे एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं हालांकि वे पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं। इन शक्तियों से हमें निपटना है। एक तीसरी शक्ति है जो असम में लगभग यही काम कर रही है। अल्फा, बोडो और अन्य तत्व हाथ मिला रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। दक्षिण में हम 'लिट्टे' को नहीं भूल सकते हैं

जो वहां समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप यह देख सकें कि देश में किस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया गया।

मैं माननीय सदस्यों के इस कथन को सही मानता हूं कि आम आदमी को भी न्यूनतम सुरक्षा की तो जरूरत है ही और यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह यह देखे कि लोगों को यह सुरक्षा मिल रही है। हम वस्तु स्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं किन्तु इसमें भी हमें आम जनता को दी जाने वाली सुरक्षा और उनमें से कुछ लोगों को जिन्हें ज्यादा खतरा है दी जाने वाली सुरक्षा में भेद करना होगा।

5.43 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि ऐसे लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं उस पर कोई तर्क नहीं करूंगा। उसके बाद संसद सदस्य आते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने ठीक कहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने सभा में अपने विचार रखे हैं। यदि वे यह कहते हैं कि उन्हें धमकी दी गई है तो उस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी ही है। इसीलिए कल जब श्री मोनकर ने सुरक्षा के लिए कहा था जोकि शायद मेरी परीक्षा ले रहे थे कि क्या मैं आश्वासन देता हूं कि नहीं, इस ओर के माननीय सदस्यों ने कहा कि "हमें भी धमकियां मिल रही हैं।" मैंने कहा था कि यदि ऐसी बात है तो मैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हूं। इस सभा में सभी सदस्य बराबर हैं भले ही वे किसी पक्ष से सम्बन्धित हों। यह एक नई बात है कि माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए भी सुरक्षा मांगनी पड़ती है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ही एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह विधेयक लाया गया है।

माननीय सदस्य श्री आडवाणी ने कहा है कि इस विधेयक का प्रारूपण ठीक से नहीं किया गया है। आपको शब्दावली बदलनी होगी। एक ही परिवार के लिए ही सुरक्षा क्यों, अन्य को क्यों नहीं? मुझे विश्वास है कि यदि माननीय सदस्य मेरे संशोधन को पढ़ेंगे तो संतुष्ट हो जायेंगे कि हम सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद पांच वर्ष तक सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रश्न यह किया गया है कि यह सुरक्षा पांच वर्ष तक ही क्यों, ज्यादा अवधि के लिए क्यों नहीं? सरकार के पास इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वविवेक शक्ति क्यों नहीं है। वस्तुतः मैं इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता था किन्तु अब जबकि माननीय सदस्यों ने इसे उठाया है तो मुझे उत्तर देना होगा। आज देश में कुछ ऐसी राजनीति विद्यमान है कि सरकार के बदलने के साथ सुरक्षा धमकी में भी बदलाव आ जाता है। होना यह चाहिए कि सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, यदि किसी व्यक्ति को खतरा है तो उसकी सुरक्षा में ढील नहीं दी जा सकती है। सरकार के बदलने के तत्काल बाद श्री मुलायम सिंह को एक विशेष स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। वह यह महसूस करते हैं कि उनके जीवन को खतरा है। कुछ सदस्यों के विरोध के बावजूद मुझे यह मानना पड़ा कि हम निश्चित ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। मेरी कठिनाई राज्य

सरकार को लेकर है। राज्य सरकार का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह सुरक्षा उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करे।

एक प्रश्न यह पूछा गया कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है यदि वह विदेश जाता है तो क्या स्थिति रहेगी ? मैं सम्पूर्ण जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा किन्तु हमने अलग-अलग देशों के साथ स्पष्ट व्यवस्था की हुई है। मैं यहां पर यह नहीं बताना चाहूंगा कि क्या व्यवस्था की गई है और क्या सुरक्षा प्रदान की जायेगी। जब ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है तो अपेक्षित सभी सुरक्षा प्रदान की जाती हैं। हम सम्बन्धित सरकार से सम्पर्क स्थापित करते हैं और वह यथावश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं।

मेरा माननीय सदस्यों से पुन: अनुरोध है कि वे पांच वर्ष की अवधि को इस दृष्टिकोण से देखें। यदि पांच वर्ष बाद खतरा बना रहता है तो विशेष सुरक्षा ग्रुप व्यवस्था के स्थान पर दूसरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्यतया पांच वर्ष के बाद सम्बन्धित व्यक्ति को विशेष सुरक्षा ग्रुप की सुरक्षा उपलब्ध कराना हमारे लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए किन्तु यदि खतरा इस प्रकार का है कि विशेष सुरक्षा ग्रुप से इतर सुरक्षा पर्याप्त नहीं है तो उस समय स्थिति के अनुसार विचार करना होगा किन्तु मेरे विचार से विशेष सुरक्षा ग्रुप की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई जा सकती है।

श्री राजीव गांधी के बारे में बात की गई कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी गई फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक आयोग बैठा हुआ है कि सुरक्षा पर्याप्त थी अथवा उसमें कोई चूक हुई थी ? वर्मा आयोग इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। इसीलिए मैं यह महसूस करता हूँ कि इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। किंतु यह बात अपने में सच है कि चूक हो भी सकती है और नहीं भी। शायद मैं माननीय सदस्यों को इस बारे में कुछ न बता सकूं।

श्रीमती इंदिरा गांधी को सुरक्षा दी गई थी किन्तु उनके सुरक्षा गार्ड ने ही उनकी हत्या कर दी। यह जीवन की एक सच्चाई है। एक आयोग बैठाया गया था। उसने भी अपनी सिफारिशें दी थीं किन्तु कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती है और मेरे लिए यह कहना उचित नहीं होगा कि सुरक्षा प्रदान करते हुए हम सब चीजों की व्यवस्था कर देते हैं और सम्बन्धित अधिकारी से कोई चूक नहीं होगी। इसके अलावा सम्बन्धित व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखने के लिए भी अधिक सावधानी बरतनी होगी कि नियम पुस्तिका में दिये गये सभी निर्देशों अथवा जो मार्गदर्शीय सिद्धांत बताये गये हैं उनका पूरी तरह पालन किया जाये। यदि वे उनका पालन नहीं करते हैं और उसके पश्चात जो अधिकारी उनकी सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है उसे जिम्मेदार ठहराते हैं तब हमारे लिए ऐसी स्थिति में बचाव करना अत्यन्त कठिन हो जायेगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में तथा अन्य बातों के बारे में जो चर्चा की जा रही हैं वास्तव में उसके सम्बन्ध में उठाये गये मुद्दे अत्यन्त प्रासंगिक नहीं हैं। मेरे विचार से हमें अलग से चर्चा करनी होगी। उन पर इस वक्त चर्चा करना उचित नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री चित्त बसु : लेकिन उनके मामलों पर आपको सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री एस. बी. चव्हाण : जो कुछ आपने कहा है वह मैंने नोट कर लिया है। इसलिए यही मुख्य मुद्दे यहां उठाये गये थे और मैंने इस सम्बन्ध में भरसक स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बाकी बातों के बारे में मैं नहीं सोचता कि मेरा उत्तर देना आवश्यक है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : राजदेव सिंह की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या स्थिति है।

श्री एस. बी. चव्हाण : मुझे जानकारी मिली है कि राजदेव सिंह को सुरक्षा प्रदान की गई है क्योंकि सुरक्षा मांगी गई थी। पंजाब सरकार ने पंजाब में सुरक्षा प्रदान करने के लिए 23.8.91 को वायरलेस द्वारा अनुदेश दे दिया है और जब कभी भी राजदेव सिंह दिल्ली में हों तो यहां भी उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निर्देश दे दिया गया है। लेकिन यदि कोई ऐसी शिकायत है तो मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह उस व्यक्ति को मुझसे मिलने के लिए कहें। यदि इस सम्बन्ध में कुछ करना अपेक्षित होगा तो मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : वे आपसे कल मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या चार मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय। अब मैं श्री जार्ज फर्नाण्डीज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2 वृहत नाम का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा खण्ड 2 के सम्बन्ध में संशोधन सुझाये गये हैं। श्री राम नाईक।

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"2, विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) वृहत नाम में, "भारत के प्रधानमन्त्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर, "भारत के प्रधानमन्त्री और भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।" (5)

अध्यक्ष महोदय : श्री के. पी. उन्नीकृष्णन—अनुपस्थित।

श्री रासा सिंह रावत का संशोधन श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समान ही है इसलिए मैं उनका नाम नहीं पुकार रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 7 और 8,—

"प्रधानमन्त्री, हत प्रधानमन्त्री तथा हत भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"प्रधानमन्त्री तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" (13)

गृह मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 7 से 8 में,

"प्रधानमन्त्री, हत प्रधानमन्त्री तथा हत भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" के स्थान पर "भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों और उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" रखें। (19)

श्री राम नाईक : महोदय मेरे संशोधन में कहा गया है कि सम्पूर्ण धारा को दूसरी धारा द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। मेरा संशोधन इस प्रकार है—

पृष्ठ 1,—खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

"2. विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) वृहत नाम में, "भारत के प्रधानमन्त्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर, "भारत के प्रधानमन्त्री और भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों", शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।"

मेरे संशोधन और गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन में कोई अन्तर नहीं है। एकमात्र अन्तर यदि उसे अन्तर कहा जाये तो यह है कि मैंने एक्स प्राइम मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया है और

गृह मन्त्री ने फोरमर प्राईम मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में एक्सन और फोरमर शब्द में कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने मेरे तर्क को स्वीकार किया है और हम भी सरकार के कथन से सहमत हैं।

इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि आम तौर पर विपक्षी सदस्यों द्वारा रखे गये संशोधन अस्वीकृत करने की परम्परा रही है और अब उस परम्परा विशेष को बदला जाना चाहिए। संक्षेप में मैंने जो सुझाव दिया है वह गृह मंत्री जी द्वारा सुझाये गये संशोधन के समान ही है तथापि मेरा संशोधन पहले है। मैंने इसका सुझाव पहले दिया है और माननीय गृह मंत्री जी का संशोधन बाद में आया है इसलिए मैं सभा से अपील करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

एक माननीय सदस्य : और उनके संशोधन को अस्वीकृत कर दिया जाय।

श्री राम नाईक : नहीं-नहीं। एक बार मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाने पर संभवतः वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे। मैं अपने संशोधन के बारे में यही कहना चाहता हूं।

श्री एस. बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मित्र श्री राम नाईक द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की सराहना करता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं उनसे अपना संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं। कुछ कानूनी औपचारिकताएं हैं। जिन्हें पूरा करना होगा। मेरे संशोधन की जांच विधि मंत्रालय द्वारा कर दी गई है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। सिद्धान्त स्वीकार्य है। शब्दों पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए मैं माननीय सदस्य से अपना संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा व्यक्त की गई इच्छा को देखते हुए मैं आपसे मुझे अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : सारे महाराष्ट्र के सदस्य, मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय .....(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या यह अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, महाराष्ट्र राष्ट्र में सम्मिलित है। यह अन्य सभी प्रांतों से अलग नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भाई चारा कायम मत करिये। जरूरत से ज्यादा भाई चारा अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव जी, मुझे पता लगा हैकि आपने पहले अपने अमेंडमेंट में मांगा दिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी फाईनेंस बिल है और हमने डिसाइड किया है कि छः बजे के बाद बैठकर फाइनेंस बिल पर काम करना है।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 13 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एस. बी. चव्हाण द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 सभा के मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न यह है कि।

पृष्ठ 1, पंक्ति 7 से 8 में,

"प्रधानमन्त्री, हत प्रधानमन्त्री तथा हत भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" के स्थान पर 'भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" रखें। (19)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मैं यथासंशोधित खंड संख्या 2 सभा के मतदान के लिए नहीं रखूंगा। प्रश्न यह है :

कि खंड संख्या 2 यथासंशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड संख्या 2 यथासंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

6.00 म.प.

खंड 3—धारा 2 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड संख्या 3 पर विचार करेंगे।

श्री राम नाईक : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री राम नाईक : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 1—

पंक्ति 10 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय—

(1) खंड (क) में, "भारत के प्रधानमन्त्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों", शब्दों के स्थान पर "भारत के प्रधानमन्त्री और भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें (6)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13 और 14—

"हत प्रधानमन्त्री या भूतपूर्व प्रधानमन्त्री" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री"

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वडागरा) : महोदय लगता है कि मेरे अधिकतर संशोधन गृहमंत्री जी के संशोधनों के रूप में स्वीकार कर लिये गये है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से एक दूसरी बात इसमें आ गई है कि इसमें केवल भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों के पद छोड़ने के पांच साल तक की सीमा रखी गयी है। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है जिसे हाल ही में भारत रत्न प्रदान किया गया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तथापि मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यदि आपकी आज्ञा है तो (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी विनती है कि आप मूव न करें, अगर आप चाहते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जो सिंहासन कहेगा वह मुझे मंजूर है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 11 में,

"अव्यवहित कुटुंब" के स्थान पर "उसके अव्यवहित कुटुंब या किसी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" रखें । (20)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12 से पंक्ति 15 तक का लोप करें ।

श्री राम नाईक : मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । आधारभूत अवधारणा वही है इसीलिए मैं भाषण नहीं दूंगा बशर्ते कि गृह मंत्री वापस लेने का अनुरोध करें तभी मैं स्वीकार करूंगा । नहीं तो मैं वापस लेना स्वीकार नहीं करूंगा ।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं आपसे संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री राम नाईक : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री राम नाईक द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3. संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4 धारा 4 में संशोधन

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं .

पृष्ठ 1—

खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गाये—4 मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में "भारत के प्रधान मंत्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर "भारत के प्रधान मंत्री और भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री तथा उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।' (8)

यह एक अलग संशोधन है। गृह मंत्री द्वारा दिए गए संशोधन में कहा गया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को 5 वर्ष के लिए संरक्षा प्रदान की जाएगी मैंने उस संशोधन में संशोधन दिया है कि तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, जिसकी भूतपूर्व प्रधान मंत्री का पद धारण करना समाप्त हो गया" शब्दों का लोप किया जाये। मेरा उद्देश है कि इस बात का निर्णय सरकार करे कि यह अवधि 5 वर्ष होगी या 10 वर्ष या 12 वर्ष। क्योंकि अगर कानून में ऐसा प्रावधान होगा तो कोई भी अधिकारी यह कह सकता है कि 5 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातों की संभावना रहे। इसलिए मेरा यह कहना है कि 5 वर्ष की अवधि का लोप किया जाये और मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री एस. बी. चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की कठिनाई समझता हूं लेकिन हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि कुछ लोग इससे लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। यदि पांच वर्ष बाद माननीय सदस्य समझेंगे कि इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए तो हम इस पर पुनः विचार करेंगे लेकिन 5 वर्ष की अवधि के बाद भी संरक्षा तो फिर भी प्रदान की जाती रहेगी और यदि अनुमान से अधिक खतरा होगा तो हम उस समय इस पर विचार करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री राम नाईक: मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि इस बात का निर्णय करना सरकार का काम है कि संरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं और सरकार की प्रशासनिक चूक की स्थिति में मेरा विचार है कि यह संरक्षा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इस बात पर मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री राम नाईक द्वारा रखे गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री एस. बी. चव्हाण: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 16 और पंक्ति 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखें—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात—

"(1) (i) प्रधान मंत्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों की; और

(ii) उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक जिसको भूतपूर्व प्रधान मंत्री का पद धारण करना समाप्त हो गया, किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री या उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों को निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप कहा जाएगा:

परन्तु कोई भूतपूर्व प्रधान मंत्री अथवा प्रधान मंत्री या किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री के अव्यवहित कुटुंब का कोई सदस्य ऐसी निकट सुरक्षा से इंकार कर सकेगा।" (22)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 16 और पंक्ति 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखें— मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"(1) (i) प्रधान मंत्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों की; और

(ii) उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक जिसको भूतपूर्व प्रधान मंत्री का पद धारण करना समाप्त हो गया, किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री या उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों को निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप कहा जाएगा:

परन्तु कोई भूतपूर्व प्रधान मंत्री अथवा प्रधान मंत्री या किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री के अव्यवहित कुटुंब का कोई सदस्य ऐसी निकट सुरक्षा से इंकार कर सकेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 4, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.07 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

[अनुवाद]

पांचवा प्रतिवेदन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवा प्रतिवेदन (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी ने कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसे परिचालित कर दिया जायेगा तथा समिति के लिए लिया जायेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अपने मुख्य सचेतक द्वारा हमें पहले यह बताया गया था, कम-से-कम मुझे यह सूचना दी गई है, कि हमने आज वित्त विधेयक पर चर्चा करने हेतु सहमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री राम नाईक : अन्य सूचना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें यह कहा था कि विधेयक को आज पारित करने के लिए हमने ही सहमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं समझता हूं कि आज इस विषय पर चर्चा नहीं की गई। आज इस बात पर विचार नहीं किया गया था कि हमारी बैठक निर्धारित समय के बाद भी जारी रहेगी। कल यह कहा गया था कि हमारे पास अनेक विधेयक लम्बित है और सभा की बैठक इस मास की 16 तारीख तक ही चलेगी तथा कुछ विधेयकों को राज्य सभा में भी भेजा जाना है। इस लिए मोटे तौर पर सहमति व्यक्त की गई थी कि हम सहयोग करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी बैठक जारी रखेंगे एवं इसे पारित भी करेंगे। अतः मोटे तौर पर सहमति के अनुरूप जो कि इस विशिष्ट मुद्दे पर नहीं थी, मैं अनुरोध करता हूं कि हमें कुछ अतिरिक्त समय तक बैठक जारी रखकर कार्य पूरा करना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कल श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सुझाव दिया था कि हम 11 बजे तक बैठक जारी रखें। लेकिन हम 11 बजे के स्थान पर 8 बजे तक बैठ सकते हैं।

वित्त (संख्यांक २) विधेयक

[अनुवाद]

6.09 1/2 म. प.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब वित्त (संख्यांक 2) विधेयक पर विचार करेगी।

विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। यदि सभा सहमत हो तो हम 9 घंटे सामान्य चर्चा के लिए दो घण्टे खण्ड वार चर्चा के लिए तथा एक घण्टा तृतीय वाचन के लिए रख सकते है। इसके लिए 12 घंटे का समय आबंटित है। यदि आज उपस्थिति सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस समय का उपयोग कर सकते हैं। हमें आज 8 बजे तक इस पर चर्चा करनी चाहिए और तत्पश्चात हम सभा की बैठक स्थगित कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (मनमोहन सिंह) : महोदय मैं प्रस्तुत करता हूं :

"वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

महोदय, 24 जुलाई, 1991 को सभा में वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में मैंने इस विधेयक की मुख्य बातों को स्पष्ट किया था। माननीय सदस्यों को परिचालित किये गये व्याख्यात्मक ज्ञापन में भी विधेयक के विशिष्ट उपबन्धों का ब्यौरा दिया गया है। इसलिए मैं पुनः विधेयक के उपबन्धों का विस्तार में उल्लेख नहीं करना चाहता।

मुझे यह देखकर सन्तोष हुआ है कि बजट में काफी रुचि ली गई है और सभा में बजट में पर चर्चा के दौरान इस विधेयक में अन्तर्विष्ट कतिपय उपबन्धों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा बहुत खतरनाक सुझाव दिए गए थे। इस बिधेयक के प्रस्तावों पर मुझे सामान्य जनता, मजदूर संघों स्वयंसेवी संगठनों व्यावसायिक निकायों तथा वाणिज्य मण्डलों के प्रतिनिधियों से भी अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन मूल्यवान सुझावों के लिए मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वास्त करना चाहता हूं कि मेरे प्रस्तावों के सम्बन्ध में उठाये गये सभी (10 मुद्दों पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया है। मैंने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि मैं कट-ढांचे में परिवर्तन करना चाहता हूं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, सरकार ने समग्र कर-पद्धति की जांच हेतु कर सुधार समिति गठित की है। उस समिति को अन्तरिम प्रतिवेदन तीन मास के अन्दर देने और अंतिम प्रतिवेदन 22 फरवरी, 1992 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इन प्रतिवेदनों की प्राप्ति के बाद मैं सभा के समक्ष व्यापक प्रस्ताव रखूंगा लेकिन इस बीच मैं माननीय सदस्यों का ध्यान वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 के उपबन्धों में कुछ संशोधनों की ओर दिलाना चाहूंगा।

प्रत्यक्ष करों के प्रावधानों के संबन्ध में मैं निर्यात को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य के अनुरूप आयकर अधिनियम की धारा 80 एच, एच. सी. के अन्तर्गत निर्यातकों के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। आई. पी. आई. एस. के अन्तर्गत एक्सिम स्क्रिप्स की बिक्री तथा शुल्क वापसी की प्राप्ति के रूप में जो लाभ को कारबार के कुल आवर्त के अनुपात में निर्यात लाभ माना जाएगा। मुझे विश्वास है कि इससे व्यापारिक तथा निर्यात घरानों एवं विनिर्माताओं को और अधिक निर्यात के लिए प्रेरणा मिलेगी।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पर्यटन उद्योग के लिए कर-रियायत सम्बन्धी योजन में आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एच. डी. में अन्तर्विष्ट प्रावधानों में कुछ रूपभेद करने का प्रस्ताव किया था। विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत यह रियायत केवल उन्हीं अनुमोदित होटलों, 'टूर आपरेटरों' तथा 'ट्रेवल एजेण्टों' को उपलब्ध थी जिन्हें विदेशी पर्यटकों से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में वास्तव में भुगतान प्राप्त होता था। विधेयक में प्रास्तावित रूपभेद का आशय इस रियायत को उस स्थिति में भी उपलब्ध कराना है जहां विदेशी पर्यटकों से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा द्वारा प्राप्त निधियों में से दूसरे होटलों, 'टूर आपरेटरों' आदि के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मुद्रा में प्राप्त होती हैं। मुझे प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों में यह बताया गया है कि विधेयक के प्रस्तावों से टूर आपरेटरों' को हानि होगी। विधेयक पर्यटकों को देश में आकर्षित करने में टूर आपरेटरों' के योगदान को देखते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि होटलों तथा 'ट्रेवल एजेण्टों' को यह रियायत 'टूर आपरेटरों' का नुकसान करते हुए नहीं दी जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए मेरा यह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि विदेशी पर्यटकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रियायत की संगणना हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों को अन्य होटलों, 'टूर आपरेटरों' आदि को किए गए भुगतान में से कम नहीं किया जाएगा।

विधेयक में किए गए प्रस्ताव के अन्तर्गत तकनीकी जानकारी के निर्यात या भारत से बाहर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी विदेशी स्रोत से रायल्टी, कमीशन, फीस तथा इसी प्रकार के भुगतान की प्राप्तियों के सम्बन्ध में भारतीय कम्पनियों को उपलब्ध कर-रियायत गैर-निगमित निवासी करदाताओं को भी उपलब्ध होगी। मैंने इस कर-रियायत को भाहत से विदेशी कम्पनियों को तकनीकी या व्यवसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी देने का प्रस्ताव किया है।

तथापि इसके अन्तर्गत ऐसे मामले नहीं आएंगे जहां तकनीकी अवस्था व्यावसायिक सेवा भारत में अप्रवासी भारतीयों को जाती है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी प्रतिष्ठान के साथ करार किये जाने के सम्बन्ध में कर प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त समाप्त कर दी जाए।

विधेयक में प्रस्तावित आयकर अधिनियम संशोधन के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के मामले में अप्राप्त ऋणों पर ब्याज पर कर केवल उसी वर्ष लगाया जाएगा जिस वर्ष ब्याज वास्तव में प्राप्त होगा अथवा लाभ तथा घाटा खाते में भेजा जाएगा, जो भी पहले हो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे ब्याजों पर ब्याज कर केवल उसी वर्ष प्रभारित किया जाएगा जिस वर्ष वित्तीय संस्था के बैंक द्वारा ब्याज वास्तव में प्राप्त किया जाएगा अथवा लाभ व हानि लेखा में भेजा जाएगा।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज दर में उपयुक्त समायोजन करके ब्याज का बोझ ऋण लेने वाले व्यक्तियों पर लादने की स्वतंत्रता होगी। मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि अनेक मामलों में जहां मियादी ऋण पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं, ऋण दाता संस्थाएं ब्याज दर में परिवर्तन नहीं कर सकती क्योंकि ऋण करारों में इस तरह के परिवर्तन सम्बन्ध प्रावधान नहीं है। अतः मैं ऋण दाता संस्थाओं द्वारा ब्याज दर में परिवर्तन करने के लिए विधेयक में एक संशोधन का प्रस्ताव

करता हूं ताकि ब्याज कर का बोझ ऋण देने वाले व्यक्तियों पर लादा जा सके। इसके अलावा मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सहकारी भूमि बंधक बैंकों, सहकारी भूमि विकास बैंकों तथा बैंकिंग कार्य में संलग्न सहकारी सोसायटियों को ब्याज कर से छूट प्रदान की जाये। क्योंकि ये मुख्य रूप से किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

एयर कंडीशनिंग जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान करने वाले रेसटोरेंटों में किए गए व्यय पर व्यय कर लगाने के मेरे प्रस्ताव का आमतौर पर स्वागत किया गया है क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंटों में समाज के सम्पन्न वर्ग ही जाते हैं। तथापित यह बताया गया है कि प्रस्तावित कर के क्षेत्राधिकार में आने वाले रेस्टोरन्टों की पहचान करने का मानदंड बहुत जटिल है। अत: मैं इसमें संशोधन का प्रस्ताव करता हूं और इस सम्बन्ध में एकल मानदण्ड यह होगा कि रेस्टोरन्ट को एयर कंडीशन होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विधेयक में आवश्यक संशोधन हेतु मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

कतिपय भुगतानों में स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विधेयक में प्रस्ताव में कुछ संशोधन का प्रस्ताव कर रहा हूं। बैंक जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज पर कर की कटौती के बल मावधि जमा राशियों से ही की जायेगी क कि आवर्ती जमा राशियों पर इसके अलावा सहकारी भूमि बन्धक बैंकों, सहकारी भूमि विकास बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों तथा प्राथमिक ऋण सोसायटियों को इस प्रावधान से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार स्रोत पर कर की कटौती से ग्रामीण कार्य में लगे अधिकांश बैंककारी संस्थाओं को मुक्त रखा गया है। इसके अलावा इस संशोधन में यह सुनिश्चित भी किया गया है बैंक ब्याजों तथा राष्ट्रीय बचत योजना से स्रोत पर कर की कटौती के परिणामस्वरूप छोटे कर दाताओं को परेशानी न हो।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि आयकर अधिनियम की धारा 197 के वर्तमान उपबंध के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को को करदेयता नहीं है तो वह स्रोत पर कर की कटौती के बिना भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे एक निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में लिखित घोषणा करनी पड़ेगी। मैं आयकर विभाग को निर्देश दे रहा हूं कि वह इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार करे और सभी बैंक काउंटरों पर इस फार्म को उपलब्ध कराये।

मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि घुड़दौड़ जीतने से प्राप्त इनामों और लाटरी की टिकटों की बिक्री से प्राप्त कमीशन पर स्रोत पर कर की कटौती की प्रस्तावित अपेक्षा के कारण ऐसी राशियों के भुगतान करने के जिम्मेदार व्यक्तियों पर भारी बोझ पड़ जायेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैं एक संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि घुड़दौड़ों से प्राप्त इनामों से स्रोत पर कर की कटौती की सीमा 25 सौ रुपये से ऊपर रखी जाये। लाटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त कमीशन पर स्रोत पर कर की कटौती तभी होगी जब किसी एक समय एक हजार रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है।

मैं कर प्रयोजनों के लिए कारोबार लाभों की गणना करने में मूल्य ह्रास के लिए कटौती करने सम्बन्धी आयकर अधिनियम की धारा 32 में एक संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत ऐसे किसी संयंत्र तथा मशीनरी के सम्बन्ध में कोई मूल्य ह्रास की अनुमति नहीं

दी जायेगी जिसकी लागत एक या अधिक वर्षों में आयकर अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत परिशोधित की गई हो।

अघोषित आय तथा सम्पदा को घोषित करने का एक अवसर और प्रदान करने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 273-क तथा सम्पदा कर अधिनियम की धारा 18 ख में संशोधन करने का भी इस विधेयक में प्रस्ताव है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि यह सुविधा अनन्त काल तक नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सुविधा 31 मार्च, 1992 तक ही उपलब्ध हो।

इस विधेयक के अन्तर्गत एक प्रस्ताव है जिसके तहत चैरीटबल अथवा धार्मिक न्यासों तथा संस्थाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करने हेतु आयकर प्राधिकारियों के स्वविवेकाधिकार को न्यास गठित करने अथवा संस्था स्थापित करने की तिथि से तीन वर्षों तक सीमित कर दिया गया है। यह बताया गया है कि यह प्रस्ताव बहुत ही सख्त साबित होगा विशेषकर उन न्यासों अथवा संस्थाओं के लिए जो दूरदराज क्षेत्रों में हैं और जिन्हें कर कानूनों तथा प्रक्रियाओं की जटिलताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोई न्यास अथवा संस्था पंजीकरण के लिए किसी समय भी आवेदन कर सकती है। तथापि न्यास के बनाए जाने अथवा संस्था के स्थापित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर किए गए आवेदन संस्था की स्थापना की तारीख से तभी सम्बन्धित होंगे यदि प्रारंभिक एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब उचित तथा मान्य कारणों के कारण हुआ हो।

इस समय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र-छठा निर्गम तथा सातवां निर्गम तथा कतिपय अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय से मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम की धारा-80 एल के अन्तर्गत कटौती के लिए स्वीकार की जाती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आठवां निर्गम से प्राप्त ब्याज पर कर रियायत नहीं दी जाती। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं। राज्यों के लिए लघु बचत राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। राष्ट्रीय बचत को प्रमाण पत्रों में कर बातावों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा-80एक का लाभ राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के आठवें निर्गम पर न लिया जाये। यह कह कर छूट निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए तथा उसके बाद उपलब्ध होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : 80 एल के अन्तर्गत पहले से ही छूट प्राप्त है। 80 सी सी के अंतर्गत प्राप्त नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : इस समय म्यूचअल फंड को विदेशी कम्पनियों से जुड़ी व्यक्तियों को उनकी यूनिटों पर आय के वितरण द्वारा भुगतान से स्रोत पर कटौती नहीं करनी पड़ती। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के मामले में आय पर कर की कटौती की अपेक्षा में छूट केवल वहीं लागू होती है जहां भुगतान व्यक्तियों को किया जाता है। चैरिटएबल अथवा धार्मिक न्यास तथा संस्थाएं भारतीय यूनिट ट्रस्ट से श्रोत पर कर की कटौती के बिना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक निर्धारित फार्म में एक बयान देना होगा कि उनकी आय कर से छूट योग्य है भारतीय

यूनिट ट्रस्ट को अन्य म्युचुअल फंडों से समकक्ष लाने के लिए मैं विधेयक में एक संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि धन-कर की दरों को तार्किक बनाने की जरूरत है। समय की कमी के कारण धन-कर की दरों में कोई परिवर्तन का प्रस्ताव मैंने किया है और मैंने स्वयं को परिसम्पत्तियों, जब इन्हें किसी निवेश कम्पनी के माध्यम से रखी जाए, के मूल्यांकन के नियमों में विसंगतियों को दूर करने तक सीमित रखा है। मैंने धन-कर के ढांचे के एक दूसरे पहलु की जांच की है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों से स्टाक मार्केट में सट्टेबाजी में काफी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप शेयरों का बाजार मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक होता है। वर्ष 1989 में करदाताओं को शेयरों के बाजार मूल्य के पांच वर्ष के औसत को स्वीकार करने का विकल्प किया गया था। तब से शेयरों मूल्यों में लगातार वृद्ध हुई है। इसलिए करदाताओं को लम्बी अवधि अर्थात दस वर्षों के औसत का विकल्प दिये जाने की आवश्यकता है। इसलिए शेयरों के मूल्यांकन के लिए सम्बन्धित नियम में उपयुक्त संशोधन करने का मेरा प्रस्ताव है। निवेश कम्पनी के शेयरों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ऐसी कम्पनियों की परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी इसी प्रक्रिया को अपनाने का मेरा प्रस्ताव है।

अब मैं अप्रत्यक्षकरों से सम्बन्धित रियायतों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इन रियायतों को अधिसूचना जारी करके लागू किया जायेगा। फिल्म उद्योग जो उच्च निविष्ट लागत से पीड़ित है तथा जिसे केवल टी. वी. तथा वीडियो उद्योग से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, को राहत के रूप में रंगीन सं ने फिल्मों में संशोधन के लिए रंगीन जम्बों फिल्मों पर लगने वाला मूल तथा सहायक सीमा शुल्क को 90 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पर एक पूरे वर्ष में 0 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है। मुझे विश्वास है कि इस रियायत से हमारे देश में बनने वाली फीचर फिल्मों में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी।

इस वर्ष के बजट में मैंने चटनी, केचप, मक्खन, पनीर इत्यादि कृषि पर आधारित उत्पादों को उत्पाद शुल्क से बिलकुल मुक्त करने का प्रस्ताव किया था। उसी सिद्धान्त के अनुसरण में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फल के गुद्दो पर आधारित पेयों, शूप्स, ब्रोथ तथा फलों एवं सब्जियों के पाउडरों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त किया जाये। इस मद पर पूरे वर्ष में 9 करोड़ रुपये को राजस्व हानि होने का अनुमान है।

सस्ते पेन्सिलिन दवाईयों के बनाने वालों के लाभ हेतु मैं 87-एसीएए बनाने के लिए पेसिलिन वी एसिड फ-ट क्राइस्टल पर आयात शुल्क से छूट और पोटासियम पेसिलिन जी फ्रूट क्राइस्टल पर उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। तैयार जीवन रक्षक दवाईयों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैं दो बल्क औषधियों अर्थात् सेफो टेक्सिन तथा सेफ्टिो एक्सोन पर आयात शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा, लम्बी अवधि के इस्तेमाल के लिए इन्टरवोनस केनूसेय तथा टियूबिंग पर आयात शुल्क को 1.0 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि नाइलोन धागे के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले पोलीमाइट चिप्स पर उत्पाद शुल्क से छूट को पुन: बहाल कर दिया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मछली पकड़ने के लिए बनाये जाने वाले जालों के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे धागों पर कोई अतिरिक्त शुल्क का बोझ न हो। प्लास्टिक कंटेनर उद्योग को राहत पहुँचाने के लिए मैं पोलीथीन टेरेथेलेट चिप्स पर उत्पाद शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं 35 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन से अनअधिक कीमत के साबुनों पर उपलब्ध 15 प्रतिशत उत्पाद शुल्क रिआयत को 35 000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से अनधिक मूल्य के साबुनों पर भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

इस बजट में मैंने सभी ब्लैक एण्ड वाइट टेलीविजन सेटों पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया था।

मुझे इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस प्रस्ताव के कारण उत्पाद-शुल्क में वृद्धि हुई है। क्योंकि 'मौडवैट" (एम ओ.डी वी.ए.टी.) के अन्तर्गत पुर्जों पर अदा किए जाने वाले उत्पाद-शुल्क पर रियायत मिलनी बन्द हो गयी है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अतिरिक्त भार को समाप्त करने के लिए 36 से. मी. से अधिक बड़े आकार के स्क्रीन वाले 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' टेलीविजन सेटों के पिक्चर ट्यूबों पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर यानि 300 रुपए से 275 रुपए तक कमी लाकर तथा ऐसे सेटों के चैसिस की उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिकांशत: असंगठित क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले जिप्सन प्लास्टर और प्लास्टर आफ पेरिस पर उत्पाद-शुल्क में छूट दी जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'फ्यूअल इंजैक्शन' उपस्करों, जिसके लिए स्वदेशी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना अपेक्षित है, के निर्माण के लिए कल-पुर्जों और मशीनरी के आयात कर को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जाए।

अप्रत्यक्ष करों में उपर्युक्त परिवर्तनों से सम्बन्धित छूट विधेयक अधिसूचनाएं यथावधि सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

विधेयक में और जो संशोधन किये गए हैं वे केवल प्रारूप में परिवर्तन या प्रक्रियागत या परिणामिक रूप में परिवर्तन मात्र हैं, मैं इनके लिए सभा का समय नहीं लेना चाहता हूँ। राजस्व दृष्टि से उनका कोई महत्व भी नहीं है।

महोदय मुझे विश्वास है कि यह प्रस्तावित संशोधनों सहित इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करेगी।

महोदय, मैं इसके लिए प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि वर्ष 1991-92 के वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री ने जिन परिवर्तनों की चर्चा की है वे काफी ज्यादा हैं। इससे सम्बन्धित नियमों में यह प्रावधान है कि यदि हम चाहें तो अगले दिन प्रातः 10 बजे तक कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आमतौर पर हमें अपने निवास स्थान पर प्रातः साढ़े 8 से 9 बजे के बीच डाक प्राप्त होती है। इसलिए हमें इसे भली-भांति पढ़ने का समय नहीं मिल पायेगा क्योंकि इसमें काफी परिवर्तन किये गये हैं। या तो संशोधन दिये जाने के लिए समय बढ़ाया जाय और नहीं तो उनका भाषण और संशोधन जिनका उन्होंने अभी प्रस्ताव किया है वे हमें आज रात तक अवश्य मिल जायें ताकि हम कम से कम रातभर में इसका अध्ययन कर लें और फिर सभा में अगले दिन अपनी समुचित प्रतिक्रिया कर सकें।

हमें दोहर एक बजे तक संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमें उनका भाषण उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा वे सभी संशोधन भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिनका आज भारत सरकार प्रस्ताव करना चाहती है और तभी हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : हम आपका भरपूर समर्थन करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं वह उचित प्रतीत होता है। हम आपको समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं इस पर विचार करूंगा और इस समस्या का समाधान करने की भरसक कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिनसे एक खास दिशा स्पष्ट होती है और शायद वे उसी दिशा को दृढ़ता से अपनायेंगे जिनका उन्होंने बजट भाषण में उल्लेख किया था। मैंने इसे समझने का भरसक प्रयास किया है। इसके बावजूद मैं कई बातों को समझ नहीं पाया हूं। जब तक उन्हें भली-भांति समझा नहीं जाएगा उस पर बहस करना मुश्किल है। सम्भव है कि मुद्दों पर गलत ढंग से चर्चा हो जाएगी या दुबारा चर्चा हो जाएगी। इसीलिए महोदय, आपसे अनुरोध है कि हालांकि आज सायं 8 बजे तक बैठक जारी रखने की बात हुई थी फिर भी हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जो लोग इन मुद्दों को आज नहीं समझ पाये है वे इस पर आज नहीं बोलेंगे और जो समझ पाये है वे आज ही बोल सकते है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : नहीं-नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों कि जो बिना समझे बोलेंगे उनकी बात स्पष्ट रहेगी। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आज तीसरा दिन है फिर भी आप कल बहस किये जाने पर जोर दे रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने संशोधनों को अभी ही प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी मुझे आपकी समझने की क्षमता में पूरा भरोसा है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप आज ही बोले। यदि मैं आपसे आज ही बोलने के लिए कहता तो आप जरूर बोलते क्योंकि आप सब कुछ बड़ी स्पष्टता से और भलीभांति समझ गये हैं, फिर भी मैं आप पर जोर नहीं डालूंगा, आप चाहे तो कल बोल सकते हैं लेकिन मैं आज श्री रावत को बोलने के लिये अवश्य कहूँगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे इस बात की खुशी है कि आपको मुझ पर भरोसा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सुझाव इन्होने मान लिये हैं, यह कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनको अपसैट मत कीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कुछ लोगों को बोलने नहीं देंगे तो उनको टाईम कल नहीं मिलेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी यही कहना है .....

अध्यक्ष महोदय : अग्निहोत्री जी, आप बैठ जायें। आप ऐसा मत कीजिए। यदि आप आज नहीं बोलना चाहते हैं तो मत बोलिये, कल बोलिये। आप दूसरों के बारे में मत बोलिये, खुद के बारे में बोलिये।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप आज नहीं बोलना चाहते, तो मत बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरों को क्यों प्लाड कर रहे हैं। यहां पर खुद के लिए बोलते हैं दूसरों के लिए नहीं बोलते हैं, कोर्ट में दूसरों के लिए ही बोलते हैं।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : क्या अमैंडमैंट्स से डाउन हो गये हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा। यदि आप सारे मुद्दे समझ गए हो और आज बोलना चाहते हो तो आज बोल सकते हैं। यदि आप आज नहीं बोलना चाहते तो मैं और किसी को बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, यह वित्त विधेयक जब आता है उसके पूर्व वित्त मंत्री का जो बजट भाषण होता है, बजट में विभिन्न विभागों की जो मांगें होती हैं, एप्रोपरिएशन बिल होता है, उसके पश्चात् जो देश की वित्तीय नीति है, उसे दिशा देने के उद्देश्य से कराधान करने वाला यह अन्तिम कदम होता है। इसके माध्यम से देश को जो तात्कालिक अर्थव्यवस्था चलनी है, उसका नियोजन होना है। दूरगामी अर्थ-व्यवस्था की दिशा भी इससे मिलती है। आइन्दा आने वाले वर्षों में हमारी क्या स्थिति बनेगी, अगर इस कसौटी पर इस वित्त विधेयक को कसने की कोशिश करें तो बड़ी निराशा होती है। और अगर मैं यह कहूं—कि सौदा पुराना है, केवल लेबल बदल दिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने सौदा शब्द कहा क्योंकि शराब वाला शब्द का मैं उच्चारण नहीं करना चाहता था।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बजट के माध्यम से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की घोषणा की थी, विभिन्न विभागों की बजट मांग सामने आयीं, जिस औद्योगिक और वाणिज्यिक नीति की घोषणा भारत सरकार की ओर से की गयी, उनका वित्त विधेयक से कोई तालमेल नहीं बैठता है इन स्प्रिट। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की कि डा. चेल्लैया के नेतृत्व में एक कराधान समिति बनने वाली है, वह सरलीकरण का रास्ता बतायेगी, अन्य सर्वांगीण टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हो उसके बारे में संस्तुतियां देगी, मैं इनके इस कदम का स्वागत करता हूं। लेकिन उसके बाद यह कहना चाहूंगा कि जो तिथियां घोषित की गयी हैं निर्धारित की गयी हैं, उन तिथियों तक सुनिश्चित कर लें कि वे संस्तुतियां आ जायें, उसके बाद भी यह कहना चाहूंगा कि एक ओर टैक्स स्ट्रक्चर में मोडिफिकेशन—सरलीकरण की बात कहते हैं लेकिन वह भाव उनके इस बजट भाषण में, उनके कृतित्व, उनके प्रस्ताव में झलकता नहीं है। इसीलिए मैं निराश हूं इस बात से कि वित्त विधेयक के अंदर भी उनको यह भावना डालनी चाहिए थी। आज देश के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, रुपए की जिस तरह से क्रयशक्ति गिरी है, उसे देखकर मैं घबरा उठता हूं, हर उपभोक्ता घबरा उठता है। हमें उम्मीद थी कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब घोषणा की थी

कि सत्ता में आयेंगे तो सौ दिन के अन्दर महंगाई को घटाएंगे और घटाकर उसे पिछली स्थिति में लाएंगे, लेकिन यहां स्थिति उल्टी हो रही है। बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद जिस तरह से उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि हुई है, उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचने वाली वस्तुओं पर जिस तरह से भारी महंगाई बढ़ी है, उससे समूचे उपभोक्ताओं की कमर टूट रही है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी दृष्टि में रुपए के अवमूल्यन से 28 प्रतिशत क्रयशक्ति गिरी है और मैं आरोप लगाना चाहता हूं इस बात का पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आई एम एफ और भारत सरकार के बीच में दुरभिसंधि हुई है और इस दुरभिसंधि के कारण 20 प्रतिशत अवमूल्यन अभी और होगा और आगे आने वाले नए वर्ष में क्रिसमस के बाद जब हम लोग यहां मिलेंगे तो निश्चित रूप से··· (व्यवधान)

हो सकता है कि क्रिसमस से पहले मिलें, मेरे पास वह सूचना पूरी न हो लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश की संसद को और माननीय, आपके माध्यम से हिन्दुस्तान के उन करोड़ों लोगों को, जो खून-पसीना एक करके कानून का पालन करके इस देश के लिए अधिक संशोधन अर्जित करते हैं, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। इस देश की सरकार उन तथ्यों को छिपा रही है। अवमूल्यन की योजना शासन में भी स्वीकृत हो चुकी है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 1992 जनवरी में जो उपहार हमें मिलने वाला है, श्री नरसिंह राव जी की सरकार जिन्हें मैंने पिछले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा था कि उनमें लाल बहादुर शास्त्री की छवि दिखाई देती है, लेकिन आर्थिक नीतियों के आधार पर वे नितांत रूप से असफल रहे हैं और 48 कौसदी रुपए का अवमूल्यन उनके सत्ता काल के अन्दर होने जा रहा है। इसके कितने परिमाण में महंगाई बढ़ेगी इसकी साफ कल्पना की जा सकती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन करके विदेशी मुद्रा को सम्मान प्रदान किया जा रहा है, हमारी समूची निर्भरता विदेशी मुद्रा पर निर्भर होती जा रही है 15 अगस्त 47 के मूल्य के आधार पर वर्तमान रुपये की क्रयशक्ति मात्र एक पैसा रह गई है। मुझे तकलीफ होती है उस दिन की सहज कल्पना करके कि जब मोरारजी भाई के शासनकाल में जब सोने का एक्सपोर्ट खोल दिया गया था स्वर्णकार बधुओं के हित की खातिर, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि उनकी बेटियों का मंगलसूत्र लुट गया, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि बेटियों को विवाह का भी मंगलसूत्र मिल नहीं सकेगा जब आने वाली जनवरी और फरवरी में शादियां शुरू होंगी, उस समय सोने के दाम 10,000 रुपए तोले से अधिक होंगे। आज भी जो सौदे हो रहे हैं उनका अगर कोई संकेत है तो निश्चित रूप से यही संकेत मिलता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बजट के माध्यम से सारे देश की प्लानिंग होती है नेतृत्व प्रदान करता है बजट, लेकिन इस देश के अन्दर बढ़ती हुई भयंकर बेरोजगारी में उन कारणों को पुनः दोहराना नहीं चाहता कि किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है और इसलिए यह कहना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन हो, रोजगार लोगों को मिलेगा, ऐसी कोई दिशा इसमें नहीं मिलती है और सरकार से मैं उम्मीद करता था कि राजीव गांधी ने किसी चुनाव सभा में भाषण दिया था, अखबारों में पढ़ा था कि यदि वे सत्ता में आये तो रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, इसलिए सत्ता में आने पर आशा थी कि बेरोजगारों के आंखों के आंसू पुंछ जाएंगे, उनकी माताओं की वह तड़पन मिट जाएंगी किन आशाओं से उन्होंने अपने बच्चों को पाला

था और वह आज किस मुखमरी के शिकार हैं। मैं उम्मीद करता था बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था यह सरकार जरूर करेगी, लेकिन बेरोजगारों को न तो नौकरी की व्यवस्था की गई, कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं दिखता जिसमें रोजगार सृजन किए गए हों, न मुझे रोजगार भत्ते का कोई प्रावधान देखने को मिलता है जिससे कि इन लाखों करोड़ों बेरोजगार लोग, जिनको टिमटिमाती आंखों के सामने धूमिल भविष्य पड़ा हुआ है, महंगाई से पीड़ित हैं, उनको कोई तो आशा की किरण लगे।

अब मैं निर्यात की बात कहना चाहूंगा मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री, हमारे देश के वित्त मंत्री भिक्षा का कटोरा लेकर विदेशों में जाते हैं कि हमें कुछ चाहिये—दे दाता के नाम, तुझको अल्ला रखे : इस तरह वे भिक्षा मांगते हैं। निर्यात के लिए उन्होंने सारी सुविधायें खोल दी हैं। वे घोषणाएं करते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी, आपकी नौकरशाही आपको धोखा दे रही है। आपकी अफसरशाही आपके कारवां को डुबो देगी, डुबो देगी, डुबो देगी—तीन बार मैं इसलिये कहना चाहता हूं ताकि आप भूल न जायें मेरी इस चेतावनी को। मात्र यह न समझ लें कि विपक्षी दल की ओर से फाइनेंस बिल पर बहस प्रारम्भ करते हुए मैंने केवल कुछ लच्छेदार बातें कहीं। मैं आपको चेतावनी इसलिये देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह का छलावा, किस तरह की धोखाधड़ी, किस तरह की साजिश आपके विभाग में चल रही है। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि शासन निर्यातकों को निर्यात करने के लिये जो एक निश्चित प्रतिशत तक आयात करने की छूट देता है, ताकि वे आवश्यक सामग्री का आयात कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन निर्यातकों को आयात के लाइसेंस आप देते हैं, एक ओर अनुपात से इस वर्ष उसमें 25 करोड़ रुपये का रैकेट हो चुका है, 70 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस चोरी जा चुके हैं ऐसी आशंका है और वे ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं। दिल्ली की एक फर्म आगरा के एक व्यापारी को टेलीफोन करती है और अगर आप चाहें तो साधिकार जिम्मेदारी के साथ, उसका टेलीफोन नम्बर, नाम और पता मैं आपको दे सकता हूं जो लोग कहते हैं कि हमारे पास आईये, सौदा कर लीजिये और हम आपको चोरी का लाइसेंस दिलाने के लिये तैयार हैं। 20 करोड़ रुपये के लाइसेंसों की चोरी ही नहीं मुझे आशंका है कि इससे राशि अधिक भी हो सकती है।

अकेले वाणिज्य मंत्रालय के कानपुर कार्यालय स्थित आयात निर्यात के ज्वाइंट चीफ कन्ट्रोलर के कार्यालय से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस इस वर्ष चोरी गये हैं। चोरी गये लाइसेंसों का दुरुपयोग भी होता है और चोरी छिपे माल का आयात भी किया जा रहा है। आगरा के एक निर्यातक हैं—मैसर्स फूड प्रिंस—उन्हें 4,58,300 रुपये का आयात लाइसेंस आपके यहां से निर्यात करने के लिए मिला था, जो चोरी चला गया। चोरी के बाद वह दर-दर आपके दफ्तर के अधिकारियों और आपके कार्यालय में गुहार करते रहे लेकिन उनकी गुहार सुनी नहीं गयी। उन्होंने अखबार में विज्ञापन छपवाये इश्तिहार दिये, तो बड़ी मुश्किल से पकड़ में बात आयी, शायद आपके किसी मेहरबान अधिकारी का हृदय पिघल गया, उसके बाद पकड़ा धकड़ी हुई, तब जाकर पता चला कि 4,58,700 रुपये की राशि के लाइसेंस में मात्र 60 हजार रुपये की राशि का लाइसेंस शेष है, बाकी रुपये का माल आयात चोर लोग कर चुके हैं।

मैंने आपको जो फीगर्स दी है कानपुर की वे आयात तक आपके दरवाजे की गुहार कर रहे हैं लेकिन आपका महकमा उनकी चोरी की शिकायत भी दर्ज करने को तैयार नहीं है। आपके विभाग और डाक-तार विभाग की मिली जुली साजिश के आधार पर, उन आयातकों को जो लाइसेन्स जाने चाहिये, वे लाइसेन्स भेजे नहीं जाते। जब वे लोग डाकखाने जाकर कहते हैं तो कहा जाता है कि हम तुम्हारी शिकायत नहीं मानेंगे। उनका तर्क है कि जब तक वित्त मन्त्रालय के सक्षम अधिकारी इस बात की रिपोर्ट न करें कि अमुक आयातक को हमने लाइसेन्स ईश्यू किया था और उसका लाईसेन्स चोरी चला गया है, तब तक चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जायेगी। आपका विभाग उन्हें बड़ी दृढ़ता के साथ, कुटीलता के साथ उद्दंडता के साथ और निर्भीकता के साथ मना कर देता है, फटकार देता है। कहता है—बाहर निकल जाईये यह काम हमारा नहीं है : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह दुरभिसधि आपके विभाग और डाक तार विभाग की चल रही है, यदि आपको इसके प्रमाण की आवश्यकता हो, तो मैं आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ, साक्ष्य और प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। आगरा के पचासियों उद्योगपति, जिन्हें आयात के लाइसेंस मिले थे, वे आपके दरवाजे पर गुहार कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी लम्बी चौड़ी लिस्ट दी है, लेकिन कोई कार्यवाही उस पर नहीं हो रही है। आप कृपया चोरी गये लादमेन्सों की डुप्लीकेट कापी दिलाकर उन आयातकों की तो राहत दीजिये जिन्हें बिना अपराध के दण्ड मिल रहा है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सदन के अन्दर घोषणा करते हैं और हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को आशाएं दिलाते हैं कि हम निर्यात और आयात के मामले में सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, परन्तु जब तक आपकी नौकरशाही रूल्स में कुछ दिलाई नहीं लायेगी, सरलीकरण नहीं करेंगे, आपकी कोई योजना सफल होने वाली नहीं है : नौकरशाही किसी भी योजना को सफल नहीं होने देगी।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आपने बहुत खुशी के साथ कहा कि हम 'एक्जिम स्क्रिप' लेकर आ रहे हैं और उसमें कुछ राहत देने की बात भी आपने कही।

मैंने बड़ गौर से सुनने की कोशिश की, सोचता था कुछ मुबारकबाद दूं आपको, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं। कंजूस नहीं हूं लेकिन उसके बाद भी कंजूसी मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि मुझे लगता है फिर आपके साथ धोखा होने जा रहा है। आयात के लाइसेन्स जब आपके दफ्तर से जारी होते है तो आयातक के घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो एक्सीम प्रणाली की बात आप कर रहे हैं, वे तो बीयरर चैक होंगे और उसको कोई भी गिरहकट ले सकता है। अभी तो आपके विभाग और डाक-तार विभाग की साजिश है, सिर्फ दो की साजिश है और आप पकड़ सकते हैं, अगर आप गम्भीरता के साथ यदि इस बात का प्रयास करेंगे, तो पकड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन यह एक्सीम प्रणाली आ जाएगी उस दिन वे बीयरर चैक चोरी चले जाएंगे, गिरहकट ले जाएंगे और फिर पकड़ में नहीं आएंगे और जो वास्तविक आयात है जिसको वास्तव में आयात करने की आवश्यकता है वह ठगा जाएगा और जो दलाल है, जो मुनाफाखोर लोग हैं, वे जो आपके विभाग के अफसरों से मिले हुए हैं, जो एजेंट हैं, वे उनको लूट कर लेंगे और आपका सारा सिस्टम कलैप्स हो जाएगा, सारा उद्देश्य निष्फल हो जाएगा : इसलिए आवश्यक है कि एक्जिम स्क्रिप्ट पर आयात कर्ता का नाम अवश्य अंकित हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हीरा उद्योग में पिछले वर्ष 1990-91 में 1200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन जो आपके रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है, जिसको टी. बी. हो जाती है, ऐसे लाखों कारीगर लोग इस उद्योग में लगे हैं और इतने कष्ट उठाने के बाद भी ये लोग अपने देश को 12 सौ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा देते हैं, लेकिन आपके नियम उसको भी समाप्त करने पर आमादा हैं और मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी बात को गम्भीरता से नहीं लिया, तो आप विदेशी मुद्रा के लिए कटोरा लेकर भिक्षा भी मांगेंगे, लेकिन अपने देश को इस उद्योग से जो 12 सौ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिल रही है, उससे आप हाथ धो बैठेंगे और फिर थाईलैंड जिसका और हमारा इस उद्योग में कम्पटीशन चलता है, वह विश्वभर में छा जाएगा और यहां का उद्योग समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष कर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष करके कुछ सिद्धान्त हैं और आप भी सिद्धान्तरूप से सहमत हैं। आपने चोल्लिया कमेटी इसलिए बैठाई है कि प्रत्यक्ष कर इस प्रकार के होंगे जिनकी व्यवस्था सरलीकृत हो, इसका अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। जितने भी प्रोफार्मा, फारमेंट, वैल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स और जो भी प्रत्यक्ष टैक्स लेते हैं, उन सारे टैक्सों की कैफियत उसमें हो, ऐसी विवरण तैयार की जाए, उपाध्यक्ष महोदय, का म्वहींसिव डिटेल्स इन्कम-टैक्स पेयर की उसमें हों। नियम ऐसे सरल और सुबोध हों जो सामान्यरूप से समझे जा सकें। आज का इन्कमटैक्स एक्ट, इन्कम टैक्स आफीसरों और इन्कम टैक्स वकीलों के लिए पैरेडाइज है। यह अलग बात है कि पेशे से मैं भी वकील हूं, हालांकि मैं इन्कमटैक्स का वकील नहीं हूं, मैं फौजदारी का वकील हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं कि यह वकीलों का पैरेडाइज है। मैं कहना चाहता हूं कि यह इन्कम टैक्स एक्ट आपके अधिकारियों का पैरेडाइज है और यह बात वैसे तो हंसी की लगती है, लेकिन सच तो यह है कि आप अगर मेट्रीमोनियल के मार्केट में देखें, तो शायद आई. ए. एस. आफिसर के लिए दहेज की इतनी मांग की जाती है और यह इसलिए है कि आई. आर. एस. की नौकरी, आई. ए. एस की नौकरी से भी अच्छी समझी जाती है। कारण आप भी अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, मैं इससे ज्यादा जनप्रतिनिधि होने नाते नहीं कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बढ़ी हुई मंहगाई और मुद्रास्फीति और अवमूलन जो आपने किया है, इस समय, उसके कारण करदाता कराह रहा है। करदाता को आपसे अपेक्षा थी कि जब आपने अवमूल्यन रुपए का कर दिया, तो उस अवमूल्यन के कंटेस्ट में उस अवमूल्यन के संदर्भ में, उससे मिलती-जुलती रकम के अनुसार करदाता के लिए न्यूनतम आय उसका स्लैब ऊंचा कर देंगे और हमने मांग की है कि 48 हजार रुपए प्रति वर्ष इन्कम तक कोई इन्कम टैक्स न लगाया जाए : कर्मचारी इससे पीड़ित हैं। आप यह न मानकर चलिए कि हर कर्मचारी बेईमान है और मैं यह कहना चाहता हूं कि सैलरीड इन्कम के लोगों में भी अधिकांश ईमानदार हैं, उनका जीवन दूभर हो गया है और उनका जीवन तो दूभर हो ही गया है, उनके अतिरिक्त जो दुकानदार या अन्य प्रोफेनलस्स हैं, उनके सहित हर व्यक्ति परेशान है जब रुपए का अवमूल्यन हो गया, तो उसकी क्रय शक्ति गिर गई तो फिर इन्कम टैक्स की लिमिट 48 हजार रुपए से कम रुपए

रखने का कोई औचित्य नहीं है। या तो फिर सरकार यहां यह स्वीकार करे और कहने की हिम्मत करो कि सरकार द्वारा रुपए के अवमूल्यन के बाद भी, मंहगाई बढ़ने के बाद भी, कोई ऐसा अलाउद्दीन का जादुई चिराग है जिससे सारे लोगों को, उनको सस्ते मूल्यों पर सामान मुहैय्या करेगी।

ऐसी कोई योजना आपकी नहीं है। जो सस्ती दुकानें है भी उनके सारे सिस्टम अब फ्लाप हो चुके हैं। उससे लोगों को सामान नहीं मिलता, संभव नहीं है कि हर चीज राहत दी हुई दरों पर मुहैया कर सकें। वो मेहनतकश लोग जो खून-पसीना एक करके दिन-रात खेतों में काम करके अपना जीवन पालन करते हैं, यहां आपने घोषणा कर दी कि बैंकों में रुपया जमा कराने वाले देहाती आदमी को हमने छूट दे दी है कि हम उनसे रिटर्न नहीं मारोगे, उनकी आमदनी पर टैक्स नहीं लेगें, मगर उन पर बैंक में जमा कराने को धन है कहां ? यह स्थिति वह है जब फ्रांस भूखा मर रहा था। फ्रांस के लोग बादशाह के घर पर प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। बादशाह की पत्नी ने कहा कि राजा, ये लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भूखे हैं, इनके पेट में आग लग रही है, ये गल्ला मांगते है, रोटी खाने के लिए। उसने कहा कि अगर रोटी नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं खा लेते हैं। आज आपने वह स्थिति कर दी है। इसलिए कहना चाहता हूं कि रुपया जमा करने की तो गांव में स्थिति ही नहीं है। आपके द्वारा बताए हुए संशोधन से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

मैं जानता हूं कि मेरे मित्र आज जब हिन्दू की बात कहते हैं, तो वह विरोध करने लगते हैं। हिन्दु के प्रति घृणा व तिरस्कार का भाव प्रकट करते हैं। समाज में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय हिन्दु हैं, हिन्दू बिल के माध्यम से जो लोग हिन्दू की परिधि से आते है सिवाए ईसाई और मुसलमानों को छोड़कर बाकी लोग आते हैं, उनकी एक सामाजक प्रणाली है। आपको यहां पर एक विधेयक लाये थी शाहबानों के केस के बाद क्योंकि उनका मजहब इस बात की परमीशन नहीं देता था कि उनके परिवार की परित्यक्त या उपेक्षित महिलाओं का भरण-पोषण कौन करे, वे दर-दर कीठोकरे खा रही थी। उनका पति अगर मना कर देता , पति मना करने का साहस रखता है उस मजहब के मानने वालों के बीच में, तो फिर आपको यह करना पड़ा कि अन्ततोगत्वा उसकी भरण पोषण में व्यवस्था वाकफ के माध्यम से ही जिसके लिये शासन धन देगा। हिन्दु समाज से एक सामाजिव व्यवस्था बनी है एच. यू एफ. (संयुक्त हिन्दु परिवार) जिसको कहते है, जिससे परिवार का एक मुखिया कमाता है, कर्त्ता काम करेगा कोई और भी सक्षम होगा लेकिन परिवार में रहने वाले वे लोग जैसे विधवा महिलाएं छोटे-छोटे बच्चे या अनाथ बच्चों जिनके पिता मर चुके हैं जो उस परिवार में रहते हैं, परिवार के कर्ता की जिम्मेदार है कि वे अपने पेट पर पट्टी बांध ले लेकिन परिवार के लोगों का भरण-पोषण पहले करे। लेकिन इस समाज के प्रति भी में मैं देख रहा हूं कि वित्त मंत्री को वह संवेदनशील भी नही आई, उन्होने एच. यू एफ के हितों का भी ध्यान नहीं रखा। आपने 12 हजार की लिमिट रख दी है, अगर 22 हजार भी की होती तो मेरे मन में यह होता कि आपके मन में संवेदना है। इसलिए मैं संशोधन के माध्यम से मांग करता हूं कि एच. यू. एफ में भी आपका जो प्रावधान है उसको चेंज कीजिए। आपने प्रावधान कर दिया है कि एच. यू. एफ. का यदि कोई एक मैम्बर टैक्स पेयर है तो उसकी लिमिट 12 हजार रह जाएगी। मेरा कहना

है कि अगर एच. यू. एफ. में आधे से कम लोग टैक्स पेयर हैं तब भी आप इस लिमिट को 48 हजार करिए। एच. यू. एफ. को इस आम सीमा तक ऐजिस्ट करिए इकाई मानकर। अगर 48 हजार से ऊपर एच. यू. एफ. है तो उस पर टैक्स लगाइए। वर्तमान जो 12 हजार का रेट रखा है यह नितांत भ्रामक है। इसलिए इस देश की परम्परा समाज, संस्कृति को मत तोड़िए जिस संस्कृति में आप रहते हैं। यह धार्मिक मसला नहीं है यह सामाजिक व्यवस्था का मामला है। वरना जैसे आपको मुस्लिम के मामले में अमैंडमेंट लाना पड़ा हिन्दुस्तान की लाखों विधवाओं वृद्ध और अपंग और अनाथ बालकों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस समय आप यह व्यवस्था नहीं कर सकेंगे समाज व्यवस्था कर रहा है लेकिन शासन व्यवस्था नहीं कर सकेगा। इसलिए समाज की व्यवस्था की कड़ी को मत तोड़िए। यह मेरी आपसे अपील है उन लाखों विधवाओं, वेगुनाहों की ओर से, लाखों अनाथों की ओर से जो संयुक्त हिन्दू परिवार की छाया में रहते हैं। वे आपको दुआएं देंगे। अगर इस व्यवस्था को तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।

मैं कहना चाहता हूं कि धारा 28 (क) (क) से अन्दर, मैं बड़े गौर से सुन रहा था जब आप उस अमैंडमेंट पर बोल रहे थे। मेरा विश्वास था शायद आप नौकरशाही के दबाव से मुक्ति पा गए होंगे। लेकिन आपकी नौकरशाही रेस्टूरेंट के मालिकों को, गाइडों को सुविधा देने के लिए तैयार है मगर वह सुविधा होटलों में छोटे-छोटे पंख लगाने वाले छोटी-छोटी दुकानें व शोरूम चलाने वाले कारीगर और दस्तकारों को जो अपने हाथ से काम करते हैं, और उन होटलों के आगे बैठ जाते हैं। होटल वाले छोटी सी कोठरी किराये पर लेकर वहां विदेशी आगंतुक की खुशामद करते हैं। उसको सोडा वाटर की बोतल पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और कहते हैं कि यह भगवान शिव की मूर्ति है, यह ताजमहल है, यह बनारस का पीतल का सामान गरदोजी करके बनाया गया। ऐसे लोगों को जो शिल्पकार हैं, इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स का सामान बेचते हैं, खुशामद करते हैं, पूरा इतिहास समझाते हैं उन लोगों को आपने छूट देने की बजाये एक स्पैशली प्रावधान ऐसा कर दिया है जिसके माध्यम से उनको इस छूट से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। उनको टैक्स की लिमिट में ले लिया है, विदेशी मुद्रा में वह व्यापार करते हैं, विदेशियों से व्यापार करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको समझाने और बुझाने का, विदेशों में कोशिश करते हैं, उनमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट निकालने के विभिन्न पर्यटक एजेंसियों के माध्यम से वह कोशिश करते हैं चिट्ठियां डाल कर कि जो पर्यटक उनके यहां आये और वे आगरा, दिल्ली, वाराणसी और खजुराहो के अन्दर मिलने वाली मूर्तियों को खरीदें लेकिन आप विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले और विदेशों में ले जाने वाले माल को विदेशी मुद्रा का लाभ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की किरोआमासी नीति उचित नहीं है। इसलिये आप इसको ठीक करें।

एक बात यह कहना चाहता हूं हिन्दी और अंग्रेजी के चक्कर में। अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान मुझे अल्प हो सकता है। ऐकामोडेशन शब्द को हिन्दी के ऐक्ट में आपने डिफाइन किया है "आवासीय स्थल, आवासीय भवन" और अंग्रेजी में ऐकामोडेशन बोलते हैं और उस ऐकामोडेशन को किराये में लेने वाले लोग जो दुकान लेते हैं होटल के अन्दर, उनसे आप होटलों पर लगाने वाले एक्समैंडीचर टैक्स की उन पर भी अलग लगाते हैं। जबकि वह किरायेदार है, उस का होटल की व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं है। "ऐकामोडेशन" की हिन्दी आप अपने बिल में देखें तो वह आवासीय है और वह आवसिय नहीं व्यापारिक है वह विदेशी को बैठाकर चाय पिलाते हैं, उसको सामान दिखाते हैं, शोरूम

बनाते हैं। उनको आपने उस होटल के परक्यू में ले लिया है। मैंने इसके लिए अमेंडमेंट भी दिया है। अगर आपके व्यस्त क्षणों में कुछ क्षण खाली हों और आप नौकरशाही दबाव से मुक्त हो सकें तो इसको भी खुले दिमाग से देख लेना, डिक्शनरी में इसका मतलब देख लेना, हिन्दी और अंग्रेजी के विधेयक को भी देख लेना, जो आपने पेश किये हैं। अगर मेरा कहना सच हो तो उसको स्वीकार कर लेना। 28 क. क. के प्रावधान भूतकालिक प्रभाव से एक अप्रैल 1987 से लागू किया है। हजारों लोगों के केसिज इनकम टैक्स अथारिटी में डिसाइड हो चुके हैं फाइनली एडजुडिकेट हो चुके हैं, फिर से सर्वे होंगे और उनको परेशान होना होगा। इसलिये आप इन दुकानदारों और दस्तकारों को बरबाद होने से रोकिये, बचाइये।

मैं एक मुद्दे पर कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह है राष्ट्रीयकृत बैंकों पर। उसके बारे में अगर मैं नहीं कहता हूं तो शायद अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूंगा ऐसा मैं समझता हूं। देश के आठ बड़े बैंक न्यू आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, विजया बैंक सिंडिकेट बैंक आफ महाराष्ट्र, बीमार हैं। इनकी बीमारी के कारण जमा करने वालों के हितों पर कुठाराघात होने की आशंका है। आप उससे खातेदारों को बचाइये कुछ खातेदारों को बड़े औद्योगिक घरानों को नियमों की अवहेलना कर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्जा दे रहे हैं। यूनाइटेड कमर्शियल के निदेशक मंडल की संस्तुति के विपरीत राजनीतिक दबाव के अन्दर 30 करोड़ रुपये का ऋण एक बड़े औद्योगिक घराने को बम्बई की उसी की शाखा ने स्वीकृत कर दिया। इस सदन की परम्परा है और मैं इस बात पक्षधर हूं कि अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो तो जानबूझ कर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस में उसका नाम आये इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को जरा चिन्ता इस विषय की हो तो वह मुझ से बात कर लें। मैं उनको उसका नाम बताने के लिए तैयार हूं। इस तरह की जो बरबादी हो रही है यह ठीक नहीं है। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 62,308 करोड़ रुपये कर्जों में दिये गये। इसमें से 31,000 करोड़ रुपया निष्क्रिय ऋणों के रूप में अवरुद्ध पड़ा हुआ है।

7.00 म. प.

इनमें बीस हजार से भी अधिक की राशि बैंकों के बट्टे खाते में है, डूबे खाते में शामिल हो चुकी है। रुग्न औद्योगिक इकाइयों में बैंकों का आठ हजार फूंसा पड़ा है जिनको कि आप उद्योगों की सिक यूनिट्स कहते हैं। यह भी टोटल एमाउंट का 15 परसेंट बैठता है जो कि आपको टोटल लेंडिंग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस देश के बैंकों में खातेदारों की लगभग एक लाख 91 हजार करोड़ रुपए की राशि जमा है, लेकिन आपने बैंकों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने का साधन बना रखा है, बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रकार खातेदारों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो उन्होंने कहा था कि ये बैंक पूंजीपतियों के चंगुल से हटकर गरीबों के कल्याण के माध्यम बनेंगे, लेकिन गरीब तो आज मर रहा है गरीब पिस रहा है। गरीब को जो कर्जा मिला है, वह वापिस न होने की स्थिति में उसके घर की कुड़की हो रही है। उनके आदमियों को जेल की सिकचों में ठूंसा जा रहा है। दूसरी तरफ पूंजीपति और

सरमाएदार, जिनको कि आपने लोन दिया हुआ है राजनीतिक आधार पर प्रश्रय देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, वे लोग इन बैंकों को डसे जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन बैंकों को बैंकों के रूप में चलने दीजिए। इन बैंकों को राजनीतिक इन्स्ट्रूमेंट के रूप में राजनीतिक हितों का साधन मत बनाइए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपने कुछ सावधि जमा की बात कही है और कुछ घोषणायें भी की हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो प्रोवीजन दिया गया है कि वहीं पर टैक्स कटेगा, उसके कारण बैंकों में हैवी-एक्सोडस हो गया है। लोगों को सावधि जमा, जिसको कि अंग्रेजी में टर्म-डिपाजिट कहते हैं और हिन्दी में सावधि जमा कहते हैं, ऐसी सावधि जमाओं को निकालने की दौड़ सी लग गई है और बैंकों के अधिकारी लोगों के घरों में जा-जाकर खुशामदें कर रहे हैं और दूसरे प्रकार से प्रलोभन भी दे रहे हैं। कि रुपये न निकालें। मैं कहना चाहता हूं कि उस टैक्स के प्रावधान के कारण अनुमानित सूद के हजारों करोड़ रुपए से ऊपर बैंकों के डिपाजिट्स छिन चुके हैं। अगर यह प्रोवीजन रहा, तो यह सरकार की खुशी के लिए हो सकता है, लेकिन इससे बैंकों की बकिंग में बड़ा भारी घाटा होगा। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें। जिस तरह से वे कहते हैं कि डिक्लरेशन देने से काम हो जाएगा, मैं कहना चाहता हूं कि डिक्लरेशन देने से काम नहीं होगा क्योंकि नौकरशाही निरंकुश हो चुकी है, उस पर कोई असर नहीं होता है। उस पर असर होने का माध्यम तो दूसरा ही है। इसलिए इस देश के करदाताओं की ओर से, कुछ मैंने कड़वी बात कही है कुछ गरम बात कही है और कुछ नरम बात कही है। इस देश के करदाताओं की ओर से माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत तीन पंक्तियों के माध्यम से उनकी भावनायें प्रकट करना चाहता हूं :

'मोहब्बत में जनू के आसार नजर आते हैं,

हम आहें भरते हैं,

वे नजरे पलट लेते हैं।"

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी नजरे पलटना छोड़ दें, गरीबों की बात सुनें : परेशानियों को समझें : अगर इस देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। मेरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों व सुझावों को स्वीकार कर तथा अनियमितताओं व लालफीताशाही को दूर कर अपने गतिशील से नेतृत्व से देश की जनता को राहत प्रदान करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपने जो इतनी देर तक अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री मन मोहन सिंह : आपकी अनुमति से मैं कुछ सुधार करना चाहता हूं। पैरा 25 में एक

भूल ही गई थी । मैं उसे दुहराऊंगा ।

मैं 35,000 प्रति मीटरी टन से अनधिकृत मूल्य के साबुन के लिए दी जाने वाली 15 प्रतिशत की छूट को 38,500 रुपए प्रति मीटरी टन से अनधिक मूल्य के साबुन के लिए भी लागू किए जाने का प्रस्ताव करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावते (डोंगरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि स्क्रिप वाले मामले हैं, उन पर जब तक नाम नहीं लिखाजायेगा आयातक का, तब तक आप चाहें कुछ भी छूट दे दें कोई लाभ होने वाला नहीं है । ये स्क्रैन्डल्स चलते रहेंगे । इसलिए इसके अन्दर व्यवस्था करना जरूरी है । बीयरर चैक की तरह से नहीं, उस आदमी का नाम जरूर लिखा हो, जिससे चोरी न हो सके, तभी उसका फायदा मिलेगा ।

[अनुवाद]

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं । मैंने केवल इस सभा की राय ही नहीं मालूम की है बल्कि विभिन्न चैम्बरों की राय भी मालूम की है, जहां कि मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में भाषण देने का मौका मिला है । यह ऐसे समय पर प्रस्तुत हुआ है जब इस पर चर्चा तथा सभा के सदस्यों द्वारा बहस के लिए बहुत कम समय रह गया है वित्त विधेयक का देश के आर्थिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है । यदि इस विधेयक को जल्दबाजी में पास किया गया तो इस सभा के सदस्यों को इस पर विचार करने का बहुत कम समय मिल पायेगा । हमें बताया गया है कि विधान पालिका आम जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को अब समझती है किंतु क्या केवल दो घंटे के भीतर वित्त विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा कर लेना उपयुक्त होगा ? और इसके साथ ही खंडवार विचार केवल 2 घंटों में पूरा कर लिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : दो घंटे नहीं मिस्टर पाल । मैं आपको बता दूं कि हम इस पर 12 घंटे तक चर्चा करने वाले हैं ।

श्री देवी प्रसाद पाल : यह कोई तरीका नहीं है । वित्त विधेयक की समुचित रूप से गठित प्रवर समिति द्वारा जांच होना अत्यन्त आवश्यक है । मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि किस प्रकार नौकरशाही की लापरवाही से इस विधेयक के कई प्रावधान असंगत सिद्ध हुए हैं । मैं इस विधेयक के मूल दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं । वित्त विधेयक और वित्तीय निधि अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है । यह एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन मात्र हैं । यह सरकारी खजाने के स्रोतों में वृद्धि ही नहीं करता है वरन् वित्तीय उपायों को सामाजिक आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है जिससे समायोजन किया जा सके और सुधार लाया जा सके तथा इस प्रकार हमें अर्थव्यवस्था पर वित्तीय उपायों के प्रभाव पर विचार करना होगा ।

इस समय वित्त विधेयक के लक्ष्यों को इस चुनौती का सामना करना है। जैसा कि स्वयं वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पिछले कुछ महीनों में व्यापक रूप से आर्थिक दृष्टि से बदइंतजामी हुई है जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति नाजुक हो गयी है। विदेशी मुद्रा का खजाना लगभग खाली हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता सम्भालने से पहले की सरकार का जो घाटे का बजट रहा है उसने हमारे सभी पिछले रिकार्ड तोड़ दिये हैं। पिछली सरकार ने 11 हजार करोड़ रु. का घाटा दर्शाया है। इस पृष्ठभूमि पर वर्तमान सरकार को आना पड़ा और वित्तीय उपायों को अपने हाथ में लेना पड़ा। पिछली सरकार ने दो बार जो लिया था उस के कारण मूल्यवृद्धि हुई। इससे मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण से बाहर हो गयी। अब इकाई के स्थान पर दहाई तक मुद्रास्फीति की दर पहुंच गई है। इस पृष्ठभूमि पर जब वित्त मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत किया तो स्वाभाविक है कि उन्हें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना पड़ा और उनका मुख्य प्रयास यही था कि प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों से वसूली की प्रवृत्ति को रोका जाए क्योंकि यह आमतौर से गरीब जनता की आर्थिक दशा पर बुरा असर डालती है। वर्तमान विधेयक इस प्रवृत्ति को उलटना चाहता है। इसलिए अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों पर जोर डाला गया है। जैसा कि वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कि वे प्रत्यक्ष कर सामान्यतः उन्हीं से वसूल किये जायेंगे जिनकी इन्हें अदा करने की क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा है। प्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्त करने की दृष्टि से दो को ध्यान में रखा गया है। पहले यह कि जिनमें कर अदा कर सकने की क्षमता है उनकी आय पर ज्यादा वसूली की जाये और दूसरा यह कि कर भुगतान करने सम्बन्धी नियमों का समुचित अनुपालन हो। अवमूल्यन के बावजूद, भुगतान संतुलन नाजुक होने के बावजूद मैं वित्त मंत्री के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों की आय पर कोई नया बोझ नहीं डाला है। अतः मध्यम वर्ग के लोगों से वसूल किये जाने वाले कर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वस्तुतः प्रति व्यक्ति कर निर्धारण की दर पर प्रभाव नहीं पड़ा है, हालांकि अर्थव्यवस्था की बदतर स्थिति को देखते हुए इसकी आशंका थी, क्योंकि विदेशी मुद्रा भण्डार के लगभग अभाव और भुगतान संतुलन खराब स्थिति को देखते हुए यह आशंका थी कि उन पर उच्चतर दर से कर वसूल किया जायेगा।

पब्लिक लि. कम्पनियों पर 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक नियमित कर बढ़ाए गये हैं और फार्म कम्पनियों पर नियमित कर 45 से 50 प्रतिशत तक बढ़ाये गये हैं। प्रत्यक्ष करों से राजस्व की राशि अपेक्षाकृत ज्यादा प्राप्त होती है किन्तु उसके साथ ही वित्त वसूली की भी एक संस्था होती है और साथ ही आर्थिक विकास के हितों पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक होता है। हमें आर्थिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच समुचित संतुलन के लक्ष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने व्यापार में उपयोग में लायी जाने वाले संयंत्रों और मशीनरी के मूल्यह्रास की दर में भी कटौती की। इन उपायों के खिलाफ हमने अनेक अभ्यावेदन दिये हैं और इस पर यदि समुचित चर्चा की जाती तो वित्त मंत्री को इसके बारे में भलीभांति बताया जा सकता था। इससे पहले मूल्यह्रास की दर 15 प्रतिशत थी और तीन पारियों में काम करने वाली मशीनरी के लिए यह 30 प्रतिशत थी। इसे मूल्यह्रास की संगत दर माना जाता था : यहां तक की कम्पनी अधिनियम के अधीन भी मूल्यह्रास की दर 15 प्रतिशत है तथा दोहरी या तिहरी पारी के लिए यह 30 प्रतिशत है। अतः वित्तीय नियम और कम्पनी नियम के अन्तर्गत भी मूल्यह्रास की दर का 30 प्रतिशत होना संगत माना जाता था। आधुनिक समय में जब संयंत्रों और मशीनरी के दाम बढ़ रहे है तथा

इनका आधुनिकीकरण हो रहा है। ऐसे में जब तक मूल्यह्रास की समुचित दर का प्रावधान नहीं किया जायेगा तब तक उद्योगों का अपने आप विकास मुश्किल है। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर फिर से विचार करें मूल्यह्रास की दर 25 प्रतिशत तक घटा दी गई है और दोहरी और तीहरी पारी में काम करने वाले संयंत्रों और मशीनरी पर इससे कोई छूट नहीं है। मूल्यह्रास की अधिकतम दर अब 25 प्रतिशत मात्र हो होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान निगमित क्षेत्र के लिए आंतरिक पूंजी जुटाने के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। जब तक निगमित क्षेत्र सार्वजनिक वित्तीयकरणों या सरकार या अन्य स्रोतों से उधार लेने के लिए मजबूर होगे तब तक ये कम्पनियां आम तौर पर आंतरिक पूंजी के स्रोत के रूप में मूल्यह्रास के प्रावधान पर निर्भर रहती है। मूल्यह्रास की दर में इस कटौती के कारण कम्पनियों के लिए आंतरिक पूंजी जुटाने के प्रयास पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न चैम्बरों और एसोसिएशनों में भारी संख्या में अभ्यावेदन भेजे गए हैं और माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर फिर से विचार करें। यदि निगमित क्षेत्र को विकास की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है तो आंतरिक पूंजी जुटाने के लिए गुंजाइश होना अत्यावश्यक है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जिस निवेश भत्ते की अब तक अनुमति थी उसे वापस ले लिया गया है।

मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पुनः विचार करें कि 1988-89 से सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ है। किसी संयंत्र और मशीनरी पर ह्रास मूल्य के स्थान पर अब सम्पूर्ण परिसम्पतियों पर ह्रास मूल्य की छूट है। इसे चार भागों में वर्गीकृत किया गया है और जिस संयंत्र और मशीनरी पर मूल्य ह्रास की छूट दी जाती है उसे एक खण्ड के रूप में माना जाता है। अब पहली बार वर्तमान बजट में यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि किसी सन्यन्त्र और मशीनरी को छः महीने से अधिक अवधि तक नहीं चलाया जाता, तब 50 प्रतिशत मूल्य ह्रास की अनुमति होगी। इस उपाय से वह पूरी योजना बेकार हो जायेगी जिसे 1988-89 के वित्त विधेयक के अन्तर्गत लागू किया गया था। यदि आप सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास की अनुमति दे रहे हैं और आप किसी सन्यन्त्र और मशीनरी पर केवल 50 प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति दे रहे हैं तो इसके लिए निगमित क्षेत्र को प्रत्येक सन्यन्त्र और मशीनरी का अभिलेख रखना होता है। सम्पूर्ण परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास लागू करने के पीछे यह विचार था कि इससे कुछ कठिनाईयां और जटिलतायें दूर होंगी। इसलिए प्रत्येक सन्यन्त्र और मशीनरी के बारे में अलग-अलग अभिलेख रखने से प्रक्रिया सरल नहीं रहेगी। इस उपाय से योजना में जटिलतायें पैदा होंगी।

कह नहीं सकता कि मेरा यह सुझाव वित्त मन्त्री महोदय को पसन्द आयेगा या नहीं। परिसम्पत्तियों के अलग-अलग खण्डों पर मूल्यह्रास की छूट से समस्या ही पैदा होगी।

जहां तक भुगतान संतुलन की स्थिति का सम्बन्ध है मैं निर्यात उद्योग के विकास के लिए दिए गए प्रोत्साहनों के लिए माननीय वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूँ। निर्यात उद्योग का

प्रोत्साहन देने के लिए धारा 88-एच. सी. लागू की गई थी। वर्तमान वित्त विधेयक के अन्तर्गत इसे और उदार बना दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस योजना पर पुन: विचार करें जिसके अन्तर्गत पहली बार विनिर्मित वस्तुओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात पर कर राहत की कटौती के बीच अन्तर किया गया है। अब व्यापारिक वस्तुओं को धारा 88-एच. ए/सी के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है जो विनिर्मित वस्तुयें नहीं होती हैं। अत: विनिर्मित वस्तुओं की कोई परिभाषा नहीं है। उदाहरण के तौर पर काजू, चावल, खनिज आदि प्रसंस्कृत वस्तुयें विनिर्मित वस्तुयें नहीं मानी जायेंगी। इस प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात पर कटौती की अनुमति से प्रत्यक्ष मूल्य और ऊपरी मूल्य को घटाकर ही निर्यात से होने वाले लाभ को निर्धारित किया जा सकता है।

कृपया यह बात याद रखें कि हम सरकार की नीति के कारण अब कोई नकद प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हम निर्यात पर कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं और आयात पात्रता पावतियों और वापस किए जाने वाले शुल्क सम्बन्धी सुविधा को वापस ले लिया गया है। इस समय 60 प्रतिशत से अधिक प्रसंस्कृति वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। इन व्यापारिक वस्तुओं के मामले में यदि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मूल्य को घटा दें तो प्रसंस्कृत वस्तुओं पर कोई अधिक लाभ नहीं होता अपितु बहुत ही कम लाभ प्राप्त होता है विनिर्मित वस्तुओं पर कर में कटौती कुल उत्पाद में से कितना भाग निर्यात किया गया उस पर दी जाएगी और यह कटौती कुल उत्पाद को निर्यात की जाने वाली मात्रा से विभाजित करके प्राप्त होने वाले अनुपात के बराबर होगी। ये बात समझ में नहीं आती कि व्यापारिक वस्तुओं के मामले में इस सूत्र को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुन: विचार करें। कुल टर्न ओवर के बारे में बिक्री कर उत्पाद शुल्क तथा और अन्य कई चीजें शामिल की जाती है जबकि निर्यात के टर्न ओर के बारे में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। जहां तक अनुपात के निर्धारण का सम्बन्ध है जब तक आप दो समान वस्तुओं में तुलना न करें तो अनुपात कैसे निर्धारित हो सकता है। इसलिए कुल टर्न ओवर के लिए, जिन मदों को निर्यात टर्न ओवर के लिए शामिल नहीं किया जाता उनकी कटौती करनी होगी। किन्तु बिक्रीकर की क्या स्थिति है ? उत्पाद शुल्क और अन्य मदें जिन्हें निर्यात टर्न ओवर में शामिल नहीं किया जाता है उनकी क्या स्थिति है ?

मैं वित्त मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस मामले पर पुन: विचार करें और यदि इस बारे में कुछ किया जा सकता हो तो उससे निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

जहां तक होटल उद्योग का सम्बन्ध है, यह सच है कि इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। यदि होटल प्रबन्धक मात्रा प्रबन्धकों अथवा पर्यटकों से विदेशी मुद्रा में धन लेते हैं तब उन्हें धारा 80 एच. एच. डी. के अन्तर्गत राहत दी जायेगी।

होटल उद्योग इस राहत की मांग लम्बे अर्से से कर रहा था किन्तु यह राहत अब केवल अप्रैल, 1992 से ही दी जायेगी। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें और इस राहत को अप्रैल, 1992 से नहीं बल्कि उस दिन से दें जब से धारा 80 एच.

एच. डी. लागू हुई थी। अब वित्त मन्त्री महोदय ने ब्याज पर कर लगाने का प्रयास किया है। अब सावधि जमा पर ब्याज स्रोत पर ही काट लिया जायेगा। बैंक के ब्याज के अलावा अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में कर की कटौती स्रोत पर ही कर ली जायेगी। किन्तु उन बैंकों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं होगा जिनके पास जमाकर्ताओं की संख्या लाखों में है और सावधि जमा ब्याज पर कर की कटौती स्रोत पर ही की जानी होगी। देश में बैंकों में लाखों सावधि जमा खाते हैं। जब तक बैंकों में सावधि जमाकर्ताओं के अलग-अलग खाते नहीं रखे जाते, तब तक बैंक कर की कटौती कैसे करेंगे और उन्हें यह कैसे पता लगेगा कि ब्याज की राशि 2500 रुपये से अधिक है अथवा नहीं। अब तक तो बैंकों से मिलने वाले ब्याज पर कर की कटौती स्रोत पर नहीं होती थी। जहां तक छूट की राशि पर कर की कटौती का सम्बन्ध है यह भी वित्त विधेयक में एक नई बात है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

डा. देवी प्रसाद पाल : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे थोड़ा सा और समय दें क्योंकि इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण खण्डों पर विचार करने की आवश्यकता है और इसी अवसर पर हो हम इस पर विचार कर सकते हैं। इसके बाद तो इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पहली बार ब्याज पर कर लगाया जा रहा है यद्यपि बहुत पहले इसे हटा लिया गया था। ब्याज पर कर का अर्थ यह है कि बैंकों को इस कर के भुगतान के लिए ब्याज की दर बढ़ानी पड़ेगी। ब्याज पर कर की दर 3 प्रतिशत है और वित्तीय संस्थानों को यह ब्याज कर देना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि ऋण पर ब्याज की दर अधिक कर दी जाएगी। मैं वित्त मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या इस समय ब्याज पर कर लगाना सही होगा जबकि इस समय देश की पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री महोदय ने कर की वसूली बढ़ाने का सुझाव दिया है और इसके लिए उपाय भी सुझाये हैं : आयुक्त को धारा 273 ए के अन्तर्गत जुर्माना अथवा ब्याज को माफ करने की शक्ति प्रदान की गई है। जब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि स्व-विवेक शक्तियों को क्या संभव कम किया जाये और वर्तमान सरकार की औद्योगिक नीति यह है कि हमें नौकरशाहों के स्व-विवेक अधिकारों के मकड़ी जाल से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना है और वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे वित्तीय प्रशासन में अत्यधिक नौकरशाही करण में एक प्रमुख दोष है। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इस तरह के विस्तृत स्व-विवेकाधिकार देना वांछनीय है। वित्त मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि मैच्युल फण्ड और ओपन-एण्डेड फण्ड पर 25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत ब्याज की दर होगी किन्तु धारा 115ए में ब्याज की दर 25 प्रतिशत ही रखी गई। यह नौकरशाही भूल के अलावा और कुछ नहीं है। यदि धारा 115 (ए) के अन्तर्गत ब्याज की दर घटाकर 10 प्रतिशत रखी गई है तो आपको धारा 115 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत ब्याज की दर का लोप करना चाहिये था। अन्यथा ब्याज की कौन-सी दर लागू होगी ?

मैं सरकार की इस नीति का स्वागत करता हूं कि जब स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी तो यह वित्त विधेयक अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत वर्तमान दर पर की जायेगी। अनेक दोहरे कराधान करारों में कर की दर कम कर दी गई है किन्तु जब कर की कटौती स्रोत पर की जाती है तो इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्यथा धारा 237 ए को अवधारणा व्यर्थ हो जायेगी। इसी प्रकार जब किसी कर निर्धारितों को वापस किये जाने योग्य कर पर ब्याज देना होता है तो ब्याज की दर केवल 12 प्रतिशत होती है किन्तु जब किसी कर-निर्धारती द्वारा कर देय होता है तो उसे 24 प्रतिशत दर से ब्याज देना होता है। इस तरह की असमानताओं को दूर करने की जरूरत है।

यदि वित्त मंत्री महोदय मेरी बात को सुनने की कृपा करें तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की असमानताओं से कानून की अनेक धाराओं की उपयोगिता नहीं रहती है।

अब मैं निवेशकारी कम्पनियों के स्टाक एक्सचेंज में बिना दर्ज शेयरों के मूल्यांकन के बारे में नियमों का उल्लेख करना चाहूँगा। स्टाक एक्सचेंज में निवेशकारी कम्पनियों के बिना दर्ज शेयरों के उनकी परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य के सन्दर्भ में उनके खण्डशः मूल्यानुसार मूल्यांकन के सम्बन्ध में जिस उपाय को अब लागू किया जा रहा है उसका सुझाव 1981 में दिया गया था।

इसे 1991 में लागू किया गया था। इसके संबंध में आपत्तियां उठाई गई थी क्योंकि इससे प्रशासन में कठिनाइयां पैदा होती और इसे छोड़ दिया गया था।

1986 में इसी विधेयक को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था तब भी विभिन्न स्रोतों से आपत्तियां उठाई गयी थी। और तब भी इसका अनुसरण करना कठिन माना गया था और इसे छोड़ दिया गया था। अब भी निवेशकारी कम्पनियों के स्टाक एक्सचेंज में बिना दर्ज शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में संशोधन लाकर उसी बात को पुनः दोहराया गया है।

यदि आप तुलन पत्र भूमि और भवनों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर शेयरों का मूल्यांकन करेंगे तो इस मानक से उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पायेगा।

मैं चिकित्सा व्यय के बारे में भी वित्त मंत्री महोदय को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आयकर अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत आप चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को अनुमति दे रहे हैं। इससे पहले अगर अस्पताल सरकारी अस्पताल नहीं होता था तब कर्मचारी अथवा उसके परिवार पर चिकित्सा व्यय के लिए 10 00 रुपये की कटौती की छूट थी। इसे 6 जून, 1991 की एक अधिसूचना के द्वारा लागू किया गया था। 24 जुलाई को जब बजट पेश किया गया तो इसे समाप्त कर दिया गया। अब केवल कर्मचारी के लिए 5,000 रुपये तथा उसके परिवार के लिए 5,000 रुपये का चिकित्सा व्यय की ही अनुमति है।

जब 6 जून, 1991 को अधिसूचना जारी की गई थी तो 14, जुलाई, 1991 को उसे समाप्त करने की क्या आवश्यकता थी ?

मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इससे मध्यम वर्ग के कर्मचारी प्रभावित होंगे।

चिकित्सा व्यय के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब किसी कर्मचारी का हृदय की शल्य क्रिया अथवा गुर्दे का प्रतिरोपण अथवा कैंसर के लिये जटिल शल्य क्रिया के लिए उपचार होता है और यदि इसके लिए किसी सरकारी अस्पताल में सुविधायें उपलब्ध नहीं होती तब इन जटिल शल्य क्रियाओं के लिए पूरी व्यय की अनुमति दी जाती और यदि नियोजन उसका भुगतान करता है तो इस धनराशि पर कर से छूट क्यों नहीं दी जाती।

एक सरकारी कर्मचारी चिकित्सा पर खर्च करता है तो उसे छूट दी जाती है लेकिन जब कोई नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी के बड़े आपरेशन पर जैसे हृदय की बाई पास सर्जरी, गुर्दे के प्रत्यारोपण अथवा कैंसर के इलाज इत्यादि पर व्यय करता है तो उसे आय कर से छूट नहीं दी जाती इस प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करे और यदि आवश्यक हो तो धारा 17 में संशोधन करे।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा बजट नीति और वित्त विधेयक का उद्देश्य कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति है और उनका मैं पूरा-पूरा समर्थन करता हूं तथा वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कठिन आर्थिक स्थिति में जबकि मुद्रास्फीति काफी अधिक दे और भुगतान स्थिति चिन्ताजनक है, एक ऐसा बजट तैयार किया है जिसमें नए कर अधिक नही लगाए नए हैं। बजट में प्रस्तावित वित्तीय उपाय सराहनीय हैं मुझे यकीन है वित्त मंत्री इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कई संशोधन किए है। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कई अन्य माध्यमों से भी कई सुझाव दिए है। मैं वित्त मंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार करता हूँ कि कुछ अन्य मुद्दों जिनकी ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है उन पर भी विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का जिसे काफी संशोधनों के बाद पेश किया गया है समर्थन करेगी।

[हिन्दी]

श्री संजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए विरोध करना चाहता हूँ कि वर्तमान विधेयक पूर्ण रूप से पूंजीवादी स्वार्थों की रक्षा के एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार की बुद्धि और चरित्र की परीक्षा दो सवालों पर होती

है। प्रथम सवाल है—आय बढ़ाने के लिए उसके क्या तरीके हैं और दूसरा है कि मूल्य वृद्धि को वह रोक पाएगी या नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह कोई समाजवादी कसौटी नहीं है, यह केवल कल्याणकारी राज्य के वित्तीय विधेयक की कसौटी है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने आते ही घोषणा की थी कि मूल्य वृद्धि को रोकेंगे और इसी सदन में जो सरकारी आंकड़ा दिया गया था 20 जुलाई से 10 अगस्त के बीच अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में 3.1% की वृद्धि हुई है और एक साल के भीतर 13.5% की वृद्धि हुई। तो जो इनका पहले वादा था बजट के पेश होने के साथ ही 20 रोज में जो वादा-खिलाफी हुई इस लिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुए थे, इंग्लैंड के पास हमारे देश का करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की रकम पौंड पावना के रूप में जमा थी और आज 44 वर्ष के राज में हमारी हालत इतनी खराब हो गई है कि 1947 में तो हम बन्दूक की गुलामी से अलग हो गए थे पर आज संदूक की गुलामी हम पर लादी गई है और साढ़े चार लाख करोड़ का हम पर कर्ज है। एक लाख सत्तर हजार करोड़ का विदेशी कर्ज है इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होते-होते करीब दो लाख करोड़ का हो जाएगा और इस साल जो हम इंटरनेशनल मानीटरी फंड से कर्ज लेने जा रहे हैं, वह कर्ज 10 हजार करोड़ का होगा। विदेश से जो हथियार लेने जा रहे हैं वह कर्ज 6 हजार करोड़ का होगा। इस तरह से देखते हैं कि दिनोंदिन हम तबाह और बर्बाद होते जा रहे हैं। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है।

जिस वक्त 1947 में हम आजाद हुए थे, उन दिनों देश की आबादी 34 करोड़ थी और 34 करोड़ आबादी को खिलाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं था। हमें विदेशों से अन्न मंगवाना पड़ता था। आज हमारी आबादी 85 करोड़ हो गयी है। गांधी जी कहा करते थे कि हमारा किसान इस देश की रीढ़ है। किसानों ने मेहनत करके, मशक्कत करके देश में अन्न की उपज को बढ़ाया और आज हालत यह है कि 85 करोड़ आबादी को खिलाने के लिये भी अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। ये सब हम किसानों के बलबूते पर ही कर पाये, किसान ने हमें आत्म निर्भर बनाने में कितना योगदान दिया दिन-रात मेहनत की परन्तु यह सरकार उन किसानों पर बोझ लादने जा रही है। पहले उन्हें फर्टिलाइजर में जो सबसिडी मिलती थी, उससे किसानों की खेती में दिलचस्पी बढ़ी थी परन्तु खाद से सबसिडी हटाकर इस सरकार ने किसानों के दिलों को तोड़ने का काम किया है। किसानों में विषमता फैलाने के लिये उनमें आर्थिक फूट फैलाने के लिये, इन्होंने खाद पर मिलने वाली सबसिडी या छूट को छोटे मंझोले और बड़े किसानों के बीच में फर्क करके, वापस ले लिया इस तरह सबसिडी के मामले में फर्क करने से हम ब्लैक मार्केटिंग को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। इससे किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इस बजट में यदि हम सिंचाई पर किये प्रावधानों को देखें तो किसान जो इतना काम करता है आजादी के 44 वर्षों बाद, अभी तक हम 44 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई की व्यवस्था कर पाये हैं। दूसरी ओर हमारी फिजूलखर्ची बढ़ती ही जा रही है। बजट देखने से पता चलता है कि साधारण लोगों पर जो बीड़ी पीते हैं, टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है जब कि बड़े लोगों

पर जो शराब और विह्स्की पीते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट के बाद, सदन में जो वित्त विधेयक पेश किया गया है, मैं उसे जन-विरोधी विधेयक मानता हूं

अध्यक्ष महोदय, उसी दिन पार्लियामैंट में, बजट के साथ औद्योगिक नीति का दस्तावेज भी पेश किया गया था और उन दोनों के आधार पर ही आज वित्त विधेयक लाया गया है। औद्योगिक नीति का जो दस्तावेज लाया गया था, उससे साफ जाहिर होता है कि हम बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों को यहां आने का छूट देने जा रहे हैं ताकि वे फौरन कैपिटल विदेशी मुद्रा देश में ला सकें परन्तु वह नीति देश के लिये घातक सिद्ध होगी। हमारा कुल जितना निर्यात विदेशों में होता है, उसमें से 40 प्रतिशत निर्यात देश के लघु उद्योगों या छोटे उद्योगों में जो माल पैदा होता है उससे जाता है। जब हम बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों को बड़े उद्योगों के साथ-साथ लघु उद्योग के क्षेत्र में आने का निमन्त्रण देंगे तो उससे हमारा लघु उद्योग मारा जायेगा, खत्म हो जायेगा और इस तरह हम जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, वह भी नहीं हो पायेगा।

गांधी जी जिस समय इस देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने तीन चीजों को सामने रखकर चलने का काम किया था—स्वराज, स्वावलम्बन और लघु उद्योग (स्वदेशी) मगर आजादी के 44 सालों बाद आज स्थिति यह है कि हमारा लघु उद्योग समाप्त प्रायः हो गया है। इसके साथ-साथ हमारी फौरन एक्सचेंज का भण्डार भी कम होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं कि विदेशी व्यापार में 1980-81 से आज तक हमारी क्या स्थिति रही है। वर्ष 1980-81 में जहां हमारा एक्सपोर्ट 6,711 करोड़ रुपये का था, वहां हमारा इम्पोर्ट 12,549 करोड़ रुपये का था अर्थात 5838 करोड़ रुपये का घाटा था। वर्ष 1981-82 में देखें तो हमारा एक्सपोर्ट 7506 करोड़ रुपये का था जब कि इम्पोर्ट 13,608 करोड़ रुपये का था अर्थात 5,802 करोड़ रुपये का घाटा था। वर्ष 1982-83 में आप देखें तो हमारा एक्सपोर्ट 8803 करोड़ रुपये का था जब कि इम्पोर्ट 14293 करोड़ रुपये का था, अर्थात 5,490 रुपये का घाटा था। 1983-84 में 9 71 का एक्सपोर्ट था 15831 का इम्पोर्ट था, 6060 करोड़ का घाटा था। उसी तरह से 1984 में 11744 का एक्सपोर्ट था इम्पोर्ट 17134 का और 5390 करोड़ का घाटा था। 1985-86 में 10885 का एक्सपोर्ट था और 19696 का इम्पोर्ट था। घाटा 8,763 करोड़ का था।

अध्यक्ष महोदय : मंजय लाल जी, इन आंकड़ों की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िये।

श्री मंजय लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट ईयर का आंकड़ा बताना चाहता हूं 1990-91 में एक्सपोर्ट 32527 का था और इम्पोर्ट 43171 का और घाटा 10644 का था। इन 10 सालों में टोटल घाटा 77549 करोड़ का हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। उनके उत्पादन को सस्ते में खरीद लिया जाता है, जो उत्पादन करते हैं उससे सस्ता खरीद कर उसको प्रोसेस करके मंहगा बेचा जाता है। उसको प्रोसेस करने का जो काम है वह छोटे उद्योग में

नहीं हो पाता है। हम दो रुपए किलो में मकई बेच लेते है और वही मकई मोहन मीकिन के कारखाने में कार्न फ्लैक्स बनकर आती है और हमें 60-70 रुपए किलो खरीदनी पड़ती है। इसी प्रकार तीन रुपए किलो हम आलू बेच लेते हैं और उसी आलू के चिप्स बाजार में हमें ही 60 70 रुपए किलो खरीदने पड़ते है। इस प्रकार जो अमीर हैं वे और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होने जा रहे है और इस प्रकार से अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। अब जब बाहर के उद्योग पति आएंगे तो यह स्थिति और बिगड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के कुछ उद्योगपतियों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इससे पहले मैं यह बताना जरूरी समझता हूं कि हमने भोजन बनाने में अमरीका और रूस जैसे बड़े देशों की नकल की, लेकिन अकल नहीं लगाई और इसमे हमारी शक्ल ही बिगड़ गई। अमरीका और रूस में क्या हमारे देश में एक बुनियादी फर्क है। अमरीका और रूस में जमीन ज्यादा है और आदमी कम है जब कि हमारे यहां जमीन कम है और आदमी ज्यादा हैं। इसलिए हमे नकल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पूंजीपति और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस देश के उद्योगपतियों के कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बिड़ला 1951 में 153 करोड़ का था, वह 989 में 6974 करोड़ का हो गया। रिलायंस 1981 में 278 करोड़ का था अब 324 करोड़ का हो गया। इसीलिए मैंने जो यह विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है, उसका विरोध किया और खास तौर से इस विधेयक से क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी और बिहार मे रहने वाले लोगों मे तो विषमता और भी बढ़ेगी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक बिहार जो देश के आबादी का 0 प्रतिशत है और हमें जो अलाटमेंट केन्द्र से मिली है वह ढाई तीन और कभी 4 प्रतिशत रही है। साढ़े चार प्रतिशत से तो कभी भी ज्यादा आज तक हुई ही नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय विषमता बढ़ती जा रही है। सरकार ने कहा है कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए काम करेंगे, मगर इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और साथ-साथ जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनको जो पेंशन मिल रही है, उसमें बढ़ोत्तरी की बात थी, लेकिन इस विधेयक मे ऐसा भी कोई प्रावधान मुझे नजर नहीं आता है। इसलिए मैं इस विधेयक को जनतंत्र विरोधी मानता हूं और इसे मैं पूंजीपतियों के पक्ष का मानता हूं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

(अनुवाद)

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर हो रही चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया। मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ। हमारा देश विकट आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं यह मानता हूं कि इसमें कुछ प्रस्ताव अच्छे नहीं हैं विशेषकर पैट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर लगाया गया कर उचित नहीं है। रसोई गैस पर लगाया गया कर हमारी गृहणियों के साथ बहुत ज्यादती है। वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इसकी दर कम करें।

जहां तक पट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है, लोगों की यह धारणा है कि पैट्रोल केवल बड़े लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं है। आप टैक्सी और आटोरिक्शा को लीजिए उनका इस्तेमाल आम आदमियों द्वारा भी किया जाता है और अगर उनके किराये की दर में वृद्धि होगी तो इससे निश्चय ही आम जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक आम आदमी को यदि अस्पताल जाना होता है तो उसे टैक्सी की जरूरत होती है और अब टैक्सी के किराये बहुत बढ़ गए हैं इसलिए अनुरोध है कि पैट्रोलियम उत्पादों की दरों में कमी लाई जाये।

मैं केरल राज्य से हूं। केरल में काफी उद्योग मेरे निर्वाचन क्षेत्र वायनाड जिले में है। काफी उत्पादकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वे काफी को खुले बाजार में बेचते हैं तो उन्हें तीस रुपये प्रति किलो का दाम मिलता है पर उन्हें अपना माल काफी बोर्ड को बेचना पड़ता है जोकि केवल उन्हें 13 रुपये प्रति किलो का दाम दे रहा है। 1989 में काफी उत्पादकों को काफी बोर्ड से 25 रुपये प्रति किलो का भाव मिलता था लेकिन अब उन्हें 13 रुपये प्रति किलो का भाव मिलता था लेकिन अब उन्हें 13 रुपये प्रति किलो पर अपना माल देना पड़ रहा है।

केरल में काली मिर्च उद्योग भी संकट में है। एक किस्म की बीमारी काली मिर्च उद्योग को प्रभावित कर रही है। काली मिर्च का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। केरल सरकार कॉफी और काली मिर्च के लिए समर्थन मूल्य चाहती है। आपसे अनुरोध है कि कॉफी और काली मिर्च के लिए समर्थन मूल्य दिया जाये।

केन्द्र सरकार कालीकट में एक नया 'रेटिंग ट्रेनिंग इस्टैब्लिशमैंट' स्थापित करने पर विचार कर रही है। लेकिन धनाभाव के कारण यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। आपसे अनुरोध है कि कालीकट में यह संस्थान स्थापित करने के लिए समुचित धन का आबंटन किया जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहरों को बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो रहा और मंत्री महोदय इस बात से भलीभांति परिचित हैं। वास्तव में बैंक मैनेजर ही स्थानीय क्षेत्रों में कर्ताधर्ता होते हैं और वह इतनी औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं और आपत्तियां उठाते हैं कि निर्धन खेतिहर बैंकों से ऋण नहीं प्राप्त कर पाते। मंत्री महोदय इस तथ्यों से भली-भांति अवगत हैं इसलिए हम आशा करते हैं वे इन लोगों के साथ न्याय करेंगे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस शासन को दोषी ठहराया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने देश में 40 वर्ष तक राज्य किया फिर भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं अपने उस मित्र का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत में कितने गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे ? क्या श्री मोरारजी देसाई, श्री चरण सिंह, श्री चन्द्रशेखर अथवा श्री वी. पी. सिंह शुरू से गैर कांग्रेसी थे ? श्री मोरारजी देसाई ने 1969 में कांग्रेस छोड़ी श्री चरण सिंह ने 1967 में, श्री चन्द्र शेखर ने 1974 में और श्री वी. पी सिंह ने 1987 में कांग्रेस दल छोड़ा। यदि आप आरोप लगाते हैं तो ये चारों व्यक्ति कांग्रेस के थे। उस समय आपने इनका भी विरोध किया और बाद में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो आपने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। जब 1985-86 में

श्री वी. पी. सिंह ने बजट पेश किया तो आपने उसका विरोध किया और कहा कि वे पूंजीवादी हैं और अमरीका की तरफदारी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप आपने उन पर लगाए लेकिन जब वे हमारा दल छोड़कर जनता दल में शामिल हो गए तो आपने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। यही बात मोरारजी देसाई के मामले में भी हुई। इस प्रकार के आरोप लगाना लोकतंत्र के हित में नहीं हैं।

असली मुद्दा यह है कि आप कुछ नीतियों का विरोध नहीं कर सकते या कांग्रेस द्वारा यदि कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें आप सुधार नहीं सकते : लेकिन आप अंधाधुन्ध उनका विरोध नहीं करते। यदि वी. पी. सिंह कांग्रेस में हैं तो उनका प्रशासन ठीक नहीं है और अगर वह इस दल में नहीं हैं तो वे बहुत बढ़िया आदमी हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उन्होंने बोफोर्स के मामले को लेकर कांग्रेस दल को छोड़ा।

श्री के. मुरलीधरन : महोदय आप बहुत वरीष्ठ सदस्य है और आपके मुकाबले मैं बहुत जूनियर हूँ। कृपया मुझे बोलने दीजिये। ऐसी बातें अब हो रही हैं।

सभी राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन अगर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल में उन पर ज्यादती होती है तो उसे अत्याचार कहा जाता है लेकिन अगर पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश या कहीं अन्य स्थान पर ऐसी ज्यादती होती है तो उसे नहीं लिया जाता। इस प्रकार की बातें एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा के हित में नही है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी दलों को मिलजुलकर एकता और सम्प्रभुता की रक्षा करनी चाहिए।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री को एक अच्छा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ और मैं इस बजट का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध हूं। तीन बार हमारे देश का सोना गिरवी रखने के बाद व दो किश्तों मे रुपए का अवमूल्यन करने के बाद आई. एम. एफ. के कहने पर तैयार किया गया वह काला विधेयक है, जो जनता विरोधी है और गरीब विरोधी है। इस बिल के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ जाएगी। मेरा यह कहना, मान्यवर, गलत नहीं होगा कि इस बिल के कई प्रावधानों से सीधे मार गरीब जनता हर पड़ेगी।

वित्त मंत्री महोदय ने अभी कई संशोधन यहां पर प्रस्तुत किए हैं। बड़ा खेद है कि लोगों से जो उन्होंने वायदा किया था महगाई कम करने का, उस वायदे को उन्होंने पूरा नही किया। स्वयं वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि नहीं, सो दिन में महगाई नहीं घट सकती है। यह कहकर वे अपने कांग्रेस की घोषणा पत्र से मुकर गए। मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब राज्य कर्मचारियों ने या और लोगों ने क्या अपराध किया है कि इनकम टैक्स की सीमा 22

हजार तक ही सीमित है। यह कोई रेखा बन गई है कि यह रेखा टूटेगी नहीं। जब वित्त मंत्री जी आपने यहां खड़े होकर रैस्टोरेंट और दुनिया भर की मीठी-मीठी घोषणायें की, तब उम्मीद कर रहे थे कि आप अपने घोषणा पत्र के आधार पर सीमा को बढ़ाने की घोषणा करेंगे। आप तो वे वित्त मंत्री है, जिन्होंने आज तक पहले फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी रहे हों—परदे के पीछे से काम किया है। आपने सारे बिल बनवाए हैं और कांग्रेस पार्टी को चलाया है। आपका जैसा नाम है, "मनमोहन सिंह"—मैं कहता हूं मन को मोहने वाले ऐसे सिंह जो है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप जो राज्य कर्मचारी है, जो आपकी तरफ आशायें लगाए हुए हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी अब अच्छे वित्त मंत्री जी आए है, और उनके द्वारा राज्य कर्मचारियों को राहत मिल जाएगी। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, 22 हजार की सीमा में तो अब हर आदमी आ गया है। गरीब खोमचे वाला भी आ गया है। जब हर आदमी टैक्सेबल सीमा में आ गया है तो कम से कम आप उस सीमा पर पुनर्विचार कर लीजिए। अभी तो आपके पास अवसर है, कल का दिन है और कल शाम को आप घोषणा कर दीजिएगा। आज रात भर विचार कीजिएगा, अपनी आत्मा से चिन्तन कीजिएगा और अपनी आत्मा के चिन्तन से जब अन्तर-आत्मा जागृत हो, तो 48 हजार की इनकम टैक्स की सीमा करने वाली मेरी बात निश्चित रूप से मान लेंगे तो आपकी जय-जयकार हो जाएगी। वरना माननीय वित्त मन्त्री जी समय बहुत बलवान है। हम भी जैसे-तैसे जीतकर चुनाव आए हैं। सोचा कि पार्लियामेंट के मैम्बर पांच साल रहेंगे, लेकिन ग्यारह महीने बाद चले गए और लाइफ डिस्यूं करा कर फिर बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत कर आए हैं। कल का तो भरोसा ही नहीं है। रोजाना लगता है कि आज हैं और कल से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और फिर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। इसलिए जो आदमी काम कर गुजरता है, उसकी जयजयकार होती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप 48 हजार की सीमा कर देंगे।

इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस वक्त कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मूलवेतन का एक-तिहाई और अधिक से अधिक 12 हजार है, जो अब आपको 20 हजार रुपए कर देना चाहिए। यह मैंने आपको एक मोटी सी बात कर्मचारियों के लिए कही है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यदि आप इस दिशा में कदम उठायेंगे तो आपकी वाह-वाही होगी। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कल जब इस बिल पर आपके श्री मुख से अंतिम भाषण होगा, तो इनकम टैक्स की सीमा 48 हजार और स्टैंडर्ड डिडक्शन 20 हजार रुपए की घोषणा करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं सभा स्थगित करने से पहले मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। सभा में कई माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने विनम्रता से सभा को अपना सहयोग दिया। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और वे बधाई के पात्र हैं।

सभा अब स्थगित होती है और 12 सितम्बर, 1991 को 11.00 बजे पुनः समवेत होगी।

8.00 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 12 सितम्बर, 1991/21 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई :

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 47ए, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006